बहारे शरीअत

11 से 20

मुसन्निफ

सदरुश्शरीआ मौलाना अमजद अ़ली आज़मी रज़वी अ़लैहिर्रहमा

हिन्दी तर्जमा

मौलाना मुहम्मद अमीनुल कादरी बरेलवी

नाशिर

कादरी दारुल इशाअ़त

दो मीनार मस्जिद

[illegible] नगर, पुराना शहर बरेली



किताब को पढ़ने से पहले
इस किताब को स्कैन करने वाले
और इस काम मे हिस्सा लेने वालो के हक़ में

दुआ फरमाएं

अल्लाह अज़्ज़वजल हमारे तमाम
सगीरा व क़बीरा गुनाहों को मुआफ़ फ़रमाये
और ईमान पर इस्तेक़ामत अता फ़रमाये!

आमीन

PDF BY :
WASEEM AHMED RAZA KHAN
AZHARI & TEAM
+91-8109613336
https://t.me/Ahlesunnat_HindiBooks

बहारे शरीअ़त

ग्यारहवाँ हिस्सा

मुसन्निफ़
सदरुश्शरीआ़ मौलाना अमजद अ़ली आज़मी रज़वी अ़लैहिर्रहमा

हिन्दी तर्जमा
मौलाना मुहम्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी

नाशिर
क़ादरी दारुल इशाअ़त
मुस्तफ़ा मस्जिद, वैलकम, दिल्ली–53
Mob:–9219132423

जुमला हुकूक बहक्के नाशिर महफ़ूज़

नाम किताब	बहारे शरीअत (ग्यारहवाँ हिस्सा)
मुसन्निफ़	सदरुश्शरीअ मौलाना अमजद अली आज़मी रज़वी अलैहिर्रहमह
हिन्दी तर्जमा	**मौलाना मुहम्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी**
कम्प्यूटर कम्पोज़िंग	रज़वी कम्प्यूटर सेन्टर निकट दो मीनार मस्जिद एजाज़नगर बरेली
क़ीमत जिल्द दोम	750/ मुकम्मल 1500रु
तादाद	1100
इशाअत	2012 ई.

मिलने के पते :

1 मकतबा नईमिया ,मटिया महल, दिल्ली।
2 नाज़ बुक डिपो ,मोहम्मद अली रोड़ मुम्बई
3 न्यू सिलवर बुक एजेन्सी मोहम्मद अली रोड मुम्बई।
3 अलकुरआन कम्पनी ,कमानी गेट,अजमेर।
4 चिश्तिया बुक डिपो दरगाह शरीफ़ अजमेर।
5 क़ादरी दारुल इशाअत, 523 मटिया महल जामा मस्जिद दिल्ली। 9312106346
6 मकतबा रहमानिया रज़विया दरगाह आला हज़रत बरेली शरीफ़

इजमाली फ़ेहरिस्त

नोट

क़ादरी दारुल इशाअत की छपी हुई बहारे शरीअत की चन्द ख़ुसूसियात

तस्हीह शुदा

किताब के आख़िर में तफ़सीली फ़ेहरिस्त

फ़िक़्ही इस्तिलाहात

मुश्किल अलफ़ाज़ और उनके मआनी

ख़रीदते वक़्त क़ादरी दारुल इशाअत और अनुवादक में मौलाना अमीनुल क़ादरी का नाम ज़रूर देखलें

इदारा

अर्ज़े मुतर्जिम

ज़ेरे नज़र किताब बहारे शरीअ़त उर्दू ज़बान में बहुत मशहूर व मअ़रूफ़ किताब है हिन्दी ज़बान में अभी तक फ़िक़्ही मसाइल पर इतनी ज़ख़ीम किताब मन्ज़रे आम पर नहीं आई काफ़ी अ़र्से से ख़्वाहिश थी कि बहारे शरीअ़त मुकम्मल हिन्दी में तर्जमा की जाये ताकि हिन्दी दाँ हज़रात को फ़िक़्ही मसाइल पर पढ़ने के लिये तफ़्सीली किताब दस्तयाब हो सके।

मैंने इस किताब का तर्जमा करने में ख़ालिस हिन्दी अलफ़ाज़ का इस्तेमाल नहीं किया उसकी वजह यह कि आज भी हिन्दुस्तान में आम बोलचाल की ज़बान उर्दू है अगर हिन्दी शब्दों का इस्तेमाल किया जाता तो किताब और ज़्यादा मुश्किल होजाती इसी लिये किताब के मुश्किल अलफ़ाज़ को आसान उर्दू में हिन्दी लिपि में लिखा गया है।

बहारे शरीअ़त उर्दू में बीस हिस्से तीन या चार जिल्दों में दस्तयाब हैं अगर इस किताब का अच्छी त़रह से मुत़ाला कर लिया जाये तो मोमिन को अपनी जिन्दगी में पेश आने वाले तक़रीबान तमाम मसाइल की जानकारी ह़ासिल हो सकती है। इस किताब में अक़ाइद मुआ़मलात त़हारत, नमाज़, रोज़ा, हज, ज़कात, निकाह, त़लाक़, ख़रीद, फ़रोख़्त, अख़लाक़, ग़रज़ कि ज़रूरत के तमाम मसाइल का बयान है।

काफ़ी अ़र्से से तमन्ना थी कि मुकम्मल बहारे शरीअ़त हिन्दी में पेश की जाये ताकि हिन्दी दाँ ह़ज़रात इस से फ़ायदा ह़ासिल कर सकें बहारे शरीअ़त की बीस हिस्सों की तसह़ीह अच्छी त़रह करके दो जिल्दों में पेश किया जा रहा है। जिन से हमने कम्पोज़िंग कराई उन्होंने दस हिस्से जो हमारी तसह़ीह के थे दुनियवी लालच में आकर दूसरे इदारे को देदिये और साइज़ बदल कर वैसे ही छाप दिये उस में जहाँ हमारा नाम था अनुवादक में अपना नाम बदल डाला उन दस हिस्सों के बारे में मैं कुछ नहीं कहता बाक़ी ग्यारह से बीस तक तसहीह उसमें किसी और की है हिस्सा सोलह से बीस तक थोड़ा थोड़ा देखने का इत्तिफ़ाक़ हुआ कसीर तादाद में ग़ल्तियाँ ऐसी हैं जिस से अनुवादक के जाहिल होने का यक़ीन होता है और बहुतसी जगह पर मसअ्ला भी बदल गया है। जैसे एक जगह ख़्वाजा सरा को ख़्वाहा सरा, उमरा को अमराद लिखा है वरासत के मसअ्ले में लिखा है कि "माल के हिस्से करके बांट दिये जायें" उस जाहिल अनुवादक ने लिख मारा कि "माँ के हिस्से करके बांट दिये जायें" उसे यही नहीं पता कि मसअ्ला बदल गया माल के हिस्से हो सकते हैं उस जाहिल से पूछा जाये कि माँ के हिस्से कैसे करेगा। ऐसी बहुत सी ग़ल्तियां हैं इस लिये किताब ख़रीदते वक़्त इदारे का नाम 'क़ादरी दारुल इशाअ़त' और अनुवादक का नाम 'मौलाना अमीनुल क़ादरी' ज़रूर देख लें।

यह हिन्दी में फ़िक़्ही मसाइल पर सब से ज़्यादा तफ़सीली किताब होगी कोशिश यह की गई है कि ग़लतियों से पाक किताब हो और मसाइल भी न बदल पायें अभी तक मार्केट में फ़िक़्ह के बारे में पाई जाने वाली हिन्दी की अकसर किताबों में मसाइल भी बदल गये हैं और उनके अनुवादकों को इस बात का एहसास तक न हो सका यह उनके दीनी त़ालीम से वाक़िफ़ न होने की वजह है। मगर शौक़ उनका यह है कि दीनी किताबों को हिन्दी में लायें उनको मेरा मश्वरा यह है कि अपना यह शौक़ पूरा करने के लिए बाक़ाएदा मदर्से में दीनी त़ालीम हासिल करें और किसी आ़लिमे दीन की शागिर्दी इख़्तेयार करें ताकि हिन्दी में सह़ी तौर पर किताबें छापने का शौक़ पूरा होसके।

फिर भी मुझे अपनी कम इल्मी का एह़सास है। क़ारेईन किताब में किसी भी त़रह की ग़लती पायें तो ख़ादिम को ज़रूर इत्तेलाअ् करें ताकि अगले एडीशन में सुधार कर लिया जाये किताब को आसान करने की काफ़ी कोशिश की गई है फिर भी अगर कहीं मसअ्ला समझ में न आये तो किसी सुन्नी सह़ीहुल अक़ीदा आ़लिमे दीन से समझलें ताकि दीन का स़ही इल्म ह़ासिल होसके किताब का मुत़ालआ़ करने के दौरान उ़लमा से राब्ता रखें वक़्तन फ़ वक़्तन किताब में पेश आने वाले मसाइल को समझते रहें।

अल्लाह तआ़ला की बारगाह में दुआ़ है कि वह अपने ह़बीबे अकरम स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व सल्लम के स़दक़े में इस किताब के ज़रीए क़ारेईन को भरपूर फ़ायदा अ़ता फ़रमाये और इस तर्जमे को मक़बूल व मशहूर फ़रमाये और मुझ ख़त़ाकार व गुनाहगार के लिये बख़्शिश का ज़रीआ़ बनाये आमीन!

ख़ादिमुल उ़लमा
मुह़म्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी
30 सितम्बर सन.2010

हमे बड़ी मुसर्रत हो रही है कि अल्लाह त'आला और उसके हबीब सल्लल्लाहु त'आला अलैहि वसल्लम के हुक्म फ़ज़्ल-ओ-करम से और बुज़ुर्गाने दीन सिलसिला-ए-क़ादिरिया बिलख़ुसूस पिराने पीर दस्तगीर हुज़ूर ग़ौस-ए-आज़म शैख़ अब्दुल क़ादिर जीलानी रादिअल्लाहु त'आला अन्हू के फ़ैज़ से क़िताब बहार-ए-शरीअत (हिस्सा **11** से **20**) हिंदी में पीडीएफ **(PDF)** में आप की खिदमत में पेश की जा रही है।

ज़माना-ए- क़दीम से अवमुन्नास की इस्लाहे हाल और हिदायते उख़रवी व दुनयवी के लिए हक़ सदाक़त के जाम की फ़राहमी की जाती रही हैं और ये इलतेज़ाम ख़ालिक़-ए-क़ायनात जल्ला जलालहु ने ब अहसान अपनी मख़लूक़ के लिए फ़रमाया है। अम्बिया व मुर्सलीन के बेहतरीन दौर के बाद उसने यह ख़िदमत अपने मुक़र्रबीन रिज़वानुल्लाह त'आला अलैहिम अजमईन के सुपुर्द की और यह सिलसिला अला हालही जारी व सारि है।

मज़हब-ए-इस्लाम अल्लाह त'आला का पसंदीदा दीन है । ज़िंदगी का कोई ऐसा शोबा नही जिसके लिए इस्लाम ने हमे क़ानून न दिया हो ।

आज जिस दौर से हम गुज़र रहे है हमारा मुस्लिम तबका उर्दू की तरफ ध्यान नही दे रहा है और नई नस्ल तो बिल्कुल ही उर्दू से नावाक़िफ़ होती जा रही है । नतीजे के तौर पर दीनी और मज़हबी दिलचस्पियाँ काम हो रही है और हम अपने हाल को ग़ैर मुंज़बित तरीके पे छोड़े रहते है ।

लिहाज़ा ये किताब हिंदी में लिखी गई है और आप सब की आसानी के लिए हम ने इस किताब को पीडीएफ फ़ाइल में आप की ख़िदमत में पेश किया है।

आप सब से हमारी गुज़ारिश है कि अपनी मसरूफ ज़िन्दगी में से रोज़ाना वक़्त निकाल कर बुज़ुर्गो की तस्नीफ़ करदा किताबो को मुताला में रखें , इंशा अल्लाह त'आला दीन और दुनिया दोनो में मक़बूल होंगे।

दुआओं के तलबगार

वसीम अहमद रज़ा खान और साथी

+91-8109613336

https://t.me/Ahlesunnat_HindiBooks

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
نَحْمَدُهٗ وَ نُصَلِّي عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

ख़रीदो फ़रोख़्त का बयान

वह ख़ल्लाक़े आलम की क़ुदरते कामिला का इदराक (अल्लाह की क़ुदरत को पूरी तरह से जानना) इन्सानी ताक़त से बाहर है अर्श से फ़र्श तक जिधर नज़र कीजिये उसी की क़ुदरत जलवागर है हैवानात व नबातात व जमादात और तमाम मख़लूक़ात उसी के मज़हर हैं उसने अपनी मख़लूक़ात में इन्सान के सर पर ताजे करामत व इ़ज़्ज़त रखा और उसको मदनीयुत्तबा बनाया कि ज़िन्दगी बसर कने में यह अपने नोअ़ का मोहताज है क्योंकि इन्सानी ज़रूरियात इतनी ज़ायद और उनकी तहसील (प्राप्त करने) में इतनी दुशवारियाँ हैं कि हर शख़्स अगर तमाम ज़रूरियात का तनहा मुतकफ़्फ़िल(आत्म निर्भर) होना चाहे ग़ालिबन आजिज़ होकर बैठा रहेगा और ज़िन्दगी के अय्याम ख़ूबी के साथ गुज़ार न सकेगा लिहाज़ा उस हकीमे मुतलक़ ने इन्सानी जमाअत को मुख़्तलिफ़ शोअ़बों और मुतअ़दि्दद क़िस्मों पर मुन्क़सिम (बाँटना) फरमाया कि हर एक जमाअत एक–एक काम अन्जाम दे और सब के मजमुआ से ज़रूरियात पूरी हों मसलन कोई खेती करता है, कोई कपड़ा बुनता है, कोई दूसरी दस्तकारी करता है जिस तरह खेती करने वालों को कपड़े की ज़रूरत है कपड़ा बुनने वालों को ग़ल्ले की हाजत है न यह उससे मुस्तग़नी (बे परवाह) न वह इससे बेनियाज़ बल्कि हर एक को दूसरे की तरफ़ एहतियाज (ज़रूरत मन्दी) लिहाज़ा यह ज़रूरत पैदा हुई कि उस की इसके पास जाये और उसकी उसके पास आये ताकि सबकी हाजतें पूरी हों और कामों में दुश्वारियाँ न हों। यहाँ से मुआ़मलात का सिल्सिला शुरू हुआ बैअ़ (ख़रीद ो फ़रोख़्त) वग़ैरह हर क़िस्म के मुआ़मलात वुजूद में आये, इस्लाम चूँकि मुकम्मल दीन है और इन्सानी ज़िन्दगी के हर शोबे पर उसका हुक्म नाफ़िज़ है जहाँ इबादात के तरीक़े बताता है, मुआ़मलात के मुतअ़ल्लिक़ भी पूरी रौशनी डालता है ताकि ज़िन्दगी का कोई शोअ़बा तिश्ना बाक़ी न रहे और मुसलमान किसी अ़मल में इस्लाम के सिवा दूसरे का मोहताज न रहे। जिस तरह इबादात में बाज़ सूरतें जाइज़ हैं और बाज़ नाजाइज़, इसी तरह तहसीले माल (माल हासिल करने) की भी बाज़ सूरतें जाइज़ हैं और बाज़ नाजाइज़ और हलाल रोज़ी की तहसील इस पर मौक़ूफ़ (निर्भर) कि जाइज़ व नाजाइज़ को पहचाने और जाइज़ तरीक़े पर अ़मल करे नाजाइज़ से दूर भागे कुरआन मजीद में नाजाइज़ तौर पर माल हासिल करने की सख़्त मुमानअ़त (रोक) आयी अल्लाह तआ़ला फरमाता है:–

﴿ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل و تدلوابها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون۔﴾

"आपस में एक दूसरे के माल नाहक़ मत खाओ और हुक्काम के पास उसके मुआ़मले को इसलिए न लेजाओ कि लोगों के माल का कुछ हिस्सा गुनाह के साथ जानते हुए खा जाओ"।

और फरमाता है।

﴿ياايها الذين امنوا لاتاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم﴾

"ऐ ईमान वालो आपस में एक दूसरे का माल नाहक़ मत खाओ हाँ अगर बाहमी रज़ा मन्दी से तिजारत हो तो हरज नहीं"।

और फरमाता है।

﴿ياايها الذين امنوا لاتحرموا طيبت مااحل الله لكم ولاتعتدوا ط ان الله لايحب المعتدين و كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذى انتم به مؤمنون ۰﴾

"ऐ ईमान वालो अल्लाह ने जिस जिस चीज़ को हलाल किया है उन पाकीज़ा चीज़ों को हराम न कहो और हद से तजावुज़ न करो, हद से गुज़रने वालों को अल्लाह दोस्त नहीं रखता और अल्लाह ने जो तुम्हें रोज़ी दी उन में से हलाल तय्यिब को खाओ और अल्लाह से डरो जिस पर तुम ईमान लाये हो"।

कसबे हलाल के फ़ज़ायल

तहसीले माल के ज़राए (माल हासिल करने के रास्ते) में से जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और ग़ालिबन रोज़ाना जिससे साबिक़ा पड़ता है वह ख़रीदो फ़रोख़्त है। किताब के इस हिस्से में उसी के मसाइल बयान होंगे, मगर इससे पहले कि फ़िक़्ही मसाइल का सिलसिला शुरू किया जाये कसब ो तिजारत की फ़ज़ीलत में जो अहादीस वारिद हैं उन में से चन्द हदीसों का तर्जमा ज़िक्र किया जाता है।

हदीस (1) सहीह बुख़ारी शरीफ़ में मिक़दाम बिन मादीकरब रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया उस खाने से बेहतर कोई खाना नहीं जिसको किसी ने अपने हाथ से काम करके हासिल किया है और बेशक अल्लाह के नबी दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी दस्तकारी से खाते थे।

हदीस (2) सहीह मुस्लिम शरीफ़ में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी हुज़ूर इरशाद फ़रमाते हैं अल्लाह पाक है और पाक ही को दोस्त रखता है और अल्लाह तआला ने मोमेनीन को भी उसी का हुक्म दिया जिसका रसूलों को हुक्म दिया उसने रसूलों से फ़रमाया।

﴿يايها الرسل كلوا من طيبت واعملوا صالحا﴾ "ऐ रसूलो! पाक चीज़ों से खाओ और अच्छे काम करो" **और मोमेनीन से फ़रमाया**

﴿يايها الذين امنوا كلوا من طيبت ما رزقنكم﴾

"ऐ ईमान वालो! जो कुछ हमने तुमको दिया उन में पाक चीज़ों से खाओ"।

फिर बयान फ़रमाया कि एक शख़्स तवील सफ़र करता है जिसके बाल परेशान हैं और बदन गर्द आलूद है (यानी उसकी हालत ऐसी है कि जो दुआ करे वह क़बूल हो) वह आसमान की तरफ़ हाथ उठाकर यारब–यारब कहता है (दुआ करता है) मगर हालत यह है कि उसका खाना, पीना हराम, लिबास हराम और ग़िज़ा हराम फिर उसकी दुआ क्योंकर मक़बूल हो (यानी अगर क़बूल की ख़्वाहिश हो तो कसबे हलाल इख़्तेयार करो कि बिग़ैर उसके क़बूले दुआ के असबाब बेकार हैं)।

हदीस (3) सहीह बुख़ारी शरीफ़ में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इरशाद फ़रमाते हैं लोगों पर एक ज़माना ऐसा आयेगा कि आदमी परवाह भी न करेंगे कि उस चीज़ को कहाँ से हासिल किया है हलाल से या हराम से ।

हदीस (4) तिर्मिज़ी व नसई व इब्ने माजा उम्मुल मोमेनीन सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रावी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया जो तुम खाते हो उनमें सबसे ज़्यादा पाकीज़ा वह है जो तुम्हारे कसब से हासिल हो और तुम्हारी औलाद की मिनजुम्ला कसब के हों (यानी ब'वक़्ते हाजत औलाद की कमाई से खा सकते हो) अबू दाऊद व दारमी की रिवायत भी इसी के मिस्ल है।

हदीस (5) इमाम अहमद बिन मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी रसूलुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया जो बन्दा माले हराम हासिल करता है अगर उसको सदक़ा करे तो मक़बूल नहीं और ख़र्च करे तो उसके लिए उसमें बरकत नहीं और अपने बाद छोड़ मरे तो जहन्नम को जाने का सामान है। (यानी माल की तीन हालतें हैं और हराम माल की तीनों हालतें ख़राब) अल्लाह तआला बुराई को बुराई से नहीं मिटाता हाँ नेकी से बुराई को महव (ख़त्म) फ़रमाता है बेशक ख़बीस् को ख़बीस् नहीं मिटाता

हदीस (6) इमाम अहमद व दारमी व बैहक़ी जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी हुज़ूर ने फ़रमाया जो गोश्त हराम से उगा है जन्नत में दाख़िल न होगा (यानी इब्तेदाअन) और जो गोश्त हराम से उगा है उसके लिये आग ज़्यादा बेहतर है।

हदीस (7) बैहक़ी शोअ्बुल ईमान में अब्दुल्ला रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुज़ूर ने इरशाद फ़रमाया "हलाल कमाई की तलाश भी फराइज़ के बाद एक फ़रीज़ा है"।

हदीस् (8) इमाम अह़मद तिबरानी व हाकिम राफ़ेअ् बिन ख़ुदैज रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी किसी ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह कौनसा कसब (कमाई) ज़्यादा पाकीज़ा है फ़रमाया "आदमी का अपने हाथ से काम करना और अच्छी बैअ्" (यानी जिसमें खियानत और धोखा न हो या यह कि यह बैअ् फ़ासिद न हो)

हदीस् (9) तिबरानी इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी कि इरशाद फ़रमाया "अल्लाह तआला बन्दा–ए–मोमिन पेशा करने वालों को मह़बूब रखता है"।

यह चन्द हदीस कसबे हलाल (ह़लाल कमाई) के मुतअ़ल्लिक़ ज़िक्र की गईं इनके अलावा बाज़ अहादीस ख़ास तिजारत के मुतअ़ल्लिक़ बयान की जाती हैं।

हदीस् (10) इमाम अह़मद ने अबूबक्र बिन अबी मरयम से रिवायत की वह कहते हैं कि मिक़दाम बिन मादीकरब रदियल्लाहु तआला अन्हु की कनीज़ दूध बेचा करती थी और उसका समन (क़ीमत) मिक़दाम रदियल्लाहु तआला अन्हु लिया करते थे उनसे किसी ने कहा सुब्हानल्लाह आप दूध बेचते हैं और उसका समन लेते हैं (गोया उसने उस तिजारत को नज़रे हिक़ारत से देखा) उन्होंने जवाब दिया हाँ मैं यह काम करता हूँ और इसमें हरज ही क्या है मैंने रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सुना है कि लोगों पर एक ऐसा ज़माना आयेगा कि सिवा रूपये और अशरफ़ी के कोई चीज़ नफ़अ् न देगी।

हदीस् (11) तिर्मिज़ी व दारमी व दारे क़ुत़नी अबी सईद रदियल्लाहु तआला अन्हु से और इब्ने माजा इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी कि रसूलुल्ला स़ल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया ताजिर रास्तगो, अमानतदार (सच बोलने वाला और अमानतदार ताजिर) अम्बिया व सिद्दीक़ीन व शोहदा के साथ होगा।

हदीस् (12) तिर्मिज़ी व इब्ने माजा व दारमी रिफ़ाआ रदियल्लाहु अन्हु से और बैहक़ी शोअ़बुल ईमान में बर्रा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत करते हैं कि हुज़ूर अक़दस स़ल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया तुज्जार (तिजारत करने वाले) क़ियामत के दिन फ़ुज्जार (बदकार) उठाये जायेंगे मगर जो ताजिर मुत्तक़ी हो और लोगों के साथ एहसान करे और सच बोले।

हदीस् (13) इमाम अह़मद व इब्ने ख़ुज़ैमा व ह़ाकिम व तिबरानी व बैहक़ी अ़ब्दुर्रहमान बिन शिब्ल और तिबरानी मुआविया रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत करते हैं कि हुज़ूर ने इरशाद फ़रमाया तुज्जार बदकार हैं लोगों ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह अल्लाह तआला ने बैअ् ह़लाल नहीं की है फ़रमाया हाँ बैअ् ह़लाल है लेकिन यह लोग बात करने में झूठ बोलते हैं और क़सम खाते हैं इस में झूठे होते हैं।

हदीस् (14) बैहक़ी शोअ़बुल ईमान में मआज़ बिन जबल रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि इरशाद फ़रमाया "तमाम कमाईयों में से ज़्यादा पाकीज़ा उन ताजिरों की कमाई है कि जब वह बात करें झूठ न बोलें और जब उनके पास अमानत रखी जाये ख़्यानत न करें और जब वादा करें उसका ख़िलाफ़ न करें और जब किसी चीज़ को ख़रीदें तो उसकी मज़म्मत (बुराई) न करें और जब अपनी चीज़ बेचें तो उनकी तारीफ़ में मुबालग़ा (बढ़ा चढ़ाकर तारीफ़) न करें और उन पर किसी का आता हो तो देने में ढील न डालें और जब उनका किसी पर आता हो तो सख़्ती न करें"।

हदीस् (15) स़हीह मुस्लिम में अबू क़तादा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी हुज़ूर अक़दस स़ल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि "बैअ् में ह़ल्फ़ (क़सम) की कसरत से परहेज़ करो कि यह अगरचे चीज़ को बिकवा देता है मगर बरकत को मिटाता है" उसी के मिस्ल स़हीहैन में अबुहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी।

हदीस (16) स़हीह मुस्लिम में अबूज़र रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि हुज़ूर ने फ़रमाया "तीन शख़्सों से अल्लाह तआला क़ियामत के दिन कलाम नहीं फ़रमायेगा और न उनकी त़रफ़ नज़र करेगा और न उनको पाक करेगा और उनके लिए तकलीफ़देह अज़ाब होगा" अबुज़र रदियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ की वह ख़ाइब व खासिर हैं या रसूलल्लाह वह कौन लोग हैं फ़रमाया कि

"कपड़ा लटकाने वाला और देकर एहसान जताने वाला और झूठी क़सम के साथ अपना सौदा चलाने वाला।

हदीस (17) अबूज़र व तिर्मिज़ी व नसई व इब्ने माजा क़ैस इब्ने अबी ग़र्रह रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया "ऐ गिरोहे तुज्जार! (ताजिरों की जमाअत) बैअ् में लग्व और क़सम हो जाती है उसके साथ सदक़ा को मिला लिया करो"।

फ़ायदा–ए–ज़रूरिया :— तिजारत बहुत उमदा और नफ़ीस काम है मगर अकसर तुज्जार किज़्ब बयानी से काम लेते बल्कि झूठी क़समें खालिया करते हैं इसी लिए अकसर अहादीस में जहाँ तिजारत का ज़िक्र आता है झूठ बोलने और झूठी क़सम खाने के साथ ही साथ मुमानअत भी आती है और यह वाक़ेआ भी है कि अगर ताजिर अपने माल में बरकत देखना चाहता है तो बुरी बातों से गुरेज़ करे। ताजिरों की इन्हीं बद उनवानियों की वजह से बाज़ार को बदतरीन बुक़्क़अे ज़मीन (बुरा ज़मीन का टुकड़ा) फ़रमाया गया और यह कि शैतान हर सुबह को अपना झन्डा लेकर बाज़ार में पहुँच जाता है और बे ज़रूरत बाज़ार में जाने को बुरा बताया गया। कुरआने करीम का इरशाद भी इसी की तरफ़ इशारा करता है।

﴿رجال لاتلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله﴾ कि तिजारत व बैअ् यादे खुदा से ग़ाफ़िल करने वाली चीज़ है और उससे दिलचस्पी ग़फ़लत लाने वाली चीज़ है इसी वजह से फ़रमाया गया

﴿واذا راو تجارة او لهوا انفضوا اليها و تركوك قائما﴾

लिहाज़ा फ़र्ज़ है कि तिजारत में इतना इन्हिमाक (लग जाना) न हो कि यादे खुदा से ग़फ़लत का मूजिब (सबब) हो सहीह बुख़ारी शरीफ में है क़तादा कहते हैं सहाब–ए–किराम ख़रीद ो फ़रोख़्त व तिजारत करते थे मगर जब हुकूकुल्लाह में से कोई हक़ पेश आजाता तो तिजारत व बैअ् अल्लाह के ज़िक्र से नहीं रोकती वह उस हक़ को अदा करते। बाज़ार में दाख़िल होने के वक़्त यह दुआ पढ़ लिया करो।

﴿لااله الاالله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد يحى ويميت وهوحى لايموت بيده الخيروهو على كل شىء قدير﴾

"लाइला ह इल्लल्लाहु वहदहू लाशरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा हय्युल्ला यमूतु बियदिहिल ख़ैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर"

इमाम अहमद साहिबे तिर्मिज़ी व हाकिम इब्ने माजा ने इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया जो बाज़ार में दाख़िल होते वक़्त यह दुआ पढ़ेगा अल्लाह तआला उसके लिये एक लाख नेकी लिखेगा और एक लाख गुनाह मिटा देगा और एक लाख दर्जा बुलन्द फ़रमायेगा और उसके लिये एक घर जन्नत में बनायेगा।

ख़रीद ो फ़रोख़्त में नर्मी चाहिए

ख़रीद ो फ़रोख़्त मे नर्मी व समाहत (हुस्ने सुलूक, दरगुज़र) चाहिए कि हदीस में उसकी मदह व तारीफ़ आई है सहीह बुख़ारी में, सुनने इब्ने माजा में जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम फ़रमाते हैं अल्लाह तआला उस शख़्स पर रहम करेगा जो बेचने और ख़रीदने और तक़ाज़े में आसानी करे उसी के मिस्ल तिर्मिज़ी व हाकिम व बैहक़ी अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से और अहमद व नसई व बैहक़ी उसमान बिन अफ़्फ़ान रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी सहीहैन में हुज़ैफ़ा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम फ़रमाते हैं "ज़मानए गुज़श्ता में एक शख़्स की रूह क़ब्ज़ करने जब फ़िरिश्ता आया उससे कहा गया तुझे मालूम है कि तुमने कुछ अच्छा काम किया है उसने कहा मेरे इल्म में कोई अच्छा काम नहीं है उससे कहा गया ग़ौर करके बता उसने कहा उसके सिवा कुछ नहीं है कि मैं दुनिया में लोगों से बैअ् करता था और उनके साथ अच्छी तरह पेश आता था अगर

मालदार मोहलत माँगता तो उसे मोहलत दे देता था और तंगदस्त से दर गुज़र करता था यानी मुआफ़ कर देता था अल्लाह तआला ने उसे जन्नत में दाख़िल कर दिया'' और सहीह मुस्लिम की एक रिवायत उक़बा बिन आमिर व अबू मसऊद अन्सारी रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से है कि अल्ला तआला ने फ़रमाया कि मैं तुझसे ज़्यादा मुआफ़ करने का हक़दार हूँ ऐ फ़िरिश्तो! इस बन्दे से दर गुज़र करो।

मसाएले फ़िक़्हिय्याः— इस्तिलाहे शरअ़ में बैअ़ के माना यह हैं कि दो शख़्सों का बाहम माल को माल से एक मख़्सूस सूरत के साथ तबादला करना। बैअ़ कभी क़ौल से होती है और कभी फ़ेअ़ल से। अगर क़ौल से हो तो उसके अरकान ईजाब ो क़बूल हैं यानी मसलन एक ने कहा मैंने बेचा दूसरे ने कहा मैंने ख़रीदा, और फ़ेअ़ल से हो तो चीज़ का ले लेना और दे देना उसके अरकान हैं और यह फ़ेअ़ल ईजाब ो क़बूल के क़ायम मक़ाम होजाता है मसलन तरकारी वग़ैरह की गड्डी बनाकर अकसर बेचने वाले रख देते हैं और ज़ाहिर करते हैं कि पैसा, पैसा की गड्डी है। ख़रीदार आता है एक पैसा डालता है और एक गड्डी उठा लेता है तरफ़ैन बाहम कोई बात नहीं करते मगर दोनों के फ़ेअ़ल ईजाब ो क़बूल के क़ायम मक़ाम शुमार होते हैं और इस क़िस्म की बैअ़ को बैअ़े तआती कहते हैं। बैअ़ के तरफ़ैन में से एक को बाइअ़ और दुसरे को मुश्तरी कहते हैं।

मसअला.1:— बैअ़ के लिये चन्द शराइत हैं।

(1) बाइअ़ व मुश्तरी का आक़िल होना यानी मजनून या बिलकुल ना'समझ बच्चा की बैअ़ सही नहीं (2) आक़िद का मुतअ़द्दिद होना यानी एक ही शख़्स बाइअ़ व मुश्तरी दोनों हो यह नहीं हो सकता मगर बाप या वसी कि नाबालिग़ बच्चा के माल को बैअ़ करें और ख़ुद ही ख़रीदें या अपना माल उनसे बैअ़ करें, या क़ाज़ी कि ऐसे यतीम के माल को दूसरे यतीम के लिए बैअ़ करे तो अगरचे इन सूरतों में एक ही शख़्स बाइअ़ व मुश्तरी दोनों है मगर बैअ़ जाइज़ है बशर्ते कि वसी की बैअ़ में यतीम का खुला हुआ नफ़ा हो, यूँही एक ही शख़्स दोनों तरफ़ से क़ासिद हो तो इस सूरत में भी बैअ़ जाइज़ है। (आलमगीरी, बहरूर्राइक़ जि.5 स.432 रद्दुलमुहतार) (3) ईजाब ो क़बूल में मुवाफ़क़त होना यानी जिस चीज़ का ईजाब हो उसी चीज़ का क़बूल या जिस चीज़ के साथ ईजाब किया है उसी के साथ क़बूल हो अगर क़बूल किसी दूसरी चीज़ को किया या जिसका ईजाब था उसके एक जुज़ को क़बूल किया या क़बूल में समन दूसरा ज़िक्र किया या ईजाब के बाज़ समन के साथ क़बूल किया इन सब सूरतों में बैअ़ सही नहीं हाँ अगर मुश्तरी ने ईजाब किया और बाइअ़ ने उससे कम समन के साथ क़बूल किया तो बैअ़ सही है (4) ईजाब व क़बूल का एक मज्लिस में होना (5) हर एक का दूसरे के कलाम को सुनना, मुश्तरी ने कहा मैंने ख़रीदा मगर बाइअ़ ने नहीं सुना तो बैअ़ न हुई हाँ अगर मज्लिस वालों ने कलाम सुन लिया और बाइअ़ (बेचने वाला) कहता है कि मैंने नहीं सुना तो क़ज़ाअन बाइअ़ का क़ौल ना'मोअ़तबर है। (6) मबीअ़ (जो चीज़ बेची जाये) का मैजूद होना माले मुतक़व्विम होना, ममलूक होना, मक़दूरुत्तस्लीम (हवाले करने पर क़ादिर) होना, ज़रूरी है जो चीज़ मौजूद ही न हो बल्कि उसके मौजूद न होने का अन्देशा हो उसकी बैअ़ नहीं मसलन ह़म्ल या थन में जो दूध है उसकी बैअ़ ना'जाइज़ है कि हो सकता है जानवर का पेट फूला है और उसमें बच्चा न हो और थन में दूध न हो, फल नमूदार (ज़ाहिर) होने से पहले बेच नहीं सकते यूहीं ख़ून और मुर्दार की बैअ़ नहीं हो सकती कि यह माल नहीं और मुसलमान के हक़ में शराब व ख़िन्ज़ीर की बैअ़ नहीं हो सकती कि माले मुतक़व्विम नहीं, ज़मीन में जो घास लगी हुई है उसकी बैअ़ नहीं हो सकती अगरचे ज़मीन अपनी मिल्क हो (यानी उस ज़मीन का मालिक हो) कि वह घास ममलूक नहीं यूँही नहर या कुँएं का पानी जंगल की लकड़ी और शिकार जब तक कि उनको कब्ज़ा में न किया जाये ममलूक नहीं। (7)बैअ़ मोअक़्क़त (वक़्त की क़ैद) न हो मसलन इतने दिनों के लिये बेचा तो यह बैअ़ सही नहीं। (8)मबीअ़ व समन दोनों इस तरह मालूम हों कि निज़ाअ़ (इख़्तिलाफ़) पैदा न होसके, अगर मजहूल हो

कि निज़ाअ् हो सकती हो तो बैअ् सही नहीं मसलन इस रेवड़ में से एक बकरी बेची या उस चीज़ को वाजिबी दाम में बेचा, उस क़ीमत पर बेचा जो फ़ुलाँ शख़्स बताये।

बैअ् का हुक्म

मसअ्ला.2:– बैअ् का हुक्म यह है कि मुश्तरी मबीअ् का (ख़रीदने वाला बिकने वाली चीज़ का) मालिक हो जाये और बाइअ् समन का (बेचने वाला क़ीमत का) जिसका नतीजा यह होगा कि बाइअ् पर वाजिब है कि मबीअ् को मुश्तरी के हवाले करे और मुश्तरी पर वाजिब है कि बाइअ् को समन देदे, यह उस वक़्त है कि बात (क़तई) हो और अगर मबीअ् मौक़ूफ़ है कि दूसरे की इजाज़त पर मौक़ूफ़ है तो सुबूते मिल्क उस वक़्त होगा जब इजाज़त हो जाये। (आलमगीरी)

मसअ्ला.3:– हज़्ल (मजाक) के तौर पर बैअ् की कि अलफ़ाज़े बैअ् अपनी खुशी से बोल रहा है मगर यह नहीं चाहता कि यह चीज़ बिक जाये ऐसी बैअ् सही नहीं, और हज़्ल का हुक्म उस वक़्त दिया जायेगा कि सराहतन अक़्द में हज़्ल का लफ़्ज़ मौजूद हो या पहले से उन दोनों ने बाहम ठहरा लिया है कि लोगों के सामने मज़ाक के तौर पर बैअ् करेंगे और इस गुफ़्तगू पर दोनों क़ायम हैं इससे रूजूअ् नहीं किया है उसे हज़्ल क़रार देकर ना'दुरुस्त कहेंगे और अगर न अक़्द में हज़्ल का लफ़्ज़ है और न पेश्तर ऐसा ठहरा लिया है तो क़राइन की बिना पर उसे हज़्ल नहीं कह सकते बल्कि यह बैअ् सही मानी जायेगी बैअ् हज़्ल अगरचे बैअे फ़ासिद है मगर क़ब्ज़ा करने में भी उसमें मिल्क हासिल नहीं होती। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.4:– किसी शख़्स को बैअ् करने पर मजबूर किया गया यानी बैअ् न करने में क़त्ल या क़तअे अज़्व (जिस्म का हिस्सा काटने) की धमकी दी गई उसने डरकर बैअ् करदी तो यह बैअ् फ़ासिद है और मौक़ूफ़ है कि इकराह (मजबूरी) जाते रहने के बाद उसने इजाज़त देदी तो जाइज़ हो जायेगी। (रद्दुलमुहतार)

ईजाब व क़बूल

मसअ्ला.5:– ऐसे दो लफ़्ज़ जो तम्लीक व तमल्लुक का इफ़ादा करते हों यानी जिनका यह मतलब हो कि चीज़ का मालिक दूसरे को करदिया या दूसरे की चीज़ का मालिक होगया इनको ईजाबो क़बूल कहते हैं इनमें से पहले कलाम को ईजाब कहते हैं और उसके मक़ाबिल में बाद वाले कलाम को क़बूल कहते हैं मसलन बाइअ् ने कहा मैंने यह चीज़ इतने दाम में बेची मुश्तरी ने कहा मैंने खरीदी तो बाइअ् का कलाम ईजाब है और मुश्तरी का क़बूल और अगर मुश्तरी पहले कहता है कि मैंने यह चीज़ इतने में ख़रीदी तो यह ईजाब होता है और बाइअ् का लफ़्ज़ क़बूल कहलाता है।

मसअ्ला.6:– ईजाब व क़बूल के अलफाज़ फारसी, उर्दू वग़ैरा हर ज़बान के हो सकते हैं, दोनों के अलफ़ाज़ माज़ी हों जैसे ख़रीदा, बेचा या दोनों हाल हों जैसे ख़रीदता हूँ, बेचता हूँ या एक माज़ी और एक हाल हो मसलन एक ने कहा बेचता हूँ दुसरे ने कहा ख़रीदा मुस्तक़बिल के सेग़े (ऐसा लफ्ज बोलना जिस से भविष्य में खरीदना या बेचना समझा जाये) से बैअ् नहीं हो सकती दोनों के लफ़्ज़ मुस्तक़बिल के हों या एक का मसलन ख़रीदूँगा, बेचूँगा कि मुस्तक़िबल का लफ़्ज़ आइन्दा अक़्द सादिर करने के इरादे पर दलालत करता है फ़िलहाल अक़्द का इस्बात नहीं करता। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.7:– एक ने अम्र का सेग़ा (ऐसा लफ्ज जिस से आर्डर, हुक्म हो) इस्तेमाल किया जो हाल पर दलालत करता है दूसरे ने माज़ी का मसलन उसने कहा इस चीज़ को इतने पर ले दूसरे ने कहा मैंने लिया इक़तिज़ाअन (फैसले के तौर पर) बैअ् सहीह होगई कि अब न बाइअ् देने से इनकार कर सकता है न मुश्तरी लेने से। (आलमगीरी)

मसअ्ला.8:– यह ज़रूरी नहीं कि ख़रीदना और बेचना ही कहें तो बैअ् हो वरना न हो बल्कि यह मतलब अगर दूसरे लफ़्ज़ से अदा होता हो तो भी अक़्द हो सकता है मसलन मुश्तरी ने कहा यह चीज़ मैंने तुम से इतने में ख़रीदी बाइअ् ने कहा हाँ, मैंने कहा दाम लाओ, ले लो, तुम्हारे ही लिये है,

मन्जूर है, मैं राज़ी हूँ, मैंने जाइज़ किया। (दुर्रेमुख़्तार, आलमगीरी)

मसअ्ला.9:– बाइअ् ने कहा मैंने यह बेची मुश्तरी ने कहा हाँ तो बैअ् न हुई और अगर मुश्तरी ईजाब करता है और बाइअ् जवाब में हाँ कहता तो सही होजाती, इस्तिफ़हाम (प्रश्न) के जवाब में हाँ कहा तो बैअ् न होगी मगर जब कि मुश्तरी उसी वक़्त अदा करदे कि यह समन अदा करना क़बूल है मसलन कहा क्या तुमने यह चीज़ मेरे हाथ इतने में बैअ् की उसने कहा हाँ मुश्तरी ने समन दे दिया बैअ् होगई। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.10:– मैंने अपना घोड़ा तुम्हारे घोड़े से बदला दूसरे ने कहा और मैंने भी किया तो बैअ् हो गई, बाइअ् ने कहा यह चीज़ तुम पर एक हज़ार को है मुश्तरी ने कहा मैंने क़बूल की बैअ् होगई।

मसअ्ला.11:– एक शख़्स ने कहा यह चीज़ तुम्हारे लिये एक हज़ार को है अगर तुमको पसन्द हो दूसरे ने कहा मुझे पसन्द है बैअ् होगई यूँही अगर यह कहा कि अगर तुम को मुवाफ़िक़ आये या तुम इरादा करो या तुम्हें उसकी ख़्वाहिश हो उसने जवाब में कहा मुझे मुवाफ़िक़ है या मैंने इरादा किया या मुझे उसकी ख़्वाहिश है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.12:– एक शख़्स ने कहा यह सामान ले जाओ और उसके मुतअ़ल्लिक़ आज ग़ौर करलो अगर तुमको पसन्द हो तो एक हज़ार को है दूसरा उसे लेगया बैअ् जाइज़ हो गई। (ख़ानिया)

मसअ्ला.13:– एक शख़्स ने दूसरे के हाथ एक ग़ुलाम की हज़ार रूपये में बैअ् की और कह दिया कि आज दाम न लाओगे तो मेरे और तुम्हारे दरमियान बैअ् न रहेगी मुश्तरी ने उसे मन्जूर किया मगर उस रोज़ दाम नहीं लाया दूसरे रोज़ मुश्तरी बाइअ् से मिला और यह कहा कि तुमने यह ग़ुलाम मेरे हाथ एक हज़ार में बेचा उसने कहा हाँ मुश्तरी ने कहा मैंने उसे लिया तो बैअ् उस वक़्त सही होगई कि कल जो बैअ् हुई थी वह समन न देने की वजह से जाती रही। (ख़ानिया)

मसअ्ला.14:– एक ने दुसरे को दूर से पुकार कर कहा मैंने यह चीज़ तुम्हारे हाथ इतने में बैअ् की उसने कहा मैंने ख़रीदी अगर इतनी दूर है कि उनकी बात में इश्तिबाह (शक) नहीं होता तो बैअ् दुरूस्त है वरना ना'दुरूस्त। (आलमगीरी)

मसअ्ला.15:– बाइअ् ने कहा उसको मैंने तेरे हाथ बेचा मुश्तरी ने उसे खाना शुरू कर दिया या जानवर था उस पर सवार होगया या कपड़ा था उसे पहन लिया तो बैअ् होगई या'नी यह तसर्रूफ़ात क़बूल के कायम मक़ाम हैं यूँही एक शख़्स ने दुसरे से कहा इस चीज़ को खालो उसके बदले में मेरा एक रूपया तुम पर लाज़िम होगा उसने खा लिया तो बैअ् दुरुस्त होगई और खाना ह़लाल होगया। (आलमगीरी)

मसअ्ला.16:– दो शख़्सों में एक थान के मुतअ़ल्लिक़ नर्ख़(भाव)होने लगा बाइअ् ने कहा पन्द्रह में बेचता हूँ, मुश्तरी ने कहा दस में लेता हूँ उससे ज्यादा नहीं दूँगा और मुश्तरी उस थान को लेकर चलागया अगर नर्ख़ करते वक़्त थान मुश्तरी के हाथ में था जब तो पन्द्रह में बैअ् हुई अगर बाइअ् के हाथ में था मुश्तरी ने उसे लिया उसने मना किया तो दस रूपये में बैअ् हुई और अगर थान मुश्तरी के पास है और मुश्तरी ने कहा दस से ज्यादा नहीं दूँगा और बाइअ् ने कहा पन्द्रह से कम में नहीं बेचूँगा मुश्तरी ने थान वापस करदिया उसके बा'द फिर बाइअ् से कहा लाओ दो, बाइअ् ने दे दिया और समन के मुतअ़ल्लिक़ कुछ न कहा और मुश्तरी लेकर चला गया तो दस में बैअ् हुई(ख़ानिया)

मसअ्ला.17:– एक चीज़ के मुतअ़ल्लिक़ बाइअ् ने समन बदल कर दो ईजाब किये मसलन पहले पन्द्रह रूपये कहा दूसरे में एक गिन्नी समन बताया इन दोनों ईजाबों के बाद मुश्तरी ने क़बूल किया तो दूसरे समन के साथ बैअ् क़रार पायेगी और अगर मुश्तरी ने पहले ईजाब के बा'द क़बूल किया था फिर दूसरे ईजाब के बा'द क़बूल किया तो पहली बैअ् फ़स्ख़ होगई दूसरी स़हीह़ होगई और अगर दोनों ईजाबों में एक ही क़िस्म का समन है मगर मिक़दार में कमो बेश है मसलन पन्द्रह रूपये कहा था फिर दस या उसका अ़क्स जब भी दूसरी बैअ् मोअ़तबर है पहली जाती रही और अगर

मिक़दार में कमो बेशी न हो तो पहली ही बैअ़ दुरुस्त है दूसरी लग्व। (आलमगीरी)

मसअ्ला.18:– जिस मज्लिस में ईजाब हुआ अगर क़बूल करने वाला उस मज्लिस से ग़ायब हुआ तो ईजाब बिलकुल बातिल हो जाता है यह नहीं हो सकता कि उसके क़बूल करने पर मौक़ूफ़ हो कि उसे ख़बर पहुँचे और क़बूल करे तो बैअ़ दुरुस्त हो जाये हाँ अगर क़बूल करने वाले के पास ईजाब के अलफ़ाज़ लिखकर भेजे हैं तो जिस मज्लिस में तहरीर पहुँची उसी मज्लिस में क़बूल किया तो बैअ़ सहीह है उस मज्लिस में क़बूल न किया तो फिर क़बूल नहीं कर सकता यूँही अगर ईजाब के अलफ़ाज़ किसी क़ासिद के हाथ कहलाकर भेजे तो जिस मज्लिस में यह क़ासिद उसे ख़बर पहुँचायेगा उसी में क़बूल कर सकता है उसकी सूरत यह है कि बाइअ़ ने एक शख़्स से कहा कि मैंने यह चीज़ फ़ुलाँ शख़्स के हाथ इतने में बेची ऐ शख़्स तू उसके पास जाकर ख़बर पहुँचादे अगर ग़ायब की तरफ़ से किसी और शख़्स ने जो मज्लिस में मौजूद है क़बूल कर लिया तो ईजाब बातिल न हुआ बल्कि यह बैअ़ उस ग़ायब की इजाज़त पर मौक़ूफ़ (निर्भर) है, अगर एक शख़्स को उसने ख़बर पहुँचाने पर मामूर (आदेशित) किया था मगर दूसरे ने ख़बर पहुँचादी और उसने क़बूल कर लिया तो बैअ़ सहीह हो गई जिस तरह ईजाब तहरीरी होता है क़बूल भी तहरीरी हो सकता है मसलन एक ने दूसरे के पास ईजाब लिखकर भेजा दूसरे ने क़बूल को लिखकर भेज दिया बैअ़ हो जायेगी मगर यह ज़रूर है कि जिस मज्लिस में ईजाब की तहरीर मौसूल (प्राप्त) हूई है क़बूल की तहरीर उसी मज्लिस में लिखी जाये वरना ईजाब बातिल हो जायेगा। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार, आलमगीरी)

ख़्यारे क़बूल

मसअ्ला.19:– आक़िदैन में से जब एक ने ईजाब किया तो दूसरे को इख़्तेयार है कि मज्लिस में क़बूल करे या रद करे उसका नाम ख़्यारे क़बूल है, ख़्यारे क़बूल में वरासत नहीं जारी होती मसलन यह मर जाये तो उसके वारिस् को क़बूल करने का हक़ हासिल न होगा। (आलमगीरी)

ख़्यारे क़बूल आख़िरे मज्लिस तक रहता है मज्लिस बदलने के बाद जाता रहता है, यह भी ज़रूरी है कि ईजाब करने वाला ज़िन्दा हो यानी ईजाब के बाद क़बूल से पहले मरगया तो अब क़बूल करने का हक़ न रहा क्योंकि ईजाब ही बातिल हो गया क़बूल किस चीज़ को करेगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.20:– ख़्यारे क़बूल आख़िर मज्लिस तक रहता है मज्लिस बदल जाने के बाद जाता रहता है। यह भी ज़रूरी है कि ईजाब करने वाला ज़िन्दा हो यानी अगर ईजाब के बादी क़बूल से पहले मरगया तो अब क़बूल करने का हक़ न रहा क्योंकि ईजाब ही बातिल होगया कबूल किस चीज़ को करेगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.21:– दोनों में से कोई भी उस मज्लिस से उठ जाये या बैअ़ के अ़लावा किसी भी काम में मशग़ूल हो जाये तो ईजाब बातिल हो जाता है। क़बूल करने से पहले मूजिब (क़बूल करने वाला) को इख़्तेयार है कि ईजाब को वापस करले क़बूल के बाद वापस नहीं ले सकता कि दूसरे का हक़ मुतअ़ल्लिक़ हो चुका है वापस लेने में उसका इब्ताल (हक़ ख़त्म) होता है। (हिदाया वग़ैरा)

मसअ्ला.22:– ईजाब को वापस लेने में यह ज़रूर है कि दूसरे ने उसको सुना हो मसलन बाइअ़ ने कहा मैंने इसको बेचा फिर अपना ईजाब वापस लिया मगर उसको मुश्तरी ने नहीं सुना और क़बूल कर लिया तो बैअ़ सहीह होगई और अगर मूजिब ईजाब वापस लेना और दूसरे का क़बूल करना यह दोनों एक साथ पाये जायेंगे तो वापसी दुरुस्त है और बैअ़ नहीं हुई। (आलमगीरी)

मसअ्ला.23:– ईजाब को लिखकर भेजा है या किसी क़ासिद के हाथ कहला भेजा है जब तक दूसरे को तहरीर या पैग़ाम न पहुँचा हो या क़बूल न किया हो उस भेजने वाले को वापस लेने का इख़्तेयार है यहाँ उसकी ज़रूरत नहीं कि क़ासिद को वापस लेने का इल्म होगया हो या खुद मकतूब इलैह (जिस की तरफ़ ख़त भेजा) या मुरसल इलैह को इल्म हो बल्कि अगर उनमें से किसी को भी इल्म न हो जब भी रुजूअ़ सहीह है और रुजूअ़ के बाद अगर क़बूल पाया जाये तो बैअ़ नहीं हो

सकती। (फ़तहुल क़दीर)

मसअला.24:– जब ईजाब व क़बूल दोनों हो चुके तो बैअ़ तमाम व लाज़िम होगई अब किसी को दूसरे की रज़ामन्दी के बिग़ैर रद कर देने का इख़्तेयार न रहा अलबत्ता अगर मबीअ़ में ऐ़ब हो या मबीअ़ को मुश्तरी ने नहीं देखा हो तो ख़्यारे ऐ़ब व ख़्यारे रूयत (चीज में ऐब होने पर ख़रीदार को लेने या न लेने के इख़्तेयार को ख़्यारे ऐ़ब कहते हैं) (चीज़ को देखकर लेने या न लेने के इख़्तेयार को ख़्यारे रूयत कहते हैं) ह़ासिल होता है उनका ज़िक्र बा़द में आयेगा। (हिदाया)

बैअ़ तआ़ती

मसअला.25:– बैअ़ तआ़ती जो बिगै़र लफ़्ज़ी ईजाब व क़बूल के महज़ चीज़ ले लेने और दे देने से हो जाती है यह सिर्फ़ मा़मूली अश्या साग, तरकारी वगै़रह के साथ ख़ास नहीं बल्कि यह बैअ़ हर क़िस्म की चीज़ नफ़ीस ो ख़सीस (अच्छी और ख़राब) हर चीज़ में हो सकती है और जिस त़रह ईजाब व क़बूल से बैअ़ लाज़िम हो जाती है यहाँ भी समन दे देने और चीज़ ले लेने के बा़द बैअ़ लाज़िम हो जायेगी कि बिगै़र दूसरे की रज़ामन्दी के रद करने का किसी को ह़क़ नहीं। (हिदाया वगै़रा)

मसअला26:– एक जानिब से तआ़ती हो मस्लन चीज़ का दाम त़य होगया और मुश्तरी चीज़ को बाइअ़ की रज़ा'मन्दी से उठा लेगया और दाम न दिया या मुश्तरी ने बाइअ़ को समन अदा कर दिया और चीज़ बिगै़र लिये चला गया तो इस सूरत में भी बैअ़ लाज़िम होती है कि अगर इन दोनों में से कोई भी रद करना चाहे तो रद नही कर सकता क़ाज़ी बैअ़ को लाज़िम कर देगा दाम त़य करने की वहाँ ज़रूरत है कि दाम मा़लूम न हो और अगर मा़लूम हो जैसे बाज़ार में रोटी बिकती है आ़म तौ़र पर हर शख़्स़ को नर्ख़ (भाव) मा़लूम है या गोश्त वगै़रह बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनका समन लोगों को मा़लूम होता है ऐसी चीज़ों के समन त़य करने की ज़रूरत नहीं। (रद्दुलमुहतार)

मसअला.27:– दुकानदार को गेहूँ के लिये रूपये देदिये और उससे पूछा रूपये के कितने सेर, उसने कहा दस सेर, मुश्तरी ख़ामोश होगया या़नी वह नर्ख़ मन्जूर कर लिया फिर उससे गेहूँ त़लब किये बाइअ़ ने कहा कल दूँगा मुश्तरी चला गया दूसरे दिन गेहूँ लेने आया तो नर्ख़ तेज़ होगया बाइअ़ को उसी पहले नर्ख़ से देना होगा। (रद्दुल मुहतार)

मसअला.28:– बैअ़े तआ़ती में यह ज़रूर है कि लेन देन के वक़्त अपनी नाराज़ी ज़ाहिर न करता हो और अगर नाराज़ी का इज़हार करता हो तो बैअ़ मुनअ़क़िद (नाफ़िज़) नहीं होगी मसलन ख़रबूज़ा, तरबूज ले रहा है बाइअ़ को पैसे दे दिये मगर बाइअ़ कहता जाता है कि इतने में नही दूँगा तो बैअ़ न हुई अगरचे बाज़ार वालों की आ़दत मा़लूम है कि उनको देना नहीं होता तो पैसे फेंक देते हैं या चीज़ छीन लेते हैं और ऐसा न करें तो दिल से राज़ी हैं ख़ाली मुँह से मुश्तरी को खुश करने के लिये कहते जाते हैं कि नहीं दूँगा नहीं दूँगा इस आ़दत के मा़लूम होने की सूरत में भी अगर स़राहतन नाराज़ी मौजूद हो तो बैअ़ दुरुस्त नहीं। (रद्दुलमुहतार)

मसअला.29:– एक बोझ एक रूपये को ख़रीदा फिर बाइअ़ से यह कहा कि इसी दाम का एक बोझ यहाँ लाकर डाल दो उसने लाकर डाल दिया तो उस दूसरे की भी बैअ़ होगई मुश्तरी लेने से इनकार नहीं कर सकता। (आ़लमगीरी)

मसअला.30:– क़स्साब से कहा रूपये के तीन सेर के ह़िसाब से इतने का गोश्त तोल दो या उस जगह का पहलू या रान या सीना का गोश्त दो उसने तोल दिया तो अब लेने से इनकार नहीं कर सकता। (फ़तहुल क़दीर)

मसअला.31:– ख़रबूज़ों का टुकड़ा लाया जिस में बड़े, छोटे हर क़िस्म के फल हैं मालिक से मुश्तरी ने पूछा कि यह ख़रबूज़े किस ह़िसाब से हैं उसने रूपये के दस बताये मुश्तरी ने दस फल छाँट कर बाइअ़ के सामने निकाल लिये या बाइअ़ ने मुश्तरी के लिये निकाल दिये मुश्तरी ने ले लिये बैअ़ हो गई। (फ़तहुल क़दीर)

मसअ्ला32:– दुकानदारों के यहाँ से ख़र्च के लिये चीज़ें मंगाली जाती हैं और ख़र्च कर डालने के बाद हिसाब होता है ऐसा करना इस्तेहसानन जाइज़ है। (दुर्रेमुख़्तार)

मबीअ् व सूमन

मसअ्ला.33:– अ़क्द में जो चीज़ मुअय्यन (ख़ास) होती है कि जिसको देना कहा उसी का देना वाजिब है उसको मबीअ् कहते हैं और जो चीज़ मुअय्यन न हो वह समन है। अश्या तीन क़िस्म पर हैं एक वह कि हमेशा समन हो दूसरी वह कि हमेशा मबीअ् हो तीसरी वह कि कभी समन हो कभी मबीअ्, जो हमेशा समन है वह रूपया और अशर्फ़ी है उनके मक़ाबिल में कोई चीज़ भी हो उनको बेचना कहा जाये या उनसे बेचना कहा जाये हर हाल में यही समन हैं, पैसे भी समन हैं कि मुअय्यन करने से मुअय्यन नही होते मगर उनकी स्मनिय्यत बातिल (ख़त्म) हो सकती है जो हमेशा मबीअ् हो वह ऐसी चीज़ है कि ज़वातुल इमसाल (वह चीज़ें जिनके ज़ाइअ् करदेने से तावान में वैसी ही चीज़ देना लाज़िम होता है) से न हो यानी ज़वातुल क्यि्यम (वह चीज़ें जिनके ज़ाइअ् करदेने से तावान में उनकी क़ीमत देना लाज़िम होती है) से हो और अ़ददी मुतफ़ावत (जो चीज़ें गिन्ती से बिकती हैं और उनमें छोटे बड़े होने से कीमत में फर्क होता है) कि यह हमेशा मबीअ् होंगी मगर कपड़े के थान का वस्फ़ बयान कर दिया जाये और उसके लिये कोई मीआ़द मुक़र्रर कर दी जाये तो समन बन सकता है उसके बदले में ग़ुलाम वग़ैरा कोई मुअय्यन चीज़ ख़रीद सकते हैं, तीसरी क़िस्म कि कभी समन और कभी मबीअ् हो वह मकील (नाप की चीज़) व मौज़ूँ (जो चीज़ तौल कर बिकती है) और अ़ददी मुतक़ारिब (जो चीज़ गिन्ती से बिकती है और उसके अफ़राद की क़ीमतों में तफ़ावुत नहीं होता) इन चीज़ों को अगर समन के मक़ाबिल में ज़िक्र किया तो मबीअ् हैं और अगर उनके मकाबिल में उन्हीं जैसी चीज़ें हैं यानी मकील व मोज़ूँ व अ़ददी मुतक़ारिब तो अगर दोनों जानिब की चीज़ें मुअय्यन हों बैअ् जाइज़ है और दोनों चीज़ें मबीअ् क़रार पायेंगी और अगर एक जानिब मुअय्यन हो और दूसरी जानिब ग़ैर मुअय्यन मगर उस ग़ैर मुअय्यन का वस्फ़ बयान कर दिया है कि इस क़िस्म की होगी इस सूरत में अगर मुअय्यन को मबीअ् और ग़ैर मुअय्यन को समन क़रार दिया है तो बैअ् जाइज़ है और ग़ैर मुअय्यन को तफ़र्रुक से पहले क़ब्ज़ा करना ज़रूरी है और अगर ग़ैर मुअय्यन को मबीअ् और मुअय्यन को समन बनाया तो बैअ् ना'जाइज़ होगी इस सूरत में मबीअ् और समन बनाने का यह मतलब है कि जिसको बेचना कहा वह मबीअ् है और जिससे बेचना कहा वह समन है, और दोनों ग़ैर मुअय्यन हों तो बैअ् नाजाइज़ होगी(आ़लमगीरी)

मसअ्ला.34:– मबीअ् अगर मनक़ूलात (चलने फिरने वाली चीज़) की क़िस्म से है तो बाइअ् का उस पर क़ब्ज़ा होना जरूर है क़ब्ज़ा से पहले चीज़ बेची बैअ् ना'जाइज़ है। (हिदाया वग़ैरा)

मसअ्ला.35:– मबीअ् और समन की मिक़दार मालूम होना ज़रूर है और समन का वस्फ़ भी मालूम होना ज़रूर है हाँ अगर समन की तरफ़ इशारा कर दिया जाये मसलन उस रूपये के बदले में ख़रीदा तो न मिक़दार के ज़िक्र की ज़रूरत है न वस्फ़ के अलबत्ता अगर वह माल रिबवी (बढ़ने वाला) है और मुक़ाबला जिन्स के साथ हो मसलन गेहूँ की इस ढेरी को बदले में उस ढेरी के बेचा तो अगरचे यहाँ मबीअ् व समन दोनों की तरफ़ इशारा किया जा रहा है मगर फिर भी मिक़दार का मालूम होना ज़रूर है क्योंकि अगर दोनों मिक़दारें बराबर न हों तो सूद होगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.36:– बैअ् में कभी समन हाल होता है यानी फ़ौरन देना और कभी मोअज्जिल यानी उसकी अदा के लिये कोई मीआ़द मुअय्यन ज़िक्र कर दी जाये क्योंकि मीआ़द मुअय्यन न होगी तो झगड़ा होगा। अस्ल यह है कि समन हाल हो लिहाज़ा अ़क्द में उस कहने की जरूरत नहीं कि समन हाल है बल्कि अ़क्द में समन के मुतअ़ल्लिक़ कुछ न कहा जब भी फ़ौरन देना वाजिब होगा और समन मोअज्जल के लिये यह ज़रूर है कि अ़क्द ही में मोअज्जल होना ज़िक्र किया जाये।

मसअ्ला.37:– मीआ़द के मुतअ़ल्लिक़ इख़्तिलाफ़ हुआ बाइअ् कहता है मीआ़द थी ही नहीं और मुश्तरी मीआ़द होना बताता है तो गवाह मुश्तरी के मोअ्तबर हैं और क़ौल बाइअ् का मोअ्तबर है

और अगर मिक़दारे मीआद में इख़्तिलाफ़ हुआ एक कम बताता है और एक ज़्यादा तो उसकी बात मानी जायेगी जो कम बताता है और गवाह यहाँ भी मुश्तरी के मोअ्तबर हैं। और अगर एक कहता है मीआद गुज़र चुकी है और एक बताता है बाक़ी है तो क़ौल भी मुश्तरी ही का मोअ्तबर है और दोनों गवाह पेश करें तो गवाह भी उसी के मोअ्तबर हैं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.38:– मदयून (मक़रूज़) के मरने से मीआद बातिल होजाती है और दाइन के मरने से बातिल नहीं होती क्यों कि मीआद का फ़ायदा यह होता है कि तिजारत वग़ैरा करके उस ज़माने में दैन की मिक़दार फ़राहम करेगा और अदा करदेगा और जब वह ख़ुद ही न रहा मीआद होना फ़ुज़ूल है, बल्कि जो कुछ तर्का है वह दैन अदा करने के लिये मुतअ्य्यन है, लिहाज़ा बैअ् मोअज्जिल में बाइअ् के मरने से अजल बातिल न होगी।

मसअ्ला.39:– अक़्दे बैअ् में समन अदा करने की कोई मीआद मज़कूर न थी यानी बैअ् हाल थी बादे अक़्द बाइअ् ने मुश्तरी को अदाए समन के लिये एक मीआदे मालूम मुक़र्रर करदी मसलन पन्द्रह दिन या एक महीना या ऐसी मीआद मुक़र्रर की जिस में थोड़ीसी जिहालत है मसलन जब खेत कटेगा उस वक़्त समन अदा करना तो अब समन मोअज्जिल होगया कि जब तक मीआद पूरी न हो बाइअ् को समन के मुतालबे का हक़ नहीं और अगर ऐसी मीआद मुक़र्रर की हो जिसमें बहुत ज़्यादा जिहालत हो (यानी मुक़र्रर कर्दा मुद्दत का वक़्त ख़ास मालूम न हो) मसलन जब आंधी चलेगी उस वक़्त समन अदा करना तो यह मीआद बातिल है समन अब भी ग़ैर मीआदी है। (दुर्रेमुख़्तार, हिदाया)

मसअ्ला.40:– मबीअ् का दाम एक हज़ार मुश्तरी पर है बाइअ् ने कहदिया कि हर महीने में सौ रूपये देदिया करना तो उसकी वजह से दैन मोअज्जल न होगा (यानी दैन मीआदी न होगा) किसी पर हज़ार रूपया दैन है और दाइन ने अदा के लिये क़िस्तें मुक़र्रर करदी हैं और यह भी शर्त करदी है कि एक क़िस्त भी वक़्त पर वसूल न हुई तो बाक़ी कुल दैन हाल होजायेगा यानी फ़ौरन वसूल किया जायेगा इस क़िस्म की शर्त सहीह है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.41:– मीआद उस वक़्त से शुरूअ् की जायेगी जब कि बाइअ् ने मबीअ् को मुश्तरी को देदी और अगर मसलन एक साल की मीआद थी मगर साल गुज़र गया और अभी तक मबीअ् ही नहीं दी है तो देने के बाद एक साल की मीआद मिलेगी। (दुर्रेमुख़्तार)

मुख़्तलिफ़ क़िस्म के सिक्के चलते हों उसकी सूरतें

मसअ्ला.42:– किसी जगह मुख़्तलिफ़ क़िस्म के रूपये चलते हों और आक़िद (ख़रीद व फ़रोख़्त करने वाले) ने मुतलक़ रूपया कहा तो वह रूपया मुराद लिया जायेगा जो बेशतर उस शहर में चलता है यानी जिसका रिवाज ज़्यादा है चाहें उन सिक्कों की मालियत मुख़्तलिफ़ हो या एक हो और अगर एक ही क़िस्म का रूपया चलता है जब तो ज़ाहिर है कि वही मुतअ्य्यन है और अगर चलन यकसाँ है किसी का कम और किसी का ज़्यादा नहीं और मालियत बराबर हो तो बैअ् सहीह है और मुश्तरी को इख़्तियार है कि जो चाहे देदे मसलन एक रूपया की काई चीज़ ख़रीदी तो एक रूपया या दो अठन्नियाँ या चार चवन्नियाँ या आठ दुवन्नियाँ जो चाहे देदे और मालियत में इख़्तिलाफ़ है जैसे हैदराबादी रूपये और चेहरादार कि दोनों की मालियत में इख़्तिलाफ़ रहता है अगर किसी जगह दोनों का यकसाँ चलन हो बैअ् फ़ासिद होजायेगी। (दुर्रेमुख़्तार, हिदाया, फ़तह)

मसअ्ला.43:– अगर सिक्के मुख़्तलिफ़ मालियत के हों और चलन यकसां है और मुतलक़ रूपये अक़्द में बोला मगर मज्लिस अभी बाक़ी है कि एक ने मुतअ्य्यन कर दिया कि फ़ुलां रूपया और दूसरे ने मन्ज़ूर कर लिया तो अक़्द सहीह है। (फ़तहुल क़दीर)

माप और तौल और तख़्मीना से बैअ्

मसअ्ला.44:– गेहूँ और जौ और हर क़िस्म के ग़ल्ले की बैअ् तौल से भी हो सकती है और नाप के साथ भी मसलन एक रूपये का इतना साअ् और अटकल और तख़्मीना से भी ख़रीदे जा सकते

हैं मसलन यह ढेरी एक रूपये को अगरचे यह मा़लूम नही कि इस ढेरी में कितने सेर हैं मगर तख़्मीना से उसी वक़्त ख़रीदे जा सकते हैं जबकि ग़ैर जिन्स के साथ बैअ़ हो मसलन रूपये से या गेहूँ को जौ से या किसी और दूसरे ग़ल्ले से और अगर उसी जिन्स से बैअ़ करें मसलन गेहूँ को गेहूँ से ख़रीदें तो तख़्मीना से बैअ़ नहीं हो सकती क्योंकि अगर कम व बेश हो तो सूद होगा। (हिदाया)

मसअ्ला.45:– जिन्स को जिन्स के साथ तख़्मीनन बैअ़ (अन्दाज़े से बैअ़) किया अगर उसी मज्लिस में मा़लूम होगया कि दोनों बराबर हैं तो बैअ़ जाइज़ होगई, यूँही दोनों में कमी व बेशी का एहतिमाल (शक) नहीं कि इसकी मिक़दार क्या है जब भी बैअ़ जाइज़ है। इस सूरत में तख़्मीना का सिर्फ़ इतना मतलब है कि दोनों का वज़न मा़लूम नहीं। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.46:– जिन्स के साथ तख़्मीनन बैअ़ की गई मगर निस्फ़ साअ़ से कम की कमी बेशी है तो बैअ़ जाइज़ है कि निस्फ़ साअ़ से कम में सूद नहीं होता। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.47:– एक बर्तन है जिसकी मिक़दार मा़लूम नहीं कि इस में कितना ग़ल्ला आता है या पत्थर है मा़लूम नहीं कि इसका वज़न क्या है उनके साथ बैअ़ करना जाइज़ है मसलन इस बर्तन से चार बर्तन गेहूँ एक रूपये में या इस पत्थर से फ़ुलां चीज़ एक रूपये की इतनी मरतबा तौली जायेगी मगर शर्त यह है कि नाप तौल में ज़्यादा ज़माना गुज़रने न दें क्योंकि ज़्यादा ज़माना गुज़रने में मुम्किन है कि बरतन जाता रहे पत्थर गुम होजाये फिर किस चीज़ से नापें, तोलें, लेंगें और यह बरतन समेटने और फैलाने वाला न हो लकड़ी या लोहे या पत्थर का हो और अगर समेटने और फैलाने वाला हो तो बैअ़ जाइज़ नहीं जैसे ज़म्बील, अलबत्ता पानी की मश्क अगरचे समेटने फैलाने वाली चीज़ है मगर उ़र्फ़ व तआ़मुल (अमल जारी) उसकी बैअ़ पर जारी है यह बैअ़ जाइज़ है(हिदाया)

मसअ्ला.48:– ग़ल्ला की एक ढेरी इस त़रह बैअ़ की कि उसमें का हर एक साअ़ एक रूपये को तो सिर्फ़ एक साअ़ की बैअ़ दुरुस्त होगी और उसमें भी मुश्तरी को इख़्तेयार होगा कि ले या न ले हाँ अगर उसी मज्लिस में सारी ढेरी नाप दी या बाइअ़ ने ज़ाहिर कर दिया और बता दिया कि इस ढेरी में इतने साअ़ हैं तो पूरी ढेरी की बैअ़ दुरूस्त होजायेगी और अगर अ़क़्द से पहले या अ़क़्द में साअ़ की तअ़दाद बतादी है तो मुश्तरी को इख़्तेयार नहीं और बा़द में ज़ाहिर की है तो है यह क़ौल इमामे आ़ज़म रदियल्लाहु अुन्ह का है और स़ाहिबैन का क़ौल यह है कि मज्लिस के बा़द भी अगर साअ़ की तअ़दाद मा़लूम होगई बैअ़ स़हीह है और इसी क़ौले स़ाहिबैन पर आसानी के लिये फ़तवा दिया जाता है। (हिदाया,दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.49:– बकरियों का गल्ला (रेवड़) ख़रीदा कि इस में की हर बकरी एक रूपये को या कपड़े का थान ख़रीदा कि हर एक गज़ एक रूपये को या इसी त़रह कोई और अ़ददी मुतफ़ावुत (अ़दद वाली चीज़) ख़रीदा और मा़लूम नहीं कि ग़ल्ले में कितनी बकरियाँ हैं और थान में कितने गज़ कपड़ा है मगर बा़द में मा़लूम होगया तो स़ाहिबैन के नज़्दीक बैअ़ जाइज़ है और इसी पर फ़तवा है।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.50:– ग़ल्ला की ढेरी ख़रीदी कि मस्लन यह सौ मन है और उसकी क़ीमत सौ रूपया बा़द में उसे तौला अगर पूरा सौ मन है जब तो बिलकुल ठीक है और अगर सौ मन से ज़्यादा है तो जितना ज़्यादा है बाइअ़ का है और अगर सौ मन से कम है मो मुश्तरी को इख़्तेयार है कि जितना कम है उस की क़ीमत कम करके बाक़ी लेले या कुछ न ले, यही हुक्म हर उस चीज़ का है जो माप और तौल से बिकती है अलबत्ता अगर वह उस क़िस्म की चीज़ हो कि उसके टुकड़े करने में नुक़सान होता हो और जो वज़न बताया है उससे ज़्यादा निकली तो कुल मुश्तरी ही को मिलेगी और उस ज़्यादती के मक़ाबिल में मुश्तरी को कुछ देना नहीं पड़ेगा कि वज़न ऐसी चीज़ों में वस्फ़ होता है और वस्फ़ के मक़ाबिल में समन का हिस्सा नहीं होता मसलन एक मोती या याक़ूत ख़रीदा कि यह एक माशा है और निकला एक माशा से कुछ ज़्यादा तो जो समन मुक़र्रर हुआ है वह देकर मुश्तरी लेले। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.51:– थान ख़रीदा कि मसलन यह दस गज़ है और उसकी क़ीमत दस रूपया है अगर यह थान उससे कम निकला जितना बाइअ् ने बताया है तो मुश्तरी को इख़्तेयार है कि पूरे दाम में ले या बिल्कुल न ले यह नहीं हो सकता कि जितना कम है उसकी क़ीमत कम करदी जाये और अगर थान उससे ज़्यादा निकला जितना बताया है तो यह ज़्यादती बिला क़ीमत मुश्तरी की है बाइअ् को कुछ इख़्तेयार नहीं न वह ज़्यादती ले सकता है न उस की क़ीमत ले सकता है न बैअ् को फस्ख़ कर सकता है यूँही अगर ज़मीन ख़रीदी कि यह सौ गज़ है और उसकी क़ीमत सौ रूपये है और कम या ज़्यादा निकली तो बैअ् सहीह है और सौ ही रूपये देने होंगे मगर कमी की सूरत में मुश्तरी को इख़्तेयार हासिल है कि ले या छोड़ दे। (हिदाया वग़ैरा)

मसअ्ला.52:– यह कहकर थान ख़रीदा कि दस गज़ का है दस रूपये में और कह दिया कि फ़ी गज़ एक रूपये अब निकला कम तो जितना कम है उसकी क़ीमत कम करदे और मुश्तरी को यह इख़्तेयार है कि न ले और अगर ज़्यादा निकला मसलन ग्यारह या बारह गज़ है तो उस ज़्यादा का रूपया यह दे या बैअ् को फ़स्ख़ करदे। (हिदाया वग़ैरा) यह हुक्म उस थान का है जो पूरा एक तरह का नहीं होता जैसे चिकन, गुलबदन, और अगर एक तरह का हो तो यह भी हो सकता है कि बाइअ् उस ज़्यादती को फ़ाड़कर दस गज़ मुश्तरी को देदे।

मसअ्ला.53:– किसी मकान या हम्माम के सौ गज़ में से दस गज़ ख़रीदे तो बैअ् फ़ासिद और अगर यूँ कहता है कि सौ सिहाम (हिस्से) में से दस सिहाम ख़रीदे तो बैअ् सहीह होती और पहली सूरत में अगर उसी मज्लिस में वह दस गज़ ज़मीन मुअय्यन करदी जाये कि मसलन यह दस गज़ तो बैअ् सहीह हो जायेगी। (हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.54:– कपड़े की एक गठरी ख़रीदी इस शर्त पर कि इस में दस थान हैं मगर निकले नौ थान या ग्यारह तो बैअ् फ़ासिद होगई कि कमी की सूरत में समन मजहूल है और ज़्यादती की सूरत में मबीअ् मजहूल है और अगर हर एक थान का समन बयान कर दिया था तो कमी की सूरत में बैअ् जाइज़ होगी कि नौ थान की क़ीमत देकर लेले मगर मुश्तरी को इख़्तेयार होगा कि बैअ् को फ़स्ख़ करदे और अगर ग्यारह थान निकले तो बैअ् ना'जाइज़ है कि मबीअ् मजहूल है उन में से एक थान कौनसा कम किया जायेगा। (हिदाया)

मसअ्ला.55:– थानों की एक गठरी ख़रीदी और एक ग़ैर मुअय्यन थान का इस्तिस्ना (अलग कर दिया) कर दिया या बकरियों का एक रेवड़ ख़रीदा और एक बकरी ग़ैर मुअय्यन का इस्तिस्ना किया तो बैअ् फ़ासिद होगई कि मा'लूम नहीं वह मुस्तसना कौन है और उससे लाज़िम आया कि मबीअ् मजहूल होजाये और अगर मुअय्यन थान या बकरी का इस्तिसना होता तो बैअ् जाइज़ होती कि मबीअ् में किसी किस्म की जिहालत पैदा न होती। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.56:– थान ख़रीदा कि दस गज़ है फ़ी गज़ एक रूपया और वह साढ़े दस गज़ निकला तो दस रूपये में लेना पड़ेगा और साढ़े नौ गज़ निकला तो मुश्तरी को इख़्तेयार है कि नौ रूपये में ले या न ले। (हिदाया)

मसअ्ला.57:– एक ज़मीन ख़रीदी कि उसमें इतने फलदार दरख़्त हैं मगर एक दरख़्त ऐसा निकला जिसमें फल नहीं आते तो बैअ् फ़ासिद हुई और अगर ज़मीन ख़रीदी कि इसमें इतने दरख़्त हैं और कम निकले तो बैअ जाइज़ है मगर मुश्तरी को इख़्तेयार है कि चाहे पूरे समन पर लेले और चाहे न ले यूँही अगर मकान ख़रीदा कि उसमें इतने कमरे या कोठरियाँ हैं और कम निकलीं तो बैअ् जाइज़ है मगर मुश्तरी को इख़्तेयार है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

क्या चीज़ बैअ् में तब्अन दाख़िल होती है और क्या चीज़ नहीं

मसअ्ला.58:– कोई मकान ख़रीदा तो जितने कमरे, कोठरियाँ हैं सब बैअ् में दाख़िल हैं यूँही जो चीज़ मबीअ् के साथ मुत्तसिल (मिली हुई, शामिल) हो और उसका इत्तिसाल (मिलना) इत्तिसाले क़रार

हो यानी उसकी वजअ् इसलिए नहीं है कि जुदा करली जायेगी तो यह भी मबीअ् में दाख़िल होगी मसलन मकान का ज़ीना या लकड़ी का ज़ीना जो मकान के साथ मुत्तसिल हो किवाड़ और चौखट और कुन्डी और वह कुफ़्ल जो किवाड़ में मुत्तसिल (मिला हुआ) होता है और उसकी कुन्जी। दुकान के सामने जो तख़्ते लगे होते हैं यह सब बैअ् में दाख़िल हैं और वह कुफ़्ल जो किवाड़ से मुत्तसिल नहीं बल्कि अलग रहता है जैसे आम तौर पर ताले होते हैं यह बैअ् में दाख़िल नहीं बल्कि यह बाइअ ले लेगा। (दुर्रेमुख़्तार, फ़तहुल'क़दीर)

मसअ्ला.59:– ज़मीन बेच डाली तो उसमें छोटे, बड़े फलदार और बे फल जितने दरख़्त हैं सब बैअ् में दाख़िल हैं मगर सूखा दरख़्त जो अभी तक ज़मीन से उखड़ा नहीं है वह दाख़िल नहीं है कि गोया लकड़ी है जो ज़मीन पर रखी है, लिहाज़ा आम वग़ैरा के पौधे जो ज़मीन में होते हैं कि बरसात में यहाँ से खोदकर दूसरी जगह लगाये जाते हैं यह भी दाख़िल हैं। (फ़तहुल'क़दीर)

मसअ्ला.60:– मकान बेचा तो चक्की बैअ् में दाख़िल न होगी अगरचे नीचे का पाट ज़मीन में जड़ा हो और डोल, रस्सी भी दाख़िल नहीं और कुँए पर पानी भरने की चर्ख़ी अगर मुत्तसिल हो तो दाख़िल है और अगर रस्सी से बंधी हो या दोनों बाज़ू में हल्क़ा बना है कि पानी भरने के वक़्त चर्ख़ी लगा देते हैं फिर अलग कर देते हैं तो इन दोनों सूरतों में दाख़िल नहीं। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुख़्तार)

मसअ्ला.61:– हम्माम बेचा तो पानी गर्म करने की देग जो ज़मीन से मुत्तसिल है या इतनी बड़ी या भारी है जो इधर, उधर मुन्तक़िल नहीं हो सकती बैअ् में दाख़िल है और छोटी देग जो मुत्तसिल नहीं बैअ् में दाख़िल नहीं, धोबी की देग जिसमें भट्टी चढ़ाता है और रंगरेज़ के मटके वग़ैरा जिस में रंग तैयार करता है यह सब अगर मुत्तसिल हों तो दाख़िल हैं वरना नहीं यूँही धोबी का पाट।

मसअ्ला.62:– गधे वाले से गधा ख़रीदा तो उसका पालान (वह कपड़ा जो गधे की पुश्त पर डाला जाता है) बैअ् में दाख़िल है और अगर ताजिर से ख़रीदा तो नहीं और उसके गले में हार वग़ैरा पड़ा है तो वह बैअ् में मुतलक़न दाख़िल है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.63:– गाय या भैंस ख़रीदी तो उसका छोटा बच्चा जो दूध पीता है बैअ् में दाख़िल है अगरचे ज़िक्र न किया हो और गधी ख़रीदी तो उसका दूध पीता बच्चा बैअ् में दाख़िल नहीं। (दुर्रेमुख़)

मसअ्ला.64:– लोन्डी, गुलाम बेचे तो जो कपड़े उर्फ़ के मुवाफ़िक़ पहने हुए हैं बैअ् में दाख़िल हैं और अगर उन कपड़ों को देना न चाहे उनके मिस्ल दूसरा कपड़ा दे यह भी हो सकता है और अगर कपड़ा न पहने हों तो बाइअ् पर सतरे औरत की मिक़दार में कपड़ा देना लाज़िम होगा और लोन्डी ज़ेवर पहने हो तो यह बैअ् में दाख़िल नहीं हाँ अगर बाइअ् ने ज़ेवर समेत मुश्तरी को देदी या मुश्तरी ने ज़ेवर के साथ क़ब्ज़ा किया और बाइअ् चुप रहा कुछ न बोला तो ज़ेवर भी बैअ् में दाख़िल हो गये। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.65:– घोड़ा या ऊँट बेचा तो लगाम और नकेल बैअ् में दाख़िल है यानी अगरचे बैअ् में मज़कूर न हो बाइअ् उनको देने से इनकार नहीं कर सकता और ज़ीन या काठी बैअ् में दाख़िल नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.66:– घोड़ी या गधी या गाय, बकरी के साथ बच्चा भी है अगरचे बच्चा को बाज़ार में ले गया है जबकि उसकी माँ को बेचने के लिये ले गया है तो बच्चा भी उरफ़न बैअ् में दाख़िल है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.67:– मछली ख़रीदी और उसके शिकम में मोती निकला अगर यह मोती सीप में है तो मुश्तरी का है और अगर बिग़ैर सीप के ख़ाली मोती है तो बाइअ् ने अगर उस मछली का शिकार किया है तो उसे वापस करले और बाइअ् के पास यह मोती बतौरे लुक़ता (गुमी हुई ऐसी कोई चीज़ जो कहीं मिल जाये जिस के मालिक के बारे में मालूम न हो) अमानत रहेगा कि तशहीर करे अगर मालिक का पता न चले ख़ैरात करदे और मुर्ग़ी के पेट में मोती मिला तो बाइअ् को वापस करे। (ख़निया, आलमगीरी)

मसअ्ला.68:– जो चीज़ बैअ् में तबअन दाख़िल हो जाती है उसके मक़ाबिल में समन का कोई हिस्सा नहीं होता यानी वह चीज़ ज़ाइअ् (ख़त्म) होजाये तो समन में कमी न होगी मुश्तरी को पूरे समन के साथ लेना होगा।

मसअ्ला.69:– ज़मीन बैअ् (बेची) की और उसमें खेती है तो ज़राअत बाइअ् की है अलबत्ता अगर मुश्तरी (ख़रीदार) शर्त करले यानी मअ् ज़राअत के ले तो मुश्तरी की है इसी तरह अगर दरख़्त बेचे जिसमें फल मौजूद हैं तो यह फल बाइअ् के हैं मगर जब मुश्तरी अपने लिये शर्त करले यूँही चम्बेली, गुलाब, जूही वग़ैरा के दरख़्त ख़रीदे तो फल बाइअ् के हैं मगर जब कि मुश्तरी शर्त कर ले। (हिदाया, फ़तहुल'क़दीर)

मसअ्ला.70:– ज़राअत वाली ज़मीन या फल वाला दरख़्त ख़रीदा तो बाइअ् को यह हक़ हासिल नहीं कि जब तक चाहे ज़राअत रहने दे या फल न तोड़े बल्कि उससे कहा जायेगा कि ज़राअत काटले और फल तोड़ले और ज़मीन या दरख़्त मुश्तरी को सिपुर्द करदे क्योंकि अब वह मुश्तरी की मिल्क है और दूसरे की मिल्क को मशग़ूल रखने का उसे हक़ नहीं अलबत्ता अगर मुश्तरी ने समन अदा न किया हो तो बाइअ् पर तस्लीमे मबीअ् वाजिब नहीं। (हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.71:– खेत की ज़मीन बैअ् की जिसमें ज़राअत है और बाइअ् यह चाहता है कि जब तक ज़राअत तैयार न हो खेत ही में रहे तैयार होने पर काटी जाये और इतने ज़माने तक की उजरत देने को कहता है अगर मुश्तरी राज़ी होजाये तो ऐसा भी कर सकता है बिग़ैर रज़ा'मन्दी नहीं कर सकता। (दुर्रेमु0)

मसअ्ला.72:– काटने के लिये दरख़्त ख़रीदा है तो आदतन दरख़्त ख़रीदने वाले जहाँ तक जड़ खोदकर निकाला करते हैं यह भी जड़ खोदकर निकालेगा मगर जब कि बाइअ् ने यह शर्त करदी हो कि ज़मीन के ऊपर से काटना होगा जड़ खोदने की इजाज़त नहीं तो इस सूरत में ज़मीन के ऊपर ही से दरख़्त काट सकता है या शर्त नहीं की है मगर जड़ खोदने में बाइअ् का नुक़सान है मसलन वह दरख़्त दीवार या कुँए के क़ुर्ब में है जड़ खोदने में दीवार गिर जाने या कुआँ मुनहदिम होजाने का अन्देशा है तो इस हालत में भी ज़मीन के ऊपर से ही काट सकता है, फिर अगर उस जड़ में दूसरा दरख़्त पैदा हो तो यह दरख़्त बाइअ् का होगा हाँ अगर दरख़्त का कुछ हिस्सा ज़मीन के ऊपर छोड़ दिया है और उस में शाख़ें निकलीं तो यह शाख़ें मुश्तरी की हैं। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.73:– काटने के लिये दरख़्त ख़रीदा है उसके नीचे की ज़मीन बैअ् में दाख़िल नहीं और बाक़ी रखने के लिये ख़रीदा है तो ज़मीन बैअ् में दाख़िल है और अगर बैअ् के वक़्त यह न ज़ाहिर किया कि काटने के लिये ख़रीदता है न यह कि बाक़ी रखने के लिये ख़रीदता है तो भी नीचे की ज़मीन बैअ् में दाख़िल है। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.74:– दरख़्त अगर काटने की ग़र्ज़ से ख़रीदा है तो मुश्तरी को हुक्म दिया जायेगा कि काट लेजाये छोड़ रखने की इजाज़त नहीं और अगर बाक़ी रखने के लिये ख़रीदा है तो काटने का हुक्म नहीं दिया जा सकता और काट भी ले तो उसकी जगह पर दूसरा दरख़्त लगा सकता है बाइअ् को रोकने का हक़ हासिल नहीं क्योंकि ज़मीन का उतना हिस्सा इस सूरत में मुश्तरी का हो चुका है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.75:– जड़ समेत दरख़्त ख़रीदा और उसकी जड़ में से और दरख़्त उगे अगर ऐसा है कि पहला दरख़्त काट लिया जाये तो यह दरख़्त सूख जायेंगे तो यह भी मुश्तरी के हैं कि उसके दरख़्त से उगे हैं वरना बाइअ् के हैं मुश्तरी को उनसे तअल्लुक़ नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.76:– ज़राअत तैयार होने से क़ब्ल बेचदी इस शर्त पर कि जब तक तैयार न होगी खेत में रहेगी या खेत की ज़मीन बेच डाली और उसमें ज़राअत मौजूद है और शर्त यह की कि जब तक तैयार न होगी खेत में रहेगी यह दोनों सूरतें ना'जाइज़ हैं। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.77:– ज़मीन बैअ् की तो वह चीज़ें जो ज़मीन में बाक़ी रखने की ग़र्ज़ से हैं जैसे दरख़्त और मकानात यह बैअ् में दाख़िल हैं अगरचे उनको बैअ् में ज़िक्र न किया हो और यह भी न कहा हो कि जमीअ् हुक़ूक़ व मुराफ़िक़ के साथ ख़रीदता हूँ अलबत्ता उस ज़मीन में सूखा हुआ दरख़्त हो तो इस तरह की बैअ् में दाख़िल नहीं और जो चीज़ें बाक़ी रखने के लिये न हों जैसे बांस, नरकुल घास यह बैअ् में दाख़िल नहीं मगर जबकि बैअ् में उनका ज़िक्र कर दिया जाये। (आलमगीरी)

मसअ्ला.78:– छोटासा दरख़्त ख़रीदा था और बाइअ् की इजाज़त से ज़मीन में लगा रहा काटा न

गया अब वह बड़ा होगया तो वह पूरा दरख़्त मुश्तरी का है और बाइअ् अगरचे इजाज़त दे चुका है मगर उसको यह इख़्तेयार है कि मुश्तरी से जब चाहे कह सकता है कि उसे काट लेजाये और अगर मुश्तरी को रखना जाइज़ न होगा और अगर बिग़ैर इजाज़ते बाइअ् मुश्तरी ने छोड़ रखा है और अब उसमें फल आगये तो फलों को सदक़ा कर देना वाजिब है। (ख़ानिया)

मसअ्ला.79:– ज़मीन एक शख़्स की है जिसमें दूसरे शख़्स के दरख़्त हैं मालिके ज़मीन ने बा'इजाज़ते मालिक ज़मीन व दरख़्त बेच डाले अब अगर किसी आफ़ते समावी से दरख़्त जाइअ् (बर्बाद) होगये तो मुश्तरी को इख़्तेयार है कि ज़मीन न ले और बैअ् फ़स्ख़ करदी जाये और लेगा तो पूरी क़ीमत जो ज़मीन व दरख़्त दोनों की थी देनी होगी और यह पूरा समन इस सूरत में मालिके ज़मीन ही को मिलेगा मालिके दरख़्त को कुछ न मिलेगा। (आलमगीरी)

फल और बहार की ख़रीदारी

मसअ्ला.80:– बाग़ की बहार फल आने से पहले बेच डाली यह ना'जाइज़ है यूँही अगर कुछ फल आ चुके हैं कुछ बाक़ी हैं जब भी ना'जाइज़ है जब कि मौजूद व ग़ैर मौजूद दोनों की बैअ् मक़सूद हो और अगर सब फल आ चुके हैं तो यह बैअ् दुरुस्त है मगर मुश्तरी को यह हुक्म होगा कि अभी फल तोड़कर दरख़्त ख़ाली करदे और अगर यह शर्त है कि जब तक फल तैयार न होंगें दरख़्त पर रहेंगे तैयार होजाने के बाद तोड़े जायेंगे तो यह शर्त फ़ासिद है और बैअ् ना'जाइज़, और अगर फल आजाने के बाद बैअ् हुई मगर हूनूज़ मुश्तरी का क़ब्ज़ा न हुआ था कि और फल पैदा होगये बैअ् फ़ासिद होगई कि अब मबीअ् व ग़ैरे मबीअ् (बिके और बिग़ैर बिके) में इम्तेयाज़ बाक़ी न रहा और क़ब्ज़ा के बाद दूसरे फल पैदा हुए तो बैअ् पर उसका कोई असर नहीं मगर चूँकि यह जदीद फल बाइअ् (यह नये फल बेचा के) के हैं और इम्तेयाज़ है नहीं लिहाज़ा बाइअ् व मुश्तरी दोनों शरीक हैं रहा यह कि कितने फल बाइअ् के हैं और कितने मुश्तरी के इसमें मुश्तरी हल्फ़ (क़सम) से जो कुछ कहदे उसका क़ौल मोअ्तबर है। (फतहुलक़दीर, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.81:– फल ख़रीदे न यह शर्त की कि अभी तोड़ लेगा और न यह कि पकने तक दरख़्त पर रहेंगे और बादे अक़्द (सौदा होने के बाद) बाइअ् ने दरख़्त पर छोड़ने की इजाज़त देदी तो यह जाइज़ है और अब फलो में जो कुछ ज़्यादती होगी वह मुश्तरी के लिये हलाल है बशर्ते दरख़्त पर फल छोड़े रहने का उ़र्फ़ न हो क्योंकि अगर उ़र्फ़ होचुका हो जैसा कि इस ज़माने में उ़मूमन हिन्दुस्तान में यही होता है कि यहाँ शर्त न हो जब भी शर्त ही का हुक्म होगा और बैअ् फ़ासिद होगी अलबत्ता अगर तसरीह करदी जाये कि फ़िलहाल तोड़ लेना होगा और बाद में मुश्तरी के लिये बाइअ् ने इजाज़त देदी तो यह बैअ् फ़ासिद न होगी, और अगर बैअ् में शर्त ज़िक्र न की और बाइअ् ने दरख़्त पर रहने की इजाज़त भी न दी मगर मुश्तरी ने फल नहीं तोड़े तो अगर ब'निस्बत साबिक़ फल बड़े होगये तो जो कुछ ज़्यादती हुई उसे सदक़ा करे यानी बैअ् के दिन फलों की जो क़ीमत थी उस क़ीमत पर आज की क़ीमत में जो कुछ इज़ाफ़ा हुआ वह ख़ैरात करे मसलन उस रोज़ दस रूपये क़ीमत थी और आज उनकी क़ीमत बारह रूपये है तो दो रूपये ख़ैरात करदे और अगर बैअ् ही के दिन फल अपनी पूरी मिक़दार को पहुँच चुके थे उनकी मिक़दार उस ज़माने में नहीं बढ़ी सिर्फ़ इतना हुआ कि उस वक़्त पके हुए न थे अब पक गये तो इस सूरत में सदक़ा करने की ज़रूरत नहीं अलबत्ता इतने दिनों बिग़ैर इजाज़त उसके दरख़्त पर छोड़े रहने का गुनाह हुआ(दुर्रेमुख़्तार)

फल और बहार की खरीदारी

मसअ्ला.82:– फल ख़रीदे और यह ख़्याल है कि बैअ् के बाद और फल पैदा हो जायेंगे या दरख़्त पर फल रहने में फलों में ज़्यादती होगी जो बिग़ैर इजाज़ते बाइअ् ना'जाइज़ होगी और चाहता है कि किसी सूरत से जाइज़ हो जाये तो उसका यह हीला हो सकता है कि मुश्तरी समन अदा करने के बाद बाइअ् से बाग़ या दरख़्त बटाई पर लेले अगरचे बाइअ् का हिस्सा बहुत क़लील क़रार दे

मसलन जो कुछ उसमें होगा उसमें नौ सौ निन्नानवे हिस्से मुश्तरी के और एक हिस्सा बाइअ् का तो अब जो नये फल पैदा होंगे या जो कुछ ज़्यादती होगी बाइअ् का है वह हज़ारवां हिस्सा देकर मुश्तरी के लिये जाइज़ होजायेगी मगर यह ह़ीला उसी वक़्त हो सकता है कि दरख़्त या बाग़ किसी यतीम का न हो न वक़्फ़ हो और अगर बैंगन, मिर्चें, ककड़ी वग़ैरह खरीदे हों और उनके दरख़्तों या बेलों में आये दिन नये फल पैदा होंगे मुश्तरी के होंगे और ज़राअ़त पकने के क़ब्ल ख़रीदी है तो यह करे कि जितने दिनों में वह तैयार होगी उसकी मुद्दत मुक़र्रर करके ज़मीन इजारा(किराये)पर लेले(दुर्रेमुख़्तार)

बैअ् में इस्तिस्ना हो सकता है या नहीं

मसअ्ला.83:– जिस चीज़ पर मुस्तक़िलन अ़क़्द वारिद हो सकता है (यानी तन्हा या बेची जासकती है) उसका अ़क़्द से इस्तिसना (अलग कर देना) स़ह़ीह़ है और अगर वह चीज़ ऐसी है कि तन्हा उस पर अ़क़्द वारिद न हो तो इस्तिसना स़ह़ीह़ नहीं यह एक क़ायदा है उसकी मिसाल सुनिये। ग़ल्ले की एक ढेरी है उसमें से दस सेर या कम व बेश ख़रीद सकते हैं इसी त़रह़ एलावा दस सेर के पूरी ढेरी भी ख़रीद सकते हैं, बकरियों के रेवड़ में से एक बकरी ख़रीद सकते हैं इसी त़रह़ एक मुअ़य्यन बकरी को मुस्तसना (ख़ास़) करके सारा रेवड़ भी ख़रीद सकते हैं और ग़ैर मुअ़य्यन बकरी को न ख़रीद सकते हैं न उसका इस्तिसना कर सकते हैं, दरख़्त पर फल लगे हों उनमें का एक महदूद हिस्सा ख़रीद सकते हैं इसी त़रह़ उस हिस्से का इस्तिसना भी हो सकता है मगर यह ज़रूर है कि जिसका इस्तिस्ना किया जाये वह इतना न हो कि उसके निकालने के बाद मबीअ् ही ख़त्म होजाये यानी यह यक़ीनन मालूम हो कि इस्तिस्ना के बाद मबीअ् बाक़ी रहेगी और अगर शुब्हा हो तो दुरुस्त नहीं, बाग़ ख़रीदा उसमें से एक मुअ़य्यन दरख़्त का इस्तिसना किया स़ह़ीह़ है, बकरी को बेचा और उसके पेट में जो बच्चा है उसका इस्तिस्ना (बेचने से अलग किया) किया यह स़ह़ीह़ नहीं कि उसको तन्हा ख़रीद नहीं सकते, जानवर के सिरी पाये दुंबा की चक्की का इस्तिसना नहीं किया जा सकता, न उनको तन्हा ख़रीदा जा सकता यानी जानवर के जुज़ ए मुअ़य्यन का इस्तिसना नहीं हो सकता और इस्तिसना किया तो बैअ् फ़ासिद है और जुज़्वे शाइअ् मसलन निस्फ़ या चौथाई को ख़रीद भी सकते हैं और उसका इस्तिसना भी कर सकते हैं और इस तक़दीर पर वह जानवर दोनों में मुश्तरक होगा। (आलमगीरी, दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.84:– मकान तोड़ने के लिये ख़रीदा तो उसकी लकड़ी या ईंटों का इस्तिसना स़ह़ीह़ है।

मसअ्ला.85:– कनीज़ की किसी शख़्स के लिये वस़िय्यत की और उसके पेट में जो बच्चा है उसका इस्तिसना किया या पेट में जो बच्चा है उसकी वस़िय्यत की और लोन्डी का इस्तिसना किया यह इस्तिसना स़ह़ीह़ है, लोन्डी को बैअ् किया या उसको मुकातबा किया या उजरत पर दिया या मालिक पर दैन था दैन के बदले में लोन्डी देदी और इस सब सूरतों में उसके पेट में जो बच्चा है उसका इस्तिसना किया तो यह सब उ़क़ूदे फ़ासिद होगये और अगर लोन्डी को हिबा किया या स़दक़ा किया और क़ब्ज़ा दिला दिया या उसको महर में दिया या क़त्ले अ़मद (जान कर क़त्ल) किया था लोन्डी देकर सुलह़ करली या उसके बदले में खुलअ् किया या आज़ाद किया और इन सब सूरतों में पेट के बच्चे का इस्तिस्ना किया तो यह सब अ़क़्द जाइज़ है और इस्तिस्ना बात़िल, जानवर के पेट में बच्चा है उसका इस्तिस्ना किया जब भी यही अह़काम हैं। (आलमगीरी)

नापने, तोलने वाले और परखने वाले की उजरत किसके ज़िम्मे है

मसअ्ला.86:– मबीअ् (बेचने का माल) के नाप या तौल या गिन्ती की उजरत देनी पड़े तो वह बाइअ् के ज़िम्मे होगी कि नापना, तौलना गिनना उसका काम है कि मबीअ् की तस्लीम इसी त़रह़ होती है कि नाप तोलकर मुश्तरी को देते हैं और समन के तोलने या गिनने या परखने की उजरत देनी पड़े तो यह मुश्तरी के ज़िम्मे है कि पूरा समन और खरे दाम देना उसी का काम है हाँ अगर बाइअ् ने बिग़ैर परखे हुए समन पर क़ब्ज़ा कर लिया और कहता है कि रूपये अच्छे नहीं हैं वापस करना

चाहता है तो बिग़ैर परखे कैसे कहा जा सकता है कि खोटे हैं वापस किये जायें इस सूरत में परखने की उजरत बाइअ् को देनी होगी दैन के रूपये परखने की उजरत मदयून (जिस पर कर्ज़ हो) के ज़िम्मे है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.87:– दरख़्त के कुल फल एक समन मुअ़य्यन के साथ तख़मीनन (अन्दाज़े से) ख़रीद लिये यूंही खेत में के लहसुन, प्याज़ तख़्मीने से ख़रीदे या कश्ती में का सारा ग़ल्ला तख़्मीने से ख़रीदा तो फल तोड़ने, लहसुन प्याज़ निकलवाने या कश्ती से मबीअ् बाहर लाने की उजरत मुश्तरी के ज़िम्मे है यानी जबकि मुश्तरी को बाइअ् ने कह दिया कि तुम फल तोड़ लेजाओ और यह चीज़ें निकलवालो। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.88:– दलाल (माल कमीशन पर बेचने वाला) की उजरत यानी दलाली बाइअ् के ज़िम्मे है जब कि उसने सामान मालिक की इजाज़त से बैअ् किया हो और अगर दलाल ने तरफ़ैन में बैअ् की कोशिश की हो और बैअ् उसने न की हो बल्कि मालिक ने की हो तो जैसा वहाँ का उ़र्फ़ हो यानी इस सूरत में भी अगर उ़रफ़न बाइअ् के ज़िम्मे दलाली हो तो बाइअ् दे और मुश्तरी के ज़िम्मे हो तो मुश्तरी दे और दोनों के ज़िम्मे हो तो दोनों दें। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मबीअ् व समन पर क़ब्ज़ा करना

मसअ्ला.89:– बैअ् रूपया अशरफी पैसा से हुई और मबीअ् वहाँ हाज़िर है और समन फ़ौरन देना हो और मुश्तरी को ख़्यारे शर्त न हो तो मुश्तरी को पहले समन अदा करना होगा उसके बाद मबीअ् पर क़ब्जा कर सकता है यानी बाइअ् को यह हक़ होगा कि समन वसूल करने के लिये मबीअ् को रोकले और उस पर क़ब्ज़ा न दिलाये बल्कि जब तक पूरा समन वुसूल न किया हो मबीअ् को रोक सकता है और अगर मबीअ् ग़ायब हो तो बाइअ् जब तक मबीअ् को हाज़िर न कर दे समन का मुतालबा नहीं कर सकता, और अगर बैअ् में दोनों जानिब सामान हो मसलन किताब को कपड़े के बदले में ख़रीदा या दोनों तरफ़ समन हों मसलन रूपया या अशरफी से सोना चांदी ख़रीदा तो दोनों को उसी मज्लिस में एक साथ अदा करना होगा। (हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.90:– मुश्तरी ने अभी मबीअ् पर क़ब्ज़ा नहीं किया है कि वह मबीअ् बाइअ् के फ़ेल (कुछ करने) से हलाक होगई या उस मबीअ् ने खुद अपने को हलाक कर दिया या आफ़ते समावी (प्राकृतिक आपदा) से हलाक होगई तो बैअ् बातिल होगई बाइअ् नें समन पर क़ब्ज़ा कर लिया है तो वापस करे और अगर मुश्तरी के फ़ेअ्ल से हलाक हुई और बैअ् मुतलक़ हो या मुश्तरी के लिये शर्ते ख़्यार हो तो मुश्तरी पर समन देना वाजिब है और अगर इस सूरत में बाइअ् के लिये शर्ते ख़्यार हो या बैअ् फ़ासिद हो तो मुश्तरी के ज़िम्मे समन नहीं बल्कि तावान है यानी अगर वह चीज़ मिस्ली है तो उसकी मिस्ल दे और क़ीमती है तो क़ीमत दे और अगर किसी अजनबी ने हलाक करदी तो मुश्तरी को इख़्तेयार है चाहे बैअ् को फ़स्ख़ करदे और इस सूरत में हलाक करने वाला बाइअ् को तावान दे और मुश्तरी चाहे तो बैअ् को बाक़ी रखे और बाइअ् को समन अदा करे और हलाक करने वाले से तावान ले और वह तावान अगर जिन्से समन से न हो तो अगरचे समन से ज़्यादा भी हो ह़लाल है और जिन्से समन से हो तो ज़्यादती हलाल नहीं मस्लन समन दस रूपये है और तावान पन्द्रह रूपये लिया तो यह पाँच ना'जाइज़ हैं और अशर्फी तावान में ली तो जाइज़ है अगरचे यह पन्द्रह रूपये या ज़्यादा की हो। (फ़तह)

मसअ्ला.91:– दो चीज़ें एक अ़क़्द में बैअ् की हैं अगर हर एक का समन अलग–अलग बयान कर दिया मसलन दो घोड़े एक साथ मिलाकर बेचे एक का समन पाँच सौ और दूसरे का चार सौ जब भी बाइअ् को हक़ है कि जब तक पूरा समन वसूल न करले मबीअ् पर क़ब्ज़ा न दिलाये मुश्तरी यह नहीं कर सकता कि दोनों में से एक का समन अदा करके उसके क़ब्जा का मुतालबा करे और अगर मुश्तरी ने बाइअ् के पास कोई चीज़ रेहन रखदी या ज़ामिन पेश कर दिया जब भी मबीअ् को

रोकने का हक़ बाइअ् के लिये बाक़ी है और अगर बाइअ् ने समन का कुछ हिस्सा मुआफ़ कर दिया है तो जो कुछ बाक़ी है उसे जब तक वुसूल न करले मबीअ् को रोक सकता है। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.92:– बैअ् के बाद बाइअ् ने अदाए समन के लिये कोई मुद्दत मुक़र्रर करदी अब मबीअ् के रोकने का हक़ न रहा या बिग़ैर वसूली समन मबीअ् पर क़ब्ज़ा दिलाया तो अब मबीअ् को वापस नहीं ले सकता और अगर बिला इजाज़ते बाइअ् मुश्तरी ने क़ब्जा कर लिया तो वापस ले सकता है और मुश्तरी ने बिला इजाज़त क़ब्ज़ा किया मगर बाइअ् ने क़ब्ज़ा करते देखा और मना न किया तो इजाज़त होगई और अब वापस नहीं ले सकता। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.93:– मुश्तरी ने कोई ऐसा तसर्रुफ़ (मुआमला) किया जिसके लिये क़ब्ज़ा ज़रूरी नहीं है वह ना'जाइज़ है और ऐसा तसर्रुफ़ किया जिसके लिये कब्ज़ा ज़रूर है वह जाइज़ है। मसलन मुश्तरी ने मबीअ् को हिबा (तोहफ़े में दिया) किया और मौहूब लहू (जिस को दिया) ने क़ब्ज़ा कर लिया तो उसका क़ब्ज़ा कब्ज़ा–ए–मुश्तरी के क़ायम मक़ाम है और मबीअ् को बैअ् कर दिया यह ना'जाइज़ है(रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.94:– मुश्तरी ने मबीअ् किसी के पास अमानत रखदी या आ़रियत (उधार) देदी या बाइअ् से कह दिया कि फ़ुलाँ को सिपुर्द करदे उसने सिपुर्द करदी इन सब सूरतों में मुश्तरी का क़ब्ज़ा होगया और अगर खुद बाइअ् के पास अमानत रखी या आ़रियत देदी या किराये पर देदी या बाइअ् को कुछ समन दे दिया और कह दिया कि बाक़ी समन के मुक़ाबले में मबीअ् को तेरे पास रेहन रखा तो इन सब सूरतों में क़ब्ज़ा न हुआ। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.95:– ग़ल्ला ख़रीदा और मुश्तरी ने अपनी बोरी बाइअ् को देदी और कह दिया कि इसमें नाप या तोलकर भरदे तो ऐसा कर देने से मुश्तरी का क़ब्ज़ा होगया बाइअ् ने मुश्तरी के सामने उस में भरा हो या ग़ीबत (ग़ैर मौजूदगी) में दोनों सूरतों में क़ब्जा होगया और अगर मुश्तरी ने अपनी बोरी नहीं दी बल्कि बाइअ् से कहा कि तुम अपनी बोरी आ़रियत मुझे दो और उसमें नाप या तोलकर भर दो तो अगर मुश्तरी के सामने भर दिया क़ब्ज़ा होगया वरना नहीं, यूंही तेल ख़रीदा और अपनी बोतल या बरतन देकर कहा कि इसमें तोल दे उसने तोलकर डाल दिया क़ब्ज़ा होगया, यही हुक्म नाप और तोल की हर चीज़ का है कि मुश्तरी के बर्तन में जब उसके हुक्म से रखदी जायेगी क़ब्जा हो जायेगा। (हिदाया वग़ैरह)

मसअ्ला.96:– बाइअ् ने मबीअ् और मुश्तरी के दरम्यान तख़लिया कर दिया कि अगर वह क़ब्ज़ा करना चाहे कर सके और क़ब्ज़ा से कोई चीज़ मानेअ् न हो और मबीअ् व मुश्तरी के दरम्यान कोई शय हाइल भी न हो तो मबीअ् पर क़ब्ज़ा होगया इसी तरह मुश्तरी ने अगर समन व बाइअ् में तख़लिया कर दिया तो बाइअ् को सलम की तस्लीम कर दी। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.97:– अगर तख़लिया कर दिया मगर क़ब्ज़ा से कोई शय मानेअ् है मसलन मबीअ् दूसरे के हक़ में मशग़ूल है जैसे मकान बेचा और उसमें बाइअ् का सामान मौजूद है अगरचे क़लील हो या ज़मीन बैअ् की और उसमें बाइअ् की ज़राअ़त है तो इन सूरतों में मुश्तरी का क़ब्ज़ा नहीं हुआ हाँ बाइअ् ने मकान व सामान दोनों पर क़ब्ज़ा करने को कह दिया और उसने कर लिया तो क़ब्ज़ा हो गया और इस सूरत में सामान मुश्तरी के पास अमानत होगा और अगर खुद मबीअ् ने दूसरी चीज़ को मशग़ूल रखा हो मसलन ग़ल्ला खरीदा जो बाइअ् की बोरियों में है या फल ख़रीदा जो दरख़्त में लगे हैं तो तख़लिया कर देने से कब्ज़ा हो जायेगा। (आ़लमगीरी, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.98:– मकान ख़रीदा जो किसी के किराये में है और मुश्तरी राज़ी होगया कि जब तक इजारा (किराये) की मुद्दत पूरी न हो अ़क़्द फ़स्ख़ न किया जायेगा जब इजारा की मुद्दत पूरी होगी उस वक़्त क़ब्ज़ा करेगा तो अब मुश्तरी क़ब्ज़ा का मुतालबा नहीं कर सकता जब तक इजारा की मीआ़द बाक़ी है और बाइअ् भी मुश्तरी से समन का मुतालबा नहीं कर सकता जब तक मकान को क़ाबिले क़ब्ज़ा न करदे। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.99:– सिर्का या अर्क़ वग़ैरा ख़रीदा और बाइअ् ने तख़लिया करदिया मुश्तरी ने बोतलों पर मोहर लगाकर बाइअ् ही के यहाँ छोड़ दिया तो क़ब्ज़ा होगया कि वह अगर हलाक होगा मुश्तरी का नुक़सान होगा बाइअ् को उससे तअल्लुक़ न होगा और अगर मबीअ् बाइअ् के मकान में है बाइअ् ने उसे कुन्जी देदी और कह दिया कि मैंने तख़लिया कर दिया तो क़ब्ज़ा होगया और कुन्जी देकर कुछ न कहा तो क़ब्ज़ा न हुआ। (आलमगीरी)

मसअ्ला.100:– मकान ख़रीदा और उसकी कुन्जी बाइअ् ने देकर कह दिया कि तख़लिया कर दिया अगर वह मकान में वहीं है कि आसानी के साथ उस मकान में ताला लगा सकता है तो क़ब्ज़ा होगया और मबीअ् दूर है तो क़ब्ज़ा न हुआ अगरचे बाइअ् ने कह दिया हो कि मैंने तुम्हें सिपुर्द कर दिया और मुश्तरी ने कहा मैंने क़ब्ज़ा कर लिया। (आलमगीरी, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.101:– बैल ख़रीदा जो चर रहा है बाइअ् ने कह दिया जाओ क़ब्ज़ा करलो अगर बैल सामने है कि उसकी तरफ़ इशारा किया जा सकता है तो क़ब्ज़ा हुआ वरना नहीं, कपड़ा ख़रीदा और बाइअ् ने कहदिया कि क़ब्ज़ा करलो अगर इतना नज़्दीक है कि हाथ बढ़ाकर लेसकता है क़ब्ज़ा होगया और अगर क़ब्जा के लिये उठना पड़ेगा तो फ़क़त तख़लिया से क़ब्ज़ा न होगा(आलमगीरी)

मसअ्ला.102:– घोड़ा ख़रीदा जिसपर बाइअ् सवार है मुश्तरी ने कहा मुझे सवार करले उसने सवार कर लिया अगर उस पर ज़ीन नहीं है तो मुश्तरी का क़ब्ज़ा होगया और ज़ीन है और मुश्तरी ज़ीन पर सवार हुआ जब भी क़ब्ज़ा होगया और ज़ीन पर सवार न हुआ तो क़ब्जा न हुआ और अगर दोनों बैअ् से पहले उस घोड़े पर सवार थे और उसी हालत में अक़्दे बैअ् हुआ तो मुश्तरी का यह सवार होना क़ब्ज़ा नहीं जिस तरह मकान में बाइअ् व मुश्तरी दोनों हैं और मालिक ने वह मकान बैअ् किया तो मुश्तरी का उस मकान में होना क़ब्ज़ा नहीं। (फ़तहुल'क़दीर)

मसअ्ला.103:– नगीना जो अँगूठी में है उसे ख़रीदा बाइअ् ने अंगुश्तरी मुश्तरी को देदी कि उसमें से नगीना निकाल ले अँगुश्तरी मुश्तरी के पास से ज़ाइअ् होगई अगर मुश्तरी आसानी से नगीना निकाल सकता है तो क़ब्ज़ा सहीह होगया सिर्फ़ नगीना का समन देना होगा और अगर बिला ज़रर (बिग़ैर नुक़्सान) उसमें से नगीना न निकाल सकता हो तो तस्लीम सहीह नहीं और मुश्तरी को कुछ नहीं देना पड़ेगा और अगर अँगूठी ज़ाइअ् न हुई और बिला ज़रर मुश्तरी निकाल नहीं सकता और ज़रर बरदाश्त करना नहीं चाहता तो उसे इख़्तेयार है कि बाइअ् का इन्तेज़ार करे कि वह जुदा करके दे या बैअ् फ़स्ख़ (ख़त्म) कर दे। (ख़ानिया)

मसअ्ला.104:– बड़े मटके या गोली बैअ् की जो बिग़ैर दरवाज़ा खोदे घर में से नहीं निकल सकती उसके क़ब्ज़ा के लिये बाइअ् पर लाज़िम होगा कि घर से बाहर निकाल कर क़ब्ज़ा दिलाये और बाइअ् उसमें अपना नुक़सान समझता है तो बैअ् फ़स्ख़ कर सकता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.105:– तेल ख़रीदा और बर्तन बाइअ् को दे दिया कि उसमें तोलकर डालदे एक सेर उस में डाला था कि बर्तन टूट गया और तेल बह गया जिसकी ख़बर बाइअ् मुश्तरी किसी को न हुई बाइअ् ने उसमें फिर और तेल डाला अब हुक्म यह है कि टूटने से पहले जितना तेल डाला और बह गया वह मुश्तरी का नुक़सान हुआ और टूटने के बाद जो तेल डाला और बहा यह बाइअ् का है और अगर टूटने के पहले जितना तेल डाला था वह सब नहीं बहा उसमें का कुछ बह रहा था कि बाइअ् ने दूसरा उसपर डाल दिया तो वह पहले का बक़िया बाइअ् की मिल्क क़रार दिया जाये और उसकी क़ीमत का तावान मुश्तरी को दे। और अगर मुश्तरी ने टूटा हुआ बर्तन बाइअ् को दिया था जिसकी दोनों को ख़बर न थी तो जो कुछ तेल बह जायेगा सारा नुक़सान मुश्तरी के ज़िम्मे है, और अगर मुश्तरी ने बरतन बाइअ् को नहीं दिया बल्कि ख़ुद लिये रहा और बाइअ् उसमें तोलकर डालता रहा तो हर सूरत में कुल नुक़सान मुश्तरी के ज़िम्मे है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.106:– रोग़न ख़रीदा और बाइअ् को बर्तन दे दिया और कह दिया कि इसमें तोलकर

डालदे और बर्तन टूटा हुआ था जिसकी बाइअ् को ख़बर न थी और मुश्तरी को इल्म न था तो नुक़सान बाइअ् के ज़िम्मे है और अगर मुश्तरी को मालूम था बाइअ् को मालूम न था या दोनों को मालूम न था तो सारा नुकसान दोनों सूरतों में मुश्तरी का होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.107:– तेल ख़रीदा और बाइअ् को बोतल देकर कहा कि मेरे आदमी के हाथ मेरे यहाँ भेज देना अगर रास्ते में बोतल टूटगई ओर तेल ज़ाइअ् (बर्बाद) होगया तो मुश्तरी का नुक़सान हुआ और अगर यह कहा था कि अपने आदमी के हाथ मेरे मकान पर भेज देना तो बाइअ् का नुक़सान होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.108:– कोई चीज़ ख़रीदकर बाइअ् के यहाँ छोड़दी और कह दिया कि कल ले जाऊँगा अगर नुक़सान हुआ तो मेरा होगा और फ़र्ज़ करो वह जानवर था जो रात में मरगया बाइअ् का नुक़सान हुआ मुश्तरी का वह कहना बेकार है इस लिये कि ज़ब तक मुश्तरी का क़ब्ज़ा न हो मुश्तरी को नुक़सान से तअ़ल्लुक नहीं। (खानिया)

मसअ्ला.109:– कोई चीज़ बेची जिसका समन अभी वुसूल नहीं हुआ है वह चीज़ किसी सालिस (तीसरे) के पास रख दी कि मुश्तरी समन देकर मबीअ् वसूल करेगा और वहाँ चीज़ ज़ाइअ् होगई तो नुक़सान बाइअ् का हुआ और अगर सालिस (तीसरे) ने थोड़ा समन वसूल करके वह चीज़ मुश्तरी को देदी जिसकी बाइअ् को ख़बर न हुई तो बाइअ् वह चीज मुश्तरी से वापस ले सकता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.110:– कपड़ा ख़रीदा है जिसका समन (क़ीमत) अदा नहीं किया कि क़ब्ज़ा करता उसने बाइअ् से कहा कि सालिस के पास उसे रखदो मैं दाम देकर ले लूँगा बाइअ् ने रख दिया और वहाँ कपड़ा ज़ाइअ् (बर्बाद) होगया तो नुक़सान बाइअ् का हुआ कि सालिस का क़ब्ज़ा बाइअ् के लिये है लिहाज़ा नुक़सान भी बाइअ् का होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.111:– मबीअ् (जिस चीज़ का सौदा हुआ) बाइअ् के हाथ में थी और मुश्तरी ने उसे हलाक कर दिया या उसमें ऐब पैदा करदिया या बाइअ् ने मुश्तरी के हुक्म से ऐब पैदा करदिया तो मुश्तरी का क़ब्ज़ा होगया, गेहूँ ख़रीदे ओर बाइअ् से कहा कि उन्हें पीस दे उसने पीस दिये तो मुश्तरी का क़ब्जा होगया और आटा मुश्तरी का है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.112:– मुश्तरी ने क़ब्ज़ा से पहले बाइअ् से कह दिया कि मबीअ् फुलां शख़्स को हिबा करदे उसने हिबा कर दिया और मौहूब लहु(जिसको दिया)को क़ब्ज़ा भी दिला दिया तो हिबा जाइज़ है और मुश्तरी का क़ब्ज़ा होगया यूँही अगर बाइअ् से कह दिया कि उसे किराये पर देदे उसने देदिया तो जाइज़ है और मुस्ताजिर का क़ब्ज़ा पहले मुश्तरी के लिये होगा फिर अपने लिये। (आलमगीरी)

मसअ्ला.113:– मुश्तरी ने बाइअ् से मबीअ् में ऐसा काम करने को कहा जिससे मबीअ् में कोई कमी पैदा न हो जैसे कोरा कपड़ा था उसे धुलवाया तो मुश्तरी का क़ब्ज़ा न हुआ फिर अगर उजरत पर धुलवाया है तो उजरत मुश्तरी के ज़िम्मे है वरना नहीं और अगर वह काम ऐसा है जिससे कमी पैदा हो जाती है तो मुश्तरी का क़ब्ज़ा होगया। (आलमगीरी)

मसअ्ला.114:– मुश्तरी ने समन अदा करने से पहले बिग़ैर इजाज़ते बाइअ् मबीअ् पर क़ब्ज़ा कर लिया तो बाइअ् को इख़्तेयार है उसका क़ब्ज़ा बातिल करके मबीअ् वापस लेले और इस सूरत में मुश्तरी का तख़लिया कर देना बाइअ् के क़ब्जे के लिये काफ़ी न होगा बल्कि हक़ीक़तन क़ब्ज़ा करना होगा और अगर मुश्तरी नें क़ब्जा करके कोई ऐसा तसर्रुफ़ कर दिया या रेहन रख दिया या इजारा पर देदिया या सदक़ा करदिया और अगर वह तसर्रुफ़ ऐसा है जो टूट नहीं सकता तो मजबूरी है मसलन गुलाम था जिसको मुश्तरी आज़ाद कर चुका है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.115:– मबीअ् पर मुश्तरी का क़ब्ज़ा अक़्दे बैअ् के पहले ही हो चुका है, अगर वह क़ब्जा ऐसा है कि तल्फ़ (माल बर्बाद) होने की सूरत में तावान देना पड़ता है तो बैअ् के बाद जदीद क़ब्ज़ा की ज़रूरत नहीं मसलन वह चीज़ मुश्तरी ने ग़सब कर रखी है या बैअ् फ़ासिद के ज़रीअ़े ख़रीद कर क़ब्जा करलिया अब उसे अक़्दे सहीह के साथ ख़रीदा तो वही पहला क़ब्जा काफ़ी है कि अक़्द

के बाद अभी घर पहुँचा भी न था कि वह शय हलाक होगई तो मुश्तरी की हलाक हुई और अगर वह क़ब्ज़ा ऐसा न हो जिससे ज़मान लाज़िम आये मसलन मुश्तरी के पास वह चीज़ अमानत के तौर पर थी तो जदीद क़ब्ज़ा की ज़रूरत है यही हुक्म सब जगह है दोनों कब्ज़े एक क़िस्म के हों यानी दोनों क़ब्ज़ा–ए–ज़मान या दोनों क़ब्ज़ा–ए–अमानत हों तो एक दूसरे के क़ायम मक़ाम होगा और अगर मुख़्तलिफ़ हों तो क़ब्ज़ा–ए–ज़मान क़ब्ज़ा–ए–अमानत के क़ायम मक़ाम होगा मगर क़ब्ज़ा–ए–अमानत क़ब्ज़ा–ए–ज़मान के क़ायम मक़ाम नहीं होगा। (आलमगीरी)

ख़्यारे शर्त का बयान

हदीस (1) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अनहुमा से मरवी कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया "बाइअ् व मुश्तरी में से हर एक को इख़्तेयार हासिल है जब तक जुदा न हों (यानी जब तक अक़्द में मशगूल हों अक़्द तमाम न हुआ हो) मगर बैऐ ख़्यार" (कि उसमें बादे अक़्द भी ख़्यार रहता है)।

हदीस (2) इमाम बुख़ारी व मुस्लिम हकीम बिन हिज़ाम रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया "बाइअ् व मुश्तरी को इख़्तेयार हासिल है जब तक जुदा न हों अगर वह दोनों सच बोलें और ऐब को ज़ाहिर करदें उनके लिये बैअ् में बरकत होगी और अगर ऐब को छुपायें और झूठ बोलें बैअ् की बरकत मिटा दी जायेगी"।

हदीस (3) तिर्मिज़ी व अबुदाऊद व नसई ब'रिवायत अम्र बिन शुऐब अन अबीही अन जद्देही रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया "बाइअ् व मुश्तरी को ख़्यार है जब तक जुदा न हों मगर जब कि अक़्द में ख़्यार हो और उनमें यह किसी को दुरुस्त नहीं दूसरे के पास से इस ख़ौफ से चला जाये कि इक़ाला की दरख़्वास्त करेगा"।

हदीस (4) अबूदाऊद ने अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि "बिग़ैर रज़ा'मन्दी दोनों जुदा न हों"।

हदीस (5) बैहक़ी इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी इरशाद फ़रमाया कि "ख़्यार तीन दिन तक है"।

मसअला.1:– बाइअ् व मुश्तरी को यह हक़ हासिल है कि वह क़तई तौर पर बैअ् न करें बल्कि अक़्द में यह शर्त करदें कि अगर मन्जूर न हुआ तो बैअ् बाक़ी न रहेगी उसे ख़्यारे शर्त कहते हैं और उसकी ज़रूरत तरफ़ैन को हुआ करती है क्योंकि कभी बाइअ् अपनी ना'वाक़िफ़ी से कम दामों में चीज़ बेच देता है या मुश्तरी अपनी नादानी से ज़्यादा दामों से ख़रीद लेता है या चीज़ की उसे शनाख़्त नहीं है ज़रूरत है कि दूसरे से मशवरा करके सहीह राय क़ायम करे और अगर उस वक़्त न खरीदें तो चीज़ जाती रहेगी या बाइअ् को अन्देशा है कि ग्राहक हाथ से निकल जायेगा ऐसी सूरत में शरा मुतहहरा ने दोनों को यह मौक़ा दिया है कि ग़ौर करलें अगर ना'मन्ज़ूर हो तो ख़्यार की बिना पर बैअ् को ना'मन्ज़ूर करदें।

मसअला.2:– ख़्यारे शर्त बाइअ् व मुश्तरी दोनों अपने अपने लिये करें या सिर्फ़ एक करे या किसी और के लिये उसकी शर्त करें सब सूरतें दुरुस्त हैं और यह भी हो सकता है कि अक़्द में ख़्यारे शर्त का ज़िक्र न हो मगर अक़्द के बाद एक ने दूसरे को या हर एक ने दूसरे को या किसी ग़ैर को ख़्यार देदिया अक़्द से पहले ख़्यारे शर्त नहीं हो सकता यानी पहले ख़्यार का ज़िक्र आया मगर अक़्द में ज़िक्र न आया न बादे अक़्द उसकी शर्त की मसलन बैअ् से पहले यह कह दिया कि जो बैअ् तुम से करूँगा उसमें मैंने तुमको ख़्यार दिया मगर अक़्द के वक़्त बैऐ मुतलक़ वाक़े हुई तो ख़्यार हासिल न हुआ। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअला.3:– ख़्यारे शर्त इन चीजों में हो सकता है (1)बैअ्, (2)इजारह, (3)क़िस्मत, (4)माल से

सुलह, (5)किताबत, (6)खुलअ् में जब कि औरत के लिये माल हो, (7)माल पर गुलाम आज़ाद करने में जब कि गुलाम के लिये हो आका के लिये नहीं हो सकता, (8)राहिन के लिये हो सकता है मुरतहिन के लिये नहीं क्योंकि यह जब चाहे रेहन को छोड़ सकता है ख़्यार की क्या ज़रूरत, (9)किफ़ालत में मकफुल लहू (जिसकी किफ़ालत की जाये) और कफ़ील के लिये हो सकता है, (10)इब्रा (किसी को अपना हक मुआफ़ कर देना) में हो सकता है मसलन यह कहा कि मैंने तुझे बरी किया और मुझे तीन दिन तक इख़्तेयार है, (11)शुफ़आ की तस्लीम में बादे तलबे मुवासेबत ख़्यार हो सकता है, (12)हवाला में हो सकता है, (13)मुज़ारअत में, (14)मुआमला में हो सकता है और **इन चीज़ों में ख़्यार नहीं हो सकता,** (1)निकाह, (2)तलाक़, (3)यमीन, (4)नज़र, (5)इक़रारे अक़्द, (6) बैअ् सफ़, (7)सलम, (8)वकालत। (बहर)

मसअला.4 :– पूरी मबीअ् में ख़्यारे शर्त हो या मबीअ् के किसी जुज़ में हो मसलन निस्फ़ या रूबा (आधा या चौथाई) में और बाक़ी में ख़्यार न हो दोनों सूरतें जाइज़ हैं और अगर मबीअ् मुतअद्दिद चीज़ें हों उनमें बाज़ के मुतअल्लिक़ ख़्यार हो और बाज़ के मुतअल्लिक़ न हो यह भी दुरुस्त है मगर इस सूरत में यह ज़रूर है कि जिसके मुतअल्लिक़ ख़्यार हो उसको मुतअय्यन कर दिया गया हो और समन की तफ़सील भी पूरी करदी गई हो यानी यह ज़ाहिर कर दिया गया हो कि इसके मुक़ाबिल में यह समन है मसलन दो बकरियाँ आठ रूपये में ख़रीदीं और यह बताया गया कि इस बकरी में ख़्यार है और उसका समन मसलन तीन रूपये है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअला.5:– अगर बाइअ् मुश्तरी में इख़्तेलाफ़ हुआ एक कहता है ख़्यारे शर्त था दूसरा कहता है कि नहीं था तो मुददई–ए–ख़्यार को गवाह पेश करना होगा अगर यह गवाह पेश न करे तो मुन्किर का क़ौल मोअ्तबर होगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसला.6:– ख़्यार की मुद्दत ज़्यादा से ज़्याद तीन दिन है उससे कम हो सकती है ज़्यादा नहीं, अगर कोई ऐसी चीज़ ख़रीदी है जो जल्द ख़राब होजाने वाली और मुश्तरी को तीन दिन का ख़्यार था तो उससे कहा जायेगा कि बैअ् को फ़स्ख़ करदे या जाइज़ करदे और अगर ख़राब होने वाली चीज़ किसी ने बिला ख़्यार ख़रीदी और बिग़ैर क़ब्ज़ा किये और बिग़ैर समन अदा किये चल दिया और ग़ायब होगया तो बाइअ् उस चीज़ को दूसरे के हाथ बैअ् कर सकता है उस दूसरे ख़रीदार को यह मालूम होते हुए भी ख़रीदना जाइज़ है।-(ख़ानिया, दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअला.7:– अगर ख़्यार की कोई मुद्दत ज़िक्र न की सिर्फ़ इतना कहा मुझे ख़्यार है या मुद्दत मजहूल है मसलन मुझे चन्द दिन का ख़्यार है या हमेशा के लिये ख़्यार रखा इन सब सूरतों में ख़्यार फ़ासिद है यह उस सूरत में है कि नफ़से अक़्द में ख़्यार मज़कूर हो और तीन दिन के अन्दर साहिबे ख़्यार ने जाइज़ न किया और अगर तीन दिन के अन्दर जाइज़ कर दिया तो बैअ् सहीह होगई और अगर अक़्द में ख़्यार न था बादे अक़्द एक ने दूसरे से कहा तुम्हें इख़्तेयार है तो उस मज्लिस तक ख़्यार है और मज्लिस ख़त्म होगई और उसने कुछ न कहा तो ख़्यार जाता रहा अब कुछ नहीं कर सकता। (आलमगीरी, रद्दुलमुहतार)

मसअला.8:– तीन दिन से ज़्यादा की मुद्दत मुक़र्रर की मगर अभी तीन दिन पूरे न हुए थे कि साहिबे ख़्यार ने बैअ् को जाइज़ कर दिया तो अब यह बैअ् दुरुस्त है और अगर तीन दिन पूरे हो गये और जाइज़ न किया तो बैअ् फ़ासिद होगई। (हिदाया,वग़ैरा)

मसअला.9:– मुश्तरी ने बाइअ् से कहा अगर तीन दिन तक समन अदा न करूँ तो मेरे और तेरे दरम्यान बैअ् नहीं यह भी ख़्यारे शर्त के हुक्म में है यानी अगर इस मुद्दत तक समन अदा कर दिया बैअ् दुरुस्त होगई वरना जाती रही और अगर तीन दिन से ज़्यादा मुद्दत ज़िक्र करके यही लफ़्ज़ कहे और तीन दिन के अन्दर अदा कर दिया तो बैअ् सहीह होगई और तीन दिन पूरे हो चुके तो बैअ् जाती रही। (आलमगीरी)

मसअला.10:– बैअ् हुई और समन भी मुश्तरी ने देदिया और यह ठहरा कि अगर तीन दिन के

अन्दर बाइअ़ ने समन फेर दिया तो बैअ़ नहीं रहेगी यह भी ख़्यारे शर्त के हुक्म में है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.11:– तीन दिन की मुद्दत थी मगर उसमें से एक दिन या दो दिन बाद में कम कर दिया तो ख़्यार की मुद्दत वह है जो कमी के बाद बाक़ी रही मसलन तीन दिन में से एक दिन कम कर दिया तो अब दो ही दिन की मुद्दत है यह मद्दत पूरी होने पर ख़्यार ख़त्म होगया। (आलमगीरी)

मसअ्ला.12:– बाइअ़ ने ख़्यारे शर्त अपने लिये रखा है तो मबीअ़ उसके मिल्क से ख़ारिज नहीं हुई फिर अगर मुश्तरी ने उसपर क़ब्ज़ा कर लिया चाहे यह कब्जा बाइअ़ की इजाज़त से हो या बिला इजाज़त और मुश्तरी के पास हलाक होगई तो मुश्तरी पर मबीअ़ की वाजिबी क़ीमत तावान में वाजिब है और अगर मिसली है तो मुश्तरी पर उसकी मिस्ल वाजिब है और अगर बाइअ़ ने बैअ़ फ़स्ख़ करदी है जब भी यही हुक्म है यानी क़ीमत या उस चीज की मिस्ल वाजिब है और अगर बाइअ़ ने अपना ख़्यार ख़त्म कर दिया और बैअ़ को जाइज़ कर दिया या बादे मुद्दत वह चीज़ हलाक होगई तो मुश्तरी के ज़िम्मे समन वाजिब यानी जो दाम तय हुआ है देना होगा, अगर मबीअ़ बाइअ़ के पास हलाक होगई तो बैअ़ जाती रही किसी पर कुछ लेना देना नहीं, और मबीअ़ में कोई ऐब पैदा होगया तो बाइअ़ का ख़्यार बदस्तूर बाक़ी है मगर मुश्तरी को इख़्तेयार होगा कि चाहे पूरी क़ीमत पर मबीअ़ को लेले या न ले, और अगर बाइअ़ ने खुद उसमें कोई ऐब पैदा कर दिया है तो समन में उस ऐब की क़द्र कमी की जायेगी। मुश्तरी पर जिस सूरत में क़ीमत वाजिब है उससे मुराद उस दिन की क़ीमत है जिस दिन उसने क़ब्ज़ा किया है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार वग़ैरहुमा)

मसअ्ला.13:– बाइअ़ को ख़्यार हो तो समन मिल्के मुश्तरी से ख़ारिज होजाता है मगर बाइअ़ की मिल्क में दाख़िल नहीं होता। (आलमगीरी)

मसअ्ला.14:– मुश्तरी ने अपने लिये ख़्यार रखा है तो मबीअ़ बाइअ़ की मिल्क से ख़ारिज होगई यानी इस सूरत में अगर बाइअ़ ने मबीअ़ में कोई तसर्रुफ़ किया है तो यह तसर्रुफ़ सहीह नहीं मसलन ग़ुलाम है जिसको आज़ाद कर दिया तो आज़ाद न हुआ और इस सूरत में अगर मबीअ़ मुश्तरी के पास हलाक होगई तो समन के बदले में हलाक हुई यानी समन देना पड़ेगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.15:– मबीअ़ मुश्तरी के क़ब्ज़े में है और उसमें ऐब पैदा होगया चाहे वह ऐब मुश्तरी ने किया हो या किसी अजनबी ने या आफ़ते समावी से या खुद मबीअ़ के फ़ेअ्ल से ऐब पैदा हुआ बहर हाल अगर ख़्यार मुश्तरी को है तो मुश्तरी को समन देना पड़ेगा और बाइअ़ को है तो मुश्तरी पर क़ीमत वाजिब है और बाइअ़ यह भी कर सकता है कि बैअ़ को फ़स्ख़ करदे और जो कुछ ऐब की वजह से नुक़सान हुआ उसकी क़ीमत लेले जबकि वह चीज़ क़ीमती हो और अगर वह चीज़ मिस्ल है तो बैअ़ को फ़स्ख़ करके नुक़सान नहीं ले सकता। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.16:– ऐब का यह हुक्म उस वक़्त है जब वह ऐब ज़ाएल (ख़त्म) न हो सकता हो मसलन हाथ काट डाला और अगर ऐसा ऐब हो जो दूर हो सकता हो मसलन मबीअ़ में बीमारी पैदा होगई तो उसका हुक्म यह है कि अगर वह ऐब मुद्दत के अन्दर ज़ाएल (ख़त्म) होगया तो मुश्तरी का ख़्यार ब'दस्तूर बाक़ी है मुद्दत के अन्दर मबीअ़ को वापस कर सकता है और मुद्दत के अन्दर ऐब दूर न हुआ तो मुद्दत पूरी होते ही मुश्तरी पर बैअ़ लाज़िम होगई क्योंकि ऐब की वजह से मुश्तरी फेर नहीं सकता और बादे मुद्दत ऐब जाता रहे फिर भी मुश्तरी को हक़े फ़स्ख़ नहीं (ख़त्म करने का हक़ नहीं) कि बैअ़ लाज़िम होजाने के बाद उसका हक़ जाता रहा। (दुर्रेमुख़्तार,वग़ैरा)

मसअ्ला.17:– ख़्यारे मुश्तरी की सूरत में समन मिल्के मुश्तरी से ख़ारिज नहीं होता और मबीअ़ अगरचे मिल्के बाइअ़ से ख़ारिज हो जाती है मगर मुश्तरी की मिल्क में नहीं आती फिर भी अगर मुश्तरी ने मबीअ़ में कोई तसर्रुफ़ किया मसलन गुलाम है जिसको आज़ाद कर दिया तो यह तसर्रुफ़ नाफ़िज़ होगा और इस तसर्रुफ़ को इजाज़त समझा जायेगा। (हिदाया,वग़ैरा)

मसअ्ला.18:– मुश्तरी और बाइअ़ दोनों को ख़्यार है तो न मबीअ़ मिल्के बाइअ़ से ख़ारिज होगी न

समन मिल्के मुश्तरी से फिर अगर बाइअ् ने मबीअ् में तसर्रुफ़ किया तो बैअ् फ़स्ख़ हो जायेगी और मुश्तरी ने समन में तसर्रुफ़ किया और वह समन ऐन हो (यानी अज कबीले नुकूद न हो) तो मुश्तरी की जानिब से बैअ् फ़स्ख़ है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.19:– इस सूरत में कि दोनों को ख़्यार है अन्दुरूने मुद्दत इन में से कोई भी बैअ् को फ़स्ख़ करे फ़स्ख़ होजायेगी और जो बैअ् को जाइज़ कर देगा उसका ख़्यार बातिल होजायेगा यानी उसकी जानिब से बैअ् क़तई होगई और दूसरे का ख़्यार बाक़ी रहेगा और अगर मुद्दत पूरी होगई और किसी ने न फ़स्ख़ किया न जाइज़ किया तो अब तरफ़ैन(दोनों तरफ से)से बैअ् लाज़िम हो गई।(दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.20:– जिसके लिये ख़्यार है चाहे वह बाइअ् हो या मुश्तरी या अजनबी जब उसने बैअ् को जाइज़ कर दिया तो बैअ् मुकम्मल होगई दूसरे को उसका इल्म हो या न हो अलबत्ता अगर दोनों को ख़्यार था तो तनहा उसके जाइज़ कर देने से बैअ् की तमामियत (बैअ् पूरी होना) न होगी क्योंकि दूसरे को हक़्क़े फ़स्ख़ हासिल है अगर यह फ़स्ख़ कर देगा तो उसका जाइज़ करना मुफ़ीद न होगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.21:– बाइअ् को ख़्यार था और अन्दुरूने मुद्दत बैअ् फ़स्ख़ करदी फिर जाइज़ करदी और मुश्तरी ने उसको क़बूल कर लिया तो बैअ् सहीह होगई मगर यह एक जदीद बैअ् हुई क्योंकि फ़स्ख़ करने से पहली बैअ् जाती रही और मुश्तरी को ख़्यार था और जाइज़ करदी फिर फ़स्ख़ की और बाइअ् ने मन्जूर करलिया तो फ़स्ख़ होगई और यह हक़ीक़तन इक़ाला है। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.22:– साहिबे ख़्यार ने बैअ् को फ़स्ख़ किया उसकी दो सूरतें हैं क़ौल से फ़स्ख़ करे तो अन्दुरूने मुद्दत दूसरे को उसका इल्म होजाना ज़रूरी है अगर दूसरे को इल्म ही न हो या मुद्दत गुज़रने के बाद उसे मालूम हुआ तो फ़स्ख़ सहीह नहीं और बैअ् लाज़िम होगई और अगर साहिबे ख़्यार ने अपने किसी फ़ेअ्ल (काम) से बैअ् को फ़स्ख़ किया तो अगरचे दूसरे को इल्म न हो फ़स्ख़ हो जायेगी मसलन मबीअ् में उस क़िस्म का तसर्रुफ़ किया जो मालिक किया करते हैं मसलन मबीअ् गुलाम है उसे आज़ाद कर दिया या बेच डाला या कनीज़ है उससे वती की या उसका बोसा लिया या मबीअ् को हिबा करके या रेहन रखकर क़ब्ज़ा देदिया या इजारा पर दिया या मुश्तरी से समन मुआफ़ कर दिया या मकान किसी को रहने के लिये दे दिया अगरचे किराया या उसमें नई तामीर की या कहगल की या मरम्मत कराई या ढा दिया या समन में (जबकि ऐन हो) तसर्रुफ़ कर डाला इन सूरतों में बैअ् फ़स्ख़ होगई अगरचे अन्दुरूने मुद्दत दुसरे को इल्म न हुआ। (आलमगीरी)

मसअ्ला.23:– जिसके लिये ख़्यार है उसने कहा मैंने बैअ् को जाइज़ कर दिया या बैअ् पर राज़ी हूँ या अपना ख़्यार मैंने साक़ित कर दिया या इसी क़िस्म के दूसरे अलफ़ाज़ कहे तो ख़्यार जाता रहा और बैअ् लाज़िम होगई और अगर यह अलफ़ाज़ कहे कि मेरा क़स्द लेने का है या मुझे यह चीज पसन्द है या मुझे उसकी ख़्वाहिश है तो ख़्यार बातिल न होगा। (आलमगीरी, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.24:– जिसके लिये ख़्यार था वह अन्दुरूने मुद्दत मरगया ख़्यार बातिल होगया यह नहीं हो सकता कि उसके मरने के बाद वारिस की तरफ़ ख़्यार मुन्तक़िल हो कि ख़्यार में मीरास नहीं जारी होती यूँही अगर बेहोश होगया या मजनून होगया या सोता रहगया और मुद्दत गुज़र गई ख़्यार बातिल होगया, मुश्तरी को बतौरे तम्लीक (मालिक बनाने के तौर पर) क़ब्ज़ा दिया बाइअ् का ख़्यार बातिल होगया और अगर बतौरे तम्लीक क़ब्ज़ा न दिया बल्कि अपना इख़्तेयार रखते हुए क़ब्ज़ा दिया ख़्यार बातिल न हुआ। (आलमगीरी, दुर्रेमुहतार)

मसअ्ला.25:– मबीअ् मुतअद्दिद चीज़ें हैं और साहिबे ख़्यार यह चाहता है कि बाज़ में अक़्द को जाइज़ करे और बाज़ में नहीं यह नहीं कर सकता बल्कि कुल की बैअ् जाइज़ करे या फ़स्ख़(आलमगीरी)

मसअ्ला.26:– मुश्तरी को ख़्यार है तो जब तक मुद्दत पूरी न होले बाइअ् समन का मुतालबा नहीं कर सकता और बाइअ् को भी तस्लीमे मबीअ् पर मजबूर नहीं किया जासकता अलबत्ता अगर मुश्तरी ने समन दे दिया है तो बाइअ् को मबीअ् देना पड़ेगा यूँही अगर बाइअ् ने तस्लीमे मबीअ्

करदी है तो मुश्तरी को समन देना पड़ेगा मगर बैअ् फ़स्ख़ करने का हक़ रहेगा और अगर बाइअ् का ख़्यार है और मुश्तरी ने समन अदा कर दिया है और मबीअ् पर क़ब्ज़ा चाहता है तो बाइअ् क़ब्ज़ा से रोक सकता है मगर ऐसा करेगा तो समन फेरना पड़ेगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.27:– एक मकान ब'शर्ते ख़्यार ख़रीदा था उसके पड़ोस में एक दूसरा मकान फ़रोख़्त हुआ मुश्तरी ने शुफ़आ किया ख़्यार बातिल होगया और बैअ् लाज़िम होगई। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.28:– बाइअ् या मुश्तरी ने किसी अजनबी को ख़्यार देदिया तो इन दोनों में से जिस एक ने जाइज़ कर दिया ख़्यार जाता रहा और बैअ् को फ़स्ख़ कर दिया फ़स्ख़ होगई और एक ने जाइज़ की दूसरे ने फ़स्ख़ की तो जो पहले है उसका ही एअ्तेबार है और दोनों एक साथ हों तो फ़स्ख़ को तरजीह है यानी बैअ् जाती रही। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.29:– दो चीज़ों को एक साथ बेचा मसलन दो गुलाम या दो कपड़े या दो जानवर उन में एक में बाइअ् या मुश्तरी ने ख़्यारे शर्त किया उसकी चार सूरतें हैं जिस एक में ख़्यार है वह मुतअय्यन है या नहीं और हर एक का समन अलग–अलग बयान कर दिया गया है या नहीं अगर महल्ले ख़्यार मुतअय्यन (ख़्यार की जगह ख़ास) है और हर एक का समन ज़ाहिर कर दिया गया तो बैअ् सहीह है बाक़ी तीन सूरतों में बैअ् फ़ासिद, और अगर कैली (तोल की चीज़) या वज़नी चीज़ ख़रीदी और उसके निस्फ़ में ख़्यारे शर्त रखा या एक गुलाम ख़रीदा और निस्फ़ में ख़्यार रखा तो बैअ् सहीह है समन की तफ़सील करे या न करे। (आलमगीरी, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.30:– किसी को वकील बनाया कि यह चीज़ बिशरतिलख़्यार (ख़्यार की शर्त के साथ) बैअ् करे उसने बिला शर्त बेच डाली यह बैअ् जाइज़ व नाफ़िज़ न हुई और अगर बिशरतिलख़्यार ख़रीदने के लिये वकील किया था वकील ने बिला शर्त ख़रीदी तो बैअ् सहीह होगई मगर वकील पर नाफ़िज़ होगी मोअक्किल पर नाफ़िज़ न हुई। (फ़तह,वग़ैरा)

मसअ्ला31:– दो शख़्सों ने एक चीज़ ख़रीदी और उन दोनों ने अपने लिये ख़्यारे शर्त किया फिर एक ने सराहतन या दलालतन बैअ् पर रज़ा'मन्दी ज़ाहिर की तो दूसरे का ख़्यार जाता रहा यूँही अगर दो शख़्सों ने किसी चीज़ को एक अक़्द में बैअ् किया और दोनों ने अपने लिये ख़्यार रखा फिर एक बाइअ् ने बैअ् को जाइज़ कर दिया तो दूसरे का ख़्यार बातिल होगया उसे रद करने का हक़ न रहा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.32:– एक अक़्द में दो चीज़ें बेची थीं और अपने लिये ख़्यार रखा था फिर एक में बैअ् को फ़स्ख़ कर दिया तो फ़स्ख़ न हुई बल्कि ब'दस्तूर ख़्यार बाक़ी है यूँही एक चीज़ बेची थी और उसके निस्फ़ में फ़स्ख़ किया तो बैअ् फ़स्ख़ न हुई और ख़्यार बाक़ी है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.33:– साहिबे ख़्यार ने यह कहा अगर फ़ुलां काम आज न करूँ तो ख़्यार बातिल है तो ख़्यार बातिल न होगा और अगर यह कहा कल आइन्दा मैंने ख़्यार बातिल किया या यह कि जब कल आयेगा तो मेरा ख़्यार बातिल होजायेगा तो दूसरा दिन आने पर ख़्यार बातिल हो जायेगा(आलमगीरी)

मसअ्ला.34:– बाइअ् को तीन दिन का ख़्यार था और मबीअ् पर मुश्तरी को क़ब्ज़ा देदिया फिर मबीअ् को ग़सब कर लिया तो इस फ़ेअ्ल से न बैअ् फ़स्ख़ हुई न ख़्यार बातिल हुआ। (आलमगीरी)

मसअ्ला.35:– शर्ते ख़्यार के साथ कोई चीज़ बैअ् की और तक़ाबुज़े बदलैन (दो चीज़ों को आपस में बदलकर क़ब्ज़ा करना यानी मबीअ् व समन पर क़ब्ज़ा) होगया फिर बाइअ् ने अन्दुरूने मुद्दत बैअ् फ़स्ख़ करदी तो मुश्तरी मबीअ् को वापसी तक समन रोक सकता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.36:– एक शख़्स ने शर्ते ख़्यार के साथ मकान बैअ् किया मुश्तरी ने बाइअ् को कुछ रूपया या कोई चीज़ दी कि बाइअ् अपना ख़्यार साक़ित करदे और बैअ् को नाफ़िज़ करदे उसने ऐसा कर दिया यह जाइज़ है और यह जो कुछ दिया समन में शुमार होगा यूंही अगर मुश्तरी के लिये ख़्यार था और बाइअ् ने कहा कि अगर ख़्यार साक़ित करदे तो मैं समन में इतनी कमी करता हूँ या मबीअ् में यह चीज़ और इज़ाफ़ा करता हूँ यह भी जाइज़ है। (ख़ानिया)

मसअ्ला.37:– एक चीज़ हजार रूपये को बेची थी मुश्तरी ने बाइअ् को अशर्फ़ियां दीं फिर बाइअ् ने अन्दुरूने मुद्दत (मुद्दत में) बैअ् को फस्ख़ कर दिया तो मुश्तरी को अशर्फ़ियाँ वापस करनी होंगी अशर्फ़ियों की जगह रूपया नहीं दे सकता। (आलमगीरी)

मसअ्ला.38:– मुश्तरी के लिये ख़्यार है और उसने मबीअ् में बग़र्ज़ इम्तेहान कोई तसर्रूफ़ किया और जो फ़ेअ्ल (काम) किया हो वह ग़ैर ममलूक में कर भी सकता हो तो ऐसे फ़ेअ्ल से ख़्यार बातिल न होगा और अगर वह फ़ेअ्ल ऐसा हो कि इम्तेहान के लिये उसकी हाजत न हो या वह फ़ेअ्ल ग़ैर ममलूक में किसी सूरत में जाइज़ ही न हो तो उससे ख़्यार बातिल हो जायेगा मसलन घोड़े पर एक दफ़ा सवार हुआ या कपड़े को इसलिये पहना कि बदन पर ठीक आता है या नहीं या लोन्डी से काम कराया ताकि मालूम हो कि काम करना जानती है या नहीं तो इन से ख़्यार बातिल न हुआ और दोबारा सवारी ली या दोबारा कपड़ा पहना या दोबारा काम लिया तो ख़्यार साकित हो गया और अगर घोड़े पर एक मरतबा सवार होकर एक किस्म की रफ़्तार का इम्तेहान लिया दोबारा दूसरी रफ़्तार के लिये सवार हुआ या लोन्डी से दोबारा दूसरा काम लिया तो इख़्तेयार बाक़ी है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.39:– घोड़े पर सवार होकर पानी पिलाने लेगया या चारा के लिये गया या बाइअ् के पास वापस करने गया अगर यह काम बिग़ैर सवार हुए मुमकिन न थे तो इजाज़ते बैअ् नहीं ख़्यार बाक़ी है वरना यह सवार होना इजाज़त समझा जायेगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.40:– ज़मीन ख़रीदी उसमें मुश्तरी ने काश्त की तो उसका ख़्यार बातिल होगया और बाइअ् ने काश्त की तो बैअ् फ़स्ख़ होगई। (आलमगीरी)

मसअ्ला.41:– बशर्तेख़्यार मकान ख़रीदा और उसमें पहले से रहता था तो बाद की सुकूनत से ख़्यार बातिल न होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.42:– मबीअ् में मुश्तरी के पास ज़्यादती (इज़ाफ़ा) हुई उसकी दो सूरतें हैं ज़्यादते मुत्तसिला या मुनफ़सिला और हर एक मुतवल्लिदा है या ग़ैर मुतवल्लिदा अगर ज़्यादते मुत्तसिला मुतवल्लिदा है (ऐसा इज़ाफ़ा जो मबीअ् में खुद ब'खुद पैदा होजाये और उसके साथ मिला हुआ भी हो) मसलन जानवर फ़रबा होगया या मरीज़ था मर्ज़ जाता रहा या ज़्यादते मुत्तसिला ग़ैर मुतवल्लिदा है मसलन कपड़े को रंग दिया या सी दिया सत्तू में घी मिला दिया या ज़्यादते मुनफ़सिला मुतवल्लिदा हो मसलन जानवर के बच्चा पैदा हुआ, दूध दुहा, ऊन काटी इन सब सूरतों में मबीअ् को रद नहीं किया जा सकता और ज़्यादते मुनफ़सिला ग़ैरमुतवल्लिदा है मसलन ग़ुलाम था उसने कुछ कसब (कमाया) किया उससे ख़्यार बातिल नहीं होता फिर अगर बैअ् को इख़्तेयार किया तो ज़्यादत भी उसी को मिलेगी और बैअ् को फ़स्ख़ करेगा तो अस्ल व ज़्यादत दोनों को वापस करना होगा। (आलमगीरी)

मबीअ् में जिस वस्फ़ की शर्त थी वह नहीं है

मसअ्ला.43:– मुश्तरी को ख़्यार था और मबीअ् पर क़ब्ज़ा कर चुका था फिर उसको वापस कर दिया बाइअ् कहता है यह वह नहीं है मुश्तरी कहता है कि वही है तो क़सम के साथ मुश्तरी का क़ौल मोअ्तबर है और अगर बाइअ् को यक़ीन है कि यह वह चीज़ नहीं जब भी बाइअ् ही उसका मालिक होगया और यह बाइअ् के तौर पर बैअ् तआती हुई। (आलमगीरी, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.44:– ग़ुलाम को इस शर्त के साथ ख़रीदा कि बावर्ची है या मुन्शी है मगर मालूम हुआ कि वह ऐसा नहीं तो मुश्तरी को इख़्तेयार है कि उसे पूरे दामों में लेले या छोड़दे। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.45:– बकरी ख़रीदी इस शर्त के साथ कि गाभिन है या इतना दूध देती है तो बैअे फ़ासिद है और अगर यह शर्त है कि ज़्यादा दूध देती है तो बैअे फ़ासिद नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.46:– एक मकान ख़रीदा इस शर्त पर कि पुख़्ता ईंटों से बना हुआ है वह निकला ख़ाम (कच्चा) या बाग़ ख़रीदा इस शर्त पर कि उसके कुल दरख़्त फलदार हैं उनमें एक दरख़्त फलदार नहीं है या कपड़ा ख़रीदा इस शर्त पर कि कुसुम का रंगा हुआ है वह ज़अ्फ़रान का रंगा हुआ

निकला इन सब सूरतों में बैअ़ फ़ासिद है या ख़च्चर ख़रीदा इस शर्त पर कि मादा है वह नर था तो बैअ़ जाइज़ है मगर मुश्तरी को इख़्तेयार है कि ले या न ले और अगर नर कहकर ख़रीदा और मादा निकला या गधा या ऊँट कहकर ख़रीदा और निकली गधी या ऊँटनी तो इन सूरतों में बैअ़ जाइज़ है और मुश्तरी को ख़्यारे फ़स्ख़ भी नहीं कि जिन्स मुख़्तलिफ़ नहीं है और जो शर्त थी मबीअ़ इस से बेहतर है। (फ़तहुलक़दीर, दुर्रेमुख़्तार)

ख़्यारे तअ़ईन(किसी चीज़ को ख़ास करना)

मसअ्ला.47:– चन्द चीज़ों में से एक ग़ैर मुअ़य्यन को ख़रीदा यूँ कहा कि इनमें से एक को ख़रीदता हूँ तो मुश्तरी उनमें से जिस एक को चाहे मुतअ़य्यन करले उसको ख़्यारे ताईन कहते हैं उसके लिये चन्द शर्ते हैं अव्वल यह कि उन चीज़ों में से एक को ख़रीदे यह नहीं कि मैंने इन सबको ख़रीदा दोम यह कि दो चीज़ में से एक या तीन चीज़ों में से एक को ख़रीदे चार में से एक ख़रीदी तो सहीह नही, सोम यह कि यह तसरीह हो कि उन में से जो तू चाहे लेले चहारुम यह कि उसकी मुद्दत भी तीन दिन तक होनी चाहिये पन्जुम यह कि क़ीमती चीज़ों में हो मिस्ली चीज़ों में न हो, रहा यह अम्र कि ख़्यारे ताईन के साथ ख़्यारे शर्त की भी ज़रूरत है या नहीं इस में उलमा का इख़्तेलाफ़ है बहर हाल अगर ख़्यारे ताईन के साथ ख़्यारे शर्त भी मज़कूर हो और मुश्तरी ने ब'मुक़तज़ाये ताईन एक को मुअ़य्यन कर लिया तो ख़्यारे शर्त का हुक्म बाक़ी है कि अन्दुरूने मुद्दत उस एक में भी बैअ़ फ़स्ख़ कर सकता है और अगर मुद्दत ख़त्म होगई और ख़्यारे शर्त की रू से बैअ़ को फ़स्ख़ न किया तो बैअ़ लाज़िम होगई और मुश्तरी पर लाज़िम होगा कि अब तक मुतअ़य्यन नहीं किया है तो अब मुअ़य्यन करले। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार, फ़तह)

मसअ्ला.48:– ख़्यारे ताईन बाइअ़ के लिये भी हो सकता है उसकी सूरत यह है कि मुश्तरी ने दो या तीन चीज़ों में से एक को ख़रीदा और बाइअ़ से कह दिया कि इनमें से तू जो चाहे देदे बाइअ़ ने जिस एक को देदिया मुश्तरी को उसका लेना लाज़िम होजायेगा हाँ बाइअ़ वह दे रहा है जो ऐबदार है और मुश्तरी लेने पर राज़ी है तो ख़ैर वरना बाइअ़ मजबूर नहीं कर सकता और अगर मुश्तरी ऐबदार के लेने पर तैयार न हुआ तो उनमें से दूसरी चीज़ लेने पर भी बाइअ़ अब उसको मजबूर नहीं कर सकता और अगर दोनों चीज़ों में से एक बाइअ़ के पास हलाक होगई तो जो बाक़ी है वह मुश्तरी पर लाज़िम कर सकता है। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.49:– ख़्यारे ताईन के साथ बैअ़ हुई और मुश्तरी ने दोनों चीज़ों पर क़ब्ज़ा किया तो उनमें एक मुश्तरी की है और एक बाइअ़ की जो उसके पास बतौर अमानत है यानी अगर मुश्तरी के पास दोनों हलाक होगईं तो एक का जो समन तय पाया है वही देना पड़ेगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.50:– ख़्यारे ताईन के साथ एक चीज़ ख़रीदी थी और मुश्तरी मरगया तो यह ख़्यार वारिस की तरफ़ मुन्तक़िल होगा यानी वारिस दोनों को रद करके बैअ़ फ़स्ख़ करना चाहे ऐसा नहीं हो सकता बल्कि जिस एक को चाहे पसन्द करले और क़ब्ज़ा दोनों पर हो चुका है तो दूसरी उसके पास अमानत है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.51:– बाइअ़ के पास दोनों चीज़ें हलाक होगईं तो बैअ़ बातिल होगई और एक बाक़ी है एक हलाक होगई तो जो बाक़ी है वह बैअ़ के लिये मुतअ़य्यन होगई। (आलमगीरी)

मसअ्ला.52:– मुश्तरी ने दोनों पर क़ब्ज़ा कर लिया एक हलाक होगई एक बाक़ी है तो जो हलाक हुई वह बैअ़ के लिये मुतअ़य्यन होगई और जो बाक़ी है वह अमानत है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.53:– ख़्यारे ताईन के साथ बैअ़ हुई और अभी तक दोनों चीजें बाइअ़ ही के हाथ में थीं कि उन में से एक में ऐब पैदा होगया अब मुश्तरी को इख़्तेयार है कि ऐब वाली पूरे दामों से ले या दूसरी लेले या किसी को न ले, दोनों में ऐब पैदा होगया जब भी यही हुक्म है, और अगर मुश्तरी क़ब्ज़ा कर चुका है और एक ऐबदार होगई तो यह बैअ़ के लिये मुतअ़य्यन है और दुसरी अमानत

और दोनों ऐबदार होगईं अगर आगे पीछे ऐब पैदा हुआ तो जिस में पहले ऐब पैदा हुआ वह बैअ् के लिये मुतअ़य्यन है और एक साथ दोनों में ऐब पैदा हुआ तो बैअ् के लिये अभी तक कोई मुतअ़य्यन नहीं जिस एक को चाहे मुअ़य्यन करले और दोनों को रद करना चाहे तो नहीं कर सकता(आलमगीरी)

मसअ्ला.54:– दो कपड़े थे और क़ब्ले ताइ़न मुश्तरी ने एक को रंग दिया तो यही बैअ् के लिये मुतअ़य्यन हो गया। (आलमगीरी)

ख़रीदार ने दाम तय करके बिग़ैर बैअ् किये चीज़ पर क़ब्ज़ा किया

मसअ्ला.55:– ख़रीदार ने किसी चीज़ का नर्ख़ और समन तय कर लिया मगर अभी ख़रीद व फ़रोख़्त नहीं हुई और चीज़ पर क़ब्ज़ा कर लिया यह चीज़ उसकी ज़मान में है हलाक व ज़ाएअ् हो जाये तो उसका तावान देना होगा और यह तावान उस शय की वाजिबी क़ीमत होगा। ख़्वाह यह क़ीमत उतनी ही हो जितना समन क़रार पाया है या उससे ज़्यादा या कम हो। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.56:– ग्राहक ने बाइअ् से यह ठहरा लिया है कि चीज़ हलाक हो जायेगी तो मैं ज़ामिन नहीं यानी तावान नहीं दूँगा इस सूरत में भी तावान देना पड़ेगा और वह शर्त करना बेकार है(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.57:– मुश्तरी ने किसी चीज़ को ख़रीदने के लिये वकील किया वकील दाम तय करके बिग़ैर बैअ् किये मुअक्किल को दिखाने के लिये लाया मुअक्किल को दिखाई उसने ना'पसन्द की और वापस करदी वह चीज़ वकील के पास हलाक होगई वकील पर तावान होगा और मुअक्किल से रुजूअ् नहीं कर सकता हाँ अगर मुअक्किल ने कह दिया था कि दाम तय करके पसन्द कराने के लिये मेरे पास लाना तो जो कुछ वकील ने तावान दिया है मुअक्किल से वसूल करेगा। (ख़ानिया)

मसअ्ला.58:– ख़रीदार ने दुकानदार से थान तलब किया उसने तीन थान दिये और हर एक का दाम बता दिया थान दस का है, यह बीस का है, यह तीस का है इन्हें लेजाओ जो उनमें पसन्द करोगे तुम्हारे हाथ बैअ् है वह तीनों मुश्तरी के पास हलाक होगये अगर वह सब एक दम हलाक हुए या आगे पीछे ज़ाएअ् हुए मगर यह मा'लूम नहीं कि पहले कौनसा हलाक हुआ तो हर एक थान की तिहाई क़ीमत तावान देगा और अगर मा'लूम है कि पहले फुलां थान ज़ाएअ् हुआ तो उसी का तावान देगा बाक़ी दो थान अमानत थे उनका तावान नहीं और अगर दो हलाक हुए और मा'लूम नहीं पहले कौन हलाक हुआ तो दोनों में हर एक की निस्फ़ क़ीमत तावान दे और तीसरा थान अमानत है उसे वापस करदे और अगर एक हलाक हुआ तो उसका तावान दे बाक़ी दो थान वापस करदे।(ख़ानिया)

मसअ्ला.59:– दाम तय करके चीज़ को ले जाने से तावान उस वक़्त लाज़िम आता है जब उसको ख़रीदने के इरादे से लेगया और हलाक होगई वरना नहीं मसलन दुकानदार ने ग्राहक से कहा यह लेजाओ तुम्हारे लिये दस को है ख़रीदार ने कहा लाओ उसको देखूंगा या फुलां शख़्स को दिखाऊँगा यह कहकर लेगया और हलाक होगई तो तावान नहीं यह अमानत है और यह कहकर ले गया लाओ पसन्द होगा तो ले लूँगा और ज़ाएअ् होगई तो तावान देना होगा। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.60:– दुकानदार से थान मांगकर लेगया कि अगर पसन्द हुआ तो ख़रीद लूंगा और उसके पास हलाक होगया तो तावान नहीं और अगर यह कहकर लेगया कि पसन्द होगा तो दस रूपये में ख़रीद लूंगा वह हलाक होगया तो तावान देना होगा दोनों में फ़र्क़ यह है कि पहली सूरत में चूँकि समन का ज़िक्र नहीं यह क़ब्ज़ा बर वजहे ख़रीदारी नहीं हुआ और दूसरी में समन मज़कूर है लिहाज़ा ख़रीदारी के तौर पर क़ब्ज़ा है। (फतहुलक़दीर)

मसअ्ला.61:– दाम ठहराकर बिग़ैर बैअ् किये जिस चीज़ को लेगया वह हलाक नहीं हुई बल्कि उसने ख़ुद हलाक की मसलन खाने की चीज़ थी उसने खाली कपड़ा था उसने क़तअ् (कटवाके) कराके सिलवा लिया तो समन देना होगा यानी जो ठहरा है वह देना होगा हाँ अगर बाइअ् ने मुश्तरी की रज़ा'मन्दी ज़ाहिर करने से पहले यह कह दिया कि मैंने अपनी बात वापस ली अब मैं नहीं बेचूँगा उसके बाद मुश्तरी ने सर्फ़ कर डाला तो क़ीमत वाजिब है या रज़ा'मन्दी ज़ाहिर करने से

पहले मुश्तरी मरगया उसके वारिस ने सर्फ़ किया जब भी क़ीमत वाजिब है। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.62:– देखने या दिखाने के लिये लाया है और यह नहीं कहा कि पसन्द होगा तो ले लूँगा और ख़र्च कर डाला तो क़ीमत देनी होगी। (रद्दुलमुख़्तार)

मसअ्ला.63:– एक शख़्स ने दूसरे से मसलन हज़ार रूपये क़र्ज़ माँगे और कोई चीज़ रेहन के लिये देदी और अभी क़र्ज़ उसने नहीं दिया है कि चीज़ हलाक होगई यहाँ देखा जायेगा कि क़र्ज़ और उस चीज़ की क़ीमत कौन कम है जो कम है उसी के बदले में वह चीज़ हुई यानी वह चीज़ ग्यारह सौ की थी तो एक हज़ार मुरतहिन को उसके मुआवज़े में देने होंगे और नौ सौ की थी तो नौ सौ, और अगर राहिन ने यह कहा कि यह चीज़ रखलो और मुझे क़र्ज़ देदो मगर कर्ज़ की कोई रक़म बयान नहीं की थी और चीज़ हलाक होगई तो कुछ तावान नहीं। (रद्दुलमुख़्तार)

ख़्यारे रूयत का बयान

कभी ऐसा होता है कि चीज़ को बिग़ैर देखे भाले ख़रीद लेते हैं और देखने के बाद वह चीज़ ना'पसन्द होती है ऐसी हालत में शरअ् मुतह्हरा ने मुश्तरी को यह इख़्तेयार दिया है कि अगर देखने के बाद चीज़ को न लेना चाहे तो बैअ् को फ़स्ख़ करदे उसको ख़्यारे रूयत कहते हैं। दारे कुत्नी व बैहक़ी अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि फ़रमाया जिसने ऐसी चीज़ ख़रीदी जिसको देखा न हो तो देखने के बाद उसे इख़्तेयार है ले या छोड़ दे, इस ह़दीस की सनद ज़ईफ़ है मगर ह़दीस को खुद इमामे आज़म अबू ह़नीफ़ा रदियल्लाहु तआला अन्हु ने भी रिवायत किया है और उसकी सनद सहीह है नीज़ यह कि हज़रत उसमाने ग़नी रदियल्लाहु तआला अन्हु ने तलहा बिन उबैदुल्ला रदियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ अपनी ज़मीन जो बसरा में थी बैअ् की थी किसी ने तलहा रदियल्लाहु तआला अन्हु से कहा आप को इस बैअ् में नुक़सान है उन्होंने कहा मुझे इस बैअ् में ख़्यार है कि बिग़ैर देखे मैंने ख़रीदी है और हज़रत उसमान से भी किसी ने कहा आपको इस बैअ् में टोटा है उन्होंने भी फ़रमाया मुझे ख़्यार है क्योंकि मैंने बिग़ैर देखे बैअ् करदी है इस मामले में दोनों साहिबों ने जुबैर बिन मुतअिम रदियल्लाहु तआला अन्हु को हकम बनाया उन्होंने तलहा रदियल्लाहु तआला अन्हु के मुवाफिक़ फ़ैसला किया यह वाक़िआ गिरोहे सहाबा के सामने हुआ किसी ने इस पर इन्कार न किया लिहाज़ा बमन्ज़िले इजमाअ् के इसको तसव्वुर करना चाहिये। (हिदाया, तबयीन, दुरर, गुरर)

मसअ्ला.1:– बाइअ् ने ऐसी चीज़ बेची जिसको उसने देखा नहीं मसलन उसको मीरास में कोई शय मिली है और बे देखे बेच डाली बैअ् सहीह है और उसको यह इख़्तेयार नहीं कि देखने के बाद बैअ् को फ़स्ख़ करदे। (दुरर, गुरर)

मसअ्ला.2:– जिस मज्लिस में बैअ् हुई उसमें मबीअ् मौजूद है मगर मुश्तरी ने देखी नहीं मसलन पीपे में घी या तेल था, बोरियों में ग़ल्ला था, या गठरी में कपड़ा था और खोलकर देखने की नोबत नहीं आई या वहाँ मबीअ् मौजूद न हो इस वजह से नहीं देखी बहर हाल देखने के बाद ख़रीदार को ख़्यार हासिल है चाहे मबीअ् बैअ् को जाइज़ करे या फ़स्ख़ करदे, मबीअ् को बाइअ् ने जैसा बताया था वैसी ही है या उसके ख़िलाफ़ दोनों सूरतों में देखने के बाद बैअ् को फ़स्ख़ कर सकता है। (दुरर)

मसअ्ला.3:– अगर मुश्तरी ने देखने से पहले अपनी रज़ा'मन्दी का इज़हार किया या कह दिया कि मैंने अपना ख़्यार बातिल कर दिया जब भी देखने के बाद फ़स्ख़ करने का हक़ हासिल है कि यह ख़्यार ही देखने के वक़्त मिलता है देखने से पहले ख़्यार था ही नहीं लिहाज़ा उसको बातिल करने के कोई मअ्ना नहीं। (हिदाया)

मसअ्ला.4:– ख़्यारे रूयत के लिये किसी वक़्त की तहदीद (हद) नहीं है कि उसके गुज़रने के बाद ख़्यार बाक़ी न रहे बल्कि यह ख़्यार देखने पर है जब देखे। (दुरर) और देखने के बाद फ़स्ख़ का हक़ उस वक़्त तक बाक़ी रहता है जब तक सराहतन या दलालतन रज़ा'मन्दी न पाई जाये। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.5:– ख़्यारे रूयत चार मक़ाम में साबित होता है, (1)किसी शय मुअय्यन की ख़रीदारी, (2)इजारा (3)तक़सीम, (4)माल का दावा था और शय मुअय्यन पर मुसालहत होगई, अगर क़िसास का दअ्वा हो और किसी शय पर मुसालहत हुई तो ख़्यारे रूयत नहीं दैन में ख़्यारे रूयत नहीं लिहाज़ा मुसलम फ़ी चूंकि ऐन नही बल्कि दैन यानी वाजिब फ़िज़्ज़िम्मा है। (जिसका बयान इन्शाअल्लाह आयेगा) इस में ख़्यारे रूयत नहीं, रूपये और अशर्फ़ियों में भी कि यह अज़ क़बीले दैन हैं ख़्यारे रूयत नहीं, हाँ अगर सोने चांदी के बर्तन हों तो ख़्यारे रूयत है, बैअ़े सलम का रासुल'माल अगर ऐन हो तो मुसलम इलैह के लिये ख़्यारे रूयत साबित होगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.6:– अजनासे मुख़्तलिफ़ा (अलग अलग क़िस्म की चीज़ें) की तक़सीम अगर शुरका में हुई तो इसमें ख़्यारे रूयत, ख़्यारे शर्त, ख़्यारे ऐब तीनों हो सकते हैं। और ज़वातुलअम्साल की तक़सीम में सिर्फ़ ख़्यारे ऐब होगा बाक़ी दोनों नहीं होंगे, और ज़वातुलअम्साल जब एक जिन्स के हों मसलन एक क़िस्म के कपड़े या गायें या बकरियां इन में भी तीनों ख़्यार साबित होंगे। (रद्दुलमुहतार)

मसअला.7:– जो अ़क्द फ़स्ख़ करने से फ़स्ख़ न हो जैसे महर और क़िसास का बदले सुलह और बदले खुलअ् यह चीज़ें अगरचे ऐन हों इनमें ख़्यारे रूयत साबित नहीं। (फ़तह)

मसअला.8:– बे देखी हुई चीज़ ख़रीदी है देखने से पहले भी उसकी बैअ् फ़स्ख़ कर सकता है क्योंकि यह बैअ् मुश्तरी के ज़िम्मे लाज़िम नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.9:– अगर मुश्तरी ने मबीअ् पर क़ब्ज़ा कर लिया और देखने के बाद सराहतन या दलालतन अपनी रज़ा'मन्दी ज़ाहिर की या उसमें कोई ऐब पैदा होगया या ऐसा तसर्रूफ़ कर दिया जो क़ाबिले फ़स्ख़ नहीं है मसलन आज़ाद कर दिया या उस में दूसरे का हक़ पैदा होगया मसलन दूसरे के हाथ बिला शर्ते ख़्यार बैअ् कर दिया या रेहन (गिरवीं रखना) रख दिया या इजारा (किराये पर देना) पर दे दिया इन सब सूरतों में ख़्यारे रूयत जाता रहा अब बैअ् को फ़स्ख़ नहीं कर सकता और अगर उसको बैअ् किया मगर अपने लिये ख़्यारे शर्त कर लिया या बेचने के लिये उसका नर्ख़ किया या हिबा किया मगर क़ब्ज़ा नहीं दिया और यह बातें देखने के बाद हुईं तो दलालतन रज़ा'मन्दी पाई गई अब बैअ् को फ़स्ख़ नहीं कर सकता और देखने से पहले हुईं तो ख़्यार बाक़ी है देखने के बाद मबीअ् पर क़ब्ज़ा कर लेना भी दलीले रज़ा'मन्दी है। (आलमगीरी, रद्दुलमुख़्तार)

मसअला.10:– मबीअ् पर क़ब्ज़ा करके देखने से पहले बैअ् करदी फिर ऐब की वजह से मुश्तरी–ए–सानी ने वापस करदी अगरचे यह वापसी क़ज़ा–ए–क़ाज़ी से हो या रेहन रखने के बाद उसे छुड़ा लिया या इजारा किया था उसे तोड़ दिया तो ख़्यारे रूयत जो उन तसर्रूफ़ात की वजह से जा चुका था वापस न होगा। (आलमगीरी)

मसअला.11:– मबीअ् का कोई जुज़ उसके हाथ से निकल गया या उसमें कमी या ज़्यादती हुई चाहे ज़्यादते मुत्तसिला हो या मुन्फ़सिला ख़्यार बातिल होगया। (आलमगीरी)

मसअला.12:– बे देखे हुए खेत ख़रीदा और उसको आरियत देदिया या मुस्ताजिर ने उसे बोया ख़्यारे रूयत बातिल होगया और अगर मुसतईर ने अब तक बोया नहीं तो ख़्यार साक़ित नहीं, और अगर उस खेत का कोई काश्तकार अजीर है जिसने मुश्तरी की रज़ा'मन्दी से काश्त की यानी मुश्तरी ने उसे पहली हालत पर छोड़ दिया मना न किया जब भी ख़्यार साक़ित होगया, कपड़ों की एक गठरी ख़रीदी उनमें से एक को पहन लिया ख़्यारे रूयत बातिल होगया। (रद्दुलमुहतार, आलमगीरी)

मसअला.13:– एक मकान ख़रीदा जिसको देखा नहीं उसके पड़ोस में एक मकान फ़रोख़्त हुआ उसने शुफ़अ़ा में उसे ले लिया उसके बाद भी पहले मकान के मुतअ़ल्लिक ख़्यारे रूयत बाक़ी है देखने के बाद चाहे तो बैअ् को फ़स्ख़ कर सकता है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.14:– मुश्तरी ने जब तक ख़्यारे रूयत साक़ित न किया हो बाइअ् समन का उस से मुतालबा नहीं कर सकता। (फ़तह)

मसअ्ला.15:– मुश्तरी ख़रीदने के बाद मरगया तो वुरसा को मीरास में ख़्यारे रूयत हासिल न होगा यानी वुरसा को यह हक़ न होगा कि बैअ् को फ़स्ख़ करदें। (आलमगीरी)

मसअ्ला.16:– जिस चीज़ को पहले देख चुका है अगर उस में कुछ तग़य्युर (तब्दीली) पैदा हो गया है तो ख़्यारे रूयत हासिल है और अगर वैसी ही है तो ख़्यार हासिल नहीं हाँ अगर वक़्ते अक़्द उसे यह मालूम न हो कि वही चीज़ है जिसे मैं ख़रीदता हूँ तो ख़्यार हासिल होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.17:– बाइअ् कहता है कि यह चीज़ वैसी ही है जैसी तूने देखी थी उसमें तग़य्युर नहीं आया है और मुश्तरी कहता है कि उसमें तग़य्युर आगया तो मुश्तरी को गवाह से साबित करना पड़ेगा कि तग़य्युर आगया है गवाह न पेश करे तो क़सम के साथ बाइअ् का क़ौल मोअ्तबर होगा यह उस सूरत में है कि मुश्तरी को देखने को ज़्यादा जमाना गुज़रा हो और मालूम हो कि इतने जमाने में उमूमन ऐसी चीज़ में तग़य्युर नहीं होता और अगर इतना ज़्यादा ज़माना गुज़र गया है कि आदतन तग़य्युर ऐसी चीज़ में हो ही जाता है मसलन लोन्डी है जिसको देखे हुये बीस बर्ष का ज़माना गुज़र चुका है और वह उस वक़्त जवान थी तो मुश्तरी की बात मानी जायेगी, बाइअ् कहता है ख़रीदने के वक़्त तूने देख लिया था मुश्तरी कहता है नहीं देखा था तो क़सम के साथ मुश्तरी की बात मानी जायेगी। (आलमगीरी)

मसअ्ला.18:– ज़िब्ह की हुई बकरी की कलेजी ख़रीदी मगर अभी उसकी खाल नहीं निकाली गई है तो बैअ् सहीह है और बाइअ् पर लाज़िम है कि कलेजी निकाल कर दे और मुश्तरी को ख़्यारे रूयत हासिल होगा और अगर बकरी अभी ज़िबह नहीं हुई है तो कलेजी की बैअ् दुरूस्त नहीं अगरचे बाइअ् कहता है कि मैं ज़िब्ह करके निकाल देता हूँ। (आलमगीरी)

मसअ्ला.19:– बाइअ् दो थान अलग–अलग दो कपड़ों में लपेट कर लाया और मुश्तरी से कहता है यह वही दोनों थान हैं जिनको तुमने कल देखा था मुश्तरी ने कहा इस थान को दस रूपये में ख़रीदा और उसको दस रूपये में ख़रीदा और ख़रीदते वक़्त नहीं देखा तो ख़्यारे रूयत हासिल नहीं और अगर दोनों मुख़्तलिफ़ दामों से ख़रीदे तो ख़्यार हासिल है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.20:– दो कपड़े ख़रीदे और दोनों को देखकर एक की निस्बत कहता है यह मुझे पसन्द है उससे ख़्यार बातिल नहीं हुआ और अभी ख़्यार बदस्तूर बाक़ी है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.21:– दो शख़्सों ने एक चीज़ ख़रीदी दोनों ने उसे देखा नहीं था अब देखकर एक ने रज़ामन्दी ज़ाहिर की दूसरा वापस करना चाहता है वह तनहा वापस नहीं कर सकता दोनों मुत्तफ़िक़ होकर वापस करना चाहें वापस कर सकते हैं और अगर एक ने देखा था एक ने नहीं जिसने नहीं देखा था देखकर वापस करना चाहता है जब भी दोनों मुत्तफ़िक़ होकर वापस कर सकते हैं और अगर उसके देखने से पहले ही देखने वाले ने कह दिया कि मैं राज़ी हूँ मैंने बैअ् को नाफ़िज़ कर दिया तो दूसरे का ख़्यार बातिल नहीं होगा मगर पूरी मबीअ् वापस करनी होगी।(आलमगीरी)

मसअ्ला.22:– एक थान देखा था बाक़ी नहीं देखे थे और सब ख़रीद लिये तो ख़्यार है मगर वापस करना चाहे तो सब वापस करे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.23:– ख़्यारे रूयत की वजह से बैअ् फ़स्ख़ करने में न क़ाज़ी की क़ज़ा दरकार है न बाइअ्की रज़ामन्दी की हाजत। (आलमगीरी)

मसअ्ला.24:– मुश्तरी ने ऐन (अस्ल चीज़) में कोई ऐसा तसर्रूफ़ किया जिससे उसमें नुक़सान पैदा हो जाये और उसको इल्म न था कि यह वही चीज़ है जो मैंने ख़रीदी है मसलन भेड़ की ऊन तराश ली या कपड़े को पहना जिससे उसमें नुक़सान आगया तो ख़्यार जाता रहा, मुश्तरी ने बे देखे चीज़ ख़रीदी बाइअ् ने वही चीज़ मुश्तरी के पास अमानत रखदी और मुश्तरी को यह मालूम न हुआ कि यह वही चीज़ है फिर वह चीज़ मुश्तरी के पास हलाक होगई तो मुश्तरी का क़ब्ज़ा होगया और समन देना पड़ेगा और मुश्तरी ने अपना क़ब्ज़ा करके बाइअ् के पास अमानत रखदी और अभी तक

अपनी रज़ा'मन्दी ज़ाहिर नहीं की है और हलाक होगई जब भी मुश्तरी को समन देना पड़ेगा(आलमगीरी)

मसअ्ला.25:– मौज़े या जूते ख़रीदे थे मुश्तरी सो रहा था बाइअ् ने उसे सोते में पहना दिया और वह उठा पहने हुए चला अगर उस चलने से कुछ नुक़सान आगया ख़्यार बातिल होगया। (आलमगीरी)

मसअ्ला.26:– मुर्गी ने मोती निगल लिया उसे मोती के साथ बेचना चाहे तो बैअ् दुरूस्त नहीं अगरचे मुश्तरी ने मोती देखा हो और मुर्गी मरगई और मोती को बेचा तो बैअ् सहीह है और मुश्तरी ने मोती न देखा हो तो ख़्यारे रूयत हासिल है। (ख़ानिया)

मसअ्ला.27:– ख़्यार की वजह से बैअ् फ़स्ख़ करने में यह शर्त है कि बाइअ् को फ़स्ख़ का इल्म हो जाये क्योंकि अगर ऐसा न हुआ तो वह यही समझता रहा कि बैअ् होगई और दुसरा ग्राहक नहीं तलाश करेगा और उसमें उसके नुक़सान का एहतिमाल (शक) है। (दुर्रेमुख़्तार)

मबीअ् में क्या चीज़ देखी जायेगी

मसअ्ला.28:– मबीअ् के देखने से यह मतलब नहीं कि वह पूरी पूरी देख ली जाये उसका कोई जुज़ देखने से रह न जाये बल्कि यह मुराद है कि वह हिस्सा देख लिया जाये जिसका मक़सूद के लिये देखना ज़रूरी था मसलन मबीअ् बहुत सी चीज़ें हैं और उनके अफ़राद में तफ़ावुत (फ़र्क़) न हो सब एक सी हों जैसी कैली और वज़नी चीज़ें जिसका नमूना पेश किया जाता हो यहाँ बाज़ का देखना काफ़ी है मसलन ग़ल्ला की ढेरी है उसका ज़ाहिरी हिस्सा देख लिया काफ़ी है हाँ अगर अन्दुरूनी हिस्सा वैसा न हो बल्कि ऐबदार हो तो ख़्यारे रूयत और ख़्यारे ऐब दोनों मुश्तरी को हासिल हैं और अगर ऐबदार न हो कम दर्जा का हो जब भी ख़्यारे रूयत हासिल है अगर्चे ख़्यारे ऐब नहीं, यूँही चन्द बोरियों में ग़ल्ला भरा हुआ है एक में से देख लेना काफ़ी है जबकि बाक़ियों का उससे कम दर्जा का न हो। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.29:– मुश्तरी कहता है कि बाक़ी वैसा नहीं जैसा मैंने देखा था और बाइअ् कहता है वैसा ही है अगर नमूना मौजूद हो अहले बसीरत को दिखाया जाये वह जो कहें वही मोअ्तबर है और नमूना मौजूद न हो तो मुश्तरी को गवाह लाना पड़ेगा वरना बाइअ् का क़ौल मोअ्तबर है, यह उस वक़्त है कि ग़ल्ला वहीं मौजूद हो बोरियों में भरा हुआ हो और अगर ग़ल्ला वहाँ न हो बाइअ् ने नमूना पेश किया और बैअ् होगई और नमूना ज़ाएअ् होगया फिर बाइअ् बाक़ी ग़ल्ला लाया और यह इख़्तिलाफ़ पैदा हुआ तो मुश्तरी का क़ौल मोअ्तबर है। (रद्दुलमुख़्तार)

मसअ्ला.30:– लोन्डी, गुलाम में चेहरे का देखना काफ़ी है और अगर बाक़ी आज़ा देखे चेहरा नहीं देखा तो काफ़ी नहीं, इन में हाथ, ज़बान, दांत, बालों का देखना शर्त नहीं। (दुर्रेमुख़्तार, वग़ैरा)

मसअ्ला.31:– सवारी के जानवर में चेहरा और पुट्ठे देखना काफ़ी है सिर्फ़ चेहरा देखना काफ़ी नहीं पांव और सुम और दुम और अयाल (हर चौपाय खुसूसन गर्दन की पुश्त पर लटके हुए बाल) देखना ज़रूरी नहीं। (आलमगीरी, दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.32:– पालने के लिये बकरी ख़रीदता है उसका तमाम बदन और थन का देखना ज़रूरी है यूँही गाय, भैंस, दूध के लिये ख़रीदता है तो थन का देखना ज़रूरी है और गोश्त के लिये बकरी ख़रीदता है तो उसे टटोलना ज़रूरी है दूर से देखली है जब भी ख़्यारे रूयत हासिल होगा(आलमगीरी)

मसअ्ला.33:– कपड़ा अगर इस क़िस्म का हो कि अन्दर बाहर सब यकसां हो जैसे मल'मल, लट्ठा, मारकीन, सरज, कश्मीरह वग़ैरह जिनका नमूना पेश किया जाता है तो थान को उपर से देख लेना काफ़ी है खोलकर अन्दर से देखने की ज़रूरत नहीं बल्कि ऐसे कपड़ों में एक थान का देख लेना काफ़ी है सब थानों को देखने की ज़रूरत नहीं अलबत्ता अगर अन्दर ख़राब निकले या ऐब हो तो ख़्यारे रूयत या ख़्यारे ऐब हासिल होगा, अगर मबीअ् मुख़्तलिफ़ क़िस्म के थान हों तो हर एक क़िस्म का एक एक थान देख लेना ज़रूर है और उस क़िस्म का हो कि सब हिस्सा एक तरह का न हो जैसे चिकन, और गुल'बदन के थान कि ऊपर परत में बूटियाँ ज़्यादा होती हैं और अन्दर

कम तो खोल कर सब तहें देखी जायेंगी सिर्फ़ ऊपर की परत देखना काफ़ी नही। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.34:– कालीन के ऊपर का रूख़ देख लेना ज़रूर है नीचे का रूख़ देखने से ख़्यारे रूयत बातिल न होगा और दरी और दीगर फ़ुरूश में कुल देखना ज़रूरी है, रज़ाई लिहाफ़ और जुब्बा या कोट जिस में अस्तर हो अबरा देखना ज़रूरी है अस्तर देखना काफ़ी नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.35:– मकान में अन्दर बाहर नीचे ऊपर पाख़ाना, बावर्चीख़ाना सबका देखना ज़रूरी है क्योंकि उनके मुख़्तलिफ़ होने में क़ीमत मुख़्तलिफ़ हो जाया करती है बाग़ में भी बाहर से देख लेना काफ़ी नहीं अन्दुरूनी हिस्सा भी देखना ज़रूरी है और मुख़्तलिफ़ क़िस्म के दरख़्त हों तो हर एक क़िस्म के दरख़्त देखना और फलों का शीरीं व तुरूश (मीठा और खट्टा) मालूम कर लेना भी ज़रूरी है।(दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.36:– खाने की चीज़ हो तो चखना काफ़ी है और सूंघने की हो तो सूंघना चाहिये जैसे इत्र, खुश्बूदार तेल। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.37:– अ़ददयाते मुतक़ारेबा (जो चीजें गिनकर बेची जाती हैं और उनमें ज़्यादा फ़र्क नहीं होता) मस्लन अण्डे, अख़रोट इनमें बाज़ का देख लेना काफ़ी है जबकि बाक़ी उससे ख़राब और कम दर्जे के न हों जो चीजें जमीन के अन्दर हों जैसे लहसुन, प्याज़, गाजर, आलू, जो चीजें तोलकर बेची जाती हैं उनमें खोदकर थोड़े से देखना काफ़ी है जबकि बाक़ी उससे कम दर्जे के न हों यह जबकि बाइअ् ने खोदकर दिखाये या मुश्तरी ने बाइअ् की इजाज़त से खोदे और अगर मुश्तरी ने बिला इजाजते बाइअ् खोद लेने और इतना खोदे जिनका कुछ समन हो तो ख़्यारे रूयत साक़ित होगया और अगर वह चीज़ गिन्ती से बिकती हो जैसे मूली तो बाज़ का देखना काफ़ी नहीं जबकि बाइअ् ने उखाड़ीं और वह इतनी हैं जिनका कुछ समन है तो ख़्यार साक़ित होगया। (ख़ानिया)

मसअ्ला.38:– ऐसी चीज़ जो ज़मीन में है बैअ् की बाइअ् कहता है अगर मैं खोदकर निकालता हूँ और तुम ना पसन्द करदो तो मेरा नुक़सान होगा और मुश्तरी कहता है अगर बिग़ैर तुम्हारी इजाज़त मैं खोदता हूँ और मेरे काम की न हुई तो फेर न सकूँगा और बैअ् लाज़िम होजायेगी ऐसी सूरत में अगर दोनों में कोई अपना नुक़सान गवारा करने के लिये तैयार होजाये तो ठीक वरना काजी बैअ् को फ़स्ख़ कर देगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.39:– शीशी में तेल था और शीशी को देखा तो यह हक़ीक़तन तेल का देखना नहीं कि शीशा हायल है यूँही आईना देख रहा है और मबीअ् की सूरत उसमें दिखाई दी तो मबीअ् का देखना नहीं है और अगर मछली पानी में है जो बिला तकल्लुफ़ पकड़ी जा सकती है उसको ख़रीदा और पानी ही में उसे देख लिया बअ्ज़ों के नज़्दीक ख़्यारे रूयत बाक़ी न रहेगा कि मबीअ् देख ली और बअ्ज़ फुक़हा कहते हैं कि ख़्यार बाक़ी है क्योंकि पानी में अस्ली हालत मालूम नहीं होगी जितनी है उससे बड़ी मालूम होगी। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.40:– मुश्तरी ने किसी को क़ब्ज़ा के लिये वकील किया तो वकील का देखना काफ़ी है वकील ने देखकर पसन्द कर लिया तो न वकील को फ़स्ख़ का इख़्तेयार रहा न मोअक्किल (वकील बनाने वाले) को यह उस वक़्त है कि क़ब्ज़ा करते वक़्त वकील ने मबीअ् को देखा और अगर क़ब्ज़ा करते वक़्त वह चीज़ छुपी हुई थी बाद में उसे खोलकर देखा ताकि मुश्तरी का ख़्यार बातिल हो जाये तो यह देखना और पसन्द करना मुश्तरी के ख़्यार को बातिल न करेगा कि क़ब्ज़ा करने से उसकी वकालत ख़त्म होगई देखने का हक़ बाक़ी न रहा और अगर ख़रीदने के लिये वकील किया है तो वकील का देखना काफ़ी है कि वकील ने देखकर पसन्द कर लिया या ख़रीदने से पहले वकील ने देख लिया तो अब न वकील फ़स्ख़ कर सकता है न मुअक्किल यह उस सूरत में है कि ग़ैर मुअय्यन चीज़ ख़रीदने का वकील हो। और अगर मुअक्किल ने ख़रीदने के लिये चीज़ को मुअ़य्यन कर दिया हो कि फ़ुलाँ चीज़ मसलन फ़ुलाँ गुलाम या फ़ुलाँ गाय या बकरी तो वकील को ख़्यारे रूयत हासिल नहीं। (हिदाया, आलमगीरी, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.41:– एक शख़्स ने एक चीज़ ख़रीदी मगर देखी नहीं दुसरे शख़्स को उसके देखने का वकील किया कि देखकर पसन्द करे या ना'पसन्द करे वकील ने देखकर पसन्द करली बैअ् लाज़िम होगई और ना'पसन्द की तो फ़स्ख़ कर सकता है। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.42:– किसी शख़्स को मुश्तरी ने क़ब्ज़ा के लिये क़ासिद बनाकर भेजा यानी उससे कहा कि बाइअ् के पास जाकर कह कि मुश्तरी ने मुझे भेजा है कि मबीअ् मुझे देदे इसका देखना काफ़ी नहीं यानी मुश्तरी अगर देखकर ना'पसन्द करे तो बैअ् को फ़स्ख़ कर सकता है।(दुर्रेमुख़्तार) वकील ने मबीअ् को वकालत से पहले देखा उसके बाद वकील होकर ख़रीदा तो उसे ख़्यारे रूयत हासिल होगा(आलमगीरी)

मसअ्ला.43:– अन्धे की बैअ् व शिरा (ख़रीद व फ़रोख़्त) दोनों जाइज़ हैं अगर किसी चीज़ को बेचेगा तो ख़्यार हासिल न होगा और ख़रीदेगा तो ख़्यार हासिल होगा और मबीअ् उलट पलट कर टटोलना देखने के हुक्म में है कि टटोल लिया और पसन्द कर लिया तो ख़्यार साक़ित होगया और खाने की चीज़ का चखना और सूँघने की चीज़ का सूँघना काफ़ी है और जो चीज़ न टटोलने से मालूम हो न चखने से न सूँघने से जैसे ज़मीन मकान, दरख़्त, लोन्डी, गुलाम वहाँ उस चीज के औसाफ़ (ख़ूबियाँ) बयान करने होंगे जो औसाफ़ बयान कर दिये गये मबीअ् उनके मुताबिक़ है तो फ़स्ख़ नहीं कर सकता वरना फ़स्ख़ कर सकता है अन्धा मुश्तरी यह भी कर सकता है कि किसी को क़ब्ज़ा या ख़रीदने के लिये वकील करदे वकील का देख लेना उसके कायम मक़ाम हो जायेगा अन्धा किसी चीज़ को अपने लिये ख़रीदे या या दूसरे के लिये मसलन किसी ने अन्धे को वकील कर दिया दोनों सूरतों में ख़्यार हासिल होगया। (आलमगीरी, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.44:– अन्धे के लिये मबीअ् के औसाफ़ (अच्छाई, बुराई) बयान कर दिये गये या उसने टटोलकर मालूम कर लिया और चीज़ पसन्द करली फिर वह बीना होगया तो अब उसे ख़्यारे रूयत हासिल नहीं होगा कि जो ख़्यार उसे हासिल था ख़त्म कर चुका, अँखयारे ने ख़रीदी थी और मबीअ् को देखने से पहले नाबीना होगया तो अब उसके लिये वही हुक्म है जो उस मुश्तरी का है कि ख़रीदते वक्त नाबीना था। (आलमगीरी)

मसअ्ला.45:– शय मुअ़य्यन की शय मुअ़य्यन (ख़ास चीज़ की ख़ास चीज़ से बैअ्) से बैअ् हुई मस्लन किताब को कपड़े के बदले में बैअ् किया तो ऐसी सूरत में बाइअ् व मुश्तरी दोनों को ख़्यारे रूयत हासिल है क्योंकि यहाँ दोनों मुश्तरी भी हैं। (दुर्रेमुख़्तार)

ख़्यारे ऐब का बयान

हदीस् (1) इब्ने माजा ने वासिला रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायतत की कि हुज़ूर ने फ़रमाया "जिसने ऐब वाली चीज़ बैअ् की और उसको ज़ाहिर न किया वह हमेशा अल्लाह तआ़ला की नाराज़गी में है" या फ़रमाया कि "फ़रिश्ते उस पर लानत करते हैं"।

हदीस (2) इमाम अह़मद व इब्ने माजा व हाकिम ने उ़क़बा बिन आमिर रदियल्लहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि हुज़ूर ने इरशाद फ़रमाया "एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है और जब मुसलमान अपने भाई के हाथ कोई चीज़ बेचे जिस में ऐब हो तो जब तक बयान न करे उसे बेचना हलाल नहीं"।

हदीस् (3) सहीह मुस्लिम में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि हुज़ूर अक़्दस स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व सल्लम ग़ल्ला की ढेरी के पास गुज़रे उसमें हाथ डाल दिया हुज़ूर को उंगली में तरी महसूस हुई इरशाद फ़रमाया "ऐ ग़ल्ला वाले यह क्या है" उसने अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह इस पर बारिश का पानी पड़ गया था इरशाद फ़रमाया कि "तूने भीगे हुए को ऊपर क्यों नहीं कर दिया कि लोग देखते जो धोखा दे वह हम में से नहीं"।

हदीस (4) शरहे सुन्ना में मुख़ल्लद बिन ख़फ़्फ़ाफ़ से मरवी है वह कहते हैं मैंने एक गुलाम ख़रीदा

था और उसको किसी काम में लगा दिया था फिर मुझे उसके ऐब पर इत्तिला हुई उसका मुक़द्दमा मैंने उमर बिन अब्दुलअज़ीज़ रदियल्लाहु तआला अन्हु के पास पेश किया उन्होंने यह फ़ैसला किया कि गुलाम को मैं वापस करदूँ और जो कुछ आमदनी हुई हो वह भी वापस कर दूँ फिर मैं उरवा से मिला और उनको वाक़िआ सुनाया उन्होंने कहा शाम में उमर बिन अब्दुल अज़ीज के पास जाऊँगा उनसे जाकर यह कहा कि मुझको आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हा ने यह ख़बर दी है कि ऐसे मुआमले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने यह फ़ैसला फ़रमाया है कि आमदनी ज़मान के साथ है यानी जिसके ज़मान में चीज़ हो वही आमदनी का मुस्तहिक़ है यह सुनकर उमर बिन अब्दुल अज़ीज ने यह फ़ैसला किया कि आमदनी मुझे वापस मिले।

हदीस (5) दारे क़ुतनी व हाकिम व बैहक़ी अबू सईद रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "न ख़ुद को ज़रर पहुँचने दे न दूसरे को ज़रर पहुँचाये जो दूसरे को ज़रर पहुँचायेगा अल्लाह तआला उसको ज़रर देगा और जो दूसरे पर मशक्क़त डालेगा अल्लाह तआला उसपर मशक़्क़त डालेगा"।

हदीस (6) बैहक़ी अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि इरशाद फ़रमाया बेचने के लिये जो दूध हो उस में पानी न मिलाओ एक शख़्स (अगली उम्मतों में से जब कि शराब हराम न थी) एक बस्ती में शराब लेगया पानी मिलाकर उसे दो चन्द (दोगुना) कर दिया फिर उसने एक बन्दर ख़रीदा और दरिया का सफ़र किया जब पानी की गहराई में पहुँचा बन्दर अशर्फ़ियों की थैली उठाकर मस्तूल पर चढ़ गया, और थैली खोलकर एक अशरफ़ी पानी में फेंकता और एक कश्ती में इस तरह उसने अशर्फ़ियों की निस्फ़ निस्फ़ करदीं।

मसाइले फ़िक़हिय्या :– उर्फ़े शरअ् में ऐब जिसकी वजह से मबीअ् को वापस कर सकते हैं वह है जिससे ताजिरों की नज़र में चीज़ की क़ीमत कम हो जाये।

मसअ्ला.1:– मबीअ् में ऐब हो तो उसका ज़ाहिर कर देना बाइअ् पर वाजिब है छुपाना हराम व गुनाहे कबीरा है यूँही समन का ऐब मुश्तरी पर ज़ाहिर कर देना वाजिब है अगर बिग़ैर ऐब ज़ाहिर किये चीज़ बैअ् करदी तो मालूम होने के बाद वापस कर सकते हैं उसको ख़्यारे ऐब कहते हैं ख़्यारे ऐब के लिये यह ज़रूरी नहीं कि वक़्ते अक़्द यह कहदे कि ऐब होगा तो फेर देंगे कहा हो या न कहा हो बहर हाल ऐब मालूम होने पर मुश्तरी को वापस करने का हक़ हासिल होगा लिहाज़ा अगर मुश्तरी को न ख़रीदने से पहले ऐब पर इत्तिला थी न वक़्ते ख़रीदारी उसके इल्म में यह बात आई बाद में मालूम हुआ कि इस में ऐब है थोड़ा ऐब हो या ज़्यादा ख़्यारे ऐब हासिल है कि मबीअ् को लेना चाहे तो पूरे दाम पर लेले वापस करना चाहे वापस करदे यह नहीं होसकता कि वापस न करे बल्कि दाम कम करदे। (आलमगीरी)

ख़्यारे ऐब के शराइत

मसअ्ला.2:– ऐब पर मुश्तरी को इत्तिला क़ब्ज़ा से पहले ही होगई तो मुश्तरी बतौरे ख़ुद अक़्द को फ़स्ख़ कर सकता है उसकी ज़रूरत नहीं कि क़ाज़ी फ़स्ख़ का हुक्म दे तो फ़स्ख़ होसके बाइअ् के सामने इतना कहदेना काफ़ी है कि मैंने अक़्द को फ़स्ख़ करदिया या रद करदिया या बातिल कर दिया बाइअ् राज़ी हो या न हो अक़्द फ़स्ख़ होजायेगा और अगर मबीअ् पर क़ब्ज़ा कर चुका है तो बाइअ् की रज़ामन्दी या क़ज़ाये क़ाज़ी के बिग़ैर (क़ाज़ी के फ़ैसले के बिग़ैर) अक़्द फ़स्ख़ नहीं हो सकता। (हिदाया, आलमगीरी)

ऐब की सूरते

मसअ्ला.3:– मुश्तरी ने मबीअ् पर क़ब्ज़ा कर लिया था फिर ऐब मालूम हुआ और बाइअ् की रज़ामन्दी से अक़्द फ़स्ख़ हुआ तो उन दोनों के हक़ में फ़स्ख़ है मगर तीसरे के हक़ में यह फ़स्ख़ नहीं बल्कि बैऐ जदीद (नई ख़रीद व फ़रोख़्त) है कि उस फ़स्ख़ के बाद अगर मबीअ् मकान या ज़मीन

है तो शुफ़आ करने वाला शुफ़आ कर सकता है और अगर क़ज़ाये क़ाज़ी से फ़स्ख़ हुआ तो सब के हक़ में फ़स्ख़ ही है शुफ़आ का हक़ नहीं पहुँचेगा। (हिदाया)

मसअ्ला.4:– ख़्यारे ऐब की सूरत में मुश्तरी मबीअ् का मालिक होजाता है मगर मिल्क लाज़िम नहीं होती और उसमें वरासत भी जारी होती है यानी अगर मुश्तरी को ऐब का इल्म न हो और मर गया और वारिस को ऐब पर इत्तिला हुई तो उसे ऐब की वजह से फ़स्ख़ का हक़ हासिल होगा, ख़्यारे ऐब के लिये किसी वक़्त की तहदीद (हद लगाना) नहीं जब तक मवानेअ् रद (रद करने की रोकने की वजह) न पाये जायें (जिनका बयान आयेगा) यह हक़ बाक़ी रहता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.5:– ख़्यारे ऐब के लिये यह शर्त है कि, (1)मबीअ् में वह ऐब अक़्दे बैअ् के वक़्त (ख़रीद व फ़रोख़्त तय होने के वक़्त) मौजूद हो या बादे अक़्द मुश्तरी के क़ब्ज़ा से पहले पैदा हो लिहाज़ा मुश्तरी के क़ब्ज़ा करने के बाद जो ऐब पैदा हो उसकी वजह से ख़्यार हासिल न होगा, (2)मुश्तरी ने क़ब्ज़ा कर लिया हो तो उसके पास भी वह ऐब बाक़ी रहे अगर यहाँ वह ऐब न रहा तो ख़्यार भी नहीं, (3)मुश्तरी को अक़्द या क़ब्ज़ा के वक़्त ऐब पर इत्तिला न हो ऐबदार जानकर लिया या क़ब्ज़ा किया ख़्यार न रहा। (4)बाइअ् ने ऐब से बराअत न की हो अगर उसने कह दिया कि मैं उसके किसी ऐब का ज़िम्मेदार नहीं ख़्यार साबित नहीं। (आलमगीरी,वग़ैरह)

मसअ्ला.6:– लोन्डी, गुलाम का मालिक के पास से भागना ऐब है और अगर इस वजह से है कि मालिक उस पर ज़ुल्म करता है तो ऐब नहीं, मालिक ने उसे अमानत रख दिया है या आरियत दे दिया है या उजरत पर दिया है अमीन या मुसतईर या मुस्ताजिर के पास से भागना भी ऐब है मगर जब कि यह ज़ुल्म करते हों, भागने के लिये यह ज़रूर नहीं कि शहर से निकल जाये बल्कि उसी शहर में रहे जब भी ऐब है और भागना उसी वक़्त ऐब है जब मुश्तरी के यहाँ से भागा हो।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.7:– मुश्तरी के यहाँ से भागकर बाइअ् के यहाँ आया और छुपा नहीं जब कि बाइअ् उसी शहर में हो तो ऐब नहीं और यहाँ आकर पोशीदा होगया तो ऐब है, ग़ासिब के यहाँ से भागकर मालिक के यहाँ आया यह ऐब नहीं। (दुर्रेमुख़्तार,रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.8:– बैल वग़ैरह जानवर दो तीन दफ़ा भागें तो ऐब नहीं इस से ज़्यादा भागना ऐब है।(रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.9:– बिछौने पर पेशाब करना ऐब है चोरी करना ऐब है चाहे इतना चुराया जिससे हाथ काटा जाये या उससे कम यूँही कफन चुराया जेब काटना भी ऐब है बल्कि नक़ब लगाना भी ऐब है, खाने की चीज़ खाने के लिये मालिक की चुराई तो ऐब नहीं और बेचने के लिये चुराई या दूसरे की चीज़ चुराई तो ऐब है बाज़ फ़ुक़्हा ने फ़रमाया कि मालिक का पैसा दो पैसे चुराना ऐब नहीं। (आलमगीरी, दुर्रेमुख़्तार,रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.10:– भागना, चोरी करना, बिछौने पर पेशाब करना इन तीनों के असबाब बचपन में और बड़े होने पर मुख़्तलिफ़ हैं, बचपन से मुराद पाँच साल की उम्र या उस से कम उम्र में यह चीज़ें पाई जायें तो ऐब नहीं, बचपन में उनका सबब कम अक़्ली और ज़ोअ्फ़े मसाना है और बड़े होने के बाद उनका सबब सूये इख़्तेयार और बातिनी बीमारी है लिहाज़ा अगर यह उयूब (ऐब) मुश्तरी व बाइअ् दोनों के यहाँ बचपन में पाये गये या दोनों के यहाँ जवानी के बाद पाये गये तो मुश्तरी रद कर सकता है कि यह वही ऐब है जो बाइअ् के यहाँ था और अगर बाइअ् के यहाँ यह ऐब बचपन में था और मुश्तरी के यहाँ बुलूग़ के बाद तो रद नहीं कर सकता कि यह वह ऐब नहीं बल्कि दूसरा ऐब है जो मुश्तरी के यहाँ पैदा हुआ जिस तरह बाइअ् के यहाँ उसे बुख़ार आता था अगर मुश्तरी के यहाँ भी वही बुख़ार उसी वक़्त आया तो वापस कर सकता है और मुश्तरी के यहाँ दूसरी क़िस्म का बुख़ार आया तो वापस नहीं कर सकता। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.11:– नाबालिग़ गुलाम को ख़रीदा जो बिछौने पर पेशाब करता था मुश्तरी के यहाँ भी यह ऐब मौजूद था मगर कोई दूसरा ऐब उसके अलावा भी पैदा होगया जिसकी वजह से वापस न कर सका और बाइअ् से उस ऐब का नुक़सान ले लिया बालिग़ होने पर पेशाब करना जाता रहा तो जो

मुआवज़ा–ए–ऐब बाइअ् ने अदा किया चूँकि वह जाता रहा वह रक़म वापस ले सकता है। (फ़तह)

मसअ्ला.12:– जुनून भी ऐब है और बचपन और जवानी दोनों में उसका सबब एक ही है यानी अगर बाइअ् के यहाँ बचपन में पागल हुआ था और मुश्तरी के यहाँ जवानी में तो वापस करने का हक़ है क्योंकि यह वही ऐब है दूसरा नहीं, जुनून (पागलपन) की मिक़दार यह है कि एक दिन रात से ज़्यादा पागल रहे उस से कम में ऐब नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.13:– कनीज़ का वलदुज़्ज़ना होना ऐब है यूँही उसका ज़िना करना भी ऐब है लोन्डी से बच्चा पैदा होजाना भी ऐब है जब कि वह बच्चा मौला के अ़लावा दूसरे से हो और अगर उसका बच्चा मौला से हो तो वह उम्मे वलद है उसका बेचना ही जाइज़ नहीं, ज़िना और विलादत में मुश्तरी के यहाँ उस ऐब का पाया जाना जरूरी नहीं, वलदुज़्ज़िना होना ज़िना करना गुलाम में ऐब नहीं अगरचे ज़िना करना गुनाहे कबीरा है उस पर तौबा व इस्तिग़फ़ार वाजिब है और शरअ़न सख़्त ऐब है और अगर ज़िना करना उसकी आ़दत हो यानी दो मरतबा से ज़्यादा ऐसा किया तो यह बैअ् में ऐब शुमार किया जायेगा, लौन्डी और गुलाम में फ़र्क़ इस वजह से है कि लौन्डी से यह अकसर मक़सूद होता है कि उससे वती करे और अगर वह ऐसी है तो तबीअ़त में कराहत आयेगी नीज़ अगर औलाद पैदा हुई तो ज़ानिया की औलाद कहलायेगी और यह सख़्त आ़र है और गुलाम से मक़सूद ख़िदमत लेना होता है और इन बातों से ख़िदमत में कोई फ़र्क़ नहीं आता जब तक ज़िना की आ़दत न हो। (आलमगीरी)

मसअ्ला.14:– गुलाम अगर ऐसा हो कि मुफ़्त इग़लाम कराता हो यह उस में ऐब है, गुलाम मुखन्नस है बईं माना कि आवाज़ में नर्मी है और रफ़्तार में लचक अगर यह बात कमी के साथ है तो ऐब नहीं और ज़्यादती के साथ है तो ऐब है वापस कर दिया जायेगा और अगर मुख़न्नस बईं माना हो कि बुरे अफ़आ़ल करता है तो ऐब है। (आलमगीरी, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.15:– लोन्डी का हामिला होना या शौहर वाली होना ऐब है कि क्योंकि उसको फ़िराश नहीं बनाया जा सकता यूँही गुलाम का शादी शुदा होना भी ऐब है, मगर गुलाम ने वापसी से पहले अपनी बीवी को तलाक़ देदी तो वापस नहीं किया जासकता और लौन्डी को उसके शौहर ने तलाक़ देदी अगर रजई तलाक़ है वापस की जासकती है और बाइन है तो नहीं और शौहर वाली लौन्डी अगर मुश्तरी के महरमात में से हो मसलन उसकी रज़ाई बहन या माँ है या उसकी औ़रत की माँ है तो शौहर वाली होना ऐब नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.16:– जुज़ाम, बर्स, अन्धा होना, काना होना, भींगा होना, गूँगा होना, बहरा होना, उंगली ज़्यादा या कम होना, कुबड़ा होना, फोड़े, बीमारी, ख़ुसया का बड़ा होना यह सब चीज़ें ऐब हैं अगर ख़स्सी कहकर ख़रीदा और ख़स्सी न था तो वापस करने का हक़ नहीं है। (आ़लमगीरी) जो गुलाम दारुल'इस्लाम में पैदा हुआ है और बालिग़ होगया मगर उसका ख़तना नहीं हुआ है यह ऐब है और अभी ना'बालिग़ है या दारुल'हर्ब से उसे लाये उसमें यह ऐब नहीं। (फ़तह)

मसअ्ला.17:– गुलाम अमरद ख़रीदा फिर मा़लूम हुआ कि उसने दाढ़ी मुंडाई थी या दाढ़ी के बाल नोच डाले थे यह ऐब है वापस करदिया जायेगा। (ख़ानिया)

मसअ्ला.18:– गन्दा दहनी (मुँह से बदबू आने की बीमारी) या बग़ल में बू होना लोन्डी में ऐब है गुलाम में नहीं, मगर जब कि बहुत ज़्यादा हो तो गुलाम में भी ऐब है और अगर दाँत मांझे नहीं इस वजह से मुँह से बू आती है मन्जन, मिस्वाक से बू ज़ाइल होजायेगी, यह ऐब नहीं। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला.19:– नाफ़ के नीचे पेड़ू का फूला होना लोन्डी गुलाम दोनों में ऐब है। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला.20:– लौन्डी की शर्मगाह में गोश्त या हड्डी का पैदा होजाना, जिसकी वजह से वती न होसके ऐब है। यूँही आगे का मक़ाम बन्द होना भी ऐब है (आलमगीरी)

मसअ्ला.21:– काफ़िर होना लोन्डी गुलाम दोनों में ऐब है यूँही बद'मज़हब होना भी ऐब है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.22:– लोन्डी की उम्र पन्द्रह साल की हो और हैज़ न आये यह ऐब है और अगर सिग़रे सिन्नी (छोटी उम्र) या किब्रे सिन्नी (बड़ी उम्र) की वजह से हैज़ न आता हो तो ऐब नहीं, यह बात कि हैज़ नहीं आता यह खुद उस लोन्डी के कहने से मालूम होगी और अगर बाइअ् कहता है कि उसे हैज़ आता है तो उसे क़सम देंगे अगर क़सम खाले बाइअ् का क़ौल मोअ्तबर है और क़सम से इन्कार करे तो ऐब साबित है इस्तिहाज़ा भी ऐब है। (दुर्रेमुख़्तार)
मसअ्ला.23:– पुरानी खांसी ऐब है मामूली खांसी ऐब नहीं। (आलमगीरी)
मसअ्ला.24:– मदयून (क़र्ज़दार) होना भी ऐब है जब कि उस दैन का मुतालबा फिलहाल हो सकता हो और अगर ऐसा दैन हो जो आज़ाद होने के बाद वाजिबुल अदा होगा तो ऐब नहीं(दुर्रेमुख़्तार)
मसअ्ला.25:– शराब ख़ोरी की आदत, जुआ खेलना, झूठ बोलना, चुग़ली खाना, नमाज़ छोड़ देना, बायें हाथ से काम करना, आँख में परबाल होना, पानी बहना, रतोन्द होना यह सब उयूब हैं(आलमगीरी)

जानवरों के बाज़ उयूब

मसअ्ला.26:– गाय, भैंस, बकरी दूध नहीं देती या अपना दूध खुद पी जाती है यह ऐब है और जानवर का कम खाना भी ऐब है, बैल काम के वक़्त सो जाता है यह ऐब है, गधा ख़रीदा वह सुस्त चलता है वापस नहीं कर सकता मगर जब कि तेज़ रफ़्तारी की शर्त करली हो, गधे का न बोलना ऐब है, मुर्ग़ ख़रीदा जो ना वक़्त बोलता है वापस कर सकता है। (आलमगीरी)
मसअ्ला.27:– बकरी ख़रीदी देखा तो उसके कान कटे हुए हैं यह ऐब है यूँही कुर्बानी के लिये कोई जानवर ख़रीदा जिसके कान कटे हुए हैं या उसमें कोई ऐब ऐसा है जिसकी वजह से कुर्बानी नहीं हो सकती उसे वापस कर सकता है और ऐब क़रार दिया जाये, अगर बाइअ् मुश्तरी में इख़्तिलाफ़ हुआ मुश्तरी कहता है मैंने कुर्बानी के लिये ख़रीदा है बाइअ् इन्कार करता है अगर वह ज़माना कुर्बानी का हो और मुश्तरी अहले कुर्बानी से हो तो मुश्तरी का क़ौल मोअ्तबर है। (ख़ानिया)
मसअ्ला.28:– गाय या बकरी निजासत ख़ोर है अगर यह उसकी आदत है ऐब है और अगर हफ़्ता में एक दो बार ऐसा हुआ तो ऐब नहीं, कोई जानवर मक्खी खाता है अगर अहयानन (कभी कभी) ऐसा हो तो ऐब नहीं और अकस्र खाता हो तो ऐब है। (आलमगीरी)
मसअ्ला.29:– जानवर के दोनों पांव क़रीब क़रीब हैं मगर रानों में ज़्यादा फ़ासिला है यह ऐब है, रस्सी तुड़ाना या किसी तर्कीब से गले से पघा निकाल लेना ऐब है, घोड़ा सरकश है, खड़ा हो जाता है, अड़ जाता है, लगाम लगाते वक़्त शोख़ी करता है, लगाने नहीं देता, चलने में दोनों पिन्डलियाँ या पांव रगड़ खाते हों यह सब ऐब हैं। (आलमगीरी)
मसअ्ला.30:– घोड़ा खरीदा देखा कि उसकी उम्र ज़्यादा है ख़्यारे ऐब की वजह से उसे वापस नहीं कर सकता हाँ अगर कम उम्र की शर्त करली है तो वापस कर सकता है, गाय ख़रीदी वह मुश्तरी के यहाँ से भाग कर बाइअ् के यहाँ चली जाती है यह ऐब नहीं। (आलमगीरी) यानी जब कि ज़्यादा न भागती हो।

दुसरी चीज़ों के उयूब

मसअ्ला.31:– मोज़े या जूते ख़रीदे वह उसके पांव में नहीं आते वापस कर सकता है अगरचे ख़रीदते वक़्त यह न कहा हो कि पहनने के लिये ख़रीदता हूँ क्योंकि आदतन एक जोड़ा जूता या मोज़ा पहनने के लिये ही ख़रीदा जाता है, जूता जो तंग था बाइअ् ने कह दिया पहनो ठीक हो जायेगा एक दिन पहना मगर ठीक न हुआ अब वापस नहीं कर सकता। (आलमगीरी)
मसअ्ला.32:– नजिस कपड़ा ख़रीदा मगर मुश्तरी को नापाक होना मालूम न था अब मालूम हुआ अगर उस क़िस्म का कपड़ा है कि धोने से ख़राब नहीं होगा तो वापस नहीं कर सकता और ख़राब हो जायेगा तो वापस कर सकता है, उसमें तेल की चिकनाई लगी हो तो बहर हाल वापस कर सकता है। (आलमगीरी)
मसअ्ला.33:– मकान ख़रीदा उसके दरवाज़े पर लिखा हुआ पाया यह फुलां मस्जिद पर वक़्फ़ है

महज़ इतनी बात से वापस नहीं कर सकता जब तक वक़्फ़ का सुबूत न हो। (आलमगीरी)

मसअ्ला.34:– मकान या ज़मीन ख़रीदी लोग उसे मनहूस कहते हैं वापस कर सकता है क्योंकि अगरचे इस क़िस्म के ख़्यालात का एअ्तिबार नहीं मगर बेचना चाहेगा तो उसके लेने वाले नहीं मिलेंगे और यह एक ऐब है। (आलमगीरी, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.35:– गेहूं ख़रीदे बाइअ् ने इशारा करके यह बता दिया था कि यह हैं उसके दाने पतले या छोटे हैं तो ख़्यारे ऐब से वापस नहीं कर सकता और अगर घुने हुए हैं या बूदार हैं तो वापस कर सकता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.36:– फल या तरकारी की टोकरी ख़रीदी उसमें नीचे घास भी रखी हुई निकली वापस कर सकता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.37:– मकान ख़रीदा जिसका परनाला दूसरे के मकान में गिरता है या उसकी नाली दूसरे के मकान में जाती है और मालूम हुआ कि उसका हक़ नहीं है मगर ख़रीदारी के वक़्त उसका इल्म नहीं था तो वापस कर सकता है या उसकी वजह से जो कुछ क़ीमत में पैदा हुआ वह बाइअ् से वापस ले सकता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.38:– क़ुर्आन मजीद या किताब ख़रीदी और उसके अन्दर बाज़–बाज़ जगह अलफ़ाज़ लिखने से रह गये हैं वापस कर सकता है। (आलमगीरी)

कब वापस नहीं कर सकता और किस सूरत में नुक़सान ले सकता है

मसअ्ला.39:– ऐब पर इत्तिला पाने के बाद मुश्तरी ने अगर मबीअ् में मालिकाना तसर्रुफ़ किया तो वापस करने का हक़ जाता रहा, जानवर ख़रीदा था वह बीमार था उसका इलाज किया या अपने काम के लिये उस पर सवार हुआ वापस नहीं कर सकता और अगर एक बीमारी थी जिसकी बाइअ् ने ज़िम्मेदारी नहीं की थी उसका इलाज किया और दूसरी बीमारी जिसका ज़िक्र नहीं आया था वह ज़ाहिर हुई तो उसकी वजह से वापस कर सकता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.40:– जानवर पर उसको वापस करने की ग़र्ज़ से सवार हुआ या सवार होकर उसे पानी पिलाने लेगया या चारा ख़रीदने गया अगर मजबूर था तो ऐब पर रज़ा'मन्दी नहीं वरना है, ऐब पर मुत्तला होने के बाद मकान ख़रीद कर्दा में सुकूनत की या उसकी मरम्मत की या उसको ढा दिया अब वापस नहीं कर सकता। (आलमगीरी)

मसअ्ला.41:– मबीअ् को मुश्तरी ने बैअ् कर दिया या आज़ाद कर दिया या हिबा करके क़ब्ज़ा दे दिया उसके बाद ऐब पर मुत्तला हुआ तो न वापस कर सकता है न नुक़सान ले सकता है(रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.42:– बकरी या गाय ख़रीदी उसका दूध दुहकर इस्तेमाल किया फिर ऐब पर इत्तेला हुई वापस नहीं कर सकता नुक़सान ले सकता है, और गाय, बकरी को मअ् बच्चा (बच्चे के साथ) ख़रीदा है और ऐब पर मुत्तला हुआ उसके बाद बच्चा ने दूध पी लिया वापस कर सकता है चाहे बच्चा ने खुद ही पी लिया हो या उसने उसे छोड़ा था कि खुद पी ले, और अगर मुश्तरी ने दूध दुहा तो वापस नहीं कर सकता चाहे खुद पी ले या उसके बच्चे को पिलादे कि ऐब पर मुत्तला होकर दुहना दलीले रज़ा'मन्दी है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.43:– कनीज़ ख़रीदकर उससे वती (सम्भोग) की उसके बाद ऐब पर मुत्तला हुआ वापस नहीं कर सकता ऐब का नुक़सान ले सकता है, और अगर बाइअ् नुक़सान देना नहीं चाहता कनीज़ वापस लेने के लिये राज़ी है तो वापसी हो सकती है यूँही शहवत (सम्भोग की उत्तेजना) के साथ छूना या बोसा देना भी मानेअ़ रद (वापसी की रोक) है, और ऐब पर मुत्तला होने के बाद यह अफ़आल किये तो नुक़सान भी नहीं ले सकता, और अगर उसके साथा किसी ने ज़िना किया जब भी वापस नहीं करे सकता मगर जबकि बाइअ् वापस लेने पर तैयार है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.44:– ग़ल्ला ख़रीदा उसमें से कुछ खालिया या बेचदिया फिर ऐब पर मुत्तला(ख़बरदार) हुआ

जो खा चुका है उसका नुक़सान लेले और बाक़ी को वापस कर सकता है जो बेच चुका है उसका नुक़सान नहीं ले सकता, आटा ख़रीदा उसमें से कुछ गूंधकर रोटी पकाई मा़लूम हुआ कि कड़वा है जो पका चुका है उसका नुक़सान लेसकता है और बाक़ी को वापस कर सकता है। (खानियह)

मसअ्ला.45:– कपड़ा ख़रीदा उसे क़तअ् कराया (कटवाया) और अभी सिला नहीं उसमें ऐब मा़लूम हुआ उसे वापस नहीं कर सकता बल्कि नुक़सान ले सकता है हाँ अगर बाइअ् क़तअ् किये हुए को वापस लेने पर राज़ी है तो अब नुक़सान नहीं ले सकता और ख़रीदकर बैअ् कर दिया तो कुछ नहीं कर सकता, और अगर क़तअ् के बा़द सिल भी गया और ऐब मा़लूम हुआ तो नुक़सान ले सकता है बाइअ् बजाये नुक़सान देने के वापस लेना चाहे तो वापस नहीं ले सकता। (हिदाया,वग़ैरह)

मसअ्ला.46:– कपड़ा ख़रीदकर अपने नाबालिग़ बच्चे के लिये क़तअ् कराया और ऐब मा़लूम हुआ तो न वापस ले सकता है न नुक़सान ले सकता है, और अगर बालिग़ लड़के के लिये क़तअ् कराया तो नुक़सान ले सकता है। (हिदाया, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.47:– मबीअ् में मुश्तरी के यहाँ कोई जदीद ऐब (नया ऐब) पैदा होगया मुश्तरी के फ़ेल (करने) से वह ऐब पैदा हुआ या आफ़ते समावी से हुआ वापस नहीं कर सकता नुक़सान का मुआ़वज़ा ले सकता है और अगर बाइअ् के फ़ेअ्ल से वह ऐब पैदा हुआ है जब भी वापस नहीं कर सकता बल्कि दोनों ऐबों से जो नुक़सान है उनका मुआ़वज़ा ले सकता है और अगर अजनबी के फ़ेअ्ल से दूसरा ऐब पैदा हुआ तो ऐबे अव्वल का नुक़सान बाइअ् से ले और दूसरे ऐब का उस अजनबी से और अगर बैअ् के बा़द मगर क़ब्ज़ा से पहले बाइअ् के फ़ेअ्ल से या खुद मबीअ् के फ़ेअ्ल से या आफ़ते समावी से ऐबे जदीद पैदा हुआ तो मुश्तरी को इख़्तेयार है कि बैअ् को रद करदे या़नी न ले या लेले और जो नुक़सान हुआ है उसके एवज़ में समन से कम करदे और अगर अजनबी के फ़ेअ्ल से वह ऐब पैदा हुआ है जब भी इख़्तेयार है कि मबीअ् को ले या न ले अगर मबीअ् को लेता है तो नुक़सान का मुआ़वज़ा उस अजनबी से ले सकता है और अगर खुद मुश्तरी के फ़ेअ्ल से ऐब पैदा हुआ है तो पूरे समन के साथ लेना पड़ेगा और नुक़सान का मुता़लबा नहीं कर सकता।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.48:– जो चीज़ ऐसी हो कि उसकी वापसी में मज़दूरी सर्फ़ करनी पड़े तो जहाँ अ़क़्दे बैअ् हुआ है वहाँ पहुँचाना मुश्तरी के ज़िम्मे है या़नी मज़दूरी वग़ैरा मुश्तरी को देनी पड़ेगी। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.49:– जानवर ख़रीदा उसे ज़िबह कर दिया अब मा़लूम हुआ कि उसकी आंतें ख़राब हो गई थीं तो नुक़सान नहीं ले सकता और अगर ज़िबह से पहले ऐब पर मुत्तला़ होचुका था फिर ज़िबह कर दिया जब भी नुक़सान नहीं ले सकता मगर जबकि यह मा़लूम हो कि ज़िबह न किया जायेगा तो मर जायेगा इस सूरत में नुक़सान लेसकता है। (दुर्रेमुख़्तार, वग़ैरह)

मसअ्ला.50:– मबीअ् में कुछ ज़्यादती करदी मसलन कपड़े को सी दिया, या रंग दिया या सत्तू में घी शकर वग़ैरह मिला दिया या ज़मीन में पेड़ नसब कर दिये या ता़मीर कराई या उसको बैअ् कर दिया अगरचे बेचना ऐब पर मुत्तला़ होने के बा़द हो या मबीअ् हलाक होगई इन सब सूरतों में नुक़सान लेसकता है वापस नहीं कर सकता है अगर वह दोनों वापसी पर रज़ा'मन्द भी होजायें जब भी क़ाज़ी हुक्म वापसी का नहीं दे सकता। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.51:– अण्डा ख़रीदा, तोड़ा तो गन्दा निकला कुल दाम वापस होंगे कि वह बेकार चीज़ है बैअ् के क़ाबिल नहीं हाँ शुतुर मुर्ग़ का अण्डा जिसमें छिलका मक़सूद होता है अकसर लोग उसे ज़ीनत की ग़र्ज़ से रखते हैं उसकी बैअ् बातिल नहीं ऐब का नुक़सान ले सकता है ख़रबूज़ा, तरबूज़, खीरा ख़रीदा और काटा तो ख़राब निकला या बादाम अखरोट ख़रीदा तोड़ने पर मा़लूम हुआ कि ख़राब है मगर बा'वजूद ख़राबी काम के लाइक़ है कम से कम यह कि जानवर ही के खिलाने में काम आ सकता है तो वापस नहीं कर सकता नुक़सान ले सकता है और अगर बाइअ् कटे हुए या टूटे हुए को वापस लेने पर तैयार है तो वापस करदे नुक़सान नहीं ले सकता और अगर ऐब मा़लूम

होजाने के बाद कुछ भी खालिया तो नुक़सान भी नहीं ले सकता, और अगर चखा और ऐब मालूम होने के बाद छोड़ दिया कुछ न खाया तो नुक़सान ले सकता है, और अगर काटने तोड़ने से पहले ही मुश्तरी को ऐब मालूम होगया तो उसी हालत में वापस करदे काटे, तोड़ेगा तो न वापस कर सकता है न नुक़सान लेसकता है, और अगर काटने, तोड़ने के बाद मालूम हुआ कि यह चीज़ें बिलकुल बेकार हैं मसलन खीरा कड़वा है या बादाम अख़रोट में गिरी नहीं है तरबूज़ या ख़रबूज़ा सड़ा हुआ है तो पूरे दाम वापस ले बैअ् बातिल है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.52:– गेहूँ वग़ैरह ग़ल्ला ख़रीदा उसमें ख़ाक मिली हुई निकली अगर ख़ाक इतनी ही है जितनी आदतन हुआ करती है वापस नहीं कर सकता और आदत से ज़्यादा है तो कुल वापस करदे और अगर गेहूँ रखना चाहता है ख़ाक को अलग करके वापस करना चाहता है यह नहीं कर सकता। (आलमगीरी, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.53:– गेहूँ में कुछ ख़ाक मिली थी उड़ गई और वज़न कम होगया या गेहूओं में नमी थी खुश्क होकर वज़न कम होगया वापस नहीं कर सकता। (ख़ानिया)

मसअ्ला.54:– मुश्तरी ने मबीअ् को बैअ् कर दिया और उसे ऐब की ख़बर न थी मुश्तरी–ए–सानी (दूसरा ख़रीदार) ने ऐब की वजह से हुक्मे क़ाज़ी से वापस किया तो मुश्तरी अव्वल बाइअ् अव्वल को वह चीज़ वापस कर सकता है, यह उस वक़्त है जब मुश्तरी सानी ने गवाहों से यह साबित किया हो कि इस चीज़ में उस वक़्त से ऐब है जब बाइअ् अव्वल के पास थी और अगर गवाहों से मुश्तरी के पास ऐब साबित किया हो तो बाइअ् अव्वल पर रद नहीं कर सकता और अगर वापस करने के बाद मुश्तरी अव्वल ने यह कह दिया कि इसमें कोई ऐब नहीं है तो वापस नहीं कर सकता, यह तमाम बातें उस वक़्त हैं जब मबीअ् पर क़ब्ज़ा हो चुका हो और क़ब्ज़ा न हुआ हो तो मुतलक़न वापस कर सकता है चाहे क़ज़ा–ए–क़ाज़ी से वापसी हो या उसके बिग़ैर क्योंकि बैअ़े सानी इस सूरत में सहीह ही नहीं मगर जायदादे ग़ैर मनकूला (जिस जायदाद को इधर उधर न ले जासकें) में बिग़ैर कब्ज़ा भी बैअ् हो सकती है इस में क़ब्ज़ा और ग़ैर क़ब्ज़ा का फ़र्क़ नहीं।(दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.55:– मुश्तरी सानी ने मुश्तरी अव्वल को उसकी रज़ामन्दी से चीज़ वापस करदी तो यह बाइअ् अव्वल को वापस नहीं कर सकता अगरचे वह ऐब ऐसा न हो जो मुश्तरी अव्वल के यहाँ पैदा हो सकता हो मसलन गुलाम के पाँच की जगह छः उंगलियाँ हैं कि यह वापसी हक़्क़े सालिस में (तीसरे के हक़ में) बैअ़े जदीद (नई ख़रीद व फ़रोख़्त) क़रार पायेगी यूँही बाइअ् के वकील ने अगर मबीअ् की वापसी अपनी रज़ामन्दी से करली तो मुअक्किल को वापस नहीं कर सकता कि मुअक्किल के लिहाज़ से यह फ़स्ख़ नहीं बल्कि बैअ़े जदीद है और अगर क़ज़ा–ए–क़ाज़ी से वापसी हुई तो मुअक्किल पर भी वापसी होगई कि जब बैअ् फ़स्ख़ होगई वह चीज़ मोअक्किल की होगई। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.56:– मुश्तरी ने मबीअ् पर क़ब्ज़ा करने के बाद ऐब का दावा किया तो समन देने पर मजबूर नहीं किया जा सकता बल्कि मुश्तरी से इस्बाते ऐब (ऐब साबित होने) के गवाह तलब किये जायेंगे और गवाह न हों तो बाइअ् पर हलफ़ दिया जायेगा और बाइअ् क़सम खा जाये कि ऐब नहीं था तो समन देने का हुक्म होगा और अगर मुश्तरी ने पहले यह कहा कि मेरे गवाह नहीं हैं फिर कहता है गवाह पेश करूँगा तो गवाह क़बूल कर लिये जायेंगे, और अगर मुश्तरी के पास गवाह नहीं हैं और बाइअ् क़सम से इनकार करता है तो ऐब का हुक्म होगा। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.57:– गवाहे मुश्तरी या हल्फ़े बाइअ् की उस वक़्त ज़रूरत है जब वह ऐब मख़फ़ी हो मसलन भागना, चोरी करना और अगर ऐब ज़ाहिर हो मसलन काना, बहरा, गूंगा है या उसकी उंगलियाँ ज़ायद या कम हैं तो न गवाह की हाजत न क़सम की ज़रूरत हाँ अगर बाइअ् यह कहे कि मुश्तरी को ख़रीदने के वक़्त ऐब का इल्म था बाद ख़रीदने के ऐब पर राज़ी होगया या मैं ऐब से बरीउज़्ज़िम्मा हो चुका था तो बाइअ् को इन उमूर पर गवाह पेश करने पड़ेंगे गवाह न ला सके तो

मुश्तरी पर हल्फ़ दिया जायेगा क़सम खालेगा वापस कर दिया जायेगा वरना वापस नहीं कर सकता। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.58:– वह उ़यूब जिन में तबीब की ज़रूरत होती है मसलन जिगर का वर्म, तिहाल का वर्म या कोई दूसरी पोशीदा बीमारी उनमें एक तबीबे आदिल (इन्साफ़ पसन्द हकीम) ने उस बीमारी का होना बयान कर दिया तो दावा क़ाबिले समाअ़त है रहा यह अम्र कि बीमारी बाइअ़् के यहाँ मौजूद थी उसके लिये दो आदिल तबीब की शहादत दरकार होगी, और जो उ़यूब ऐसे हैं जिनपर औरतों ही को इत्तिला होती है उनमें एक औ़रत के क़ौल से ऐ़ब का सुबूत होगा मगर बैअ़् फ़स्ख़ करने के लिये यह ज़रूर है कि बाइअ़् को हल्फ़ दें अगर वह क़सम खाले कि मेरे यहाँ यह ऐ़ब न था तो वापस नहीं कर सकता क़सम से इन्कार करे तो वापस कर देगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.59:– जो ऐ़ब ज़ाहिर है और इतनी मुद्दत में पैदा नहीं होसकता जब से बैअ़् हुई है तो यहाँ भी गवाह या हलफ़ की हाजत नहीं हाँ अगर उस मुद्दत में पैदा हो सकता है और बाइअ़् यह कहता है कि मेरे यहाँ यह ऐ़ब न था तो गवाह या हल्फ़ की हाजत होगी। (आलमगीरी)

मसअ्ला.60:– मबीअ़् के किसी जुज़ के मुतअ़ल्लिक़ किसी ने दावा करके अपना हक़ साबित कर दिया अगर मुश्तरी ने क़ब्ज़ा नहीं किया है तो इख़्तेयार है कि बाक़ी को ले या न ले और क़ब्ज़ा कर चुका है और वह चीज़ क़ीमती है जब भी इख़्तेयार है कि ले या वापस करदे और वह चीज़ मिसली है तो बाक़ी को वापस नहीं कर सकता बल्कि जो कुछ उसका हिस्सा है यह लेले और जो दूसरे हक़दार का है वह ले लेगा और दो चीज़ें ख़रीदी हैं और एक पर क़ब्ज़ा कर लिया या अब तक किसी पर क़ब्ज़ा नहीं किया है और एक में किसी ने अपना हक़ साबित कर दिया तो मुश्तरी को इख़्तेयार है कि दूसरी को लेले या छोड़ दे और दोनों पर क़ब्ज़ा कर चुका है तो इख़्तेयार नहीं यानी दूसरी को लेना ज़रूरी है वापस नहीं कर सकता। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.61:– क़ब्ज़ा के बाद मबीअ़् में इख़्तिलाफ़ हुआ कि एक है या ज़्यादा ताकि ऐ़ब की सूरत में वापसी हो तो यह मालूम होसके समन कितना वापस किया जायेगा मबीअ़् में इख़्तेलाफ़ नहीं मगर कितने पर क़ब्ज़ा हुआ उसमें इख़्तेलाफ़ है इन दोनों सूरतों में मुश्तरी का क़ौल मोअ़्तबर है और अगर ख़्यारे ऐ़ब में मबीअ़् की वापसी के वक़्त बाइअ़् कहता है यह वह चीज़ नहीं है मुश्तरी कहता हो वही है तो बाइअ़् का क़ौल मोअ़्तबर है और ख़्यारे शर्त या ख़्यारे रूयत में मुश्तरी का क़ौल मोअ़्तबर है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.62:– मुश्तरी जानवर को फेरने लाया कि उसके ज़ख़्म है मैं नहीं लूंगा, बाइअ़् कहता है कि यह वह ज़ख़्म नहीं है जो मेरे यहाँ था वह अच्छा होगया यह दूसरा है तो मुश्तरी का क़ौल मोअ़्तबर है। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.63:– दो चीज़ें एक अ़क़्द में ख़रीदीं अगर हर एक तनहा काम में आती हो जैसे दो गुलाम, दो कपड़े और अभी दोनों पर क़ब्जा नहीं किया है कि एक के ऐ़ब पर मुत्तला (ख़बरदार) हुआ तो इख़्तेयार है लेना हो तो दोनों ले फेरना हो तो दोनों फेरे मगर जबकि बाइअ़् एक के फेरने पर राज़ी हो तो फ़क़त एक को भी वापस कर सकता है और अगर दोनों पर क़ब्ज़ा कर लिया है तो जिसमें ऐ़ब है उसे वापस करदे दोनों को वापस करना चाहे तो बाइअ़् की रज़ामन्दी दरकार है, और अगर क़ब्ज़ा से पहले एक का ऐ़बदार होना मालूम होगया और उसी पर क़ब्ज़ा कर लिया तो दूसरी को लेना भी ज़रूरी है और दूसरी पर क़ब्ज़ा किया तो इख़्तेयार है दोनों को ले या दोनों को फेरदे और अगर दोनों एक साथ काम में लाई जाती हों तनहा एक काम की न हो जैसे मोज़े और जूते के जोड़े, चौखट, बाज़ू या बैलों की जोड़ी जबकि वह आपस में ऐसा इत्तेहाद रखते हों कि एक के बिग़ैर दूसरा काम ही न करे तो दोनों पर क़ब्ज़ा किया हो या एक पर क़ब्ज़ा किया हो दोनों हाल में एक ही हुक्म है कि लेना चाहे तो दोनों ले और फेरे तो दोनों फेरे। (दुर्रेमुख़्तार, फतह, खानिया)

मसअ्ला.64:– मबीअ् में नया ऐब पैदा होगया था जिसकी वजह से बाइअ् को वापस नहीं कर सका था अब यह ऐब जाता रहा तो उस पुराने ऐब की वजहे से वापस कर सकता है और जो नुक़सान लिया है उसे भी वापस करना होगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.65:– गुलाम ख़रीदा था और उसपर क़ब्ज़ा भी कर लिया वह किसी ऐसे जुर्म की वजह से क़त्ल किया गया जो बाइअ् के यहाँ उसने किया था तो पूरा समन बाइअ् से वापस लेगा और अगर उसका हाथ काटा गया और जुर्म बाइअ् के यहाँ किया था तो मुश्तरी को इख़्तेयार है कि उसको वापस करदे या रखले और आधा समन वापस ले। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.66:– कोई चीज़ बैअ् की और बाइअ् ने कह दिया कि मैं हर ऐब से बरीउज्ज़िम्मा हुँ यह बैअ् सहीह है और उस मबीअ् के वापस करने का हक़ बाक़ी नहीं रहता, यूँही अगर बाइअ् ने कह दिया कि लेना हो तो लो इस में सौ तरह के ऐब हैं या यह मिट्टी है या इसे ख़ूब देखलो कैसी भी हो मैं वापस नहीं करूँगा यह ऐब से बराअ्त है, जब हर ऐब से बराअ्त करले तो जो ऐब अ़क़्द के वक़्त मौजूद है या अ़क़्द के बाद क़ब्ज़ा से पहले पैदा हुआ सबसे बराअ्त होगई। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.67:– कोई चीज़ ख़रीदी उसका कोई ख़रीदार आया उससे कहा इसे लेलो इसमें कोई ऐब नहीं है और इत्तेफ़ाक़ से उसने नहीं ख़रीदी फिर मुश्तरी ने उसमें कोई ऐब देखा तो वापस कर सकता है और उसका पहले यह कहना कि इस में कोई ऐब नहीं है मुज़िर नहीं कि इससे मक़सूद तरग़ीब है और अगर उसने किसी ऐब का नाम लेकर कहा कि यह ऐब इसमें नहीं है और बाद में वही ऐब उसमें मौजूद मिला तो वापस नहीं कर सकता हाँ अगर ऐसे ऐब का नाम लिया जो उस दौरान में पैदा नहीं हो सकता जैसे उंगली का ज़ायद होना तो वापस कर सकता है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.68:– बकरी या गाय या भैंस का दूध बाइअ् ने दो एक वक़्त नहीं दुहा और उसे यह कहकर बेचा कि इसके दूध ज़्यादा है और दूध दुहकर दिखा भी दिया मुश्तरी ने धोखा खाकर ख़रीद लिया अब दुहता है मा़लूम होता है कि इतना दूध नहीं है उसको वापस नहीं कर सकता हाँ जो नुक़सान है बाइअ् से ले सकता है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.69:– मुश्तरी ने वापस करना चाहा बाइअ् ने कहा वापस न करो मुझसे इतना रूपया लेलो और इस पर मुसालहत होगई यह जाइज़ है और उसका मतलब यह हुआ कि बाइअ् ने समन में इतना कम कर दिया, और अगर बाइअ् वापस करने से इनकार करता है मुश्तरी ने यह कहा कि इतने रूपये मुझसे लेलो और मबीअ् को वापस करलो यूँ मुसालहत ना'जायज़ है और यह रूपये जो बाइअ् लेगा सूद और रिश्वत है मगर जबकि मुश्तरी के यहाँ कोई जदीद ऐब पैदा होगया हो या बाइअ् उससे मुन्किर हो कि वह ऐब उसके यहाँ मबीअ् में था तो यह मुसालहत भी जायज़ है(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.70:– एक शख़्स ने दूसरे को किसी चीज़ के ख़रीदने का वकील किया था वकील ने मबीअ् में ऐब देखकर रज़ा'मन्दी ज़ाहिर करदी अगर समन इतना है कि उस ऐब वाली चीज़ का उतना ही होना चाहिये तो मोअक्किल को लेना पड़ेगा और अगर समन ज़्यादा है तो मोअक्किल पर यह बैअ् लाज़िम नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.71:– कोई चीज़ ख़रीदी फिर उसकी बैअ् के लिये दूसरे को वकील कर दिया उसके बाद उसके ऐब पर इत्तेला हुई अगर मुअक्किल के सामने वकील ने बेचना चाहा उसको ख़बर दीगई कि वकील उसका दाम कर रहा है और मुअक्किल ने मना न किया तो ऐब पर रज़ा'मन्दी होगई फ़र्ज़ किया जाये कि न बिकी तो वापस नहीं कर सकता। (आलमगीरी)

मसअ्ला.72:– यह जा'ब'जा कहा गया है कि ऐब से जो नुक़सान है वह लेगा उसकी सूरत यह है कि उस चीज़ को जांचने वालों के पास पेश किया जाये उसकी क़ीमत का वह अन्दाज़ा करें कि अगर ऐब न होता तो यह क़ीमत थी और ऐब के होते हुए यह क़ीमत है दोनों में जो फ़र्क़ है वह मुश्तरी बाइअ् से लेगा मसलन ऐब है तो आठ रूपये क़ीमत है न होता तो दस रूपये थी, दो रूपये बाइअ् से ले। (आलमगीरी)

मसअ्ला.73:– जानवर ख़रीदा था क़ब्ज़ा के बाद ऐब पर मुत्तला (ख़बरदार) हुआ उसे वापस करने बाइअ् के पास लेजा रहा था रास्ते में मरगया तो मुश्तरी का जानवर मरा अलबत्ता अगर गवाहों से ऐब साबित कर देगा तो ऐब का नुक़सान ले सकता है। (आलमगीरी)
मसअ्ला.74:– एक शख़्स ने गाभिन गाय के बदले में बैल ख़रीदा और हर एक ने क़ब्ज़ा भी कर लिया गाय के बच्चा पैदा हुआ और दूसरे ने देखा कि बैल में ऐब है बैल को उसने वापस कर दिया तो गाय में चूंकि बच्चा पैदा होने की वजह से ज़्यादती हो चुकी है वह वापस नहीं की जा सकती गाय की क़ीमत जो हो वह वापस दिलाई जायेगी। (आलमगीरी)
मसअ्ला.75:– ज़मीन ख़रीदकर उसको मस्जिद कर दिया फिर ऐब पर मुत्तला हुआ तो वापस नहीं कर सकता नुक़सान जो है लेले, ज़मीन को वक़्फ़ किया है जब भी यही हुक्म है कि वापस नहीं कर सकता है नुक़सान लेले। (ख़ानिया)
मसअ्ला.76:– कपड़ा ख़रीदकर मुर्दा का कफ़न किया उसके बाद ऐब पर मुत्तला (ख़बरदार) हुआ अगर वारिस ने तर्का से कफ़न ख़रीदा है तो नुक़सान ले सकता है और अगर किसी अजनबी ने अपनी तरफ़ से ख़रीदकर दिया तो नहीं ले सकता। (आलमगीरी)
मसअ्ला.77:– दरख़्त ख़रीदा था कि उसकी लकड़ी की चीज़ें बनायेगा मसलन चौखट, किवाड़ वग़ैरा मगर काटने के बाद मालूम हुआ कि यह एक ईंधन ही के काम आ सकता है तो नुक़सान ले सकता है। और अगर ईंधन के लिये ख़रीदा था तो नुक़सान नही ले सकता। (आलमगीरी)
मसअ्ला.78:– रोटी ख़रीदी और जो नर्ख़ उसका मारूफ़ व मशहूर है उससे कम दी है तो जो कमी है बाइअ् से वुसूल करे इसी तरह हर वह चीज़ जिसका नर्ख़ मशहूर है उससे कम हो तो बाइअ् से कमी पूरी कराये। (आलमगीरी)
मसअ्ला.79:– कोई चीज़ ग़बने फ़ाहिश के साथ ख़रीदी है उसकी दो सूरतें हैं धोखा देकर नुक़सान पहुँचाया है या नहीं अगर ग़बने फ़ाहिश के साथ धोखा भी है तो वापस कर सकता है वरना नहीं, ग़बने फ़ाहिश का मतलब यह है कि इतना टोटा है जो मुक़व्वेमीन (क़ीमत लगाने वाले) के अन्दाज़ा से बाहर हो मसलन एक चीज़ दस रूपये में ख़रीदी कोई उसकी क़ीमत पाँच बताता है कोई छः कोई सात तो यह ग़बने फ़ाहिश है और अगर उसकी क़ीमत कोई आठ बताता, कोई नौ, कोई दस तो ग़बने यसीर होता, धोखे की तीन सूरतें हैं कभी बाइअ् मुश्तरी को धोखा दे देता है पाँच की चीज़ दस में बेच देता है और कभी मुश्तरी बाइअ् को कि दस की चीज़ पाँच में ख़रीद लेता है कभी दलाल धोखा दे देता है इन तीनों सूरतों में जिसको ग़बने फ़ाहिश के साथ नुक़सान पहुँचा है वापस कर सकता है और अगर अजनबी शख़्स ने धोखा दिया हो तो वापस नहीं कर सकता। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल मुह्तार)
मसअ्ला.80:– एक शख़्स ने ज़मीन या मकान ख़रीदा और बाइअ् को धोखा देकर नुक़सान पहुँचा दिया मसलन हज़ार रूपये की चीज़ को पाँच सौ में ख़रीदा मगर शफ़ीअ् (शुफ़आ का हक़ रखने वाला) ने शुफ़आ करके वह चीज़ मुश्तरी से लेली तो बाइअ् शफ़ीअ् से वापस नहीं ले सकता क्योंकि शफ़ीअ् ने उसको धोखा नहीं दिया है धोखा देने वाला मुश्तरी है। (दुर्रेमुख़्तार)
मसअ्ला.81:– जिस चीज़ को ग़बने फ़ाहिश के साथ ख़रीदा है और उसे धोखा दिया गया है उस चीज़ को कुछ सर्फ़ कर डालने के बाद उसका इल्म हुआ तो अब भी वापस कर सकता है यानी जो कुछ वह चीज़ बची वह और जो ख़र्च करली है उसके मिस्ल वापस करे और पूरा समन वापस ले(दुर्रेमुख़्तार)
मसअ्ला.82:– एक शख़्स ने लोगों से कह दिया कि यह मेरा गुलाम या लड़का है उससे ख़रीद ो फ़रोख़्त करो मैंने उसको इजाज़त देदी है उसकी निस्बत बाद में मालूम हुआ कि गुलाम नहीं बल्कि हुर (आज़ाद) है या उसका लड़का नहीं दूसरे शख़्स का है तो जो कुछ लोगों के मुतालबे हैं उस कहने वाले से वुसूल कर सकते हैं कि उसने धोखा दिया है। (दुर्रेमुख़्तार)

बैअ़ फ़ासिद का बयान

हदीस (1) सहीह मुस्लिम शरीफ़ में राफ़ेअ़ बिन खुदैज रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया "कुत्ते का समन ख़बीस है और ज़ानिया की उजरत ख़बीस है और पछन्ना लगाने वाले की कमाई ख़बीस है" यानी मकरूह है क्योंकि उसको निजासत में आलूदा होना पड़ता है, उसको हराम नहीं कह सकते इसलिए कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने पछन्ने लगवाये और उसकी उजरत अ़ता फ़रमाई है।

हदीस (2) सहीहैन में अबू मसऊद अन्सारी रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने कुत्ते के समन और ज़ानिया की उजरत और काहिन की उजरत से मना फ़रमाया।

हदीस (3) सहीह बुख़ारी में अबू जहीफा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने ख़ून के समन और कुत्ते के समन और ज़ानिया की उजरत से मनअ़ फ़रमाया और सूद खाने वाले और खिलाने वाले (यानी सूद देने वाले) और गोदने वाली और गुदवाने वाली और तस्वीर बनाने वाले पर लानत फ़रमाई।

हदीस (4) सहीहैन में जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम से साले फ़तहे मक्का मुअज्ज़मा में तशरीफ फ़रमा थे यह फ़रमाते हुए सुना कि "अल्लाह व रसूल ने शराब व मुर्दार व ख़िन्ज़ीर और बुतों की बैअ़ को हराम क़रार दिया" किसी ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह मुर्दा की चर्बी की निस्बत क्या इरशाद है क्योंकि कश्तियों में लगाई जाती है और खाल में लगाते हैं और लोग चिराग़ में जलाते हैं (यानी खाने के अलावा दूसरे तरीक़े पर उसका इस्तेमाल जाइज़ है या नहीं) फ़रमाया "नहीं वह हराम है" फिर फ़रमाया "अल्लाह तआला यहूदियों को क़त्ल करे. अल्लाह तआला ने जब चर्बियों को उनपर हराम फ़रमा दिया तो उन्होंने पिघलाकर बेच डाली और समन खा लिया" हदीस का पिछला हिस्सा हज़रत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है।

हदीस (5) तिर्मिज़ी व इब्ने माजा अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने शराब के बारे में दस शख़्सों पर लानत फ़रमाई, (1)निचोड़ने वाले, (2)और निचोड़वाने वाले, (3)और पीने वाले, (4)और उठाने वाले पर, (5)और जिसके पास उठाकर लाई गई उस पर, (6)और पिलाने वाले, (7)और बेचने वाले, (8)और उसका समन खाने वाले, (9)और ख़रीदने वाले पर, (10)और उस पर जिस पर ख़रीदी गई।

हदीस (6) इब्ने माजा ने इब्ने अ़ब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि हुज़ूर ने इरशाद फ़रमाया "बेशक अल्लाह तआला ने शराब और उसके समन को हराम किया और मुर्दों को हराम किया और उसके समन को और ख़िन्ज़ीर को हराम किया और उसके समन को"।

हदीस (7) बुख़ारी व मुस्लिम अबूदाऊद तिबरी व इब्ने माजा अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया "तुम में कोई शख़्स बचे हुए पानी को मना न करे ताकि उस के ज़रीआ से घास को मना करे" उसी के मिस्ल आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी।

हदीस (8) इब्ने माजा, इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी कि हुज़ूर ने इरशाद फ़रमाया "तमाम मुसलमान तीन चीज़ों में शरीक हैं पानी और घास और आग और उसका समन हराम है"।

हदीस (9) सहीहैन में इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने मुज़ाबना से मना फ़रमाया मुज़ाबना यह है कि खजूर का बाग़ हो तो जो खजूरें दरख़्त में है उनको ख़ुश्क खजूरों के बदले में बैअ़ करे और अंगूर का बाग़ हो तो दरख़्त के अंगूर मुनक़्क़े के बदले में नाप से बैअ़ करे और खेत में जो ग़ल्ला है उसे ग़ल्ले के बदले में नाप

से बेचे इन सब से मनअ़ फ़रमाया।

हदीस (10) बुख़ारी व मुस्लिम इब्ने उ़मर रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रावी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व सल्लम ने फलों की बैअ़ से मना़ फ़रमाया जब तक काम के क़ाबिल न हों बाइअ़ व मुश्तरी दोनों को मना़ फ़रमाया और मुस्लिम की एक रिवायत में है कि खजूरों की बैअ़ से मना़ फ़रमाया जब तक सुर्ख़ या ज़र्द न हो जायें और खेत में बालों के अन्दर जो ग़ल्ला है उसकी बैअ़ से मना़ किया जब तक सफ़ेद न हो जाये और आफ़त पहुँचने से अमन न हो जाये।

हदीस (11) सही़ह मुस्लिम में जाबिर रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी हुजूर अक़दस स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया अगर तूने अपने भाई के हाथ फल बेच दिये और आफ़त पहुँचगई तुझे उससे कुछ लेना ह़लाल नहीं, अपने भाई का माल नाह़क़ किस चीज़ के बदले में तू लेगा।

हदीस (12) बुख़ारी व मुस्लिम में अबू सई़द ख़ुदरी रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लिहि व सल्लम ने बैअ़े मुलामसा और बैअ़े मुनाबज़ह से मना़ फ़रमाया बैअ़े मुलाबसा यह है कि एक शख़्स़ ने दूसरे का कपड़ा छू दिया उलट पलट के देखा भी नहीं और मुनाबज़ा यह है कि एक ने अपना कपडा दूसरे की त़रफ़ फेंक दिया और दूसरे ने उसकी त़रफ़ फेंक दिया यही बैअ़ होगई न देखा न भाला न दोनों की रज़ा'मन्दी हुई।

हदीस (13) स़ही़ह मुस्लिम में अबूहुरैरा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी हुजूर ने बैउ़ल ह़िसात (कंकरी फेंक देने से जाहिलिय्यत में बैअ़ हो जाती थी) और बैअ़े ग़रर से मना़ फ़रमाया- (जिसमें धोखा हो)।

हदीस (14) तिर्मिज़ी ने जाबिर रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व सल्लम ने इस्तिसना से मना़ फ़रमाया मगर जबकि मा़लूम शय का इस्तिसना हो।

हदीस (15) इमाम मालिक व अबू दाऊद व इब्ने माजा ब'रिवायत अ़म्र बिन शुऐब अ़न अबीही अ़न जद्देही रावी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व सल्लम ने बैआ़ना से मना़ फ़रमाया।

हदीस (16) अबू दाऊद ने मौला अ़ली रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लिहि व सल्लम ने मुज़त़र (मुकरह) की बैअ़ से मना़ फ़रमाया या़नी जबरन किसी की चीज़ न ख़रीदी जाये और ख़रीदने पर मजबूर न किया जाये।

हदीस (17) तिर्मिज़ी ने ह़कीम बिन ह़ज़ाम रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व सल्लम ने मुझे ऐसी चीज़ के बेचने से मना़ फ़रमाया जो मेरे पास न हो और तिर्मिज़ी की दूसरी रिवायत और अबू दाऊद व नसई की रिवायत में यह है कि कहते हैं या रसूलल्लाह मेरे पास कोई शख़्स़ आता है और मुझसे कोई चीज़ ख़रीदना चाहता है वह चीज़ मेरे पास नहीं होती (मैं बैअ़ कर देता हूँ) फिर बाज़ार से ख़रीदकर उसे देता हूँ जो चीज़ तुम्हारे पास न हो उसे बैअ़ न करो।

हदीस (18) इमाम मालिक व तिर्मिज़ी व नसई व अबूदाऊद अबूहुरैरा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व सल्लम ने एक बैअ़ में दो बैअ़ से मनअ़ फ़रमाया उसकी सूरत यह है कि यह चीज़ नक़द इतने को और उधार इतने को या यह कि मैंने य़ह चीज़ तुम्हारे हाथ इतने में बैअ़ की इस शर्त पर कि तुम अपनी फुलाँ चीज़ मेरे हाथ इतने में बेचो।

हदीस (19) तिर्मिज़ी व अबू दाऊद व नसई ब'रिवायत अ़म्र बिन शुऐब अन अबीही अ़न जद्देही रावी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया "क़र्ज़ व बैअ़ ह़लाल नहीं (या़नी यह चीज़ तुम्हारे हाथ बेचता हूँ इस शर्त पर कि तुम मुझे क़र्ज़ दो या यह कि किसी को क़र्ज़ दे फिर उसके हाथ ज़्यादा दामों में चीज़ बैअ़ करे) और बैअ़ में दो शर्तें ह़लाल नहीं और उस चीज़ का नफ़ा़ ह़लाल नहीं जो ज़मान में न हो और जो चीज़ तेरे पास न हो उसका बेचना ह़लाल नहीं"।

हदीस (20) इमाम अह़मद व अबू दाऊद व इब्ने माजा इब्ने उ़मर रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रावी कि हुजूर स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लिहि व सल्लम ने बैआ़ना से मना़ फ़रमाया है।

तम्बीह:— इस बाब में बैअ़े फ़ासिद व बातिल दोनों के मसाइल ज़िक्र किये जायेंगे।

मसअ्ला.1:— जिस सूरत में बैअ् का कोई रुक्न मफ़कूद न हो(न छूटे)या वह चीज़ बैअ् के क़ाबिल ही न हो वह बैअ़े बातिल है पहली की मिसाल यह है कि मजनून या लायाकिल(ना'समझ)बच्चा ने ईजाब या क़बूल किया कि उनका क़ौल शरअ़न मोअ्तबर ही नहीं लिहाज़ा ईजाब या क़बूल पाया ही न गया दूसरी की मिसाल यह है कि मबीअ् मुर्दार या ख़ून या शराब या आज़ाद हो कि यह चीजें बैअ् के क़ाबिल नहीं हैं और अगर रुकने बैअ् या महल्ले बैअ् में ख़राबी न हो बल्कि उसके एलावा कोई ख़राबी हो तो बैअ़े फ़ासिद है मस्लन समने ख़मर(शराब की क़ीमत)हो या मबीअ् की तस्लीम पर क़ुदरत न हो या बैअ् में कोई शर्त ख़िलाफ़े मुक़तज़ाये अ़क्द हो(कोई शर्त ख़रीद व फरोख़्त तय होने के ख़िलाफ़ हो)(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.2:— मबीअ् या समन दोनों में से एक भी ऐसी चीज़ हो जो किसी दीने आसमानी में माल न हो जैसे मुर्दार, खून, आज़ाद उनको चाहे मबीअ् किया जाये या समन बहर हाल बैअ् बातिल है और अगर बाज़ दीन में माल हों बाज़ में नहीं जैसे शराब कि अगरचे इस्लाम में यह माल नहीं मगर दीने मूसवी व ईसवी में माल थी उसका मबीअ् क़रार देंगे तो बैअ् बातिल है और समन क़रार दें तो फ़ासिद मस्लन शराब के बदले में कोई चीज़ ख़रीदी तो बैअ् फासिद है और अगर रूपया पैसा से ख़रीदी तो बातिल। (हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.3:— माल वह चीज़ है जिसकी तरफ़ तबीअ़त का मैलान हो जिसको दिया लिया जाता हो जिस से दूसरों को रोकते हों जिसे वक़्ते ज़रूरत के लिये जमा रखते हों लिहाज़ा थोड़ी सी मिट्टी जब तक वह अपनी जगह पर है माल नहीं और उसकी बैअ् बातिल है अलबत्ता अगर उसे दूसरी जगह मुन्तक़िल करके ले जायें तो अब माल है और बैअ् जाइज़ गेहूँ का एक दाना उसकी भी बैअ् बातिल है, इन्सान के पाख़ाना पेशाब की बैअ् बातिल है जबतक मिट्टी उस पर ग़ालिब न आजाये और खाद न हो जाये गोबर, मेंगनी, लीद की बैअ् बातिल नहीं अगरचे दूसरी चीज़ की उनमें आमेज़िश न हो लिहाज़ा उपले का बेचना, ख़रीदना या इस्तेमाल करना ममनूअ् नहीं।(दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.4:— मुर्दार से मुराद ग़ैर मज़बूह़ है चाहे वह खुद मरगया हो या किसी ने उसको गला घोंट कर मार डाला हो या किसी जानवर ने उसे मार डाला हो, मछली और टिड्डी मुर्दार में दाख़िल नहीं कि यह ज़िबह़ करने की चीज़ ही नहीं। (रद्दुलमुह़तार,वग़ैरह)

मसअ्ला.5:— मा'दूम (जो चीज़ मौजूद न हो) की बैअ् बातिल है मस्लन दो मन्ज़िला मकान दो शख़्सों में मुश्तरक था एक का नीचे वाला था दूसरे का ऊपर वाला वह गिरगया या सिर्फ़ बाला ख़ाना गिरा बाला ख़ाना वाले ने गिरने के बा'द बाला ख़ाना बैअ् किया यह बैअ् बातिल है कि जब वह चीज़ ही नहीं बैअ् किस चीज़ की होगी• और अगर बैअ् से मुराद उस ह़क़ को बेचना है कि मकान के ऊपर उसको मकान बनाने का ह़क़ था यह भी बातिल है कि बैअ् माल की होती है और यह महज़ एक ह़क़ है माल नहीं और अगर बाला ख़ाना मौजूद है तो उसकी बैअ् हो सकती है। (फ़तहुल क़दीर)

मसअ्ला.6:— जो चीज़ ज़मीन के अन्दर पैदा होती है जैसे मूली, गाजर वग़ैरह अगर अब तक पैदा न हुई हो या पैदा होना मा'लूम न हो उसकी बैअ् बातिल है और अगर मा'लूम हो कि मौजूद हो चुकी है तो बैअ् सह़ीह़ है और मुश्तरी को ख़्यारे रूयत ह़ासिल होगा। (दुर्रेमुख़्तार)

छुपी हुई चीज़ की बैअ्

मसअ्ला.7:— बाक़िला के बीज और चावल और तिल की बैअ् अगर यह सब छिलके के अन्दर हों जब भी जाइज़ है यूँही अखरोट, बादाम, पिस्ता अगर पहले छिलके में हों (यानी उन चीज़ों में दो छिल्के होते हैं हमारे मुलक में यह सब चीज़ें ऊपर का छिलका उतारने के बा'द आती हैं अगर ऊपर के छिलके न उतरे हों जब भी बैअ् जाइज़ है) यूँही गेहूँ के दाने बाल में हों जब भी बैअ् जाइज़ है और इन सब सूरतों में यह बाइअ् के ज़िम्मे हैं कि फली से बाक़िला के बीज या धान की भूसी से चावल या छिलकों से तिल और बादाम वग़ैरह और बाल से गेहूँ निकालकर मुश्तरी के सिपुर्द करे और अगर छिल्कों समेत बैअ्

की है मसलन बाक़िला की फलियाँ या ऊपर के छिलके समेत बादाम बेचा या धान बेचा तो निकाल कर देना बाइअ् के ज़िम्मे नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.8:– गुठलियाँ जो खजूर में हों या बिनौले जो रूई के अन्दर हों या दूध जो थन के अन्दर हो इन सब की बैअ् ना'जाइज़ है कि यह सब चीज़ें उ़रफ़न मा'दूम हैं और खजूर से गूठ़लियाँ या रूई से बिनौले या थन से दूध निकालने के बा'द बैअ् जाइज़ है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.9:– पानी जब तक कुएँ या नहर में है उसकी बैअ् जाइज़ नहीं और जब उसको घड़े वग़ैरह में भर लिया मालिक होगया बैअ् कर सकता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.10:– बारिश का पानी जमा करने से मालिक होजाता है बैअ् कर सकता है पुख़्ता हौज़ में जो पानी जमा करलिया है बैअ् कर सकता है बशर्ते कि पानी की आमद का सिलसिला ख़त्म होगया हो।

मसअ्ला.11:– भिश्ती से पानी मश्कें मोल लीं या'नी अभी उसने भरी भी नहीं हैं उनको ख़रीद लेना दुरूस्त है कि मुसलमानों का उस पर अ़मल दरआमद है, अगर किसी से कहा पानी भरकर मेरे जानवरों को पिलाया करो एक रूपये माहवार दूँगा यह ना'जाइज़ है और अगर यह कह दिया कि महीने में इतनी मश्कें पिलाओ मश्क मा'लूम है तो जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.12:– मबीअ् में कूछ मौजूद है और कूछ मा'दूम (जो मौजूद न हो) जब भी बैअ् बाति़ल जैसे गुलाब और बेले चमेली के फूल जबकि इनकी पूरी फ़स्ल बेची जाये और जितने मौजूद हैं उनको बैअ् किया तो बैअ् जाइज़। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.13:– जानवर की पुश्त में या मादा के पेट में जो नुत्फ़ा है कि आइन्द पैदा होगा उसकी बैअ् बाति़ल है। (दुर्रेमुख़्तार)

इशारा और नाम दोनों हों तो किसका एअ्तिबार है

मसअ्ला.14:– मबीअ् की त़रफ़ इशारा किया और नाम भी ले दिया मगर जिसकी त़रफ़ इशारा है उसका वह नाम नहीं मस्लन कहा कि उस गाय को इतने में बेचा और वह गाय नहीं बल्कि बैल है या उस लोन्डी को बेचा और वह लोन्डी नहीं ग़ुलाम है उसका हुक्म यह है कि जो नाम ज़िक्र किया है और जिसकी त़रफ़ इशारा है दोनों की एक जिन्स है तो बैअ् स़हीह़ है कि अ़क़्द का तअ़ल्लुक़ उसके साथ है जिसकी त़रफ़ इशारा है और वह मौजूद है मगर जो चीज़ समझकर मुश्तरी लेना चाहता है चूँकि वह नहीं है लिहाज़ा उसको इख़्तेयार है कि ले या न ले और जिन्स मुख़्तलिफ़ हो तो बैअ् बाति़ल है कि अ़क़्द का तअ़ल्लुक़ इस सूरत में उसके साथ है जिसका नाम लिया गया और वह मौजूद नहीं लिहाज़ा अ़क़्द बाति़ल, इन्सान में मर्द, औ़रत दो जिन्स मुख़्तलिफ़ हैं लिहाज़ा लोन्डी कहकर बैअ् की और निकला ग़ुलाम या बिल'अ़क्स यह बैअ् बाति़ल है और जानवरों में नर, मादा एक जिन्स है गाय कहकर बैअ् की और निकला बैल या बिल'अ़क्स तो बैअ् स़हीह़ है और मुश्तरी को ख़्यार ह़ासिल है। (हिदाया)

मसअ्ला.15:– याक़ूत कहकर बेचा और है शीशा बैअ् बाति़ल है कि मबीअ् मा'दूम (माल मौजूद नहीं) है और याक़ूत सुर्ख़ कहकर रात में बेचा और था याक़ूत ज़र्द तो बैअ् स़हीह़ है और मुश्तरी को ख़्यार है।(फ़तह)

दो चीज़ों को बैअ् में जमा किया उनमें एक क़ाबिले बैअ् न हो

मसअ्ला.16:– आज़ाद, ग़ुलाम को जमा करके एक साथ दोनों को बेचा या ज़बीह़ा या मुर्दार को एक अ़क़्द में बैअ् किया ग़ुलाम और ज़बीह़ा की भी बैअ् बाति़ल है अगरचे इन सूरतों में समन की तफ़सील करदी गई हो कि इतना उसका समन है और इतना उसका और अगर अ़क़्द दो हों तो ग़ुलाम और ज़बीह़ा की स़हीह़ है आज़ाद और मुर्दार की बाति़ल, मुदब्बर या उम्मे वलद के साथ मिलाकर ग़ुलाम की बैअ् की ग़ुलाम की बैअ् स़हीह़ है उनकी नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.17:– ग़ैर वक़्फ़ को वक़्फ़ के साथ मिलाकर बैअ् किया ग़ैर वक़्फ़ की स़हीह़ है और वक़्फ़ की बाति़ल और मस्जिद के साथ दूसरी चीज मिलाकर बैअ् की तो दोनों बाति़ल। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.18:– दो शख़्स एक मकान में शरीक हैं उनमें एक ने दूसरे के हाथ पूरा मकान बेच दिया तो उसके हिस्से की बैअ् सहीह है और जितना मकान में उसका हिस्सा है उसी की बैअ् हुई और उसके मकाबिल समन का जो हिस्सा होगा वह मिलेगा कुल नहीं मिलेगा। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.19:– दो शख़्स मकान या ज़मीन में शरीक हैं एक ने उसमें से एक मुअ़य्यन टुकड़ा बैअ् करदिया यह बैअ् सहीह नहीं और अगर अपना हिस्सा बेच दिया तो बैअ् सहीह है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.20:– मुसल्लम (पूरा) गांव बेचा जिसमें क़ब्रिस्तान और मस्जिदें भी हैं और उनका इस्तिस्ना नहीं किया तो अलावा मसाजिद व मक़ाबिर के गाँव की बैअ् सहीह है और मसाजिद व मक़ाबिर का आदतन इस्तिसना (अलग) क़रार दिया जायेगा अगरचे इस्तिसना मज़कूर न हो (अलग करना ज़िक्र न हो)।

मसअ्ला.21:– इन्सान के बाल की बैअ् दुरुस्त नहीं और उन्हें काम में लाना भी जाइज़ नहीं मसलन उनकी चोटियाँ बनाकर औरतें इस्तेमाल करें हराम है हदीस में उस पर लानत फ़रमाई।

फ़ायदा :– हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व सल्लम के मूये मुबारक (बाल शरीफ़) जिसके पास हों उससे दूसरे ने ले लिये और हदिया में कोई चीज़ पेश की यह दुरुस्त है जबकि बतौर बैअ् न हो और मूये मुबारक से बरकत हासिल करना और उसका ग़साला पीना आँखों पर मलना बग़रज़े शिफा मरीज को पिलाना दुरुस्त है जैसा कि अहादीसे सहीहा से साबित है।

मसअ्ला.22:– जो चीज़ उसकी मिल्क में न हो उसकी बैअ् जाइज़ नहीं यानी इस उम्मीद पर कि मैं उसको ख़रीद लूँगा या हिबा या मीरास के ज़रिये या किसी और तरीक़े से मुझे मिल जायेगी उसकी अभी से बैअ् करदे जैसा कि आज कल अकसर ताजिर किया करते हैं यह ना'जाइज़ है जबकि बैअ् सलम के तौर पर न हो (जिसका ज़िक्र आगे आयेगा) फिर अगर इस तरह बैअ् की और ख़रीदकर मुश्तरी को देदी जब भी बातिल ही रहेगी, यूँही वह चीज़ जो अभी तैयार नहीं है बल्कि आइन्दा होगी मसलन कपड़ा, गुड़, शकर जो अभी मौजूद नहीं है इस उम्मीद पर बेची कि आइन्दा हो जायेगी यह बैअ् भी बातिल है कि मा'दूम की बैअ् है और अगर दूसरे की चीज़ बतौरे वकालत या फुज़ूली की बैअ् हो तो मालिक की इजाज़त पर मौकूफ़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.23:– बैअ् बातिल का हुक्म यह है कि मबीअ् पर अगर मुश्तरी का कब्ज़ा होजाये जब भी मुश्तरी उसका मालिक नहीं होगा और मुश्तरी का वह क़ब्ज़ा क़ब्ज़–ए–अमानत क़रार पायेगा (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला24:– सिर्का के दो मटके ख़रीदे फिर मालूम हुआ कि एक में शराब है और दूसरे में सिर्का दोनों की बैअ् ना'जाइज़ है अगरचे हर एक समन अलग–अलग बयान कर दिया हो। (आलमगीरी)

बैअ् में शर्त

मसअ्ला.25:– बैअ् में ऐसी शर्त ज़िक्र करना कि खुद अ़क्द उसका मुक़तज़ी है मुज़िर नहीं बाइअ् पर मबीअ् के क़ब्ज़ा दिलाने की शर्त और मुश्तरी पर समन अदा करने की शर्त और अगर वह शर्त मुक़तज़ाये अ़क्द नहीं मगर अ़क्द के मुनासिब हो इस शर्त में भी हरज नहीं मसलन यह कि मुश्तरी समन के लिये कोई ज़ामिन पेश करे या समन के मुक़ाबिल में फ़ुलां चीज़ रेहन रखे और जिसको ज़ामिन बताया है उसने उसी मज्लिस में ज़मानत भी करली और अगर उसने ज़मानत क़बूल न की तो बैअ् फ़ासिद है और अगर मुश्तरी ने ज़मानत या रेहन से गुरेज़ की तो बाइअ् बैअ् को फ़स्ख़ कर सकता है यूँही मुश्तरी ने बाइअ् से ज़ामिन तलब किया कि मैं इस शर्त से ख़रीदता हूँ कि फुलाँ शख़्स ज़ामिन होजाये कि मबीअ् पर क़ब्ज़ा दिलाये या बैअ् में किसी का हक़ निकलेगा तो समन वापस मिलेगा यह शर्त भी जाइज़ है और अगर वह शर्त न इस क़िस्म की हो न उस क़िस्म की मगर शरअ् ने उसको जाइज़ रखा है जैसे ख़्यारे शर्त या वह शर्त ऐसी है जिस पर मुसलमानों का आम तौर पर अमल'दरआमद है जैसे आज–कल घड़ियों में गारन्टी साल दो साल की हुआ करती है कि इस मुद्दत में ख़राब होगई तो दुरुस्ती का ज़िम्मेदार बाइअ् है ऐसी शर्त भी जाइज़ है और यह भी न हो यानी शरीअ़त में उसका जवाज़ नहीं वारिद हो और मुसलमान का तआ़मुल भी न हो वह शर्त

फ़ासिद है और बैअ् को भी फ़ासिद कर देती है मसलन कपड़ा ख़रीदा और यह शर्त करली कि बाइअ् उसको क़तअ् करके सी देगा। (आलमगीरी, वग़ैरा)

मसअ्ला.26:– गुलाम को इस शर्त पर बैअ् किया कि मुश्तरी उसे आज़ाद करदे या मुदब्बर या मुकातब करें या लोन्डी को इस शर्त पर कि उसे उम्मे वल्द बनाये यह बैअ् फ़ासिद है कि जो शर्त मुक़तज़ाये अ़क़्द के ख़िलाफ़ हो और उसमें बाइअ् या मुश्तरी या ख़ुद मबीअ् का फ़ायदा हो (जबकि मबीअ् अहले इस्तेहक़ाक़ से हो) वह बैअ् को फ़ासिद कर देती है और अगर जानवर को इस शर्त पर बेचा कि मुश्तरी उसे बैअ् न करे तो बैअ् फ़ासिद नहीं कि यहाँ वह तीनों बातें नहीं और अगर इस शर्त से गुलाम बेचा था कि मुश्तरी उसे आज़ाद कर देगा और मुश्तरी ने इस शर्त पर ख़रीदा कि आज़ाद कर दिया तो बैअ् सहीह होगई और गुलाम आज़ाद होगया। (हिदाया)

मसअ्ला.27:– गुलाम को ऐसे के हाथ बेचा कि मालूम है वह आज़ाद कर देगा मगर बैअ् में आज़ादी की शर्त मज़कूर न हुई बैअ् जाइज़ है। (हिदाया)

मसअ्ला.28:– गुलाम बेचा और यह शर्त की कि वह गुलाम बाइअ् की एक महीना ख़िदमत करेगा या मकान बेचा और शर्त की कि बाइअ् एक माह तक उसमें सुकूनत रखेगा या यह शर्त की कि मुश्तरी इतना रूपया मुझे क़र्ज़ दे या फ़ुलाँ चीज़ हदिया करे या मुअ़य्यन चीज़ को बेचा और शर्त की कि एक माह तक मबीअ् पर क़ब्ज़ा न देगा इन सब सूरतों में बैअ् फ़ासिद है। (हिदाया)

मसअ्ला.29:– बैअ् में समन का ज़िक्र न हुआ यानी यह कहा कि जो बाज़ार में उसका नर्ख़ है दे देना यह बैअ् फ़ासिद है और अगर यह कहा कि समन कुछ नहीं तो बैअ् बातिल है कि बिग़ैर समन बैअ् नहीं हो सकती। (दुर्रेमुख़्तार)

जो शिकार अभी क़ब्ज़े में नहीं आया है उसकी बैअ्

मसअ्ला.30:– जो मछली कि दरिया या तालाब में है अभी उसका शिकार किया ही नहीं उसको अगर नुक़ूद यानी रूपये पैसे से बैअ् किया तो बातिल है कि वह मिल्क में नहीं और माले मुतक़व्विम नहीं और अगर उसको ग़ैर नुक़ूद मसलन कपड़ा या किसी और चीज़ के बदले में बैअ् किया है तो बैअ् फ़ासिद है यूँही अगर शिकार करके उसे दरिया या तालाब में छोड़ दिया जब भी उसकी बैअ् फ़ासिद है कि उसकी तस्लीम पर क़ुदरत नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.31:– मछली को शिकार करने के बाद किसी गढ़े में डाल दिया वह गढ़ा ऐसा है कि बे किसी तर्कीब के उसमें से पकड़ सकता है तो बैअ् करना भी जाइज़ है कि अब वह मक़दूरूत्तसलीम भी है वह ऐसी ही है जैसे पानी के घड़े में रखी है और अगर उसे पकड़ने के लिये शिकार करने की ज़रूरत होगी कांटे या जाल वग़ैरह से पकड़ना पड़ेगा तो जब तक पकड़ न ले उसकी बैअ् सहीह नहीं और अगर मछली ख़ुद ब ख़ुद गड़े में आगई और वह गड़ा इस लिये मुक़र्रर कर रखा है तो यह शख़्स उसका मालिक होगया दूसरे को उसका लेना जाइज़ नहीं फिर अगर बेजाल वग़ैरह उसे पकड़ सकते हैं तो उसकी बैअ् भी जाइज़ है कि वह मक़दूरूत्तस्लीम भी है वरना बैअ् ना'जाइज़ और अगर वह इस लिये नहीं तैयार कर रखा है तो मालिक नहीं मगर जबकि दरिया या तालाब की तरफ़ जो रास्ता था उसे मछली के आने के बाद बन्द कर दिया तो मालिक होगया और बिग़ैर जाल वग़ैरह के पकड़ सकता है तो बैअ् जाइज़ है वरना नहीं इसी तरह अगर अपनी ज़मीन में गड़ा खोदा था उसमें हिरन वग़ैरा कोई शिकार गिर पड़ा अगर उसने उसी ग़र्ज़ से खोदा था तो यही मालिक है दूसरे को उसका लेना जाइज़ नहीं और इसलिए नहीं खोदा तो जो पकड़ लेजाये उसका है मगर मालिके ज़मीन अगर शिकार के क़रीब हो कि हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ सकता है तो उसी का है दूसरे को पकड़ना जाइज़ नहीं दूसरा पकड़े भी तो मालिक नहीं होगा यह होगा, यूँही अगर सुखाने के लिये जाल ताना था कोई शिकार उसमें फंसा तो जो पकड़ले उसी का है और अगर शिकार ही के लिये ताना था तो शिकार का मालिक यह है, जाल में शिकार फंसा मगर तड़पा

उससे छूटगया दूसरे ने पकड़ लिया तो यह मालिक है और जाल वाला पकड़ने के लिये क़रीब आ गया कि हाथ बढ़ाकर जानवर पकड़ सकता है उस वक़्त तोड़कर निकल गया और दूसरे ने पकड़ लिया तो जाल वाला मालिक है पकड़ने वाला मालिक नहीं, बाज़ और कुत्ते के शिकार का यही हुक्म है। (फतहुल'कदीर रद्दुलमुहतार)

मसअला'32:– शिकारी जानवर के अण्डे और बच्चे का भी वही हुक्म है जो शिकार का है यानी अगर ऐसी जगह में अण्डा या बच्चा किया कि उसने उसी काम के लिये मुक़र्रर कर रखी है तो यह मालिक है वरना जो लेजाये उसका है। (फतहुलकदीर)

मसअला.33:– किसी मकान के अन्दर शिकार चला आया और उसने दरवाज़ा उसके पकड़ने के लिये बन्द कर लिया तो यह मालिक है दूसरे को पकड़ना जाइज़ नहीं और ला'इल्मी में उसने दरवाज़ा बन्द किया तो यह मालिक नहीं, और शिकार उसके मकान के महाज़ात (सीध) में हवा में उड़ रहा था तो जो शिकार करे वह मालिक है यूँही उसके दरख़्त पर शिकार बैठा था जिसने उसे पकड़ा वह मालिक है। (रद्दुलमुहतार)

मसअला.34:– रूपये पैसे लुटाते हैं अगर किसी ने अपने दामन इस लिये फैला रखे थे कि उसमें गिरें तो मैं लूँगा तो जितने उसके दामन में आये उसके हैं और अगर दामन इस लिये नहीं फैलाये थे मगर गिरने के बाद उसने दामन समेट लिये जब भी मालिक है और अगर यह दोनों न हों तो दामन में गिरने से उसकी मिल्क नहीं दूसरा ले सकता है, शादी में छुआरे और शकर लुटाते हैं उनका भी यही हुक्म है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.35:– उसकी ज़मीन में शहद की मक्खियों ने मुहार लगाई तो बहर हाल शहद का मालिक यही है चाहे उसने ज़मीन को इसलिये छोड़ रखा हो या नहीं कि उनकी मिसाल खुदरू दरख़्त(खुद से उगने वाले पौधे)की है कि मालिके ज़मीन उसका मालिक होता है यह उसकी ज़मीन की पैदावार है।

मसअला.36:– तालाबों, झीलों का मछलियों के शिकार के लिये ठेका देना जैसा कि हिन्दुस्तान के बहुत से ज़मीनदार करते हैं यह ना'जाइज़ है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.37:– परिन्द जो हवा में उड़ रहा है अगर उसको अभी तक शिकार न किया हो तो बैअ़ बातिल है और अगर शिकार करके छोड़ दिया है तो बैअ़ फ़ासिद है कि तस्लीम पर कुदरत नहीं और अगर वह परिन्द ऐसा है कि उस वक़्त हवा में उड़ रहा है मगर खुद ब'खुद वापस आ जायेगा जैसे पलाऊ कबूतर तो अगरचे उस वक़्त उसके पास नहीं आया है बैअ़ जाइज़ है हक़ीक़तन नहीं तो हुकमन इस की तस्लीम पर कुदरत ज़रूर है। (दुर्रेमुख़्तार)

बैअ़ फ़ासिद की दूसरी सूरतें

मसअला.38:– जो दूध थन में है उसकी बैअ़ ना'जाइज़ है यूँही ज़िन्दा जानवर का गोश्त चर्बी, चमड़ा, सिरी, पाये, ज़िन्दा दुम्बा की चक्की की बैअ़ ना'जाइज़ है इसी तरह उस ऊन की बैअ़ जो दुम्बा या भेंड़ के जिस्म में है अभी काटी न हो और उस मोती की जो सीप में हो या घी की जो अभी दूध से निकाला न हो या कड़ियों की जो छत में हैं या जो थान ऐसा हो कि फाड़कर न बेचा जाता हो उसमें से एक गज़, आधा गज़ की बैअ़ जैसे मशरूअ़ और गुलबन्द के थान यह सब ना'जाइज़ हैं और अगर मुश्तरी ने अभी बैअ़ को फ़स्ख़ नहीं किया था कि बाइअ़ ने छत में से कड़ियाँ निकालदीं या थान में से वह टुकड़ा फाड़ दिया तो अब यह बैअ़ सहीह होगई।(हिदाया)

मसअला.39:– इस मरतबा जाल डालने में जो मछलियाँ निकलेंगी उनको बैअ़ किया या गोताख़ोर ने यह कहा कि इस गोते में जो मोती निकलेगी उनको बेचा यह बैअ़ बातिल है। (फतहुलक़दीर)

मसअला.40:– दो कपड़ों में से एक या दो गुलामों में से एक की बैअ़ ना'जाइज़ है जबकि ख़्यारे ताईन शर्त न हो और अगर मुश्तरी ने दोनों पर कब्ज़ा कर लिया तो उनमें से एक का कब्ज़ा कब्ज़ा–ए–अमानत है और दूसरे का कब्ज़ा–ए–ज़मान। (दुर्रेमुख़्तार,बहर)

मसअ्ला.41:– चरागाह में जो घास है उसकी बैअ् फ़ासिद है हाँ अगर घास को काटकर उसने जमा कर लिया तो बैअ् दुरुस्त है जिस तरह पानी को घड़े मटके मश्क में भर लेने के बाद बेचना जाइज़ है और चरागाह का ठेका पर देना भी जाइज़ नहीं यह उस वक़्त है कि घास खुद उगी हो उसको कुछ न करना पड़ा हो और अगर उसने ज़मीन को इस लिये छोड़ रखा हो कि उसमें घास पैदा हो और ज़रूरत के वक़्त पानी भी देता हो तो उसका मालिक है और अब बेचना जाइज़ है मगर ठेका अब भी ना'जाइज़ है कि अतलाफे ऐन (ख़ास चीज़ का ख़त्म हो जाने) पर इजारा दुरुस्त नहीं, ठेका के लिये यह हीला हो सकता है कि उस ज़मीन को जानवरों के ठहराने के लिये ठेका पर दे फिर मुस्ताजिर उसकी घास भी चराये। (दुर्रेमुख़्तार, बहर)

मसअ्ला.42:– कच्ची खेती जिसमें अभी ग़ल्ला तैयार नही हुआ है उसकी बैअ् की तीन सूरतें हैं, (1)अभी काट लेगा (2) या अपने जानवरों से चरा लेगा (3) या इस शर्त पर लेता है कि उसे तैयार होने तक छोड़ रखेगा पहली दो सूरतों में बैअ् जाइज़ है और तीसरी सूरत में चूँकि इस शर्त में मुश्तरी का नफ़ा है बैअ् फ़ासिद है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.43:– फल उस वक़्त बेच डाले कि अभी नुमायां भी नहीं हुए हैं यह बैअ् बातिल है और अगर ज़ाहिर हो चुके मगर क़ाबिले इन्तेफ़ाअ् (फायदा उठाने के लायक़) नहीं हुए यह बैअ् सहीह है मगर मुश्तरी पर फ़ौरन तोड़ लेना ज़रूरी है और अगर यह शर्त करली है कि जब तक तैयार नहीं होंगे दरख़्त पर रहेंगे तो बैअ् फ़ासिद है और अगर बिला शर्त ख़रीदे हैं मगर बाइअ् ने बाद में इजाज़त दी कि तैयार होने तक दरख़्त पर रहने दो तो अब कोई हरज नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.44:– रेशम के कीड़े और उनके अण्डों की बैअ् जाइज़ है। (तनवीर) दो शख़्स अगर रेशम के कीड़ों में शिरकत करें यह जब हो सकती है कि अण्डे दोनों के हों, और काम भी दोनों करें और जितने जितने अण्डे हों उन्हीं के हिसाब से शिरकत के हिस्से हों यह नहीं हो सकता कि एक के अण्डे हों और एक काम करे और दोनों निस्फ़ निस्फ़ या कम व बेश के शरीक हों बल्कि अगर ऐसा किया है तो कीड़े उसके होंगे जिसके अण्डे हैं और काम करने वालों के लिये उजरते मिस्ल मिलेगी। यूँही अगर गाय, बकरी, मुर्ग़ी, किसी को आधे आध पर देदी कि वह खिलायेगा, चरायेगा और जो बच्चे होंगे दोनों आधे आधे बांट लेंगे जैसा कि अकसर देहातों में करते हैं यह तरीक़ा ग़लत है बच्चों में शिरकत नहीं होगी बल्कि बच्चे उसके होंगे जिसके जानवर हैं उस दूसरे को चारे की क़ीमत जब कि अपना खिलाया हो और चराई और रखवाली की उजरत मिस्ल मिलेगी यूँही अगर एक शख़्स ने अपनी ज़मीन दूसरे को पेड़ लगाने के लिये एक मुद्दते मुअय्यन तक के लिये देदी कि दरख़्त और फल दोनों निस्फ़ निस्फ़ लेंगे यह भी सहीह नहीं वह दरख़्त और फल कुल मालिके ज़मीन के होंगे और दूसरे के लिये दरख़्त की वह कीमत मिलेगी नसब करने के दिन थी और जो कुछ काम किया है उसकी उजरते मिस्ल मिलेगी। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.45:– भागे हुए गुलाम की बैअ् ना'जाइज़ है और अगर जिसके हाथ बेचता है वह गुलाम भागकर उसी के यहाँ छुपा हो तो बैअ् सहीह है फिर अगर मुश्तरी ने उस गुलाम पर क़ब्ज़ा करते वक़्त किसी को गवाह नहीं बनाया है तो बैअ् के लिये जदीद क़ब्ज़ा की ज़रूरत नहीं यानी फ़र्ज़ करो बैअ् के बाद ही मरगया तो मुश्तरी को समन देना पड़ेगा और क़ब्ज़ा करते वक़्त गवाह कर लिया है तो यह क़ब्ज़ा बैअ् के क़ब्ज़ा के क़ायम मक़ाम नहीं बल्कि यह क़ब्ज़ा क़ब्ज़ाए अमानत है उसके बाद फिर क़ब्ज़ा करना होगा और इस कब्ज़ा–ए–जदीद से पहले मरा तो बाइअ् का मरा मुश्तरी को कुछ समन देना नहीं पड़ेगा और अगर मुश्तरी के यहाँ नहीं छुपा है मगर जिसके यहाँ है उससे मुश्तरी आसानी के साथ बिग़ैर मुक़द्दमा बाज़ी के ले सकता है जब भी सहीह है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.46:– एक शख़्स ने किसी की कोई चीज़ ग़सब करली है मालिक ने उसको ग़ासिब के हाथ बेच डाला बैअ् सहीह है।

मसअला.47:– औरत के दूध को बेचना ना'जाइज़ है अगरचे उसे निकालकर किसी बर्तन में रख लिया हो अगरचे जिसका दूध हो वह बान्दी हो। (हिदाया, वगै़रह)

मसअला.48:– ख़िन्ज़ीर के बाल या और किसी जुज़ की बैअ़ बातिल है और मुर्दार के चमड़े की भी बैअ़ बातिल है जबकि पकाया न हो और दबाग़त करली हो तो बैअ़ जाइज़ है और उसको काम में लाना भी जाइज़ है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.49:– तेल नापाक होगया उस की बैअ़ जाइज़ है और खाने के अ़लावा उसको दूसरे काम में लाना भी जाइज़ है। (दुर्रेमुख़्तार) मगर यह ज़रूर है कि मुश्तरी को उसके नजिस होने की इत्तिलाअ़ देदे ताकि वह खाने के काम में न लाये और यह भी वजह है कि निजासत ऐब है और ऐब पर मुत्तला करना ज़रूर है नापाक तेल मस्जिद में जलाना मना है घर में जला सकता है, उसका इस्तेमाल अगरचे जाइज़ है मगर बदन या कपड़े में जहाँ लग जायेगा नापाक हो जायेगा पाक करना पड़ेगा, बाज़ दवायें इस क़िस्म की बनाई जाती हैं जिस में कोई नापाक चीज़ शामिल करते हैं मसलन किसी जानवर का पित्ता उसको अगर बदन पर लगाए तो पाक करना ज़रूरी है।

मसअला.50:– मुर्दार की चर्बी को बेचना या उससे किसी क़िस्म का नफ़ा उठाना ना'जाइज़ है न उसे चराग़ में जला सकते हैं न चमड़ा पकाने के काम में ला सकते हैं। (रद्दुलमुहतार)

मसअला.51:– मुर्दार का पुट्ठा, हड्डी, पर, चोंच, खुर, नाखुन, इन सबको बेच भी सकते हैं और काम में भी ला सकते हैं. हाथी के दांत और हड्डी को बेच सकते हैं और उसकी चीज़ें बनी हुई इस्तेमाल कर सकते हैं। (रद्दुलमुहतार)

जितने में चीज़ बेची उसको उससे कम दाम में ख़रीदना

मसअला.52:– जिस चीज़ को बैअ़ कर दिया है और अभी पूरा समन (कीमत) वसूल नहीं हुआ है उसको मुश्तरी से कम दाम में ख़रीदना जाइज़ नहीं अगरचे उस वक़्त उसका नर्ख़ कम होगया हो यूँही अगर मुश्तरी मरगया उसके वारिस से ख़रीदी जब भी जाइज़ नहीं मालिक ने खुद नहीं बैअ़ की है बल्कि उसके वकील ने बैअ़ की जब भी यही हुक्म है कि कम में ख़रीदना ना'जाइज़ और अगर उतने में ही ख़रीदी मगर पहले अदाये समन की मीआ़द न थी और अब मीआ़द मुक़र्रर हुई या पहले उस माह की मीआ़द थी और अब दो माह की मीआ़द मुक़र्रर की यह भी ना'जाइज़ है और अगर बाइअ़ मरगया उसके वारिस ने उसी मुश्तरी से कम दाम में ख़रीदी तो जाइज़ है यूहीं बाइअ़ ने उसे ख़रीदी जिसके हाथ मुश्तरी ने बैअ़ करदी है या हिबा करदी है या मुश्तरी ने जिसके लिये उस चीज़ की वसिय्यत की उससे ख़रीदी या खुद मुश्तरी से उसी दाम में या ज़ायद में ख़रीदी या समन पर क़ब्ज़ा करने के बाद ख़रीदी यह सब सूरतें जाइज़ हैं और बाइअ़ के बाप या बेटे या गुलाम या मुकातब ने कम दाम में ख़रीदी तो ना'जाइज़ है, कम दामों में ख़रीदना उस वक़्त ना'जइज़ है जबकि समन उसी जिन्स का हो और मबीअ़ में कोई नुक़सान पैदा न हुआ हो और अगर समन दूसरी जिन्स का हो या मबीअ़ में नुक़सान हुआ हो तो मुतलक़न बैअ़ जाइज़ है, रूपया और अशर्फ़ी इस बारे में एक जिन्स क़रार पायेंगी लिहाज़ा अगर बीस रूपये में बेची थी और अब एक अशरफ़ी में ख़रीदी जिसकी क़ीमत उस वक़्त पन्द्रह रूपये है नाजाइज़ है और अगर कपड़े या सामान के बदले में ख़रीदी जिसकी क़ीमत पन्द्रह रूपये है जाइज़ है। (आलमगीरी, दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअला.53:– एक शख़्स ने दूसरे से मन भर गेहूँ क़र्ज़ लिये उसके बाद क़र्ज़दार ने क़र्ज़ख़्वाह से पाँच सौ रूपये में वह मन भर गेहूँ जो उसके हैं ख़रीद लिये यह बैअ़ जाइज़ है और वह रूपये अगर उसी मज्लिस में अदा करदिये तो बैअ़ नाफ़िज़ है वरना बातिल हो जायेगी। (आलमगीरी)

मसअला.54:– एक शख़्स ने दूसरे से दस रूपये क़र्ज़ लिये और क़ब्ज़ा करने के बाद मदयून ने दायन से एक अशर्फ़ी में ख़रीद लिये यह बैअ़ जाइज़ है फिर अगर अशर्फ़ी मज्लिस में देदी बैअ़ सहीह रही वरना बातिल हो गई। (आलमगीरी)

मसअला.55:– मुश्तरी ने दूसरे के हाथ चीज़ बेच डाली मगर यह बैअ् फ़स्ख होगई अगर यह फ़स्ख सबके हक़ में फ़स्ख क़रार पाये तो बाइअ् अव्वल को कम दामों में ख़रीदना जाइज़ नहीं और अगर इसी तरह का फ़स्ख हो कि महज़ उन दोनों के हक़ में फ़स्ख दूसरों के हक़ में बैअ़े जदीद हो जैसे इक़ाला तो कम में ख़रीदना जाइज़। (आलमगीरी)

मसअला.56:– मुश्तरी ने मबीअ् को हिबा करदिया और क़ब्ज़ा भी देदिया अगर फिर वापस लेली और बाइअ् के हाथ कम दाम में बेच डाली यह ना'जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअला.57:– एक चीज़ ख़रीदी अभी उसपर क़ब्ज़ा नहीं किया है यह और एक दूसरी चीज़ जो उसकी मिल्क में है दोनों को एक साथ मिलाकर बैअ् किया उसकी बैअ् दुरुस्त है जो उसके पास की है।(आलमगीरी)

मसअला.58:– एक चीज़ हज़ार रूपये में ख़रीदी और कब्ज़ा भी कर लिया मगर अभी समन अदा नही किया है कि यह और एक दूसरी चीज़ उसी बाइअ् के हाथ हज़ार रूपये में बेची हर एक पाँच सौ में दूसरी चीज़ की बैअ् सहीह है और उसकी सहीह नहीं जो उसी से ख़रीदी है और अगर समन अदा कर दिया है तो दोनों की बैअ् सहीह है और दूसरे के हाथ बैअ् की तो दोनों की दोनों सूरतों में सहीह है। (हिदाया, आलमगीरी)

मसअला.59:– तेल बेचा और यह ठहरा कि बर्तन समेत तोला जायेगा और बर्तन का इतना वज़न काट दिया जायेगा मसलन एक सेर यह ना'जाअज़ है और अगर यह ठहरा कि बर्तन का जो वज़न है वह काट दिया जायेगा मसलन एक सेर है तो एक सेर डेढ़ सेर हो तो डेढ़ सेर यह जाइज़ है यूँही अगर दोनों को मालूम है कि बर्तन का वज़न एक सेर है और यह ठहरा कि बर्तन का वज़न एक सेर मुजरा किया जायेगा यह भी जाइज़ है। (हिदाया,दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.60:– तेल या घी ख़रीदा और बर्तन समेत तौला गया और ठहरा यह कि बर्तन का जो वज़न होगा मुजरा करदिया जायेगा मुश्तरी बर्तन ख़ाली करके लाया और कहता है इस का वज़न मसलन दो सेर है बाइअ् कहता है यह वह बर्तन नहीं, मेरा बर्तन एक सेर वज़न का था तो क़सम के साथ मुश्तरी का कौल मोअ्तबर होगा क्योंकि इस इख़्तिलाफ़ से अगर मक़सूद बरतन है तो मुश्तरी क़ाबिज़ है और क़ाबिज़ का क़ौल मोअ्तबर होता है और मक़सूद समन में इख़्तिलाफ़ है कि एक सेर की क़ीमत बाइअ् तलब करता है और मुश्तरी मुन्किर (इनकार करने वाला) है तो मुन्किर का क़ौल मोअ्तबर होता है। (हिदाया)

मसअला.61:– रास्ता यानी उसकी ज़मीन की बैअ् व हिबा जाइज़ है जबकि वह ज़मीन बाइअ् की मिल्क हो न यह कि फ़क़त हक़्क़े मरूर (हक़्क़े आसाइश) हो मसलन उसके घर का रास्ता दूसरे के घर में से हो और रास्ते की ज़मीन उसकी हो। अगर उस ज़मीन रास्ते के तूल व अर्ज़ मज़कूर हैं जब तो ज़ाहिर है वरना उस मकान का जो बड़ा दरवाज़ा है उतनी चौड़ाई और कूचा–ए–नाफ़िज़ा तक लम्बाई ली जायेगी, और जो रास्ता कूचा–ए–नाफिज़ा या कूचा–ए–सर बस्ता में निकला है जो ख़ास बाइअ् की मिल्क में नहीं है बल्कि उसमें सबके लिये हक़्क़े आसाइश है मकान ख़रीदने में वह तबअन दाख़िल हो जाता है ख़ासकर उसे ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होती। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.62:– ज़मीन या मकान की बैअ् हुई और रास्ते का हक़्क़े मरूर तबअन बैअ् किया गया मसलन जमीअ़ हुकुक़ या तमाम मुराफ़िक़ के साथ बैअ् की तो बैअ् दुरुस्त है और तन्हा रास्ते का हक़्क़े मरूर बेचा गया तो दुरुस्त नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.63:– मकान से पानी बहने का रास्ता या खेत में पानी आने का रास्ता बेचना दुरुस्त नहीं यानी महज़ हक़ बेचना भी ना'जाइज़ है और ज़मीन जिसपर पानी गुज़रेगा वह भी बैअ् नहीं की जा सकती जबकि उसका तूल व अर्ज़ बयान न किया गया हो और अगर बयान कर दिया हो तो जाइज़ है। (हिदाया, फ़तहुलक़दीर)

मसअला.64:– एक शख़्स ने दूसरे से कहा जो मेरा हिस्सा इस मकान में है उसे मैंने तेरे हाथ बैअ्

किया और बाइअ् को मा'लूम नहीं कि कितना हिस्सा है मगर मुश्तरी को मा'लूम है तो बैअ् जाइज़ है और अगर मुश्तरी को मा'लूम न हो तो जाइज़ नहीं अगरचे बाइअ् को मा'लूम हो। (आलमगीरी)

मसअ्ला.65:– एक शख़्स के हाथ बैअ् करके फिर उसको दूसरे के हाथ बेचना ह़राम व बातिल है कि पहली बैअ् अगर फ़स्ख़ भी करदी जाये जब भी दूसरी नहीं हो सकती हाँ अगर मुश्तरी–ए–अव्वल ने क़ब्ज़ा कर लिया है तो दूसरी बैअ् उसकी इजाज़त पर मौक़ूफ़ है। (रद्दुलमुह़तार)

मसअ्ला.66:– जिस बैअ् में मबीअ् या समन मजहूल है वह बैअ् फ़ासिद है जबकि ऐसी जिहालत हो कि तस्लीम में नज़अ् (झगड़ा) होसके और अगर तस्लीम में कोई दुश्वारी न हो तो फ़ासिद नहीं मसलन गेहूँ की पूरी बोरी पाँच सौ रूपये में ख़रीद ली और मा'लूम नहीं कि उसमें कितने गेहूं हैं या कपड़े की गांठ ख़रीदली और मा'लूम नहीं कि उस में कितने थान हैं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.67:– बैअ् में कभी ऐसा होता है कि अदाये समन के लिये कोई मुद्दत मुक़र्रर होती है और कभी नहीं अगर मुद्दत मुक़र्रर न हो तो समन का मुतालबा बाइअ् जब चाहे करे और जब तक मुश्तरी समन न अदा करे मबीअ् को रोक सकता है और दावा करके वुसूल कर सकता है और अगर मुद्दत मुक़र्रर है तो क़ब्ले मुद्दत मुतालबा नहीं कर सकता मगर मुद्दत ऐसी मुक़र्रर हो जिसमें जिहालत न रहे कि झगड़ा हो अगर मुद्दत ऐसी मुक़र्रर की जो फ़रीक़ैन न जानते हों या एक को उसका इल्म न हो तो बैअ् फ़ासिद है मसलन नौ रोज़ (ईरानी शमसी साल का पहला दिन) और महरगान या होली, (हिन्दुओं का एक त्योहार जो मौसमे बहार में मनाया जाता है) दीवाली कि अकसर मुसलमान यह नहीं जानते कि कब होगी और जानते हों तो बैअ् हो जायेगी (मगर मुसलमानो को अपने कामों में कुफ़्फ़ार के त्योहारों की तारीख़ मुक़र्रर करना बहुत क़बीह (बुरी) है) हुज्जाज की आमद का दिन मुक़र्रर करना खेत कटने और पैर (अनाज साफ़ करने की जगह) में से ग़ल्ला उठने की तारीख़ मुक़र्रर करना बैअ् को फ़ासिद कर देगा कि यह चीज़ें आगे पीछे हुआ करती हैं अगर अदाये समन के लिये यह औक़ात मुक़र्रर किये थे मगर उन औक़ात के आने से पहले मुश्तरी ने यह मीआ़द साकित (ख़त्म) करदी तो बैअ् सह़ीह़ हो जायेगी जबकि दोनों में से किसी ने अब तक बैअ् को फ़स्ख़ न किया हो। (हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.68:– बैअ् में ऐसे नामा'लूम औक़ात मज़कूर नहीं हुए अ़क़्दे बैअ् हो जाने के बा'द अदाये समन के लिये इस क़िस्म की मीआ़दें मुक़र्रर कीं यह मुज़िर नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.69:– आंधी चलने बारिश होने को अदाये समन का वक़्त मुक़र्रर किया तो बैअ् फ़ासिद है और अगर इन चीज़ों को मीआ़द मुक़र्रर किया फिर उस मीआ़द को साकित कर दिया तो यह बैअ् अब भी सह़ीह़ न होगी। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुह़तार)

बैअ् फ़ासिद के अह़काम

मसअ्ला.70:– बैअ़े फ़ासिद का हुक्म यह है कि अगर मुश्तरी ने बाइअ् की इजाज़त से मबीअ् पर क़ब्ज़ा करलिया तो मबीअ् का मालिक होगया और जब तक क़ब्ज़ा न किया हो मालिक नहीं, बाइअ् की इजाज़त सराह़तन हो या दलालतन, सराह़तन इजाज़त हो तो मज्लिसे अ़क़्द में क़ब्ज़ा करे या बा'द में बहर ह़ाल मालिक होजायेगा और दलालतन यह कि मसलन मज्लिसे अ़क़्द में मुश्तरी ने बाइअ् के सामने क़ब्ज़ा किया और उसने मना न किया और मज्लिसे अ़क़्द के बा'द सराह़तन इजाज़त की ज़रूरत है दलालतन काफ़ी नहीं मगर जबकि बाइअ् समन पर क़ब्ज़ा करके मालिक होगया तो अब मज्लिसे अ़क़्द के बा'द उसके सामने क़ब्ज़ा करना और उसको मना न करना इजाज़त है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुह़तार)

मसअ्ला.71:– यह जो कहा गया कि क़ब्ज़ा से मालिक हो जाता है उससे मुराद मिल्के ख़बीस है क्योंकि जो चीज़ बैअ् फ़ासिद से ह़ासिल होगी उसे वापस करना वाजिब है और मुश्तरी को उस में तसर्रुफ़ करना मना है बैअ़े फ़ासिद में क़ब्ज़ा से चूँकि मिल्क ह़ासिल होती है अगरचे मिल्के ख़बीस है लिहाज़ा मिल्क के कुछ अह़काम साबित होंगे मस्लन (1)उसपर दावा हो सकता है (2)उसको बैअ् करेगा तो समन उसे मिलेगा, (3)आज़ाद करेगा तो आज़ाद हो जायेगा (4)और विला का हक़ भी

उसी को मिलेगा (5)और बाइअ् आज़ाद करेगा तो आज़ाद न होगा (6)और अगर उसके पड़ोस में कोई मकान फ़रोख़्त होगा तो शुफ़आ मुश्तरी का होगा बाइअ् का नहीं होगा और चूँकि यह मिल्क ख़बीस है लिहाज़ा उसके बाज़ अहकाम साबित नहीं होंगे (1)अगर खाने की चीज़ है तो उसका खाना (2)पहनने की चीज़ है तो पहनना हलाल नहीं (3)कनीज़ है तो वती करना हलाल नहीं (4)और बाइअ् का उससे निकाह ना'जाइज़, (5)और अगर मकान है तो उसके पड़ोस वाले को या ख़लीत (वह शख़्स जो हक़्क़े बैअफ में शरीक हो) को शुफ़आ का हक़ नहीं हाँ अगर मुश्तरी ने उसमें कोई तामीर की तो अब उसका पड़ोसी शुफ़आ कर सकता है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.72:– बैअ़े फ़ासिद में मुश्तरी पर अव्वलन यही लाज़िम है कि क़ब्ज़ा न करे और बाइअ् पर भी लाज़िम है कि मना करदे बल्कि हर एक पर बैअ् फ़स्ख़ कर देना वाजिब और क़ब्ज़ा कर ही लिया तो वाजिब है कि बैअ् को फ़स्ख़ करके मबीअ् को वापस करले या करदे, फ़स्ख़ न करना गुनाह है और अगर वापसी न होसके मसलन मबीअ् हलाक होगई या ऐसी सूरत पैदा होगई कि वापसी नहीं हो सकती (जिसका बयान आता है) तो मुश्तरी मबीअ् की मिस्ल वापस करे अगर मिस्ली हो और क़ीमती हो तो क़ीमत अदा करे (यानी उस चीज़ की वाजिबी क़ीमत न कि समन जो ठहरा है) और क़ीमत में क़ब्ज़ा के दिन का एअ्तिबार है यानी बरोज़ कब्ज़ा जो उसकी क़ीमत थी वह दे हाँ अगर गुलाम को बैअ़े फ़ासिद से ख़रीदा है और आज़ाद कर दिया तो समन वाजिब है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.73:– अगर क़ीमत में बाइअ् व मुश्तरी का इख़्तिलाफ़ है तो मुश्तरी का क़ौल मोअ्तबर है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.74:– इकराह व जब्र (ज़बरदस्ती) के साथ बैअ् हुई तो यह बैअ् फ़ासिद है मगर जिसपर जब्र किया गया उसको फ़स्ख़ करना वाजिब नहीं बल्कि इख़्तेयार है कि फ़स्ख़ करे या नाफ़िज़ कर दे मगर जिसने जब्र किया है उस पर फ़स्ख़ करना वाजिब है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.75:– बैअ़े फ़ासिद में अगर मुश्तरी ने मबीअ् पर बिग़ैर इजाज़ते बाइअ् क़ब्ज़ा किया तो न क़ब्ज़ा हुआ न मालिक हुआ न उसके तसर्रुफ़ात जारी होंगे। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला.76:– बैअ़े फ़ासिद को फ़स्ख़ करने के लिये क़ज़ाए क़ाज़ी की भी ज़रूरत नहीं कि उसका फ़स्ख़ करना खुद उन दोनों पर शरअ़न वाजिब है और उसकी भी ज़रूरत नहीं कि दूसरा राज़ी हो और उसकी भी ज़रूरत नहीं कि दूसरे के सामने हो हाँ यह ज़रूर है कि दूसरे को फ़स्ख़ का इल्म होजाये और वह दोनों खुद फ़स्ख़ न करें बैअ् पर क़ायम रहना चाहें और क़ाज़ी को उसका इल्म हो जाये तो क़ाज़ी जबरन फ़स्ख़ करदे। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.77:– मुश्तरी ने मबीअ् को वापस देदिया यानी बाइअ् के पास रख दिया कि बाइअ् लेना चाहे तो ले सकता है बाइअ् ने उसे लेने से इन्कार कर दिया मगर मुश्तरी उसके पास छोड़कर चला गया बरीउज्ज़िम्मा हो गया और वह चीज़ अगर ज़ाइअ् होगई तो मुश्तरी तावान नहीं देगा और अगर बाइअ् के इन्कार पर मुश्तरी चीज़ को वापस लेगया तो बरीउज्ज़िम्मा नहीं कि इस सूरत में उसका लेजाना ही जाइज़ नहीं कि बैअ् फ़स्ख़ हो चुकी और फिर ले जाना ग़सब है। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.78:– बैअ़े फ़ासिद में मबीअ् को अगर मुश्तरी ने बाइअ् के लिये हिबा कर दिया या सदक़ा कर दिया या बाइअ् के हाथ बेच डाला या आ़रियत, इजारह, ग़सब वदीअ़त के ज़रिये ग़र्ज़ किसी तरह वह चीज़ बाइअ् के हाथ पहुँचगई बैअ् का मुतारका होगया और मुश्तरी बरिउज्ज़िम्मा होगया कि समन या क़ीमत उसके ज़िम्मे लाज़िम नहीं, यहाँ एक क़ायदा कुल्लिया (सामान्य नियम) याद रखने का है कि जब एक चीज़ का कोई शख़्स किसी वजह से मुस्तहिक़ है और वह चीज़ उसको दूसरे तरीक़े पर हासिल हो तो उसी वजह से मिलना क़रार पायेगा जिस वजह से मिलने का हक़दार था और जिस वजह से हासिल हुई उसका एअ्तिबार नहीं बशर्ते कि उसी शख़्स से मिले जिस पर उसका हक़ था मसलन यूँ समझो कि किसी ने उसकी चीज़ ग़सब करली है फिर ग़ासिब से उसने वह चीज़ ख़रीदी तो यह बैअ् नहीं मानी जायेगी बल्कि उसकी चीज़ थी जो उसे मिलगई और अगर वह

चीज़ उसे नहीं मिली जिसपर उसका हक़ था दूसरे से मिली तो जिस वजह से हासिल हुई उसका एअ्तिबार होगा मसलन बैअ़े फ़ासिद में मुश्तरी ने वह चीज़ बैअ़ करदी या किसी को हिबा करदी उससे बाइअ़ अव्वल को हासिल हुई तो मुश्तरी बरिउज्ज़िम्मा नहीं उसे ज़मान देना पड़ेगा। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

फ़स्ख़ को रोकने वाली

मसअ्ला.79:– बैअ़े फ़ासिद में मुश्तरी ने क़ब्ज़ा करने के बाद उस चीज़ को बाइअ़ के अ़लावा दूसरे के हाथ बेच डाला और यह बैअ़ सहीह बात (क़तई) हो या हिबा करके क़ब्ज़ा दिलाया या आज़ाद कर दिया या मुकातब किया या कनीज़ थी मुश्तरी के उससे बच्चा पैदा हुआ या ग़ल्ला था उसे पिसवाया या उसको दूसरे ग़ल्ले में ख़लत (मिलाना) कर दिया या जानवर था ज़बह कर डाला या मबीअ़ को वक़्फ़े सहीह कर दिया या रेहन रख दिया और क़ब्ज़ा देदिया या वसिय्यत करके मरगया या सदक़ा दे डाला ग़र्ज़ यह कि किसी तरह मुश्तरी की मिल्क से निकल गई तो अब वह बैअ़ फ़ासिद नाफ़िज़ हो जायेगी और अब फ़स्ख़ नहीं हो सकती और अगर मुश्तरी ने बैअ़े फ़ासिद के साथ बेचा या बैअ़ में ख़्यारे शर्त था तो फ़स्ख़ का हुक्म बाक़ी है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.80:– इकराह के साथ अगर बैअ़ हुई और मुश्तरी ने क़ब्ज़ा करके मबीअ़ में तसर्रुफ़ात किये तो सारे तसर्रुफ़ात बेकार क़रार दिये जायेंगे और बाइअ़ को अब भी यह हक़ हासिल है कि बैअ़ को फ़स्ख़ करदे मगर मुश्तरी ने आज़ाद कर दिया तो इत्क़ नाफ़िज़ होगा और मुश्तरी को गुलाम की क़ीमत देनी पड़ेगी। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.81:– मुश्तरी ने क़ब्ज़ा नहीं किया है और बाइअ़ को उसने हुक्म देदिया कि उसको आज़ाद करदे या हुक्म दिया कि ग़ल्ला को पिसवादे या दूसरे ग़ल्ला में उसे मिलादे या जानवर को ज़िबह करदे बाइअ़ ने उसके हुक्म से यह काम किये तो मुश्तरी पर ज़मान वाजिब होगया और बाइअ़ का यह अफ़आ़ल करना ही मुश्तरी का क़ब्ज़ा माना जायेगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.82:– मबीअ़ को मुश्तरी ने किराये पर देदिया या लोन्डी थी उसका निकाह कर दिया तो अब भी बैअ़ को फ़स्ख़ कर सकते हैं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.83:– जिस वजह से फ़स्ख़ मुमतनेअ़ (यानी बैअ़ ख़त्म न कर सकता हो) हो गया अगर वह जाती रही मसलन हिबा कर दिया था उसे वापस लेलिया, रेहन को छुड़ा लिंया, मुकातब बदले किताबत अदा करने से आजिज़ हो गया, तो फ़स्ख़ का हुक्म फिर लौट आया हाँ अगर क़ाज़ी ने इन तसर्रुफ़ात के बाद क़ीमत अदा करने का मुश्तरी पर हुक्म देदिया तो अब बादे रुजूअ़ व ज़वाले उ़ज़्र (उ़ज़्र के ख़त्म होने के बाद) भी फ़स्ख़ न होगी। (फ़तहुल क़दीर)

मसअ्ला.84:– बाइअ़ व मुश्तरी में से कोई मरगया जब भी फ़स्ख़ का हुक्म बदस्तूर बाक़ी है उसका वारिस उसके क़ायम मक़ाम है वह फ़स्ख़ करे। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.85:– बैअ़े फ़ासिद को फ़स्ख़ कर दिया तो बाइअ़ मबीअ़ को वापस नहीं ले सकता जब तक समन या क़ीमत वापस न करे फिर अगर बाइअ़ के पास वही रूपये मौजूद हैं तो बैअ़ नहीं उन्हीं को वापस करना ज़रूरी है और ख़र्च होगये तो इतने रूपये ही वापस करे। (हिदाया)

मसअ्ला.86:– बैअ़ फ़स्ख़ हो चुकी है और बाइअ़ ने अभी समन वापस नहीं किया है और मरगया तो मुश्तरी उस मबीअ़ का हक़दार है यानी अगर बाइअ़ पर लोगों के दुयून थे तो यह नहीं हो सकता कि उस मबीअ़ से दूसरे क़र्ज़ख़्वाह अपने मुतालबात वुसूल करें बल्कि उसका हक़ तजहीज़ व तकफ़ीन पर भी मुक़द्दम है मसलन फ़र्ज़ करो मबीअ़ कपड़ा है लोग यह चाहते हैं कि उसी का कफ़न देदिया जाये यह कह सकता है जब तक समन वापस नहीं मिलेगा मैं नहीं दूँगा यूँही अगर बाइअ़ के मरने के बाद उसके वारिस या मुश्तरी ने बैअ़ को फ़स्ख़ किया तो मुश्तरी मबीअ़ को अपना हक़ वुसूल करने के लिये रोक सकता है। (हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.87:– ज़मीन बतौरे बैअ़ फ़ासिद ख़रीदी थी उसमें दरख़्त नसब कर दिये या मकान ख़रीदा

था उसमें तामीर की तो मुश्तरी पर क़ीमत देनी वाजिब है और अब बैअ़ फ़स्ख़ नहीं हो सकती, यूँही ज़मीन में ज़्यादते मुत्तसिला ग़ैर मुतवल्लिद मानेअ़ फ़स्ख़ है (यानी मबीअ़ में इज़ाफ़ा मबीअ़ के साथ मिला हुआ हो और उसकी वजह से न हो) मसलन कपड़े को रंग दिया, सी दिया, सत्तू में घी मिला दिया, गेहूँ का आटा पिसवा लिया, रूई का सूत कात लिया, और ज़्यादते मुत्तसिला मुतवल्लिद जैसे मोटापा या ज़्यादते मुनफ़सिला मुतवल्लिदा मसलन जानवर के बच्चा पैदा हुआ यह मानेअ़ फ़स्ख़ नहीं मबीअ़ और ज़्यादत दोनों को वापस करे। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.88:– ज़्यादते मुनफ़सिला मुतवल्लिदा अगर मुश्तरी के पास हलाक होगई तो उसका तावान नहीं और उसने ख़ुद हलाक करदी तो उसका तावान देगा और अगर ज़्यादत बाक़ी है और मबीअ़ हलाक होगई तो ज़्यादत को वापस करे और मबीअ़ की क़ीमत वह दे जो क़ब्ज़ा के दिन थी और अगर ज़्यादते मुनफ़सिला ग़ैर मुतवल्लिदा है जैसे ग़ुलाम था उसने कुछ कमाया उसका भी हुक्म यही है कि मबीअ़ और ज़्यादत दोनों को वापस करे मगर इस ज़्यादत को बाइअ़ सदक़ा करदे उसके लिये यह तय्यिब नहीं और यह ज़्यादत हलाक होगई या मुश्तरी ने ख़ुद हलाक करदी दोनों सूरतों में मुश्तरी पर उसका तावान नहीं। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.89:– मबीअ़ में अगर नुक़सान पैदा होगया और यह नुक़सान मुश्तरी के फ़ेअ्ल से हुआ या ख़ुद मबीअ़ के फ़ेअ्ल से हुआ या आफ़ते समावी (प्राकृतिक आपदा) से हुआ बाइअ़ मुश्तरी से मबीअ़ को वापस लेगा और उस नुक़सान का मुआवज़ा भी लेगा मसलन कपड़े को मुश्तरी ने क़तअ़ करा लिया है मगर अभी सिलवाया नहीं तो बाइअ़ मुश्तरी से वह कपड़ा लेगा और क़तअ़ हो जाने से जो क़ीमत में कमी होगई वह लेगा और अगर वह नुक़सान दफ़ा होगया तो जो कुछ उसका मुआवज़ा लेचुका है बाइअ़ वापस करे मसलन कनीज़ थी उसकी आँख ख़राब होगई जिसका नुक़सान लिया फिर अच्छी होगई तो वापस करदे या लोन्डी का निकाह करदिया था फिर बैअ़ फ़स्ख़ होगई और निकाह करने से जो नुक़सान हुआ बाइअ़ ने मुश्तरी से वुसूल किया फिर उसके शौहर ने क़ब्ले दुख़ूल तलाक़ देदी तो यह मुआवज़ा वापस करदे, और अगर मबीअ़ में नुक़सान किसी अजनबी शख़्स के फ़ेअ्ल से हुआ तो बाइअ़ को इख़्तेयार है कि उसका मुआवज़ा उस अजनबी से ले या मुश्तरी से अगर मुश्तरी से लेगा तो मुश्तरी वह रक़म उस अजनबी से वुसूल करेगा, मबीअ़ में नुक़सान ख़ुद बाइअ़ ने किया तो यह नुक़सान पहुँचाना ही वापस करना है यानी फ़र्ज़ करो अगर वह मबीअ़ मुश्तरी के पास हलाक होगई और मुश्तरी ने उसको बाइअ़ से रोका न हो तो बाइअ़ की हलाक हुई मुश्तरी उसका तावान नहीं देगा और समन दे चुका है तो वापस लेगा अगर मुश्तरी की तरफ़ से मबीअ़ की वापसी में रुकावट हुई उसके बाद हलाक हुई तो दो सूरतें हैं यह हलाक होना उसी नुक़सान पहुँचाने से हुआ यानी यहाँ तक उसका असर हुआ कि हलाक होगई जब भी बाइअ़ की हलाक हुई मुश्तरी पर तावान नहीं और अगर उसके असर से न हो तो मुश्तरी को तावान देना होगा मगर वह नुक़सान जो बाइअ़ ने किया है उसका मुआवज़ा उसमें से कम कर दिया जाये। (आलमगीरी)

बैअ़ फ़ासिद में मबीअ़ या समन से नफ़ा हासिल करना

मसअ्ला.90:– कोई चीज़ मुअय्यन मसलन कपड़ा या कनीज़ सौ रूपये में बैअ़े फ़ासिद के तौर पर ख़रीदी और तक़ाबुज़े बदलैन (दोनों तरफ़ क़ब्ज़ा होना) भी हो गया मुश्तरी ने मबीअ़ से नफ़ा उठाया मसलन उसे सवा सौ में बेच दिया और बाइअ़ ने समन से नफ़ा उठाया कि उससे कोई चीज़ ख़रीदकर सवा सौ में बेची तो मुश्तरी के लिये वह नफ़ा ख़बीस है सदक़ा करदे और बाइअ़ ने समन से जो नफ़ा हासिल किया है उसके लिये हलाल है और अगर बैअ़े फ़ासिद में दोनों जानिब ग़ैर नूक़ूद हों (जिसे बैअ़े मुक़ायज़ा (सामान को सामान के बदले में बेचना) कहते हैं) मस्लन गुलाम को घोड़े के बदले में बेचा और दोनों ने क़ब्ज़ा करके नफ़ा उठाया तो दोनों के लिये नफ़अ़ ख़बीस है दोनों नफ़ा को सदक़ा करदें। (हिदाया, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.91:– एक शख़्स ने दूसरे पर माल का दावा किया मुद्दाअलैह ने देदिया उस माल से मुद्दई ने

कुछ नफ़ा हासिल किया फिर दोनों ने उस पर इत्तिफ़ाक़ किया कि वह माल नहीं चाहिये था तो जो कुछ नफ़ा उठाया है मुद्दई के लिये हलाल है। (हिदाया) मगर यह उस वक़्त है कि मुद्दई के ख़्याल में यही था कि यह माल मेरा है और अगर क़स्दन ग़लत तौर पर मुतालबा किया और लिया तो यह लेना हराम है और उसका नफ़ा भी ना'जाइज़ व ख़बीस, ग़ासिब ने मग़सूब से जो कुछ नफ़ा उठाया है हराम है। (फतह,दुर्रेमुख़्तार)

हराम माल को क्या करे

मसअ्ला.92:– मूरिस ने हराम तरीक़े पर माल हासिल किया था अब वारिस को मिला अगर वारिस को मालूम है कि यह माल फ़ुलाँ का है तो दे देना वाजिब है और यह मालूम न हुआ कि किसका है तो मालिक की तरफ़ से सदक़ा करदे और अगर मूरिस का माले हराम और माले हलाल ख़लत हो गया है यह नहीं मालूम कि कौन हराम है कौन हलाल मसलन उसने रिश्वत ली है या सूद लिया है और यह माले हराम मुमताज़ नहीं है तो फ़तवा का हुक्म यह होगा कि वारिस के लिये हलाल है और दयानत उसको चाहती है कि उससे बचना चाहिये। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.93:– मुश्तरी पर यह लाज़िम नहीं कि बाइअ् से यह दरयाफ़्त करे कि यह माले हलाल है या हराम हाँ अगर बाइअ् ऐसा शख़्स है कि हलाल व हराम यानी चोरी ग़सब वग़ैरह सब ही तरह की चीज़ें बेचता है तो एहतेयात यह है कि दरयाफ़्त करले हलाल हो तो ख़रीदे वरना ख़रीदना जाइज़ नहीं। (ख़ानिया, आलमगीरी)

मसअ्ला.94:– मकान ख़रीदा जिसकी कड़ियों में रूपये मिले तो बाइअ् को वापस करदे और बाइअ् लेने से इन्कार करे तो सदक़ा करदे। (ख़ानिया)

बैअ् मकरूह का बयान

हदीस् (1) बुख़ारी व मुस्लिम अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया "ग़ल्ला लाने वाले क़ाफ़िला का बैअ् के लिये बाज़ार में पहुँचने से पहले इस्तिक़बाल न करो और एक शख़्स दूसरे की बैअ् पर बैअ् न करे और नजश (मबीअ् की क़ीमत बढ़ाये और खुद ख़रीदने का इरादा न रखता हो) न करो और शहरी आदमी देहाती के लिये बैअ् न करे"।

हदीस् (2) सहीह मुस्लिम में उन्हीं से मरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया "ग़ल्ला वाले क़ाफ़िले का इस्तिक़बाल न करो और अगर किसी ने इस्तिक़बाल करके उससे ख़रीद लिया फिर वह मालिक (बाइअ्) बाज़ार में आया तो उसे इख़्तेयार है यानी अगर ख़रीदने वाले ने बाज़ार का ग़लत नर्ख़ बताकर उससे ख़रीद लिया है तो मालिक बैअ् को फ़स्ख़ कर सकता है"।

हदीस् (3) सहीह मुस्लिम में इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया "कोई शख़्स अपने भाई की बैअ् पर बैअ् न करे और उसके पैग़ाम पर पैग़ाम न दे मगर इस सूरत में कि उसने इजाज़त देदी हो"।

हदीस् (4) सहीह मुस्लिम में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर ने फ़रमाया "कोई शख़्स अपने मुसलमान भाई के नर्ख़ पर नर्ख़ न करे यानी एक ने दाम चुका लिया हो तो दूसरा उसका दाम न लगाये"।

हदीस (5) सहीह मुस्लिम में जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया "शहरी आदमी देहाती के लिये बैअ् न करे लोगों को छोड़ो एक से दूसरे को अल्लाह तआला रोज़ी पहुँचाता है"।

हदीस् (6) तिर्मिज़ी व अबूदाऊद व इब्ने माजा अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने (एक शख़्स का) टाट और प्याला बैअ् किया इरशाद फ़रमाया कि उन दोनों को कौन ख़रीदता है एक साहब बोले मैं एक दिरहम में ख़रीदता हूँ इरशाद फ़रमाया एक दिरहम से ज़्यादा कौन देता है दूसरे साहब बोले मैं दो दिरहम में लेना चाहता हूँ उनके हाथ दोनों को बैअ् कर दिया।

हदीस् (7) सहीह मुस्लिम शरीफ़ में मअ्मर से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया "एहतिकार (जमा ख़ोरी) करने वाला ख़ातृी है।

हदीस् (8) इब्ने माजा व दारमी अमीरुलमोमेनीन उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया "बाहर से ग़ल्ला लाने वाले मरज़ूक़ है और एहतिकार करने वाला (ग़ल्ला रोकने वाला) मलऊन है"।

हदीस् (9) रज़ीन ने इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया "जिसने चालीस दिन ग़ल्ला रोका गिरां (महंगा) करने का उसका इरादा है वह अल्लाह से बरी है अल्लाह उससे बरी"।

हदीस् (10) बैहक़ी व रज़ीन हज़रत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया "जिसने मुसलमान पर ग़ल्ला रोक दिया अल्लाह तआला उसे जुज़ाम (कोढ़) व अफ़लास में मुब्तला फ़रमायेगा"।

हदीस् (11) बैहक़ी व तिबरानी व रज़ीन मआज़ रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम को फ़रमाते सुना "ग़ल्ला रोकने वाला बुरा बन्दा है कि अगर अल्लाह तआला नर्ख़ सस्ता करता है वह ग़मगीन होता है और अगर गिरां करता है तो खुश होता है"।

हदीस् (12) रज़ीन अबू उमामा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया "जिसने चालीस रोज़ ग़ल्ला रोका फिर वह सब ख़ैरात कर दिया तो भी कफ़्फ़ारा अदा न हुआ"।

हदीस् (13) तिर्मिज़ी व अबू दाऊद व इब्ने माजा व दारमी अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कहते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम के ज़माने में ग़ल्ला गिरां होगया लोगों ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह नर्ख़ मुक़र्रर फ़रमा दीजिये इरशाद फ़रमाया कि "नर्ख़ मुक़र्रर करने वाला, तंगी करने वाला, कुशादगी करने वाला अल्लाह है और मैं उम्मीद करता हूँ कि खुदा से इस हाल में मिलूँ कि कोई मुझ से किसी हक़ का मुतालबा न करे न ख़ून के मुतअल्लिक़ न माल के मुतअल्लिक़"।

हदीस् (14) हाकिम व बैहक़ी बुरीदा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं मैं हज़रत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु के पास बैठा था कि उन्होंने रोने वाली की आवाज़ सुनी अपने गुलाम यरफ़ा से फ़रमाया देखो यह कैसी आवाज़ है वह देखकर आये और यह कहा कि एक लड़की है जिसकी माँ बेची जा रही है फ़रमाया मुहाजिरीन और अन्सार को बुलाओ एक घड़ी गुज़री थी कि तमाम मकान व हुजरा लोगों से भर गया फिर हज़रत उमर ने हम्द व सना के बाद फ़रमाया क्या तुमको मालूम है कि जिस चीज़ को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम लाये हैं उसमें क़तअ् रहम भी है सबने अर्ज़ की कि नहीं फ़रमाया उससे बढ़कर क्या क़तअ् रहम होगा कि किसी की माँ बैअ् की जाये।

हदीस् (15) बैहक़ी ने रिवायत की हज़रत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने आमिलों के पास लिखकर भेजा कि "दो भाईयों को बेचा जाये तो तफ़रीक़ न की जाये"।

मसाइले फ़िक़्हिय्याः— बैअ् मकरूह भी शरअन ममनूअ् है और उसका करने वाला गुनहगार है मगर चूँकि वजह मुमानअत न नफ़्से अक़्द में है न शराइते सेहत में इसलिये उसका मरतबा फ़ुक़हा ने बैअे फ़ासिद से कम रखा है उस बैअ् के फ़स्ख़ करने का भी बाज़ फ़ुक़हा हुक्म देते हैं फ़र्क़ इतना है कि (1)बैअे फ़ासिद को अगर आक़ेदैन फ़स्ख़ न करें तो क़ाज़ी जबरन फ़स्ख़ कर देगा और बैअ् मकरूह को क़ाज़ी फ़स्ख़ न करेगा बल्कि आक़ेदैन के ज़िम्मे दयानतन फ़स्ख़ करना है, (2)बैअे फ़ासिद में क़ीमत वाजिब होती है उसमें समन वाजिब होता है, बैअे (3)फ़ासिद में बिग़ैर क़ब्ज़ा मिल्क

नहीं होती इसमें मुश्तरी क़ब्ले क़ब्ज़ा मालिक हो जाता है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.1:– अज़ाने जुमा के शुरू करने ख़त्मे नमाज़ तक बैअ् मकरूहे तहरीमी है और अज़ान से मुराद पहली आज़ान है कि उसी वक़्त सई वाजिब होती है मगर वह लोग जिन पर जुमा वाजिब नहीं मसलन औरतें या मरीज़ उन की बैअ् में कराहत नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.2:– नजश मकरूह है हुज़ूर अक़्दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व सल्लम ने उस से मना फ़रमाया नजश यह है कि मबीअ् की क़ीमत बढ़ाये और ख़ुद ख़रीदने का इरादा न रखता हो उस से मक़सूद यह होता है कि दूसरे ग्राहक को रग़बत पैदा हो और क़ीमत से ज़्यादा देकर ख़रीदले और यह हक़ीक़तन ख़रीदार को धोखा देना है जैसा कि बाज़ दुकानदारों के यहाँ इस क़िस्म के आदमी लगे रहते हैं ग्राहक को देखकर चीज़ के ख़रीदार बनकर दाम बढ़ा दिया करते हैं और उनकी इस हरकत से ग्राहक धोखा खा जाते हैं, ग्राहक के सामने मबीअ् की तारीफ़ करना और उसके औसाफ़ (ख़ूबियां) बयान करना जो न हों ताकि ख़रीदार धोखा खा जाये यह भी नजश है जिस तरह ऐसा करना बैअ् में ममनूअ् है निकाह, इजारा, वग़ैरा में भी ममनूअ् है, उसकी मुमानअ़त उस वक़्त है जब ख़रीदार वाजिबी क़ीमत देने के लिये तैयार है और यह धोखा देकर ज़्यादा करना चाहे, और अगर ख़रीदार वाजिबी क़ीमत से कम देकर लेना चाहता है और एक शख़्स ग़ैर ख़रीदार इसलिये दाम बढ़ा रहा है कि असली क़ीमत तक ख़रीदार पहुँच जाये यह ममनूअ् नहीं कि एक मुसलमान को नफ़ा पहुँचता है बिग़ैर उसके कि दूसरे को नुक़सान पहुँचाये। (हिदाया, फ़तहुलक़दीर,)

मसअ्ला.3:– एक शख़्स के दाम चुका लेने के बाद दूसरे को दाम चुकाना ममनूअ् है उसकी सूरत यह है कि बाइअ् व मुश्तरी एक समन पर राज़ी होगये सिर्फ़ ईजाब व क़बूल है या मबीअ् को उठाकर दाम देना ही बाक़ी रह गया है दूसरा शख़्स दाम बढ़ाकर लेना चाहता है या दाम उतना ही देगा मगर दुकानदार से उसका मेल है या यह ज़ी वजाहत शख़्स है दुकानदार उसे छोड़कर पहले शख़्स को नहीं देगा, और अगर•अब तक दाम तय नहीं हुआ एक समन पर दोनों की रज़ा'मन्दी नहीं हुई तो दूसरे को दाम चुकाना मना नहीं जैसा कि नीलाम में होता है 'बैअ् मंयज़ीद' कहते हैं यानी बेचने वाला कहता है जो ज़्यादा दे लेले इस क़िस्म की बैअ् हदीस से साबित है। जिस तरह बैअ् में उसकी मुमानअ़त है इजारा में भी ममनूअ् है मसलन किसी मज़दूर से मज़दूरी तय होने के बाद या मुलाज़िम से तनख़्वाह तय होने के बाद दूसरे शख़्स का मज़दूरी या तनख़्वाह बढ़ाकर या उतनी ही देकर मुक़र्रर करना, यूँही निकाह में एक शख़्स की मंगनी होजाने के बाद दूसरे को पैग़ाम देना मना है ख़्वाह महर बढ़ाकर निकाह करना चाहता हो या उसकी इज़्ज़त व वजाहत के सामने पहले को जवाब देदिया जायेगा बहर सूरत पैग़ाम देना ममनूअ् है जिस तरह ख़रीदार के लिये यह सूरत ममनूअ् है बाइअ् के लिये भी मुमानअ़त है मसलन एक दुकानदार से दाम तय होगये दूसरा कहता है मैं इससे कम में दूंगा या वह उसका मुलाक़ाती है कहता है मेरे यहाँ से लो मैं भी इतने में ही दूंगा या इजारा में एक मज़दूर से उजरत तय होने के बाद दूसरा कहता है मैं कम मज़दूरी लूंगा या मैं भी इतनी ही लूंगा यह सब ममनूअ् हैं। (हिदाया, फ़तह, दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.4:– हुज़ूर अक़्दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व सल्लम ने 'तलक़्क़ी जलब' से मुमानअ़त फ़रमाई यानी बाहर से ताजिर जो ग़ल्ला ला रहे हैं उनके शहर में बेचने से क़ब्ल बाहर जाकर ख़रीद लेना उसकी दो सूरतें हैं एक यह कि अहले शहर को ग़ल्ला की ज़रूरत है और यह इसलिये ऐसा करता है कि ग़ल्ला हमारे क़ब्ज़ा में होगा नर्ख़ ज़्यादा करके बेचेंगे दूसरी सूरत यह है कि ग़ल्ला लाने वाले ताजिर को शहर का नर्ख़ ग़लत बताकर ख़रीदे मसलन शहर में पन्द्रह सेर के गेहूँ बिकते हैं उसने कह दिया अठारह सेर के हैं धोखा देकर ख़रीदना चाहता है और अगर यह दोनों बातें न हों तो मुमानअ़त नहीं। (हिदाया, फ़तह)

मसअ्ला.5:– हुज़ूर अक़्दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व सल्लम ने उससे मना फ़रमाया कि शहरी

आदमी देहाती के लिये बैअ् करे यानी देहाती कोई चीज़ ख़रीद ो फ़रोख़्त करने के लिये बाज़ार में आता है मगर वह नावाक़िफ़ है सस्ती बेच डालेगा शहरी कहता है तू मत बेच मैं अच्छे दामों में बेचूँगा यह दलाल बनकर बेचता है और ह़दीस का मत़लब बाज़ फ़ुक़हा ने यह बयान किया है कि अहले शहर क़हत में मुब्तला हों उनको खुद ग़ल्ला की ह़ाजत हो ऐसी सूरत में शहर का ग़ल्ला बाहर वालों के हाथ गिरां करके बैअ् करना ममनूअ् है कि उससे अहले शहर को ज़रर पहुँचेगा और अगर यहाँ वालों को एहतेयाज (ज़रूरत) न हो तो बेचने में मुज़ायक़ा नहीं हिदाया में इसी तफ़सीर को ज़िक्र फ़रमाया है।

मसअ्ला.6:– एह़तिकार यानी ग़ल्ला रोकना मना है और सख़्त गुनाह है और उसकी सूरत यह है कि गिरानी के ज़माने में ग़ल्ला ख़रीद ले और उसे बैअ् न करे बल्कि रोक रखे कि लोग जब ख़ूब परेशान होंगें तो ख़ूब गिरां करके बैअ् करूँगा और अगर यह सूरत न हो बल्कि फ़सल में ग़ल्ला ख़रीदता है और रख छोड़ता है कुछ दिनों के बाद जब गिरां हो जाता है बेचता है यह न एह़तिकार है न उसकी मुमानअ़त।

मसअ्ला.7:– ग़ल्ला के अ़लावा दूसरी चीज़ों पर एह़तिकार नहीं।

मसअ्ला.8:– इमाम यानी बादशाह को ग़ल्ला वग़ैरह का नर्ख़ मुक़र्रर कर देना कि जो नर्ख़ मुक़र्रर कर दिया है उससे कम व बेश करके बैअ् न हो यह दुरुस्त नहीं।

मसअ्ला.9:– दो मम्लूक जो आपस में ज़ी रहम मह़रम हों मसलन दोनों भाई या चचा भतीजे या बाप बेटे या माँ बेटे हों ख़्वाह दोनों नाबालिग़ हों या उनमें का एक नाबालिग़ हो उनमें तफ़रीक़ करना मना है मसलन एक को बैअ् करदे दूसरे को अपने पास रखे या एक को एक शख़्स के हाथ बेचे दूसरे को दूसरे के हाथ या हिबा में तफ़रीक़ हो कि एक को हिबा करदे दूसरे को बाक़ी रखे या दोनों को दो शख़्सों के लिये हिबा करदे या वसिय्यत में तफ़रीक़ हो बहर ह़ाल उनकी तफ़रीक़ ममनूअ् है। (दुर्रेमुख़्तार, हिदाया)

मसअ्ला.10:– अगर दोनों बालिग़ हों या रिश्तेदार ग़ैर मह़रम हों मसलन दोनों चचा ज़ाद भाई हों या मह़रम हों मगर रज़ाअ़त की वजह से हुरमत हो या दोनों ज़न व शौहर हों तो तफ़रीक़ ममनूअ् नहीं। (दुर्रेमुख़्तार, वग़ैरा)

मसअ्ला.11:– ऐसे दो ग़ुलामों को जिनमें तफ़रीक़ मना है अगर एक को आज़ाद कर दिया दूसरे को नहीं तो मुमानअ़त नहीं अगरचे आज़ाद करना माल के बदले में हो बल्कि ऐसे के साथ बैअ् करना भी मना नहीं जिसने उसकी आज़ादी का ह़लफ़ किया हो यानी यह कहा हो कि अगर मैं इसका मालिक हो जाऊँ तो आज़ाद है यूँही एक को मुदब्बर, मुकातब, उम्मे वलद बनाने में तफ़रीक़ भी ममनूअ् नहीं यूँही अगर एक ग़ुलाम उसका है दूसरा उसके बेटे या मुकातब या मुज़ारिब का जब भी तफ़रीक़ ममनूअ् नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.12:– ऐसे दो मम्लूकों में से एक के मुतअ़ल्लिक़ किसी ने दावा किया कि यह मेरा है और साबित कर दिया उसे ह़क़दार\ले लेगा मगर यह तफ़रीक़ उसकी जानिब से नहीं लिहाज़ा यह ममनूअ् नहीं या वह ग़ुलाम माज़ून था उस पर दैन होगया और उसमें बिक गया या किसी जनायत में देदिया गया या किसी माल का तलफ़ किया उस में फ़रोख़्त होगया या एक में ऐब ज़ाहिर हुआ उसे वापस किया गया इन सूरतों में तफ़रीक़ ममनूअ् नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला13:– जो शख़्स रास्ते पर ख़रीद व फ़रोख़्त करता है अगर रास्ता कुशादा (चौड़ा) है कि उसके बैठने से राहगीरों पर तंगी नहीं होती तो ह़रज नहीं और अगर गुज़रने वालों को उसकी वजह से तकलीफ़ होजाये तो उससे सौदा ख़रीदना न चाहिये कि गुनाह पर मदद देना है क्योंकि जब कोई ख़रीदेगा नहीं तो वह बैठेगा क्यों। (आलमगीरी)

बैअ् फुजूली का बयान

सहीह बुखारी शरीफ़ में उ़रवा बिन अबिल'जअ्द बारिक़ी रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व सल्लम ने उनको एक दीनार दिया था कि हुज़ूर के लिये बकरी ख़रीद लायें उन्होंने एक दीनार की दो बकरियाँ ख़रीदकर एक को एक दीनार में बेच डाला और हुज़ूर की ख़िदमत में एक बकरी और एक दीनार लाकर पेश किया उनके लिये हुज़ूर ने दुआ की कि उनकी बैअ् में बरकत हो उस दुआ का यह असर था कि मिट्टी भी ख़रीदते तो उस में नफ़ा होता, तिर्मिज़ी व अबूदाऊद ने हकीम बिन हज़ाम रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व सल्लम ने उनको एक दीनार देकर भेजा कि हुज़ूर के लिये कुर्बानी का जानवर ख़रीद लायें उन्होंने एक दीनार में मेंढा ख़रीदकर दो दीनार में बेच डाला फिर एक दीनार में एक जानवर ख़रीदकर यह जानवर और एक दीनार लाकर पेश किया दीनार को हुज़ूर ने सदक़ा करने का हुक्म दिया (क्योंकि यह कुर्बानी के जानवर की क़ीमत थी) और उनकी तिजारत में बरकत की दुआ की, "फुजूली उसको कहते हैं जो दूसरे के हक़ में बिग़ैर इजाज़त तसर्रुफ़ करे"।

मसअ्ला.1:– फुजूली ने जो कुछ तसर्रुफ़ किया अगर ब'वक़्ते अ़क़्द उसका मुजीज़ हो यानी ऐसा शख़्स हो जो जाइज़ कर देने पर क़ादिर हो तो अ़क़्द मुनअ़क़िद होजाता है मगर मुजीज़ की इजाज़त पर मौकूफ़ रहता है और अगर ब'वक़्ते अ़क़्द मुजीज़ न हो तो अ़क़्द मुनअ़क़िद ही नहीं होता, फुजूली का तसर्रुफ़ कभी तमलीक की क़िस्म से होता है जैसे बैअ्, निकाह और कभी इसक़ात होता है जैसे तलाक़, इताक़, मसलन उसने किसी की औरत को तलाक़ देदी गुलाम को आज़ाद कर दिया दैन को मुआफ़ करदिया उसने उसके तसर्रुफ़ात जाइज़ करदिये नाफ़िज़ हो जायेंगी। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.2:– नाबालिग़ा समझवाली लड़की ने अपना निकाह कुफ़ू से किया और उसका कोई वली नहीं है वहाँ के क़ाज़ी की इजाज़त पर मौकूफ़ होगा या वह खुद बालिग़ होकर अपने निकाह को जाइज़ करदे तो जाइज़ है रद करदे तो बातिल और अगर वह जगह ऐसी हो जो क़ाज़ी के तहत में न हो तो निकाह मुनअ़क़िद ही न हुआ कि बर वक़्ते निकाह कोई मुजीज़ नहीं, नाबालिग़ आ़क़िल ग़ैर माजून ने किसी चीज़ को ख़रीदा या बेचा ओर वली मौजूद है तो इजाज़ते वली पर मौकूफ़ है और वली ने अब तक न इजाज़त दी न रद किया और वह खुद बालिग़ होगया तो अब खुद उसकी इजाज़त पर मौकूफ़ है उसको इख़्तेयार है कि जाइज़ करदे या रद करदे। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.3:– नाबालिग़ ने अपनी औरत को तलाक़ दी या गुलाम को आज़ाद करदिया या अपना माल हिबा या सदक़ा करदिया या अपने गुलाम का किसी औरत से निकाह किया या बहुत ज़्यादा नुक़सान के साथ अपना माल बेचा या कोई चीज़ ख़रीदी यह सब तसर्रुफ़ात बातिल हैं बालिग़ होने के बाद उनको वह खुद भी जाइज़ करना चाहे तो जाइज़ नहीं होंगे कि बरवक़्ते अ़क़्द उन तसर्रुफ़ात का कोई मुजीज़ (जाइज़ करने वाला) नहीं। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.4:– फुजूली ने दूसरे की चीज़ बिग़ैर इजाज़ते मालिक बैअ् करदी तो यह बैअ् मालिक की इजाज़त पर मौकूफ़ है और अगर खुद उसने अपने ही हाथ बैअ् की तो बैअ् मुनअ़क़िद ही न हुई(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.5:– बैअ़े फुजूली को जाइज़ करने के लिये यह शर्त है कि मबीअ् मौजूद हो अगर जाती रही तो बैअ् ही न रही जाइज़ किस चीज़ को करेगा नीज़ यह भी ज़रूरी है कि आ़क़ेदैन यानी फुजूली व मुश्तरी दोनों अपने हाल पर हों अगर उन दोनों ने खुद ही अ़क़्द को फ़स्ख़ कर दिया हो या उनमें कोई मरगया तो अब उस अ़क़्द को मालिक जाइज़ नहीं कर सकता और अगर समन ग़ैर नुकूद हो तो उसका भी बाक़ी रहना ज़रूरी है कि अब भी मबीअ् माक़ूद अ़लैह है। (हिदाया)

मसअ्ला.6:– बैअ़े फुजूली में अगर किसी जानिब नक़्द न हो बल्कि दोनों तरफ़ ग़ैर नुकूद हों मसलन जैद की बकरी को अ़म्र ने बकर के हाथ एक कपड़े के एवज़ में बैअ् किया और ज़ैद ने इजाज़त देदी तो बकरी देगा कपड़ा लेगा और अगर इजाज़त न दे जब भी कपड़े की बैअ् हो

जायेगी और अ़म्र को बकरी की क़ीमत देकर कपड़ा लेना होगा इस मिसाल में मबीअ़ क़ीमती है और अगर मिस्ली हो मस्लन गेहूँ जौ वग़ैरा तो उस मबीअ़ की मिस्ल अ़म्र को देकर कपड़ा लेना होगा कि अ़म्र उस सूरत में बाइअ़ भी है और मुश्तरी भी। (हिदाया)

मसअ्ला.7:– मालिक ने फुजूली की बैअ़ जाइज़ कर दिया तो समन जो फुजूली लेचुका है मालिक का होगया और फुजूली के हाथ में बत़ौरे अमानत है और वह फुजूली बमन्ज़िलए वकील के हो गया। (हिदाया)

मसअ्ला.8:– मुश्तरी ने फुजूली को समन दिया और उसके हाथ में मालिक के जाइज़ करने से पहले हलाक होगया अगर मुश्तरी को समन देते वक़्त उसका फुजूली होना मा़लूम था तो तावान नहीं ले सकता वरना ले सकता है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.9:– फुजूली को यह भी इख़्तेयार है कि जब तक मालिक ने बैअ़ को जाइज़ न किया बैअ़ को फ़स्ख़ करदे और अगर फुजूली ने निकाह़ करदिया तो उसको फ़स्ख़ का ह़क़ नहीं। (हिदाया)

मसअ्ला.10:– फुजूली ने बैअ़ की और जाइज़ करने से पहले मालिक मरगया तो वुरसा को उस बैअ़ के जाइज़ करने का ह़क़ नहीं मालिक के मरने से बैअ़ ख़त्म होगई। (हिदाया)

मसअ्ला.11:– एक शख़्स ने दूसरे के लिये कोई चीज़ ख़रीदी तो उस दूसरे की इजाज़त पर मौकूफ़ नहीं बल्कि बैअ़ उसी पर नाफ़िज़ होजायेगी उसी को समन देना होगा और मबीअ़ लेना होगा फिर अगर इसने उसको मबीअ़ देदी और उसने इसको समन दे दिया तो बत़ौरे बैए तआ़ती इन दोनों के दरम्यान एक जदीद बैअ़ है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुह़तार)

मसअ्ला.12:– एक शख़्स फुजूली ने कोई चीज़ दूसरे के लिये ख़रीदी और अ़क़्द में दूसरे का नाम लिया यह कहा कि फुलाँ के लिये मैंने ख़रीदी और बाइअ़ ने भी कहा मैंने उसी के लिये बेची इस सूरत में फुजूली पर नाफ़िज़ नहीं बल्कि जिसका नाम लिया है उसकी इजाज़त पर मौकूफ़ है बाइअ़ व मुश्तरी दोनों में से एक के कलाम में नाम आ जाना काफ़ी है जबकि दूसरे के कलाम में उसके ख़िलाफ़ की तस़रीह़ (ज़ाहिर बयान) न हो मस्लन मुश्तरी ने कहा मैंने फुलाँ के लिये ख़रीदी और बाइअ़ ने कहा मैंने तेरे हाथ बेची इस सूरत में बैअ़ ही न हुई कि उस ईजाब का क़बूल नहीं पाया गया और अगर फ़क़त़ इतना ही कहता है कि मैंने बेची या मैंने क़बूल किया तो बैअ़ होजाती और उस फुलाँ की इजाज़त पर मौकूफ़ होती। (रद्दुलमुह़तार)

मसअ्ला.13:– फुजूली ने किसी की चीज़ बैअ़ करदी मुश्तरी ने या किसी ने आकर ख़बर दी कि इतने में तुम्हारी चीज़ बैअ़ करदी मालिक ने कहा अगर सौ रूपये में बेची है तो इजाज़त है इस सूरत में अगर सौ रूपये या ज़्यादा में बेची है इजाज़त होगई कम में बेची है तो नहीं। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला.14:– दूसरे का कपड़ा बेच डाला मुश्तरी ने उसे रंग दिया उसके बा़द मालिक ने बैअ़ को जाइज़ किया जाइज़ होगई और मुश्तरी ने क़त़अ़ (काटकर) करके सी लिया अब इजाज़त दी तो नहीं हुई। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला.15:– एक फुजूली ने एक शख़्स के हाथ बैअ़ की दूसरे फुजूली ने दूसरे के हाथ यह दोनों अ़क़्द इजाज़त पर मौकूफ़ हैं अगर मालिक ने दोनों को जाइज़ किया तो उस चीज़ के निस्फ़ निस्फ़ में दोनों अ़क़्द जाइज़ होगये और मुश्तरी को इख़्तेयार है कि ले या न ले। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला.16:– ग़ासिब ने मग़सूब को बैअ़ किया यह बैअ़ इजाज़ते मालिक पर मौकूफ़ है और अगर ख़ुद मालिक ने बैअ़ की और ग़ासिब ग़स़्ब से इनकार करता है तो उस पर मौकूफ़ है कि ग़ासिब ग़स़्ब का इक़रार करले या गवाह से मालिक अपनी मिल्क साबित करदे। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.17:– ग़ासिब ने शय मग़सूब को बैअ़ करदिया उसके बा़द उसी शय मग़सूब का तावान दे दिया तो बैअ़ जाइज़ होगई। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला.18:– एक चीज़ ग़स़्ब करके मसाकीन को ख़ैरात करदी और अभी वह चीज़ मसाकीन के

पास मौजूद है कि ग़ासिब ने मालिक से ख़रीदली यह बैअ् जाइज़ है और मसाकीन से वापस ले सकता है उसके ख़रीदने के बाद अगर मसाकीन ने ख़र्च करडाली तो उनका तावान देना पड़ेगा और अगर मसाकीन को कफ़्फ़ारा में दी थी तो कफ़्फ़ार अदा न हुआ और अगर ग़ासिब ने ख़रीदी नहीं बल्कि मालिक को तावान देदिया तो सदका जाइज़ है और मसाकीन से वापस नहीं ले सकता और कफ़्फ़ारा में दी थी तो अदा होगया, मालिक से उस वक़्त ख़रीदी कि मसाकीन सर्फ़ में ला चुके तो बैअ् बातिल है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.19:– फुज़ूली ने बैअ् की मालिक के पास समन पेश किया गया उसने ले लिया या मुश्तरी से उसने खुद समन तलब किया यह बैअ् की इजाज़त है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.20:– मालिक का यह कहना तूने बुरा किया या अच्छा किया, ठीक किया, मुझे बैअ् की दिक़्क़तों से बचा दिया, मुश्तरी को समन हिबा कर देना, सदका कर देना, यह सब अलफ़ाज इजाज़त के हैं, यह कहदिया मुझे मन्जूर नहीं मैं इजाज़त नही देता तो रद होगई। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.21:– एक चीज़ के दो मालिक हैं और फुज़ूली ने बैअ् करदी उनमें से सिर्फ़ एक ने जाइज की तो मुश्तरी को इख़्तेयार है कि क़बूल करे या न करे क्योंकि उसने वह चीज़ पूरी समझकर ली थी और पूरी मिली नहीं लिहाज़ा इख़्तेयार है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.22:– मालिक को ख़बर हुई कि फुज़ूली ने उसकी फुलाँ चीज़ बैअ् करदी उसने जाइज़ करदी और अभी समन की मिक़दार मालूम नहीं हुई फिर बाद में समन की मिक़दार मालूम हुई और अब बैअ् को रद करता है रद नहीं हो सकती। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.23:– ज़ैद ने अ़म्र के हाथ किसी का गुलाम बेच डाला अ़म्र ने उसे आज़ाद कर दिया या बैअ् कर दिया उसके बाद मलिक ने ज़ैद की बैअ् को जाइज़ करदिया या ज़ैद से उसने ज़मान लिया या अ़म्र से ज़मान लिया बहर हाल अ़म्र ने आज़ाद कर दिया है तो इत्क़ नाफ़िज़ है और बैअ् किया है तो नाफ़िज़ नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.24:– दूसरे का मकान बैअ् कर दिया और मुश्तरी को क़ब्ज़ा दे दिया उसके बाद उस फुज़ूली ने ग़सब का इक़रार किया और मुश्तरी इनकार करता है तो मुश्तरी से मकान वापस नहीं लिया जा सकता जब तक मालिक गवाहों से यह न साबित करदे कि मकान मेरा है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.25:– फुज़ूली ने मालिक के सामने बैअ् की और मालिक ने सूकूत (ख़ामोशी) किया इनकार न किया तो यह सुकूत इजाज़त नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.26:– दूसरे की चीज़ अपने नाबालिग़ लड़के या अपने गुलाम के हाथ बैअ् की फिर उसने मालिक को ख़बर दी कि मैंने बैअ् करदी मगर यह नहीं बताया कि किसके हाथ बेची तो यह बैअ् जाइज़ नहीं मगर गुलाम मदयून हो तो जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.27:– एक मकान में दो लोग शरीक हैं उन में एक ने निस्फ़ मकान बेच दिया उससे मुराद उसका हिस्सा होगा अगरचे बैअ् में मुतलक़न निस्फ़ कहा और अगर फुज़ूली ने निस्फ़ मकान बैअ् किया तो मुतलक़न निस्फ की बैअ् है दोनों शरीकों में जो कोई इजाज़त देगा उसके हिस्से में बैअ् सहीह हो जायेगी। (आलमगीरी)

मसअ्ला.28:– गेहूँ वग़ैरा कैली और वज़नी चीज़ों में दो शख़्स शरीक हों अगर वह शिरकत इस तरह हो कि दोनों की चीज़ें एक में मिल गई या उन दोनों ने खुद मिलाई हैं अगर उनमें से एक ने अपना हिस्सा शरीक के हाथ बेचा तो जाइज़ है और अगर अजनबी के हाथ बेचा तो जब तक शरीक इजाज़त न दे जाइज़ नहीं और अगर मीरास या हिबा या बैअ् के ज़रिये से शिरकत है तो हर एक को अपना हिस्सा शरीक के हाथ बेचना भी जाइज़ है और अजनबी के हाथ भी। (आलमगीरी)

मसअ्ला.29:– सबी महजूर या गुलाम महजूर (जो ख़रीदो फ़रोख़्त से रोक दिये गये हैं) और बोहरे की बैअ् मौकूफ़ है वली या मौला जाइज़ करेगा तो जाइज़ होगी रद करेगा बातिल होगी। (दुर्रेमुख़्तार)

मरहून या मुस्ताजिर की बैअ्

मसअ्ला.30:– जो चीज़ रेहन रखी है या किसी को उजरत पर दी है उसकी बैअ् मुरतहिन या मुस्ताजिर की इजाज़त पर मौकूफ़ है यानी अगर जाइज़ कर देंगे जाइज़ हो जायेगी मगर बैअ् फ़स्ख़ करने का उनको इख़्तेयार नहीं और राहिन व मूजिर भी बैअ् को फ़स्ख़ नहीं कर सकते और मुश्तरी चाहे तो बैअ् को फ़स्ख़ कर सकता है यानी जब तक मुरतहिन व मुस्ताजिर ने इजाज़त न दी हो मुरतहिन या मुस्ताजिर ने पहले रद करदी फिर जाइज़ करदी तो बैअ् सहीह होगई, मुरतहिन व मुस्ताजिर ने इजाज़त नहीं दी और अब इजारा ख़त्म होगया या फ़स्ख़ करदिया गया और मुरतहिन का दैन अदा होगया या उसने मुआफ़ कर दिया और चीज़ छुड़ाली गई तो वही पहली बैअ् खुद ब'खुद नाफ़िज़ होगई, मुस्ताजिर ने बैअ् को जाइज़ कर दिया तो बैअ् सहीह होगई मगर उसके क़ब्ज़े से नहीं निकाल सकते जब तक उसका माल वुसूल न होले। (आलमगीरी, फ़तह, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.31:– जो चीज़ किराये पर है उसको खुद किरायेदार के हाथ बैअ् किया तो इजाज़त पर मौकूफ नहीं बल्कि अभी नाफ़िज़ होगई। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.32:– किराये वाली चीज़ बेची और मुश्तरी को मालूम है कि यह चीज़ किराये पर उठी हुई है इस बात पर राज़ी होगया कि जब तक इजारे की मुद्दत पूरी न हो किराये पर रहे मुद्दत पूरी होने पर बाइअ् मुझे क़ब्ज़ा दिलाये इस सूरत में मुद्दत के अन्दर मबीअ् के दिला पाने का मुतालबा नहीं कर सकता और बाइअ् भी मुश्तरी से समन का मुतालबा नहीं कर सकता जब तक क़ब्ज़ा देने का वक़्त न आजाये। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.33:– काश्तकार को एक मुद्दते मुक़र्ररा तक के लिये खेत इजारे पर दिया चाहे काश्तकार ने अब तक खेत बोया हो या न बोया हो उसकी बैअ् काश्तकार पर मौकूफ़ है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.34:– किराये पर मकान है मालिके मकान ने किरायेदार की बिग़ैर इजाज़त उसको बैअ् किया किरायेदार बैअ् पर तैयार नहीं मगर उसने किराया बढ़ाकर नया इजारा किया तो बैअ् मौकूफ़ जाइज़ होगई क्योंकि पहला इजारा ही बाक़ी न रहा जो बैअ् को रोके हुआ था। (आलमगीरी)

मसअ्ला.35:– किराये की चीज़ पहले एक के हाथ बेची फिर खुद किरायेदार के हाथ बेच डाली पहली बैअ् टूट गई और मुस्ताजिर के हाथ बैअ् दुरुस्त होगई और अगर पहले एक शख़्स के हाथ बैअ् की फिर दूसरे के हाथ और मुस्ताजिर ने दोनों बैओं को जाइज़ किया पहली जाइज़ होगई दूसरी बातिल। (आलमगीरी)

मसअ्ला.36:– मुस्ताजिर को ख़बर हुई कि किराये की चीज़ मालिक ने फ़रोख़्त करदी उसने मुश्तरी से कहा मेरे इजारे में तुमने ख़रीदा तुम्हारी मेहरबानी होगी कि जो किराया देचुका हूँ जब तक वुसूल न करलूँ उस वक़्त तक मुझे छोड़दो इस गुफ़्तुगू से इजाज़त होगई और बैअ् नाफ़िज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.37:– राहिन ने बिग़ैर इजाज़ते मुरतहिन रेहन को बैअ् कर दिया उसके बाद फिर दूसरे के हाथ बेच डाला मुरतहिन जिस बैअ् को जाइज़ करदे जाइज़ है और समन से मुरतहिन अपना मुतालबा वुसूल करे अगर कुछ बचे तो राहिन को देदे और अगर राहिन ने बैअ़े अव्वल के बाद रेहन को उजरत पर देदिया या दूसरी जगह रेहन रखा और मुरतहिन ने इजारा या रेहन को जाइज़ कर दिया तो बैअ् नाफ़िज़ होगई और इजारे या रेहन जो कुछ था बातिल होगया। (आलमगीरी)

मसअ्ला.38:– कभी ऐसा होता है कि मबीअ् पर दाम लिख देते हैं और कहते हैं जो रक़म इस पर लिखी है उतने में बेची मुश्तरी ने कहा ख़रीदी यह बैअ् भी मौकूफ़ है अगर उसी मज्लिस में मुश्तरी को रक़म का इल्म होजाये और बैअ् को इख़्तेयार करे तो बैअ् नाफ़िज़ है वरना बातिल।(दुर्रेमुख़्तार) बीजक (माल की फ़ेहरिस्त जिसमें हर चीज़ का भाव, क़ीमत, और मीज़ान दर्ज हो) पर भी बैअ् का यही हुक्म है कि मज्लिसे अक़्द में समन मालूम होना ज़रूरी है।

मसअ्ला.39:– जितने में यह चीज़ फुलां ने बैअ् की या ख़रीदी है मैं भी ख़रीदता हूँ अगर बाइअ्

मुश्तरी दोनों को मा'लूम है कि फुलाँ ने इतने में बैअ़ की या ख़रीदी है यह जाइज़ है और अगर मुश्तरी को मा'लूम नहीं अगरचे बाइअ़ जानता हो तो यह बैअ़ मौकूफ़ है अगर उसी मज्लिस में इल्म होजाये और इख़्तेयार करले दुरुस्त हे वरना दुरुस्त नहीं। (रद्दुलमुहतार)

इक़ाला का बयान

अबू दाऊद व इब्ने माजा अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया जिसने किसी मुसलमान से इक़ाला किया क़ियामत के दिन अल्लाह तआला उसकी लग़ज़िश दफ़ा करेगा।

मसअ्ला.1:– दो शख़्सों के माबैन जो अ़क़्द हुआ है उसके उठा देने को इक़ाला कहते हैं यह लफ़्ज़ कि मैंने इक़ाला किया, छोड़ दिया, या फ़स्ख़ किया या दूसरे के कहने पर मबीअ़ या समन का फेर देना और दूसरे का ले लेना इक़ाला है निकाह, तलाक़, इताक़, इब्रा को इक़ाला नहीं हो सकता, दोनों में से एक इक़ाला चाहता है तो दूसरे को मनजूर कर लेना इक़ाला कर देना मुस्तहब है और यह सवाब का मुस्तहक़ है।

मसअ्ला.2:– इक़ाला में दुसरे का क़बूल करना ज़रूरी है या'नी तन्हा एक शख़्स इक़ाला नहीं कर सकता और यह भी ज़रूरी है कि क़बूल उसी मज्लिस में हो लिहाज़ा एक ने इक़ाला के अलफ़ाज़ कहे मगर दूसरे ने क़बूल नहीं किया या मज्लिस के बा'द किया इक़ाला न हुआ मसलन मुश्तरी मबीअ़ को बाइअ़ के पास करने के लिये लाया उसने इनकार कर दिया इक़ाला न हुआ फिर अगर मुश्तरी ने मबीअ़ को यहीं छोड़ दिया और बाइअ़ ने उस चीज़ को इस्तेमाल भी कर लिया अब भी इक़ाला न हुआ या'नी अगर मुश्तरी समन वापस मांगता है यह समन वापस करने से इनकार कर सकता है क्योंकि जब साफ़ तौर पर इनकार कर चुका है तो इक़ाला न हुआ यूँही अगर एक ने इक़ाला की दरख़्वास्त की दुसरे ने कुछ न कहा और मज्लिस के बा'द इक़ाला को क़बूल करता है या पहले कोई ऐसा फ़ेअ्ल कर चुका जिससे मा'लूम होता है कि उसे मनजूर नहीं उसके बा'द क़बूल करता है तो क़बूल सहीह नहीं। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमहतार)

मसअ्ला.3:– दलाल से किसी ने कहा कि मेरी यह चीज़ बैअ़ करदो और समन की कोई ताईन नहीं की थी दलाल ने वह चीज़ बैअ़ करदी और मालिक को आकर खबर दी कि इतने में मैंने बेच दी मालिक ने कहा इतने में मैं नहीं दुँगा दलाल मुश्तरी के पास जाता है और वाक़िआ कहता है मुश्तरी ने कहा मैं भी उसको नहीं चाहता उस से इक़ाला नहीं हुआ कि अव्वलन तो लफ़्ज़ ही इक़ाला के लिये नहीं है फिर यह कि ईजाब व क़बूल की एक मज्लिस नहीं। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.4:– एक शख़्स ने घोड़ा ख़रीदा फिर वापस करने के लिये बाइअ़ के पास आया बाइअ़ मौजूद न था उसके अस्तबल में घोड़ा छोड़कर चला गया फिर बाइअ़ ने उसका इलाज वग़ैरा कराया इक़ाला नहीं हुआ अगरचे ऐसे अफ़आ़ल जिनसे रज़ा'मन्दी साबित होती है क़बूल के क़ायम मक़ाम होते हैं मगर मज्लिस का एक होना भी ज़रूरी है। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.5:– इक़ाला के शराइत यह हैं (1) दोनों का राज़ी होना, (2) मज्लिस एक होना, (3)अगर बैअ़ सर्फ़ का इक़ाला हो तो उसी मज्लिस में तक़ाबुज़े बदलैन (चीज़ पर दोनों का क़ब्ज़ा करलेना) हो, (4)मबीअ़ का मौजूद होना शर्त है समन का बाक़ी रहना शर्त नहीं, (5)मबीअ़ ऐसी चीज़ हो जिसमें ख़्यारे शर्त, ख़्यारे रूयत, ख़्यारे ऐब की वजह से बैअ़ फ़स्ख़ हो सकती हो अगर मबीअ़ में ऐसी ज़्यादती होगई हो जिसकी वजह से फ़स्ख़ न हो सके तो इक़ाला भी नहीं हो सकता, (6)बाइअ़ ने समन मुश्तरी को क़ब्ज़ा से पहले हिबा न किया हो। (आलमगीरी, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.6:– इक़ाला के वक़्त मबीअ़ मौजूद थी मगर वापस देने से पहले हलाक होगइ इक़ाला बातिल हो गया। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.7:– जो समन बैअ़ में था उसी पर या उसकी मिस्ल पर इक़ाला हो सकता है अगर कम

या ज़्यादा पर इक़ाला हो तो शर्त बातिल है और इक़ाला सहीह यानी उतना ही देना होगा जो बैअ् में समन था। (हिदाया) मस्लन हज़ार रूपये में एक चीज़ ख़रीदी उसका इक़ाला हजार में किया यह सहीह है और अगर डेढ़ हज़ार में किया जब भी हज़ार देना होगा और पाँच सौ का ज़िक्र लग्व है और पाँच सौ में किया और मबीअ् में कोई नुक़सान नहीं आया है जब भी हज़ार देना होगा और अगर मबीअ् में नुक़सान आगया है तो कमी के साथ इक़ाला हो सकता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.8:– इक़ाला में दूसरी जिन्स का समन ज़िक्र किया गया मस्लन बैअ् हुई है रूपये से और इक़ाला में अशर्फ़ी या नोट वापस करना क़रार पाया तो इक़ाला सहीह है और वही समन वापस देना होगा जो बैअ् में था दूसरे समन का ज़िक्र लग्व है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.9:– मबीअ् में नुक़सान आगया था इस वजह से समन से कम पर इक़ाला हुआ मगर वह ऐब जाता रहा तो मुश्तरी बाइअ् से वह कमी वापस लेगा जो समन में हुई है। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.10:– ताज़ा साबुन बेचा था खुश्क होने के बाद इक़ाला हुआ मुश्तरी को सिर्फ़ साबुन ही देना होगा। (बहर)

मसअ्ला.11:– खेत मअ् ज़राअ्त (खेती) के जो तैयार है बैअ् किया गया मुश्तरी ने ज़राअ्त काट ली फिर इक़ाला हुआ ज़मीन के मक़ाबिल में जो समन है उसके साथ इक़ाला होगा और वक़्ते बैअ् ज़राअ्त कच्ची थी और अब तैयार होगई तो इक़ाला जाइज़ नहीं। (बहर)

मसअ्ला.12:– इक़ाला में मबीअ् बाक़ी रहे या कम होजाये उससे मुराद वह चीज़ है जिसकी बैअ् क़स्दन हो और जो चीज़ तबअ्न बैअ् में दाख़िल होजाती है उसकी कमी से मबीअ् का कम होना नहीं तसव्वुर किया जायेगा लिहाज़ा गाँव ख़रीदा था जिसमें दरख़्त थे दरख़्त मुश्तरी ने काट लिये फिर इक़ाला हुआ पूरा समन वापस करना होगा दरख़्तों की क़ीमत बाइअ् को नहीं मिलेगी हाँ अगर बाइअ् को उसका इल्म न हो कि दरख़्त काट लिये हैं तो इख़्तेयार है कि पूरे समन के बदले में ज़मीन वापस ले या बिलकुल छोड़दे यानी ज़मीन भी न ले। (बहर)

मसअ्ला.13:– आक़ेदैन के हक़ में इक़ाला फ़स्ख़े बैअ् है और दुसरे के हक़ में यह एक बैअ़े जदीद (नया सैदा) है लिहाज़ा अगर इक़ाला को फ़स्ख़ न क़रार दे सकते हों तो इक़ाला बातिल है मसलन मबीअ् लौन्डी या जानवर है जिसके क़ब्ज़े के बाद बच्चा पैदा हुआ तो उसका इक़ाला नहीं हो सकता। (हिदाया, फ़तह)

मसअ्ला.14:– कपड़ा ख़रीदा और उसको वापस करने गया उसने लफ़्ज़े इक़ाला ज़बान से निकाला ही था कि बाइअ् ने फ़ौरन कपड़े को क़तअ् कर डाला इक़ाला सहीह है यह फ़ेअ्ल क़बूल के क़ायम मक़ाम है। (फ़तह)

मसअ्ला.15:– मबीअ् का कोई जुज़ हलाक होगया और कुछ बाक़ी है तो जो कुछ बाक़ी है उसमें इक़ाला होसकता है और अगर बैअ् मुक़ाइज़ा हो यानी दोनों तरफ ग़ैर नुक़ूद हों और एक हलाक होगई तो इक़ाला हो सकता है दोनों जाती रहीं तो नहीं हो सकता। (हिदाया)

मसअ्ला.16:– गुलाम माज़ून (जिसको ख़रीदो फ़रोख़्त की इजाज़त है) या बच्चे के वसी या वक़्फ़ के मुतवल्ली ने कोई चीज़ गिरां बैअ् की है या अरज़ां (सस्ती) ख़रीदी है तो उनको इक़ाला करने की इजाज़त नहीं यानी करें भी तो इक़ाला न होगा और इक़ाला में अगर मौला या बच्चा या वक़्फ़ के लिये बेहतरी हो तो सहीह है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.17:– वकील बिश्शिरा (जिसको वकील किया था कि फुलां चीज़ ख़रीद लाये) ख़रीद लेने के बाद इक़ाला नहीं कर सकता और वकील बिल बैअ् इक़ाला कर सकता है। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.18:– बाइअ् ने अगर मुश्तरी से अगर कुछ ज़्यादा दाम के लिये और मुश्तरी इक़ाला कराना चाहता है तो इक़ाला कर देना चाहिये और अगर बहुत ज़्यादा धोखा दिया है तो इक़ाला की ज़रूरत नहीं तनहा मुश्तरी बैअ् को फ़स्ख़ कर सकता है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.19:– मबीअ् में अगर ज़्यादते मुत्तसि़ला ग़ैर मुतवल्लिदा (चीज़ में ऐसी ज़्यादती जो मिली हुई हो, पैदा हुई हुई न हो) हो जैसे कपड़े में रंग, मकान में जदीद ता़मीर तो इक़ाला नहीं होसकता (रद्दुलमुह़्तार)

मसअ्ला.20:– इक़ाले को शर्त़ पर मुअ़ल्लक़ करना स़ह़ीह़ नहीं मसलन बाइअ् ने मुश्तरी से कहा यह चीज़ तुम्हें बहुत सस्ती मैंने देदीं मुश्तरी ने कहा अगर तुमको ज़्यादा का ग्राहक मिल जाये तो बेच डालना उसने दूसरे के हाथ ज़्यादा दाम में बेच डाली यह दुसरी बैअ् स़ह़ीह़ नहीं हुई। (बहरुर्राइक़)

मसअ्ला.21:– शर्ते फ़ासिद से इक़ाला फ़ासिद नहीं होता। इक़ाला कर लिया मगर अभी बाइअ् ने मबीअ् पर क़ब्ज़ा नहीं किया फिर उसी मुश्तरी के हाथ बैअ् करदी यह बैअ् दुरुस्त है और उस मुश्तरी के एलावा दूसरे के हाथ बैअ् करेगा तो बैअ् फ़ासिद होगी कि सालिस के ह़क़ में बैअ़े जदीद है और मबीअ् को क़ब्ले क़ब्ज़ा के बेचना ना'जाइज़ है, मबीअ् अगर कैली या वज़्नी है तो इक़ाला के बा़द फिर नापने और तोलने की ज़रूरत नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.22:– इक़ाला ह़क़्क़े सालिस (तीसरे के हक़) में बैअ़े जदीद है लिहाज़ा मकान की बैअ् हुई थी और शफ़ीअ् (शुफ़ा का हक़ रखने वाला) ने शुफ़आ से इनकार कर दिया था फिर इक़ाला हुआ तो अब शफ़ीअ् पर शुफ़आ कर सकता है और यह जदीद ह़क़ ह़ासिल होगा, मुश्तरी ने मबीअ् को बेच डाला फिर इक़ाला किया उसके बा़द मा़लूम हुआ कि मबीअ् में कोई ऐसा ऐब है जो बाइअ् अव्वल के यहाँ था तो ऐब की वजह से बाइअ् अव्वल को वापस नहीं कर सकता, एक चीज़ ख़रीदी और क़ब्ज़ा कर लिया मगर अभी समन अदा नहीं किया मुश्तरी ने वह चीज़ दूसरे के हाथ बैअ् की फिर इक़ाला किया फिर बाइअ् अव्वल ने समन वुसूल करने से पहले समन अव्वल से कम में ख़रीदी यह जाइज़ है, कोई चीज़ हिबा की मौहूब लहू ने उसको बैअ् कर दिया फिर इक़ाला हुआ तो हिबा करने वाला उसको वापस नहीं कर सकता। (बहरुर्राइक़)

मसअ्ला.23:– कनीज़ ख़रीदी थी और मुश्तरी ने क़ब्ज़ा कर लिया था फिर इक़ाला हुआ तो बाइअ् पर इस्तिबरा (उस वक़्त तक वती न करे जब तक उसका ग़ैर ह़ामिला होना मा़लुम न होजाये) वाजिब है बिग़ैर इस्तिबरा वती नहीं कर सकता। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.24:– जिस त़रह़ बैअ् का इक़ाला हो सकता है ख़ुद इक़ाला का भी इक़ाला हो सकता है इक़ाला का इक़ाला करने से इक़ाला जाता रहा और बैअ् लौट आई हाँ बैअ् सलम में अगर मुस्लम फ़ी पर क़ब्ज़ा नहीं हुआ और इक़ाला होगया तो उस इक़ाला का इक़ाला नहीं हो सकता। (दुर्रेमुख़्तार)

मुराबह़ा और तौलिया का बयान

कभी ऐसा होता है कि मुश्तरी में इतनी होशियारी नहीं कि ख़ुद वाजिबी क़ीमत पर चीज़ ख़रीदे ला'मुहाला उसे दूसरे पर भरोसा करना पड़ता है कि उसने जिन दामों में चीज़ ख़रीदी है उतने ही दाम देकर उसे लेले या वह कुछ नफ़ा़ लेकर उसको चीज़ देना चाहता है और यह उसका एअ़्तिबार करके ख़रीद लेता है क्योंकि मुश्तरी जानता है कि बिग़ैर नफ़ा़ के बाइअ् नहीं देगा और अगर इतना नफ़ा़ देकर न लूंगा तो बहुत मुमकिन है कि दूसरी जगह मुझको ज़्यादा दाम देने पड़ें या उससे कम में चीज़ न मिलेगी लिहाज़ा उस नफ़ा़ देने को ग़नीमत समझता है और बैअ़े मुत़लक़ और उसमें सिर्फ़ इतना ही फ़र्क़ है कि यहाँ अपनी ख़रीद के दाम बताकर उतना ही लेना चाहता है या उसपर नफ़ा़ की एक मुअ़य्यन मिक़दार ज़्यादा करता है लिहाज़ा बैअ़े मुत़लक़ का जवाज़ उसका जवाज़ है और चूँकि मुश्तरी ने यहाँ बाइअ् पर भरोसा किया है लिहाज़ा यहाँ बाइअ् को पूरी त़ौर पर सच्चाई और अमानत से काम लेना ज़रूरी है ख़्यानत बल्कि उसके शुब्ह से भी एह़तिराज़ लाज़िम (बचना ज़रूरी) है ख़्यानत या शुबहाये ख़्यानत का भी अ़क़्द पर असर पड़ेगा जैसा कि इस बाब के मसाइल से वाज़ेह़ होगा, इस बैअ् का जवाज़ इस ह़दीस से भी है कि जब हुज़ूर अक़दस स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व सल्लम ने हिजरत का इरादा फ़रमाया ह़ज़रत अबूबक्र रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने दो ऊँट ख़रीदे हुज़ूर ने इरशाद फ़रमाया एक का मेरे हाथ तौलिया करदो उन्होंने अ़र्ज़ की हुज़ूर के

लिये बिग़ैर दाम के हाज़िर हैं इरशाद फ़रमाया बिग़ैर दाम के नहीं। (हिदाया) नीज़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़ ने सईद बिन अलमुसय्यिब रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया तौलिया व इक़ाला व शिरकत सब बराबर हैं इन में ह़रज नहीं(कन्ज़ुल उम्माल)

मसअ्ला.1:– जो चीज़ जिस क़ीमत पर ख़रीदी जाती है और जो कुछ मसारिफ़ उसके मुतअ़ल्लिक़ किये जाते हैं उनको ज़ाहिर करके उसपर नफ़ा की एक मिक़दार बढ़ाकर कभी फ़रोख़्त करते हैं उसको मुराबह़ा कहते हैं और अगर नफ़ा कुछ नहीं लिया तो उसको तौलिया कहते हैं, जो चीज़ अ़लावा बैअ़ के किसी और त़रीक़े से मिल्क में आई मस्लन उसको किसी ने हिबा की या मीरास़ में ह़ासिल हुई या वसियत के ज़रीये से मिली उसकी क़ीमत लगाकर मुराबह़ा व तौलिया कर सकत हैं(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.2:– रूपये और अशर्फ़ी में मुराबह़ा नहीं हो सकता मस्लन एक अशर्फ़ी पन्द्रह रूपये को ख़रीदी और उसको एक रूपया या कम व बेश नफ़ा लगाकर मुराबह़तन बैअ़ करना चाहता है यह जाइज़ नहीं। (दुर्रेमुख़्तार, फ़तह)

मसअ्ला.3:– मुराबह़ा या तौलिया सह़ीह़ होने की शर्त़ यह है कि जिस चीज़ के बदले में मुश्तरी–ए–अव्वल ने ख़रीदी है वह मिस्ली हो ताकि मुश्तरी–ए–सानी वह समन क़रार देकर ख़रीद सकता हो और अगर मिस्ली न हो बल्कि क़ीमती हो तो यह ज़रूर है कि मुंश्तरी–ए–सानी उस चीज़ का मालिक हो मस्लन ज़ैद ने अ़म्र से कपड़े के बदले में ग़ुलाम ख़रीदा फिर उस ग़ुलाम का बकर से मुराबह़ा या तौलिया करना चाहता है अगर बकर ने वही कपड़ा अ़म्र से ख़रीद लिया है या किसी त़रह़ बकर की मिल्क में आचुका है तो मुराबह़ा हो सकता है या बकर ने उसी कपड़े के एवज़ में मुराबह़ा किया और अभी वह कपड़ा अ़म्र ही की मिल्क है मगर बा़दे अ़क्द अ़म्र ने अ़क्द को जाइज़ कर दिया तो वह मुराबह़ा भी दुरुस्त है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.4:– मुराबह़ा में जो नफ़ा क़रार पाया है उसका मा़लूम होना ज़रूरी है और अगर वह नफ़ा क़ीमती हो तो इशारा करके उसे मुअ़य्यन कर दिया गया हो मस्लन फ़ुलां चीज़ जो तुमने दस रूपये को ख़रीदी है मेरे हाथ दस रूपये और उस कपड़े के एवज़ में बैअ़ करदो। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.5:– समन से मुराद वह है जिस पर अ़क्द वाक़ेअ़ हुआ हो फ़र्ज़ करो मस्लन दस रूपये में अ़क्द हुआ मगर मुश्तरी ने उनके एवज़ में कोई दूसरी चीज़ बाइअ़ को दी है यह उसी क़ीमत की हो या कम व बेश की बहर ह़ाल मुराबह़ा व तौलिया में दस रूपये का लिहाज़ होगा न उसका जो मुश्तरी ने दिया।(फ़तहुलक़दीर)

मसअ्ला.6:– दहयाज़्दह के नफ़अ़ पर मुराबह़ा हो (या़नी हर दस पर एक रूपया नफ़ा दस की चीज़ है तो ग्यारह बीस की है तो बाईस व अ़ला हाज़लक़ियास) अगर समने अव्वल क़ीमती है मस्लन कोई चीज़ एक घोड़े के बदले में ख़रीदी है और वह घोड़ा उस मुश्तरी–ए–सानी को मिल गया जो मुराबह़तन ख़रीदना चाहता है और दहयाज़्दह के तौ़र पर ख़रीदा और मत़लब यह हुआ कि घोड़ा देगा और घोड़े की जो क़ीमत है उसमें फ़ी दहाई एक रूपया देगा यह बैअ़ दुरुस्त नहीं कि घोड़े की क़ीमत मजहूल है लिहाज़ा नफ़ा की मिक़दार मजहूल और अगर बैअ़े अव्वल का समन मिस्ली हो मस्लन पहले मुश्तरी ने सौ रूपये के एवज़ में ख़रीदी और दहयाज़्दह के नफ़ा से बेची उसका मुह़सिल (ह़ासिल) एक सौ दस रूपये हुआ अगर यह पूरी मिक़दार मुश्तरी को मा़लूम हो जब तो सह़ीह़ है और मा़लूम न हो और उसी मज्लिस में उसे ज़ाहिर कर दिया गया हो तो उसे इख़्तेयार है कि ले या न ले और अगर मज्लिस में भी मा़लूम न हुआ तो बैअ़े फ़ासिद है। (दुर्रेमुख़्तार) आज कल आ़म तौ़र पर ताजिरों में आना रूपया, दो आना रूपया, नफ़ा के ह़िसाब से बैअ़ होती है उसका हुक्म वही दहयाज़्दह का है कि वक़्ते अ़क्द मा़लूम हो या मज्लिसे अ़क्द में मा़लूम होजाये तो बैअ़ सह़ीह़ है वरना फ़ासिद।

मसअ्ला.7:– एक चीज़ की क़ीमत दस रूपये दूसरे शहर के सिक्कों से क़रार पाई मस्लन हैदराबाद में अंग्रेज़ी दस रूपये को समन क़रार दिया (अब चूँकि हिन्दुस्तान में एक ही सिक्के या नोट का

चलन है इस लिए यह मिसाल अब सादिक नहीं आती (अमीनुल कादरी)) और उसको एक रूपये के नफ़ा से लिया उस रूपये से मुराद उस शहर का सिक्का है यानी दस रूपये दूसरे सिक्के के और एक रूपया यहाँ का देना होगा और अगर उसको भी दहयाज़दह के तौर पर ख़रीदा है तो कुल स़मन व नफ़ा उसी दूसरे सिक्के से देना होगा। (फतहुल'कदीर)

कौन से मस़ारिफ़ का रासुल'माल पर इज़ाफ़ा होगा

मसअ्ला.8:– रासुल'माल जिस पर मुराबहा व तौलिया की बिना है (कि उसपर नफा की मिकदार बढ़ाई जाये तो मुराबहा और कुछ न बढे वही समन रहे तो तौलिया) इस में धोबी की उजरत मस्लन थान ख़रीदकर धुलवाया है, और नक़्श ो निगार हुआ है जैसे चिकन कढ़वाई है, हाशिया के फुंदने बटे गये हैं, कपडा रंगा गया है बारबर्दारी दीगई है यह सब मस़ारिफ़ रासुल'माल पर इजाफ़ा किये जा सकते हैं (हिदाया, फतहुलकदीर)

मसअ्ला.9:– जानवर को खिलाया है उसको भी रासुल'माल पर इज़ाफ़ा किया जायेगा मगर जबकि उसका दूध, घी वग़ैरा हासिल किया है तो उसको उस में से कम करें अगर चारा के मस़ारिफ़ (ख़र्च) कुछ बच रहे तो उस बाक़ी को इज़ाफ़ा करें यूँही मुर्ग़ी पर कुछ ख़र्च किया और उसने अण्डे दिये हैं तो उनको मुजरा (कम करके) देकर बाक़ी को इज़ाफ़ा करें, जानवर या ग़ुलाम या मकान को उजरत पर दिया है किराये की आमदनी को मस़ारिफ़ से मिनहा नहीं करेंगें बल्कि पूरे मस़ारिफ़ खाने वग़ैरा के इज़ाफ़ा करेंगे। (फ़तह)

मसअ्ला.10:– घोड़े का इलाज कराया सलोतरी (घोडों का इलाज करने वाला) को उजरत दी या जानवर भाग गया कोई पकड़कर लाया उसे मज़दूरी दी उसको रासुल'माल पर इज़ाफ़ा नहीं केरेंगे। (फतह) खेत या बाग़ को पानी दिया है उसको साफ़ कराया है पानी की नालियाँ दुरुस्त कराई हैं उस में पेड़ लगाये हैं यह स़र्फ़ा भी शामिल किया जायेगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.11:– मकान की मरम्मत कराई है, सफ़ाई कराई है, प्लास्टर कराया है कुँआ खुदवाया है इन सब के मस़ारिफ़ शामिल होंगे, दलाल को जो कुछ दिया गया है वह भी शामिल होगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.12:– चरवाहे की उजरत या खुद अपने मस़ारिफ मस्लन जाने, आने का किराया और अपनी ख़ुराक और जो काम खुद किया है या किसी ने मुफ़्त कर दिया है उस काम की उजरत जिस मकान में चीज़ को रखा है उसका किराया इन सबको इज़ाफ़ा नहीं करेंगे। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.13:– क्या चीज़ इज़ाफ़ा करेंगे और क्या नहीं करेंगे इसका क़ायदा कुल्लिया यह है कि इस बाब में ताजिरों का उ़र्फ़ देखा जायेगा जिसके मुतअ़ल्लिक़ उ़र्फ़ है उसे शामिल करें और उ़र्फ़ न हो तो शामिल न करें। (दुर्रेमुख़्तार, फतह)

मसअ्ला.14:– जो मस़ारिफ़ ना'जाइज़ तौर पर जबरन वुसूल किये जाते हैं जैसे चुंगी अगर तुज्जार का उ़र्फ़ उसके इज़ाफ़ा करने का हो तो इज़ाफ़ा करें वरना नहीं। (दुर्रेमुख़्तार) ग़ालिबन चुंगी को आज कल के तुज्जार तौलिया व मुराबहा में रासुल'माल पर इज़ाफ़ा करते हैं।

मसअ्ला.15:– जो मस़ारिफ़ इज़ाफ़ा करने के हैं उन्हें इज़ाफ़ा करने के बाद बाइअ़ यह न कहे मैंने इतने को ख़रीदी है क्योंकि यह झूठ है बल्कि यह कहे कि मुझे इतने में पड़ी है। (हिदाया,वग़ैरा)

मसअ्ला.16:– बैअ़े मुराबहा में अगर मुश्तरी को मा़लूम हुआ कि बाइअ़ ने कुछ ख़्यानत की है मसलन अस़ली समन पर ऐसे मस़ारिफ़ इज़ाफ़ा किये हैं जिनको इज़ाफ़ा करना ना'जाइज़ है या उस समन को बढ़ाकर बताया दस में ख़रीदी थी बताये ग्यारह तो मुश्तरी को इख़्तेयार है कि पूरे समन पर ले या न ले यह नहीं कर सकता कि जितना ग़लत बताया है उससे कम करके समन अदा करे, उसने ख़्यानत की है उसे मा़लूम करने की तीन सूरतें हैं खुद उसने इक़रार किया हो या मुश्तरी ने उसको गवाहों से स़ाबित किया या उसपर हलफ़ दिया गया उसने क़सम से इनकार किया, तौलिया में अगर बाइअ़ की ख़्यानत स़ाबित हो तो जो कुछ ख़्यानत की है उसे कम करके मुश्तरी स़मन अदा करे मस्लन उसने कहा मैंने दस रूपये में ख़रीदी है और स़ाबित हुआ कि आठ में ख़रीदी है तो

आठ देकर मबीअ् ले लेगा। (हिदाया,फतह)

मसअ्ला.17:– मुराबहा में ख़्यानत ज़ाहिर हुई और फेरना चाहता है फेरने से पहले मबीअ् हलाक हो गई या उसमें कोई ऐसी बात पैदा होगई जिससे बैअ् को फ़स्ख़ करना ना'दुरूस्त हो जाता है तो पूरे समन पर मबीअ् को रख लेना ज़रूरी होगा अब वापस नहीं कर सकता न नुक़सान का मुआवज़ा मिल सकता है। (हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.18:– एक चीज़ ख़रीदकर मुराबहतन बैअ् की फिर उसको ख़रीदा अगर फिर मुराबहा करना चाहे तो पहले मुराबहा में जो कुछ नफ़ा मिला है दूसरे समन से कम करे और अगर नफ़ा इतना हुआ कि दूसरे समन को मुस्तग़रक़ होगया तो अब मुराबहतन बैअ् हीं नहीं हो सकती उसकी मिसाल यह है कि एक कपड़ा दस में ख़रीदा था और पन्द्रह में मुराबहा किया फिर उसी कपड़े को दस में ख़रीदा तो उस में से पाँच रूपये पहले के नफ़ा वाले साक़ित करके पाँच रूपये पर मुराबहा कर सकता है और यह कहना होगा कि पाँच रूपये में पड़ा है और अगर पहले बीस रूपये में बेचा था फिर उसी को दस में ख़रीदा तो गोया कपड़ा मुफ़्त है कि नफ़ा निकालने के बाद समन कुछ नहीं बचता इस सूरत में फिर मुराबहा नहीं हो सकता यह उस सूरत में है कि जिसके हाथ मुराबहतन बेचा है अब तक वह चीज़ उसी के पास रही उसने उसी से ख़रीदी और अगर उसने किसी दूसरे के हाथ बेचदी उसने उससे ख़रीदी ग़र्ज़ यह कि दरम्यान में कोई बैअ् आजाये तो अब जिस समन से ख़रीदा है उसी पर मुराबहा करे नफ़ा कम करने की ज़रूरत नहीं। (हिदाया,फतह)

मसअ्ला.19:– जिस चीज़ को जिस समन से ख़रीदा उसे दूसरे जिन्स से बेचा मसलन दस रूपये में ख़रीदी फिर किसी जानवर के बदले में बैअ् की फिर दस रूपये में ख़रीदी तो दस रूपये पर मुराबहा हो सकता है अगरचे वह जानवर जिसके बदले में पहले बेची थी दस रूपये से ज़्यादा का हो एक तीसरी सूरत समने स़ानी पर मुराबहा जाइज़ होने की यह है कि उस अम्र को ज़ाहिर करदे कि मैंने दस रूपये में ख़रीदकर पन्द्रह में बेची फिर उसी मुश्तरी से दस रूपये में ख़रीदी है और उस दस रूपये पर मुराबहा करता हूँ। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.20:– सुलह के तौर पर जो चीज़ हासिल हो उसका मुराबहा नहीं हो सकता मस्लन ज़ैद के अम्र पर दस रूपये चाहिये थे उसने मुतालबा किया अम्र ने कोई चीज़ देकर सुलह करली यह चीज़ ज़ैद को अगरचे दस रूपये के मुआवज़े में मिली है मगर उसका मुराबहा दस रूपये में नहीं हो सकता। (हिदाया)

मसअ्ला.21:– चन्द चीज़ें एक अ़क़्द में एक समन के साथ ख़रीदी गईं उनमें से एक के मक़ाबिल में स्मन का एक हिस्सा फ़र्ज़ करके मुराबहा करें यह ना'जाइज़ है जबकि यह क़ीमती चीज़ें हों और स्मन की तफ़सील न हो और अगर मिस्ली हों मस्लन दो मन ग़ल्ला पाँच रूपये में ख़रीदा था एक मन का मुराबहा कर सकता है यूँही कपड़े के चन्द थान इस तरह ख़रीदे कि हर थान दस रूपये का है तो एक थान का मुराबहा कर सकता है। (फतहुलक़दीर, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.22:– मुकातब या गुलाम माज़ून ने एक चीज़ दस रूपये में ख़रीदी थी उसके मौला ने उस से पन्द्रह में ख़रीद ली या मौला ने दस में ख़रीदकर गुलाम के हाथ पन्द्रह में बेची तो उसका मुराबहा उसी बैए अव्वल के समन पर यानी दस पर हो सकता है पन्द्रह पर नहीं हो सकता यूँही जिसकी गवाही उसके हक़ में मक़बूल न हो जैसे उसके उसूल माँ, बाप, दादा, दादी या उसके फ़ुरूअ् बेटा, बेटी, वग़ैरा और मियाँ बीवी और दो शख़्स जिन में शिरकते मुफ़ावज़ा है उन में एक ने एक चीज़ ख़रीदी फिर दूसरे ने नफ़ा देकर उससे ख़रीदली तो मुराबहा दूसरे स्मन पर नहीं हो सकता हाँ अगर यह लोग ज़ाहिर करदें कि यह ख़रीदारी इस तरह हुई है तो जिस समन से खुद ख़रीदी है उस पर मुराबहा होसकता है। (हिदाया, फतह, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.23:– अपने शरीक से कोई चीज़ ख़रीदी मगर यह चीज़ शिरकत की नही है तो जिस

क़ीमत पर उसने ख़रीदी है मुराबहा कर सकता है और यह ज़ाहिर करने की भी ज़रूरत नहीं कि शरीक से ख़रीदी है और अगर वह चीज़ शिरकत की हो तो उसमें जितना उसका हिस्सा है उसमें वह स्मन लिया जायेगा जिससे शिरकत में ख़रीदारी हुई और जितना शरीक का हिस्सा है उसमें उस स्मन का एअ्तिबार होगा जिससे उसने अब ख़रीदी है मस्लन एक हज़ार में वह चीज़ ख़रीदी गई थी और बारह सौ में उसने शरीक से ख़रीदी तो ग्यारह सौ पर मुराबहा हो सकता है।(रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला24:– मुज़ारिब ने एक चीज़ दस रूपये में ख़रीदी और माल वाले के हाथ पन्द्रह रूपये में बेचदी अगर मुज़ारिब निस्फ़ नफ़ा के साथ है तो रब्बुलमाल उस चीज़ को साढ़े बारह रूपये पर मुराबहा कर सकता है क्योंकि नफ़ा के पाँच में ढाई रूपये उसके हैं लिहाज़ा मबीअ् उसको साढ़े बारह में पड़ी। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.25:– मबीअ् में कोई ऐब बाद में मालूम हुआ और यह राज़ी होगया तो उसका मुराबहा कर सकता है यानी ऐब की वजह से समन में कमी करने की ज़रूरत नहीं यूँही अगर उसने मुराबहतन यह चीज़ ख़रीदी थी और बाद में बाइअ् की ख़्यानत पर मुत्तला हुआ मगर मबीअ् को वापस नहीं किया बल्कि उसी पर राज़ी रहा तो जिस समन पर ख़रीदी है उसी पर मुराबहा करेगा। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.26:– मबीअ् में अगर ऐब पैदा होगया मगर वह ऐब किसी के फ़ेअ्ल से पैदा न हुआ चाहे आफ़ते समावी (कुदरती आफ़त) से हो या खुद मबीअ् के फ़ेअ्ल से हो। ऐसे ऐब को मुराबहा में बयान करना ज़रूरी नहीं यानी बाइअ् को यह कहना ज़रूरी नहीं कि मैंने जब ख़रीदी थी उस वक़्त ऐब न था मेरे यहाँ ऐब पैदा होगया और बाज़ फुक़हा उसको बयान करना ज़रूरी बताते हैं, कपड़े को चूहे ने कतर लिया या आग से कुछ जल गया उसका भी वही हुक्म है रहा ऐब को बयान करना उसको हम पहले बता चुके हैं कि मबीअ् के ऐब पर मुत्तला (ख़बर) हो तो उसका ज़ाहिर कर देना ज़रूरी है छुपाना हराम है, लोन्डी स्य्यिब थी उस से वती की और उससे नुक़सान पैदा न हुआ तो उसका बयान करना ज़रूरी नहीं और नुक़सान पैदा हुआ तो बयान करना ज़रूरी है, और अगर मबीअ् में उसके फ़ेअ्ल से ऐब पैदा होगया या दूसरे के फ़ेअ्ल से चाहे उसने उसके हुक्म से फ़ेअ्ल किया या बिग़ैर हुक्म के चाहे उसने उस नुक़सान का मुआवज़ा ले लिया हो या न लिया हो, या कनीज़ बिक्र (जिस से वती न की गई हो) थी उससे वती की इन बातों को ज़ाहिर कर देना ज़रूर है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.27:– जिस वक़्त उसने ख़रीदी थी उस वक़्त नर्ख़ गिरां था और अब बाज़ार का हाल बदल गया उसको ज़ाहिर करना भी ज़रूर नहीं। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.28:– जानवर या मकान ख़रीदा था उसको किराये पर देदिया मुराबहा में यह बयान करने की ज़रूरत नहीं कि उसका कितना किराया वुसूल कर लिया है और अगर जानवर से घी दूध हासिल किया है तो उसको समन में मुजरा देना होगा। (फ़तह)

मसअ्ला.29:– कोई चीज़ गिरां ख़रीदी और इतने दाम ज़्यादा दिये कि लोग उतने में नहीं ख़रीदते तो मुराबहा व तौलिया में उसको ज़ाहिर करना ज़रूर है। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.30:– एक चीज़ हज़ार रूपये की ख़रीदी थी और समन मोअज्जिल था यानी उसके अदा के लिये एक मुद्दत मुक़र्रर थी उसको सौ रूपये के नफ़ा पर बेचा तो यह बयान करना ज़रूरी है कि बैअ् में समन मोअज्जिल था और अगर बयान न किया और मुश्तरी को बाद में मालूम हुआ तो उसे इख़्तेयार है कि ग्यारह सौ में ले या न ले और अगर मबीअ् हलाक होचुकी है तो वह ग्यारह सौ में बिला मीआद उसको देना लाज़िम है। (दुर्रेमुख़्तार) इन मसाइल में तौलिया का भी वही हुक्म है जो मुराबहा का है।

मसअ्ला.31:– जितने में ख़रीदी थी या जितने में पड़ी है उसी पर तौलिया किया मगर मुश्तरी को यह मालूम नहीं कि वह क्या रक़म है यह बैअ् फ़ासिद है फिर अगर मज्लिस में उसे इल्म होजाये तो उसे इख़्तेयार है ले या न ले और मज्लिस में भी इल्म न हुआ तो अब फ़साद दफ़ा नहीं हो

सकता है। मुराबहा का भी यही हुक्म है। (दुर्रेमुख़्तार,वग़ैरा)

मसअ्ला.32:– जो समन मुक़र्रर हुआ था बाइअ् ने उसमें से कुछ कम कर दिया तो मुराबहा व तौलिया में कम करने के बाद जो बाक़ी है वह रासुल'माल क़रार दिया जाये और अगर मुराबहा व तौलिया कर लेने के बाद बाइअ् अव्वल ने समन कम किया है तो यह भी मुश्तरी से कम करदे और अगर बाइअ् अव्वल ने कुल समन छोड़ दिया तो जो मुक़र्रर हुआ था उस पर मुराबहा व तौलिया करे। (फ़तहुल'क़दीर)

मसअ्ला.33:– एक ग़ुलाम का निस्फ़ सौ रूपये में ख़रीदा फिर दूसरे निस्फ़ को दो सौ में ख़रीदा जिस निस्फ़ का चाहे मुराबहा करे और उस समन पर होगा जिससे उसने ख़रीदा और पूरे का मुराबहा करना चाहे तो तीन सौ पर होगा। (आलमगीरी)

मबीअ् व समन में तसर्रुफ़ का बयान

बुख़ारी व मुस्लिम व अबू दाऊद व नसई व बैहक़ी अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रावी कहते हैं बाज़ार में ग़ल्ला ख़रीदकर उसी जगह (बिग़ैर क़ब्ज़ा किये) लोग बेच डालते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व सल्लम ने उसी जगह बैअ् करने से मना फ़रमाया जब तक मुन्तक़िल न करलें, नीज़ सहीहैन में उन्हीं से मरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया "जो शख़्स ग़ल्ला ख़रीदे जब तक क़ब्ज़ा न करले उसे बैअ् न करे" अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा कहते हैं जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व सल्लम ने क़ब्ज़ा से पहले बेचना मना किया वह ग़ल्ला है मगर मेरा गुमान यह है कि हर चीज़ का यही हुक्म है।

मसअ्ला.1:– जायदाद ग़ैर मन्क़ूला (जो जायदाद एक जगह से दूसरी जगह न लेजाई जा सके) ख़रीदी है उसको क़ब्ज़ा करने से पेशतर बैअ् करना जाइज़ है क्योंकि उसका हलाक होना बहुत नादिर है और अगर वह ऐसी हो जिसके ज़ायअ् होने का अन्देशा हो तो जब तक क़ब्ज़ा न करले बैअ् नहीं कर सकता मस्लन बाला ख़ाना या दरिया के किनारे का मकान और ज़मीन या वह ज़मीन जिस पर रेता चढ़ जाने का अन्देशा हो। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.2:– मनकूल चीज़ ख़रीदी तो जब तक क़ब्ज़ा न करले उसकी बैअ् नहीं कर सकता और हिबा व सदक़ा कर सकता है, रेहन रख सकता है, क़र्ज़ आ़रियत देना चाहे तो दे सकता है।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.3:– मनकूल चीज़ क़ब्ज़ा से पहले बाइअ् को हिबा करदी और बाइअ् ने क़बूल करली तो बैअ् जाती रही और अगर बाइअ् के हाथ बैअ् की तो यह बैअ् सहीह नहीं पहली बैअ् बदस्तूर बाक़ी रही। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.4:– खुद बाइअ् ने मुश्तरी के क़ब्ज़े से पहले मबीअ् में तसर्रुफ़ किया उसकी दो सूरतें हैं मुश्तरी के हुक्म से उसने तसर्रुफ़ किया या बिग़ैर हुक्म, अगर हुक्म से तसर्रुफ़ किया मस्लन मुश्तरी ने कहा इसको हिबा करदे या किराये पर देदे बाइअ् ने कर दिया तो मुश्तरी का क़ब्ज़ा होगया और अगर बिग़ैर अम्र तसर्रुफ़ किया मस्लन वह चीज़ रेहन रखदी या उजरत पर देदी, अमानत रखदी और मबीअ् हलाक होगई बैअ् जाती रही और अगर बाइअ् ने आ़रियत दी, हिबा किया, रेहन रखा और मुश्तरी ने जाइज़ कर दिया तो यह भी मुश्तरी का क़ब्ज़ा होगया। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.5:– मुश्तरी ने बाइअ् से कहा फ़ुलां के पास मबीअ् रखदो जब मैं दाम अदा करूँगा मुझे देदेगा और बाइअ् ने उसे देदी तो यह मुश्तरी का क़ब्ज़ा न हुआ बल्कि बाइअ् ही का क़ब्ज़ा है यानी वह चीज़ हलाक होगी तो बाइअ् की हलाक होगी। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.6:– एक चीज़ ख़रीदी थी उसपर क़ब्ज़ा नहीं किया बाइअ् ने दूसरे के हाथ ज़्यादा दामों में बेच डाली मुश्तरी ने बैअ् जाइज़ करदी जब भी यह बैअ् दुरुस्त नहीं कि क़ब्ज़ा से पेशतर है। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.7:– जिसने कैली चीज़ कैल के साथ या वज़नी चीज़ वज़न के साथ ख़रीदी या अ़ददी चीज़ गिन्ती के साथ ख़रीदी तो जब तक नाप या तोल या गिन्ती न करले उसको बेचना भी जाइज़

नहीं और खाना भी जाइज़ नहीं और अगर तख़्मीना से ख़रीदी यानी मबीअ् सामने मौजूद है देखकर उस सारी को ख़रीद लिया यह नहीं कि इतने सेर या इतने नाप या इतनी तादाद को ख़रीदा तो उस में तसर्रुफ़ करने, बेचने, खाने के लिये नाप तोल वग़ैरा की ज़रूरत नहीं, और अगर यह चीज़ें हिबा, मीरास, वसिय्यत में हासिल हुईं या खेत में पैदा हुई हैं तो नापने वग़ैरा की ज़रूरत नहीं। (दुर्रेमुख्तार)

मसअ्ला.8:– बैअ् के बाद बाइअ् ने मुश्तरी के सामने नापा, तोला था या बैअ् के बाद उसकी ग़ैर हाज़िरी में नापा, तोला तो वह काफ़ी नहीं बिग़ैर नापे तोले उसको खाना और बेचना जाइज़ नहीं। (दुर्रेमुख्तार)

मसअ्ला.9:– मौज़ून या मकील (तोलकर या नापकर बेची जाने वाली चीजें) को बैअे तआती के साथ ख़रीदा तो मुश्तरी का नापना, तोलना ज़रूरी नहीं क़ब्ज़ा कर लेना काफ़ी है। (दुर्रेमुख्तार)

मसअ्ला.10:– बाइअ् ने बैअ् से पहले तोला था उसके बाद एक शख़्स ने जिसके सामने तोला उसको ख़रीदा मगर उसने नहीं तोला और बैअ् करदी और तोलकर मुश्तरी को दी यह बैअ् जाइज़ नहीं कि तोलने से क़ब्ल हुई। (फ़तहुल'क़दीर)

मसअ्ला.11:– थान ख़रीदा अगरचे गज़ों के हिसाब से ख़रीदा मसलन यह थान दस गज़ का है और उसके दाम यह हैं उसमें तसर्रुफ़ नापने से पहले जाइज़ है हाँ अगर बैअ् में गज़ के हिसाब से क़ीमत हो मसलन एक रूपये गज़ तो जब तक नाप न लिया जाये तसर्रुफ़ जाइज़ नहीं और मौज़ूं चीज़ ऐसी हो कि उसके टुकड़े करना मुज़िर हों तो वज़न करने से पहले उसमें तसर्रुफ़ जाइज़ है जैसे ताँबे वग़ैरा के लोटे और बर्तन। (दुर्रेमुख्तार)

मसअ्ला.12:– समन में क़ब्ज़ा करने से पहले तसर्रुफ़ जाइज़ है उसको बैअ् व हिबा व इजारा व सदक़ा व वसिय्यत सब कुछ कर सकते हैं, समन कभी हाज़िर होता है मसलन यह चीज़ इन दस रूपयों के बदले में ख़रीदी पहली सूरत में हर क़िस्म के तसर्रुफ़ कर सकते हैं मुश्तरी को भी मालिक कर सकते हैं और ग़ैर मुश्तरी को भी और दूसरी सूरत में मुश्तरी को मालिक कर देने के अलावा दूसरा तसर्रुफ़ नहीं कर सकते यानी ग़ैर मुश्तरी को उसकी तम्लीक नहीं कर सकते मसलन बाइअ् मुश्तरी से कोई चीज़ उन रूपयों के बदले में ख़रीद सकता है जो मुश्तरी के ज़िम्मे हैं या उसका जानवर या मकान किराये पर ले सकता है और यह भी कर सकता है कि वह रूपये उसे हिबा करदे, सदक़ा करदे और मुश्तरी के अलावा दूसरे से कोई चीज़ ख़रीदे उन रूपयों के बदले में जो उस मुश्तरी पर हैं या दूसरे को हिबा करे, सदक़ा करे यह सहीह नहीं। (दुर्रेमुख्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.13:– समन दो क़िस्म है एक वह कि मुअय्यन करने से मुअय्यन होजाता हो मसलन नाप और तोल की चीज़ें दूसरा वह कि मुअय्यन करने से भी मुअय्यन न हो जैसे रूपये अशर्फ़ी कि बैअ् सहीह में मुअय्यन करने से भी मुअय्यन नहीं होते मसलन कोई चीज़ उस रूपये के बदले में ख़रीदी यानी किसी ख़ास रूपये की तरफ़ इशारा किया तो उसी का देना वाजिब नहीं दूसरा रूपया भी दे सकता है दस रूपये की जगह दस का नोट पन्द्रह रूपये की जगह गिन्नी दे सकता है मुश्तरी को हरगिज़ यह हक़ हासिल नहीं कि कहे रूपये लूँगा नोट अशर्फ़ी नहीं लूँगा। (दुर्रेमुख्तार)

मसअ्ला.14:– क़ब्ज़ा से पहले समन के अलावा किसी दैन में तसर्रुफ़ करने का वही हुक्म है जो समन का है मसलन महर, क़र्ज़, उजरत, बदले खुलअ्, तावान कि जिसपर उसका मुतालबा है उसको मालिक बना सकते हैं यानी उससे उनके बदले में कोई चीज़ ख़रीद सकते हैं उसको मकान वग़ैरा की उजरत में दे सकते हैं हिबा व सदक़ा कर सकते हैं और दूसरे को मालिक करना चाहें तो नहीं कर सकते। (दुर्रेमुख्तार)

मसअ्ला.15:– बैअे सर्फ़ और सलम में जिस चीज़ पर अक़्द हुआ उसके अलावा दूसरी चीज़ को लेना, देना जाइज़ नहीं और न उसमें किसी दूसरी क़िस्म का तसर्रुफ़ जाइज़, न मुसलम इलैह रासुल'माल में तसर्रुफ़ कर सकता है और न रब्बुस्सलम मुसलम फ़ी में कि वह रूपये के बदले में अशर्फ़ी लेले और यह गेहूँ के बदले में जौ ले यह नाजाइज़ है। (दुर्रेमुख्तार, रद्दुलमुहतार)

समन और मबीअ् में कमी बेशी हो सकती है

मसअ्ला.16:– मुश्तरी ने बाइअ् के लिये समन में कुछ इज़ाफ़ा कर दिया या बाइअ् ने मबीअ् में इज़ाफ़ा करदिया यह जाइज़ है समन या मबीअ् में इज़ाफ़ा उसी जिन्स से हो या दूसरी जिन्स से उसी मज्लिसे अक़्द में हो या बाद में हर सूरत में यह इज़ाफ़ा लाज़िम हो जाता है यानी बाद में अगर नदामत हुई कि ऐसा मैंने क्यों किया तो बेकार है वह देना पड़ेगा, अजनबी ने समन में इज़ाफ़ा कर दिया मुश्तरी ने क़बूल कर लिया मुश्तरी पर लाज़िम हो जायेगा और मुश्तरी ने इनकार कर दिया बातिल होगया हाँ अगर अजनबी ने इज़ाफा किया और ख़ुद ज़ामिन भी बनगया या कहा मैं अपने पास से दूँगा तो इज़ाफ़ा सहीह है और यह ज़्यादत अजनबी पर लाज़िम। (हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.17:– मुश्तरी ने समन में इज़ाफ़ा किया उसके लाज़िम होने के लिये शर्त यह है कि बाइअ् ने उसी मज्लिस में क़बूल भी कर लिया हो और उस मज्लिस में क़बूल नहीं किया बाद में किया तो लाज़िम नहीं और यह भी शर्त है कि मबीअ् मौजूद हो मबीअ् के हलाक होने के बाद समन में इज़ाफ़ा नहीं होसकता मबीअ् को बेच डाला हो फिर ख़रीद लिया या वापस कर लिया हो जब भी समन में इज़ाफ़ा सहीह है, बकरी मरगई है तो समन में इज़ाफ़ा नहीं हो सकता और ज़िबह करदी गई है तो हो सकता है, मबीअ् में बाइअ् ने ज़्यादती की उसमें भी मुश्तरी का उसी मज्लिस में क़बूल करना शर्त है और मबीअ् का बाक़ी रहना उस में शर्त नहीं मबीअ् हलाक होचुकी है जब भी उसमें इज़ाफ़ा हो सकता है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.18:– समन में बाइअ् कमी कर सकता है मस्लन दस रूपये में एक चीज़ बैअ् की थी मगर ख़ुद बाइअ् को ख़्यार हुआ कि मुश्तरी पर उसकी गिरानी होगी और समन कम कर दिया यह होसकता है उसके लिये मबीअ् का बाक़ी रहना शर्त नहीं, यह कमी समन के क़ब्ज़ा करने के बाद भी हो सकती है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.19:– कमी ज़्यादती जो कुछ भी है अगरचे बाद में हुई हो उसको असले अक़्द में शुमार करेंगे यानी कमी, बेशी के बाद जो कुछ है उसी पर अक़्द मुतसव्वर होगा। पूरे समन का इस्क़ात नहीं हो सकता यानी मुश्तरी के ज़िम्मे समन कुछ न रहे और बैअ् क़ायम रहे कि बिला समन बैअ् क़रार पाये यह नहीं होसकता यह अलबत्ता होगा कि बैअ् उसी समने अव्वल पर क़रार पायेगी और यह समझा जायेगा कि बाइअ् ने मुश्तरी से समन मुआफ कर दिया उसका नतीजा वहाँ ज़ाहिर होगा कि शफ़ीअ् ने शुफ़आ किया तो पूरा समन देना होगा। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.20:– कमी बेशी को अस्ले अक़्द में शुमार करने का असर यह होगा कि (1)मुराबहा व तौलिया में उसी का एअ्तिबार होगा समने अव्वल का या मबीअे अव्वल का एअ्तिबार न होगा, (2)यूँही अगर समन में ज़्यादती करदी है और मबीअ् का कोई हक़दार पैदा होगया और मबीअ् उसने लेली तो मुश्तरी बाइअ् से पूरा समन वापस लेगा और अगर उसने बैअ् को जाइज़ कर दिया तो मुश्तरी से पूरा समन लेगा और कमी की सूरत में कुछ बाक़ी है वह लेगा, (3)समन अगर कम कर दिया है तो शफ़ीअ् को बाक़ी देना होगा मगर समन में इज़ाफ़ा हुआ है तो पहले समन पर शुफ़आ होगा यह जो कुछ ज़्यादा है नहीं देना होगा क्योंकि समन का हक़ समने अव्वल से साबित हो [illegible] का इन दोनों को उसके मुक़ाबले में इज़ाफ़ा करने का हक़ नहीं, (4)मबीअ् में इज़ाफ़ा किया है और [illegible] ज़ायद हलाक होगया तो समन में उसका हिस्सा कम होजायेगा (5)यूँही समन में कम व बेश किया है और मबीअ् कुल या उसका जुज़ हलाक होगया तो उस कम या ज़्यादा का एअ्तिबार होगा समने अव्वल का एअ्तिबार न होगा, (6)बाइअ् को समन वुसूल करने के लिये मबीअ् के रोकने का तअ़ल्लुक़ समने अव्वल से नहीं बल्कि उससे है यानी मस्लन ज़्यादा करदिया हो तो जब तक मुश्तरी उस ज़्यादती को अदा न करले मबीअ् को बाइअ् रोक सकता है, (7)बैअे सरिफ़ में कम व बेश का यह असर होगा कि मस्लन चांदी को चांदी से बेचा था और दोनों तरफ़ बराबरी थी फिर

एक ने ज़्यादा या कम करदी दूसरे ने उसे क़बूल करलिया और ज़ायद या कम पर क़ब्ज़ा भी होगया तो अ़क्द फ़ासिद होगया। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.21:– समन में अगर अ़र्ज़ (ग़ैर नुक़ूद) ज़्यादा कर दिया और यह चीज़ क़ब्ज़ा से पहले हलाक होगई तो बक़द्र उसकी क़ीमत के अ़क्द फ़स्ख़ हो जायेगा मस्लन सौ रूपये में कोई चीज़ ख़रीदी थी और तक़ाबुज़े बदलैन (दोनों तरफ़ क़ब्ज़ा होना) भी होगया फिर मुश्तरी ने पचास रूपये की कोई चीज़ समन में इज़ाफ़ा करदी और यह चीज़ क़ब्ज़ा से पहले हलाक होगई तो अ़क्दे बैअ् एक तिहाई में फ़स्ख़ होजायेगा। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

दैन की ताजील (वक़्त मुक़र्रर करना)

मसअ्ला.22:– मबीअ् में अगर मुश्तरी कमी करना चाहे और मबीअ् अज़ क़बीले दैन यानी ग़ैर मुअ़य्यन हो तो जाइज़ है और मुअ़य्यन हो तो कमी नहीं हो सकती। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.23:– बाइअ् ने अगर अ़क्दे बैअ् के बाद मुश्तरी को अदाये समन के लिये मोहलत दी यानी उसके लिये मीआद मुक़र्रर करदी और मुश्तरी ने भी क़बूल करली तो यह दैन मीआदी हो गया यानी बाइअ् पर वह मीआद लाज़िम होगई उससे क़ब्ल मुतालबा नहीं कर सकता, हर दैन का यही हुक्म है कि मीआदी न हो और बाद में मीआद मुक़र्रर होजाये तो मीआदी होजाता है मगर मदयून को क़बूल करना शर्त है अगर उसने इनकार कर दिया तो मीआदी नहीं होगा फ़ौरन उसका अदा करना वाजिब होगा और दाइन जब चाहेगा मुतालबा कर सकेगा। (दुर्रेमुख़्तार,वग़ैरा)

मसअ्ला.24:– दैन की मीआद कभी मालूम होती है मस्लन फ़ुलां महीने की फ़ुलां तारीख़ और कभी मजहूल मगर जिहालते यसीरा (हल्की) हो तो जाइज़ है मस्लन जब खेत कटेगा, और अगर ज़्यादा जिहालत हो मसलन जब आंधी आयेगी या पानी बरसेगा यह मीआद बातिल है। (हिदाया)

मसअ्ला.25:– दैन की मीआद को शर्त पर मुअ़ल्लक़ भी कर सकते हैं मस्लन एक शख़्स पर हज़ार रूपये हैं उससे दाइन कहता है अगर पाँच सौ रूपये कल अदा करदो तो बाक़ी पाँच सौ के लिये छः माह की मोहलत है। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.26:– बाज़ दैन में मीआद मुक़र्रर भी की जाये तो मीआदी नहीं होते (1)क़र्ज़ जिसको दस्तगिरदां कहा जाता है यह मीआदी नहीं हो सकता यानी मुक़रिज़ (क़र्ज़ देने वाले) ने अगर कोई मीआद मुक़र्रर भी करदी हो तो वह मीआद उस पर लाज़िम नहीं जब चाहे मुतालबा कर सकता है, (2)बैअ़े सर्फ़ के बदलैन और (3)बैअ़े सलम का समन जिसको रासुल'माल कहते हैं इन दोनों में मीआद मुक़र्रर करना ना'जाइज़ है उसी मज्लिस में उनपर क़ब्ज़ा करना ज़रूर है, (4)मुश्तरी ने शफ़ी के लिये मीआद मुक़र्रर करदी यह भी सहीह नहीं, (5)एक शख़्स पर दैन था उसकी मीआद मुक़र्रर थी वह क़बले मीआद मरगया और माल छोड़ा या वह दैन ग़ैर मीआदी था उसके मरने के बाद दाइन ने वुरसा को अदाये दैन के लिये मीआद दी यह मीआद सहीह नहीं कि यह दैन उस शख़्स के ज़िम्मे था उसके मरने के बाद दैन का तअ़ल्लुक़ तर्का से है और जब तर्का मौजूद है तो मीआद के क्या माना यहाँ दैन का तअ़ल्लुक़ वुरसा के ज़िम्मे से नहीं कि उनसे वुसूल किया जाये उनको मोहलत दी जाये, (6)इक़ाला में मबीअ् मुश्तरी ने वापस करदी और समन बाइअ् के ज़िम्मे है उसको मुश्तरी ने मोहलत दी यह मीआद भी सहीह नहीं। (दुर्रेमुख़्तार) मीआद सहीह न होने का मतलब यह नहीं कि दाइन को फ़ौरन वुसूल कर लेना वाजिब है वुसूल न करे तो गुनहगार है बल्कि यह कि मदयून को फ़ौरन देना वाजिब है और दाइन का मुतालबा सहीह है और दाइन वुसूल करने में ताख़ीर कर रहा है तो यह उसका एक एहसान व तबर्रोअ् (बख़्शिश) है मगर बैअ् सर्फ़ के बदलैन और सलम के रासुल'माल पर उसी मज्लिस में क़ब्ज़ा करना ज़रूरी है।

मसअ्ला.27:– बाज़ सूरतों में क़र्ज़ के मुतअ़ल्लिक़ भी मीआद सहीह है, (1)क़र्ज़ से क़र्ज़दार मुन्किर था और एक रक़म पर सुलह हुई और उसकी अदायगी के लिये मीआद मुक़र्रर हुई यह मीआद

सहीह है मसलन एक शख़्स पर हज़ार रूपये क़र्ज़ हैं और सौ रूपये पर एक माह की मुद्दत क़रार देकर सुलह हुई हज़ार के सौ मिलें यानी नौ सौ मुआफ़ हैं यह सहीह है मगर मीआद सहीह नहीं यानी फ़िलहाल देना वाजिब है और अगर इस ज़िक्र की गई सूरत में क़र्ज़दार इनकारी हो तो मीआद सहीह है। (2)यूँही क़र्ज़दार ने क़र्ज़ख़्वाह से तनहाई में कहा कि अगर तुम मोहलत न दोगे तो मैं उस क़र्ज़ का इक़रार ही नहीं करूँगा उसने गवाहों के सामने मीआदी दैन का इक़रार किया। (3)क़र्ज़दार ने क़र्ज़ख़्वाह के मुतालबे को किसी दूसरे शख़्स पर हवाला कर दिया और उसको क़र्ज़ख़्वाह ने मोहलत दी तो यह मीआद सहीह है। (4)या ऐसे पर हवाला किया कि खुद क़र्ज़दार का उस पर मीआदी दैन था तो यह क़र्ज़ भी मीआदी होगया। (5)किसी शख़्स ने वसिय्यत की मेरे माल से फ़ुलां को इतना रूपया इतनी मीआद पर क़र्ज़ दिया जाये और सुलुसे माल (तिहाई माल) से क़र्ज़ दिया गया, या यह वसिय्यत की कि फ़ुलां शख़्स पर जो मेरा क़र्ज़ है मेरे मरने के बाद एक साल तक उसको मोहलत है इन सूरतों में क़र्ज़ मीआदी होजायेगा। (दुर्रेमुख़्तार, फ़तहुल'क़दीर)

क़र्ज़ का बयान

हदीस (1) सहीह बुख़ारी में अबू बुर्दह बिन अबी मूसा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कहते हैं मैं मदीना में आया और अब्दुल्लाह बिन सलाम रदियल्लाहु तआला अन्हु की ख़िदमत में हाज़िर हुआ उन्होंने फ़रमाया तुम ऐसी जगह में रहते हो जहाँ सूद की कसरत है लिहाज़ा अगर किसी शख़्स के ज़िम्मे तुम्हारा कोई हक़ हो और वह तुम्हें एक बोझ, भूसा या जौ या घास हदये में दे तो हरगिज़ न लेना कि वह सूद है।

हदीस (2) इमाम बुख़ारी तारीख़ में अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया "जब एक शख़्स दूसरे को क़र्ज़ दे तो उसका हदिया क़बूल न करे"।

हदीस (3) इब्ने माजा व बैहक़ी उन्हीं से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया जब कोई क़र्ज़ दे और उसके पास वह हदिया करे तो क़बूल न करे और अपनी सवारी पर सवार करे तो सवार न हो हाँ अगर पहले से इन दोनों में जारी था तो अब हरज नहीं। (हिदाया)

हदीस (4) नसई ने अब्दुल्लाह बिन रबीआ रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कहते हैं मुझसे हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने क़र्ज़ लिया था जब हुज़ूर के पास माल आया अदा फ़रमादिया और दुआ की कि अल्लाह तआला तेरे अहल व माल में बरकत करे और फ़रमाया "क़र्ज़ का बदला शुक्रिया है और अदा कर देना"।

हदीस (5) इमाम अहमद इमरान बिन हसीन रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया जिसका दूसरे पर हक़ हो और वह अदा करने में ताख़ीर करे तो हर रोज़ उतना माल सदक़ा कर देने का सवाब पायेगा।

हदीस (6) इमाम अहमद सअद बिन अतवल रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कहते हैं मेरे भाई का इन्तेक़ाल हुआ और तीन सौ दीनार और छोटे छोटे बच्चे छोड़े मैंने यह इरादा किया कि यह दीनार बच्चों पर सर्फ़ करूँगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने मुझसे फ़रमाया तेरा भाई दैन में मुक़य्यद है उसका दैन अदा करदे मैंने जाकर अदा कर दिया फिर हुज़ूर की ख़िदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ की या रसूलल्लाह मैंने अदा कर दिया सिर्फ़ एक औरत बाक़ी है जो दो दीनार का दावा करती है मगर उसके पास गवाह नहीं हैं फ़रमाया उसे देदे वह सच्ची है।

हदीस (7) इमाम मालिक ने रिवायत की है कि एक शख़्स ने अब्दुल्लाह बिन उमर के पास आकर अर्ज़ की कि मैंने एक शख़्स को क़र्ज़ दिया था और यह शर्त करली है कि जो दिया है उससे बेहतर अदा करना उन्होंने कहा यह सूद है उसने पूछा कि आप मुझे क्या हुक्म देते हैं फ़रमाया क़र्ज़ की तीन सूरतें हैं एक वह क़र्ज़ है जिससे मक़सूद अल्लाह की रज़ा हासिल करना है उसमें तेरे

लिये अल्लाह की रज़ा मिलेगी और एक वह क़र्ज़ है जिससे मक़सूद किसी शख़्स की खुशनूदी है उस क़र्ज़ में सिर्फ़ उसकी खुशनूदी हासिल होगी और एक वह क़र्ज़ है जो तूने इस लिये दिया है कि तय्यिब देकर ख़बीस हासिल करे उस शख़्स ने अर्ज़ की तो अब मुझे क्या हुक्म देते हैं फ़रमाया दस्तावेज़ फाड़ डाल फिर अगर वह क़र्ज़दार वैसा ही अदा करे जैसा तूने उसे दिया है तो क़बूल कर और अगर उससे कम अदा करे और तूने लेलिया तो तुझे सवाब मिलेगा और अगर उसने अपनी खुशी से बेहतर अदा किया तो यह एक शुक्रिया है जो उस ने किया।

मसअ्ला.1:– जो चीज़ क़र्ज़ दी जाये, ली जाये उसका मिस्ली होना ज़रूर है नाप की हो या तोल की हो या गिन्ती की हो मगर गिन्ती की चीज़ में शर्त यह है कि उसके अफ़राद में ज़्यादा तफ़ावुत (फ़र्क़) न हो जैसे अण्डे, अख़रोट, बादाम, और अगर गिन्ती की चीज़ में तफ़ावुत (फ़र्क़) ज़्यादा हो जिसकी वजह से क़ीमत में इख़्तेलाफ़ हो जैसे आम, अमरूद इनको क़र्ज़ नहीं दे सकते यूँही हर क़ीमती चीज़ जैसे जानवर, मकान, ज़मीन इनको क़र्ज़ देना सहीह नहीं। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.2:– क़र्ज़ का हुक्म यह है कि जो चीज़ लीगई है उसकी मिस्ल अदा की जाये लिहाज़ा जिसकी मिस्ल नहीं क़र्ज़ देना सहीह नहीं, जिस चीज़ को क़र्ज़ लेना, देना जाइज़ नहीं अगर उसको किसी ने क़र्ज़ लिया उस पर क़ब्ज़ा करने से मालिक होजायेगा मगर उससे नफ़ा उठाना हलाल नहीं मगर उसको बैअ् करेगा तो बैअ् सहीह होजायेगी उसका हुक्म वैसा ही है जैसे बैअ़े फ़ासिद में मबीअ् पर क़ब्ज़ा कर लिया कि वापस करना ज़रूरी है मगर बैअ् कर देगा तो बैअ् सहीह है(आलमगीरी)

मसअ्ला.3:– काग़ज़ को क़र्ज़ लेना जाइज़ है जबकि उसकी नौईयत(वरायटी)व सिफ़त का बयान होजाये और उसको गिन्ती के साथ लिया जाये और गिनकर दिया जाये(दुर्रेमुख़्तार)मगर आज कल थोड़े से काग़ज़ों में ख़रीद व फ़रोख़्त व क़र्ज़ में गिनकर लेते देते हैं ज़्यादा मिक़दार यानी रिमों में वज़न का एअ्तिबार होता है यानी मस्लन इतने पोन्ड का रिम उ़र्फ़ में तख़्ते नहीं गिन्ते इसमें हरज नहीं।

मसअ्ला.4:– रोटियों को गिनकर भी क़र्ज़ ले सकते हैं और तोलकर भी, गोश्त वज़न करके क़र्ज़ लिया जाये। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.5:– आटे को नापकर क़र्ज़ लेना देना चाहिये और अगर उ़र्फ़ वज़न से क़र्ज़ लेने का हो जैसा कि उ़मूमन हिन्दुस्तान में है तो वज़न से भी क़र्ज़ जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.6:– ईंधन की लकड़ी और दूसरी लकड़ियाँ और उपले और तख़्ते और तरकारियाँ और ताज़ा फल इन सब का क़र्ज़ लेना देना दुरूस्त नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.7:– कच्ची और पक्की ईटों का क़र्ज़ जाइज़ है जबकि इन में तफ़ावुत (फ़र्क़) न हो जिस त़रह आज कल शहर भर में एक त़रह की ईंटे तैयार होती हैं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.8:– बर्फ़ को वज़न के साथ क़र्ज़ लेना दुरुस्त है और अगर गर्मियों में बर्फ़ क़र्ज़ लिया था और जाड़े में अदा कर दिया यह हो सकता है मगर क़र्ज़ देने वाला उस वक़्त नहीं लेना चाहता वह कहता है गर्मियों में लूँगा और यह अभी देना चाहता है तो मुआमला क़ाज़ी के पास पेश करना होगा वह वुसूल करने पर मजबूर करेगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.9:– पैसे क़र्ज़ लिये थे उनका चलन जाता रहा तो वैसे ही पैसे उसी तादाद में देने से क़र्ज़ अदा न होगा बल्कि उनकी क़ीमत का एअ्तिबार है मस्लन आठ आने के पैसे थे तो चलन बन्द होने के बाद अठन्नी या दूसरा सिक्का उस क़ीमत का देना होगा। (दुर्रेमुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला.10:– अदा–ए–क़र्ज़ में चीज़ के सस्ते महंगे होने का एअ्तिबार नहीं मसलन दस सेर गेहूँ क़र्ज़ लिये थे उनकी क़ीमत एक रूपये थी और अदा करने के दिन एक रूपये से कम या ज़्यादा है उसका बिलकुल लिहाज़ नहीं किया जायेगा वही दस सेर गेहूँ देने होंगे। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.11:– एक शहर में मस्लन ग़ल्ला क़र्ज़ लिया और दूसरे शहर में क़र्ज़ख़्वाह ने मुतालबा किया तो जहाँ क़र्ज़ लिया था वहाँ जो क़ीमत थी वह देदी जाये क़र्ज़दार उस पर मजबूर नहीं कर

सकता कि मैं यहाँ नहीं दूँगा वहाँ चलकर वह चीज़ लेलो, एक शहर में ग़ल्ला क़र्ज़ लिया दूसरे शहर में जहाँ ग़ल्ला गिरां है क़र्ज़ख़्वाह उससे ग़ल्ला का मुतालबा करता है क़र्ज़दार से कहा जायेगा कि इस बात का ज़ामिन देदो कि अपने शहर में जाकर ग़ल्ला अदा करूँगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.12:– मेवे क़र्ज़ लिये थे मगर अभी अदा नहीं किये कि यह मेवे ख़त्म हो चुके बाज़ार में मिलते नहीं क़र्ज़ख़्वाह को इन्तेज़ार करना पड़ेगा कि नये फल आजायें उस वक़्त क़र्ज़ अदा किया जाये और अगर दोनों क़ीमत देने पर राज़ी होजायें तो क़ीमत अदा करदी जाये। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.13:– क़र्ज़दार ने क़र्ज पर क़ब्ज़ा कर लिया उस चीज़ का मालिक होगया फ़र्ज़ करो एक चीज़ क़र्ज ली थी और अभी ख़र्च नहीं की है कि अपनी चीज़ आगई मस्लन रूपये क़र्ज़ लिया था और रूपया आगया या आटा क़र्ज़ लिया था पकने से पहले आटा पिसकर आगया अब क़र्ज़दार को यह इख़्तेयार है कि उसकी चीज़ रहने दे और अपनी चीज़ से क़र्ज़ अदा करे या उसकी ही चीज़ देदे जिसने क़र्ज़ दिया है वह नहीं कह सकता कि मैंने जो चीज़ दी थी वह तुम्हारे पास मौजूद है मैं वही लूँगा। (दुर्रेमुख़्तार, आलमगीरी)

मसअ्ला.14:– क़र्ज़ की चीज़ क़र्ज़दार के पास मौजूद है क़र्ज़दार उसको खुद क़र्ज़ख़्वाह के हाथ बैअ् करे यह सहीह है कि वह मालिक है और क़र्ज़ख़्वाह बैअ् करे यह सहीह नहीं कि यह मालिक नहीं, एक शख़्स ने दूसरे से ग़ल्ला क़र्ज़ लिया क़र्ज़दार ने क़र्ज़ख़्वाह से रूपये के बदले उसको ख़रीद लिया यानी उस दैन को ख़रीदा जो उसके ज़िम्मे है मगर क़र्ज़ख़्वाह ने रूपये पर अभी क़ब्ज़ा नहीं किया था कि दोनों जुदा होगये बैअ् बातिल हो गई। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.15:– गुलाम, ताजिर और मुकातब और ना'बालिग़ और बोहरा यह सब किसी को क़र्ज़ दें यह ना'जाइज़ है कि क़र्ज़ तबर्रोअ् है और यह तबर्रोअ् नहीं कर सकते। (आलमगीर)

मसअ्ला.16:– सबी महजूर (जिसको खरीद व फरोख्त की मुमानअत है) को क़र्ज़ दिया या उसके हाथ कोई चीज़ बैअ् की उसने ख़र्च कर डाली तो उसका मुआवज़ा कुछ नहीं बोहरे और मजनून को क़र्ज़ देने का भी यही हुक्म है और अगर वह चीज़ मौजूद है ख़र्च नहीं हुई है तो क़र्ज़ख़्वाह वापस ले सकता है गुलाम महजूर को क़र्ज़ दिया है तो जब तक आज़ाद न हो उससे मुआख़ज़ा नहीं हो सकता। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.17:– एक शख़्स से दूसरे ने रूपये क़र्ज़ मांगें वह देने को लाया उसने कहा पानी में फेंक दो उसने फेंक दिया तो उसका कुछ नुक़सान नहीं उसने अपना माल फेंका और अगर बाइअ् मबीअ् को मुश्तरी के पास लाया या अमीन अमानत को मालिक के पास लाया उन्होंने कहा फेंक दो उन्होंने फेंक दिया तो मुश्तरी और मालिक का नुक़सान हुआ। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.18:– क़र्ज़ में किसी शर्त का कोई असर नहीं शर्तें बेकार हैं मस्लन यह शर्त कि उसके बदले में फुलां चीज़ देना या यह शर्त कि फुलां जगह (यानी किसी दूसरी जगह का नाम लेकर) वापस करना। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.19:– वापसी क़र्ज़ में उस चीज़ की मिस्ल देनी होगी जो ली है न उससे बेहतर न कमतर हाँ अगर बेहतर अदा करता है और उसकी शर्त न थी तो जाइज़ है दाइन उसको ले सकता है यूँही जितना लिया है अदा के वक़्त उससे ज़्यादा देता है मगर उसकी शर्त न थी यह भी जाइज़ है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.20:– चन्द शख़्सों ने एक शख़्स से क़र्ज़ मांगा और अपने में से एक शख़्स के लिये कह गये कि उसको दे देना क़र्ज़ख़्वाह उस शख़्स से उतना ही मुतालबा कर सकता है जितना उसका हिस्सा है बाक़ियों के हिस्से के वह खुद ज़िम्मेदार हैं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.21:– क़र्ज़ दिया और ठहरा लिया कि जितना दिया है उससे ज़्यादा लेगा जैसा कि आजकल खुद सूद ख़्वारों का क़ायदा है कि रूपया दो रूपये सैकड़ा माहवार सूद ठहरा लेते हैं यह हराम है यूँही किसी क़िस्म के नफ़ा की शर्त करे ना'जाइज़ है मसलन यह शर्त कि मुस्तक़रिज़

मकरूज से कोई चीज़ ज़्यादा दामों में ख़रीदेगा या यह कि क़र्ज़ के रूपये फुलां शहर में मुझको देने होंगे। (आलमगीरी, दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.22:– जिस पर क़र्ज़ है उसने क़र्ज़ देने वाले को कुछ हदिया किया तो लेने में हरज नहीं जबकि हदिया देना क़र्ज़ की वजह से न हो बल्कि इस वजह से हो कि दोनों में क़राबत या दोस्ती है उसकी आदत ही में जूदो सख़ावत है कि लोगों को हदिया किया करता है और अगर क़र्ज़ की वजह से हदिया देता है तो उसके लेने से बचना चाहिये और अगर यह पता न चले कि क़र्ज़ की वजह से है या नहीं जब भी परहेज़गारी करना चाहिये जब तक यह बात ज़ाहिर न होजाये कि क़र्ज़ की वजह से नहीं है, उसकी दावत का भी यह हुक्म है कि क़र्ज़ की वजह से न हो तो कबूल करने में हरज नहीं और क़र्ज़ की वजह से है या पता न चले तो बचना चाहिये उसको यूँ समझना चाहिये था कि क़र्ज़ नहीं दिया था जब भी दावत करता था तो मालूम हुआ कि यह दावत क़र्ज़ की वजह से नहीं और अगर पहले नहीं करता था और अब करता है या पहले महीने में एक बार करता था और अब दो बार करने लगा या अब सामाने ज़ियाफत ज़्यादा करता है तो मालूम हुआ कि यह क़र्ज़ की वजह से है उससे इज्तिनाब (बचना) चाहिये। (आलमगीरी)

मसअला.23:– जिस क़िस्म का दैन था मदयून उससे बेहतर अदा करना चाहता है दाइन को उसके कबूल करने पर मजबूर नहीं कर सकते और घटिया देना चाहता है जब भी मजबूर नहीं कर सकते और दाइन कबूल करले तो दोनों सूरतों में दैन अदा होजायेगा यूँही अगर उसके रूपये थे वह उसी कीमत की अशर्फी देना चाहता है दाइन कबूल करने पर मजबूर नहीं। कह सकता है मैंने रूपया दिया था रूपया लूँगा और अगर दैन मीआदी था मीआद पूरी होने से पहले अदा करता है तो दाइन लेने पर मजबूर किया जायेगा वह इनकार करे यह उसके पास रखकर चला आये दैन अदा हो जायेगा। (आलमगीरी वगैरा)

मसअला.24:– क़र्ज़दार क़र्ज़ अदा नहीं करता अगर क़र्ज़ख़्वाह को उसकी कोई चीज़ उसी जिन्स की जो क़र्ज़ में दी है मिल जाये तो बिग़ैर दिये ले सकता है बल्कि ज़ब्रदस्ती छीन ले जब भी क़र्ज़ अदा होजायेगा दूसरी जिन्स की चीज़ बिग़ैर उसकी इजाजत नहीं ले सकता मसलन रूपया क़र्ज़ दिया था तो रूपया या चांदी की कोई चीज़ मिले ले सकता है और अशर्फी या सोने की चीज़ नही ले सकता। (आलमगीरी)

मसअला.25:– ज़ैद ने अम्र से कहा मुझे इतने रूपये क़र्ज़ दो अपनी यह ज़मीन तुम्हें आरियत देता हूँ जब तक मैं रूपया अदा करूँ तुम उसकी काश्त करो और नफ़अ़ उठाओ यह ममनूअ़ है (आलमगीरी) आज कल सूद ख़ोरों का आम तरीका यह है कि क़र्ज़ देकर मकान या खेत रेहन रख लेते हैं मकान है तो उसमें मुरतहिन सुकूनत करता है या उसको किराये पर चलाता है खेत है तो उसकी खुद काश्त करता है या इजारा पर दे देता है और नफ़ा खुद खाता है यह सूद है उससे बचना वाजिब।

मसअला.26:– नसरानी ने नसरानी को शराब क़र्ज़ दी फिर मुसलमान होगया क़र्ज़ साकित होगया उससे मुतालबा नहीं कर सकता। (आलमगीरी)

मसअला.27:– ज़ैद ने अम्र से कहा फुलां शख़्स से मेरे लिये दस रूपये क़र्ज़ लादो उसने क़र्ज़ लाकर देदिये मगर ज़ैद कहता है मुझे नहीं दिये तो अम्र को अपने पास से देने होंगे, और अगर ज़ैद ने अम्र को रुक्का इस मज़मून का लिखकर किसी के पास भेजा कि मेरे रूपये जो तुम पर क़र्ज़ हैं भेज दो उसने अम्र के हाथ भेज दिये तो जब तक यह रूपये ज़ैद को वुसूल न हों उस वक़्त तक ज़ैद के नहीं हैं यानी क़र्ज़ अदा न होगा और अगर ज़ैद ने अम्र की मारिफ़त किसी के पास कहला भेजा कि दस रूपये मुझे क़र्ज़ भेजदो उसने अम्र के हाथ भेज दिये तो ज़ैद के होगये ज़ाइअ़ होंगे तो ज़ैद के ज़ाइअ़ होंगे जबकि ज़ैद उसका मुकिर हो कि अम्र को उसने दिये थे। (ख़ानिया)

मसअला.28:– ज़ैद ने अम्र को किसी के पास भेजा कि उससे हज़ार रूपये क़र्ज़ मांग लाये उसने क़र्ज़

दिया मगर अम्र के पास से जाता रहा अगर अम्र ने उससे यह कहा था कि ज़ैद को क़र्ज़ दो तो ज़ैद का नुक़सान हुआ और यह कहा था कि ज़ैद के लिये मुझे क़र्ज़ दो तो अम्र का नुक़सान हुआ। (आलमगीरी)

मसअ्ला.29:– जिस चीज़ का क़र्ज़ जाइज़ है उसे आरियत के तौर पर लिया तो वह क़र्ज़ है और जिसका क़र्ज़ ना'जाइज़ है उसे आरियत लिया तो आरियत है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.30:– रूपये क़र्ज़ लिये थे उसको नोट या अशरफ़ियाँ दीं कि तुड़ाकर अपने रूपये लेलो उसके पास तुड़ाने से पहले ज़ाइअ् (बर्बाद) होगये तो क़र्ज़दार के ज़ाइअ् हुए और तुड़ाने के बाद ज़ाइअ् हुए तो दो सूरतें हैं अपना क़र्ज़ लिया था या नहीं अगर नहीं लिया था जब भी क़र्ज़दार का नुक़सान हुआ और क़र्ज़ के रूपये उनमें से लेने के बाद ज़ाइअ् हुए तो उसके हलाक हुए और अगर नोट या अशरफियाँ देकर यह कहा कि अपना कर्ज़ लो उसने लेलिया तो क़र्ज़ अदा होगया ज़ाइअ् होगा उसका नुक़सान होगा। (आलमगीरी)

तंगदस्त को मोहलत देने या मुआफ़ करने की फ़ज़ीलत और दैन न अदा करने की मज़म्मत

अल्लाह तआला फ़रमाता है

﴿وان ذوعسرة فنظرة الى ميسرة ط وان تصدقوا خيرلكم ان كنتم تعلمون ٠﴾

"और अगर मदयून तंगदस्त है तो वुस्अत आने तक उसे मोहलत दो और सदका कर दो(मुआफ करदो)तो यह तुम्हारे लिये बेहतर है अगर तुम जानते हो"

हदीस् (1) सहीहैन में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया "एक शख़्स ज़माना–ए–गुज़श्ता में लोगों को उधार दिया करता था वह अपने ग़ुलाम से कहा करता जब किसी तंगदस्त मदयून के पास जाना उसको मुआफ़ कर देना इस उम्मीद पर कि ख़ुदा हमको मुआफ़ करदे जब उसका इन्तेक़ाल हुआ अल्लाह तआला ने उसे मुआफ़ फ़रमादिया"।

हदीस् (2) सहीह मुस्लिम में अबू क़तादा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया "जिसको यह बात पसन्द हो कि क़ियामत की सख़्तियों से अल्लाह तआला उसे निजात बख़्शे वह तंगदस्त को मोहलत दे या मुआफ़ करदे"।

हदीस् (3) सहीह मुस्लिम में है अबुलयसीर रदियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम को फ़रमाते हुए सुना कि "जो शख़्स तंगदस्त को मोहलत देगा या उसे मुआफ़ कर देगा अल्लाह तआला उसको अपने साया में रखेगा"।

हदीस् (4) सहीहैन में काब बिन मालिक रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने इब्ने अबी हदरद रदियल्लाहु तआला अन्हु से अपने दैन का तकाज़ा किया और दोनों की आवाजें बलन्द होगईं हुज़ूर ने अपने हुजरे से उनकी आवाज़ें सुनीं तशरीफ़ लाये और हुजरे का पर्दा हटाकर मस्जिदे नबवी में काब रदियल्लाहु तआला अन्हु को पुकारा उन्होंने जवाब दिया लब्बैक या रसूलल्लाह, हुज़ूर ने हाथ से इशारा किया कि आधा दैन मुआफ़ करदो उन्होंने कहा मैंने किया यानी मुआफ़ कर दिया, दूसरे साहब से फ़रमाया उठो अदा करदो।

हदीस् (5) सहीह बुख़ारी में सलमा बिन रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कहते हैं हम हुज़ूर की ख़िदमत में हाज़िर थे एक जनाज़ा लाया गया लोगों ने अर्ज़ की उसकी नमाज़ पढ़ाईये फ़रमाया उस पर कुछ दैन है अर्ज़ की नहीं, उसकी नमाज़ पढ़ादी फिर दूसरा जनाज़ा आया इरशाद फ़रमाया उस पर दैन है अर्ज़ की हाँ फ़रमाया कुछ उसने माल छोड़ा है लोगों ने अर्ज़ की तीन दीनार छोड़े हैं उसकी नमाज़ भी पढ़ादी, फिर तीसरा जनाज़ा हाज़िर लाया गया इरशाद फ़रमाया इस पर कुछ दैन है लोगों ने अर्ज़ की तीन दीनार का मदयून है इरशाद फ़रमाया उसने कुछ छोड़ा है लोगों ने कहा नहीं, फ़रमाया तुम लोग उसकी नमाज़ पढ़लो, अबूक़तादा रदियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह हुज़ूर नमाज़ पढ़ादें दैन का अदा कर देना मेरे ज़िम्मे है, हुज़ूर ने नमाज़ पढ़ादी।

हदीस (6) शरहे सुन्ना में अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि हुजूर की ख़िदमत में जनाज़ा लाया गया इरशाद फ़रमाया इस पर दैन है लोगों ने कहा हाँ, फ़रमाया दैन अदा करने के लिये कुछ छोड़ा है अर्ज़ की नहीं, इरशाद फ़रमाया तुम लोग इसकी नमाज़ पढ़लो हज़रत अली रदियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ की इसका दैन मेरे ज़िम्मे है हुजूर ने नमाज़ पढ़ादी और एक रिवायत में है कि अल्लाह तआला तुम्हारे बन्दिश को तोड़े जिस तरह तुमने अपने मुसलमान भाई की बन्दिश तोड़ी, जो बन्दा मुस्लिम अपने भाई का दैन अदा करेगा अल्लाह तआला कियामत के दिन उसकी बन्दिश तोड़ देगा।

हदीस (7) सहीह बुख़ारी में अबुहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया जो शख़्स लोगों के माल लेता है और अदा करने का इरादा रखता है अल्लाह तआला उसे अदा कर देगा (यानी अदा करने की तौफ़ीक़ देगा या क़ियामत के दिन दाइन को राज़ी कर देगा) और जो शख़्स तल्फ़ करने के इरादे से लेता है अल्लाह तआला उस पर तल्फ़ कर देगा। (यानी न अदा की तौफ़ीक़ होगी न दाइन राज़ी होगा)

हदीस (8) सहीह मुस्लिम में अबू क़तादा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कहते हैं एक शख़्स ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह यह फ़रमाईये कि अगर मैं जिहाद में इस तरह क़त्ल किया जाऊँ कि साबिर हूँ, सवाब का तालिब हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, पीठ न फेरूँ तो अल्लाह तआला मेरे गुनाह मिटा देगा इरशाद फ़रमाया हाँ, जब वह शख़्स चला गया उसे बुलाकर फ़रमाया हाँ मगर दैन, जिबरईल अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही कहा, यानी दैन मुआफ़ नहीं होगा।

हदीस (9) सहीह मुस्लिम में अब्दुल्ला बिन अम्र रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि दैन (क़र्ज़) के अलावा शहीद के तमाम गुनाह बख़्श दिये जायेंगे।

हदीस (10) इमाम शाफ़ेई व अहमद व तिर्मिज़ी व इब्ने माजा व दारमी अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया "मोमिन का नफ़्स दैन की वजह से मुअल्लक़ है जब तक अदा न किया जाये"।

हदीस (11) शरहे सुन्ना में बर्रा बिन आज़िब रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया साहिबे दैन अपने दैन में मुक़य्यद है क़ियामत के दिन खुदा से अपनी तनहाई की शिकायत करेगा।

हदीस (12) तिर्मिज़ी व इब्ने माजा सोबान रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया "जो इस तरह मरा कि तकब्बुर और ग़नीमत में ख़्यानत और दैन से बरी है वह जन्नत में दाख़िल होगा"।

हदीस (13) इमाम अहमद व अबू दाऊद, अबू मुसा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि "कबीरा गुनाह जिन से अल्लाह ने मुमानअत फ़रमाई है उनके बाद अल्लाह के नज़्दीक सब गुनाहों से बड़ा यह है कि आदमी अपने ऊपर दैन छोड़कर मरे और उसके अदा के लिये कुछ न छोड़ा हो"।

हदीस (14) इमाम अहमद ने मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन जहश रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कहते हैं हम सेहने मस्जिद में बैठे हुए थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम भी तशरीफ़ फ़रमा थे हुजूर ने अपनी निगाह आसमान की तरफ़ उठाई और देखते रहे फिर निगाह नीचे करली और पेशानी पर हाथ रखकर फ़रमाया सुब्हानल्लाह, सुब्हानल्लाह कितनी सख़्ती उतारी गई कहते हैं हम लोग एक दिन एक रात ख़ामोश रहे जब दिन रात ख़ैर से गुज़र गये और सुबह हुई तो मैंने अर्ज़ की वह क्या सख़्ती है जो नाज़िल हुई इरशाद फ़रमाया कि दैन के मुतअल्लिक़ है क़सम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम

की जान है अगर कोई शख़्स अल्लाह की राह में क़त्ल किया जाये फिर ज़िन्दा हो फिर क़त्ल किया जाये फिर ज़िन्दा हो फिर क़त्ल किया जाये फिर ज़िन्दा हो और उस पर दैन हो तो जन्नत में दाख़िल न होगा जब तक अदा न कर दिया जाये।

हदीस (15) अबू दाऊद व नसई शरीद रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुज़ूर ने फ़रमाया "मालदार का दैन अदा करने में ताख़ीर करना उसकी आबरू और सज़ा को हलाल कर देता है" अब्दुल्लाह बिन मुबारक रदियल्लाहु तआला अन्हु ने उसकी तफ़सीर में फ़रमाया कि आबरू को हलाल करना यह है कि उस पर सख़्ती की जाये और सज़ा को हलाल करना यह है कि क़ैद किया जाये।

सूद का ब्यान

अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फ़रमाता है

﴿الذين ياكلون الربوا ولايقومون الا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ط ذالك بانهم قالوا انماالبيع مثل الربوا م واحل الله البيع وحرم الربوا ط فمن جاء ه موعظة من ربه فانتهى فله ماسلف ط وامره الى الله ومن عاد فالئك اصحب النار ج هم فيها خلدون ۰ يمحق الله الربوا ويربى الصدقت ط والله لايحب كل كفار اثيم ۰﴾

"जो लोग सूद खाते हैं वह (अपनी क़ब्रों से) ऐसे उठेंगे जिस तरह वह शख़्स उठता है जिसको शैतान (आसेब) ने छूकर बावला (पागल) कर दिया है, यह इस वजह से है कि उन्होंने कहा बैअ् मिस्ले सूद के है और है यह कि अल्लाह ने बैअ् को हलाल किया है और सूद को हराम। पस जिसको ख़ुदा की तरफ़ से नसीहत पहुँचगई और बाज़ आया तो जो कुछ पहले कर चुका है उसके लिये मुआफ़ है और उसका मुआमला अल्लाह के सिपुर्द है और जो फिर ऐसा ही करें वह जहन्नमी हैं वह उसमें हमेशा रहेंगे अल्लाह सूद को मिटाता है और सदक़ात को बढ़ाता है और नाशुकरे गुनहगार को अल्लाह दोस्त नहीं रखता"

और फ़रमाता है :–

﴿يايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربوا ان كنتم مؤمنين ۰ فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله ج وان تبتم فلكم رء وس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ۰﴾

"ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और जो कुछ तुम्हारा सूद बाक़ी रहगया है छोड़ दो अगर तुम मोमिन हो, और अगर तुमने ऐसा न किया तो तुमको अल्लाह व रसूल की तरफ़ से लड़ाई का ऐलान है और अगर तुम तौबा करलो तो तुम्हें तुम्हारा अस्ल माल मिलेगा न दूसरों पर तुम ज़ुल्म करो और न दूसरा तुम पर ज़ूल्म करे"।

और अल्लाह फ़रमाता है:–

﴿يايها الذين امنوا لاتاكلوا الربوا اضعافا مضعفة ص واتقوا الله لعلكم تفلحون ۰ واتقوا النار التى اعدت للكفرين ۰ واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون ۰﴾

"ऐ ईमान वालों व नादानों सूद मत खाओ और अल्लाह से डरो ताकि फ़लाह पाओ और उस आग से बचो जो काफ़िर के लिये तैयार रखी है और अल्लाह व रसूल की ताअत करो ताकि तुम पर रहम किया जाये"।

और फ़रमाता है :–

﴿وماتيتم من ربا ليربوا فى اموال الناس فلا يربوا عندالله ج وما اتيتم من زكوة تريدون وجه الله فالئك هم المضعفون ۰﴾

"जो कुछ तुमने सूद पर दिया कि लोगों के माल में बढ़ता रहे वह अल्लाह के नज़्दीक नहीं बढ़ता और जो कुछ तुमने ज़कात दी है जिससे अल्लाह की ख़ुशनूदी चाहते हो वह अपना माल दूना करने वाले हैं"।

अहादीस सूद की मज़म्मत में बकस्रत वारिद हैं उनमें से बाज़ इन मक़ाम में ज़िक्र की जाती हैं।

हदीस (1) इमाम बुख़ारी अपनी सहीह में सुमरह बिन जुनदुब रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी हूज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया "आज रात मैंने देखा कि मेरे पास दो शख़्स आये और मुझे ज़मीने मुक़द्दस (बैतुल मक़दिस) में लेगये फिर हम चले यहाँ तक कि ख़ून के दरिया पर पहुँचे यहाँ एक शख़्स किनारे पर खड़ा है जिसके सामने पत्थर पड़े हुए हैं और एक शख़्स बीच दरया में है यह किनारे की तरफ़ बढ़ा और निकलना चाहता था कि किनारे वाले शख़्स ने एक पत्थर ऐसे ज़ोर से उसके मुँह पर मारा कि जहाँ था वहीं पहुँचा दिया फिर वह जितनी बार निकलना चाहता है किनारे वाला मुँह पर पत्थर मार कर वहीं लौटा देता है मैंने अपने साथियों से

पूछा यह कौन शख़्स है कहा यह शख़्स जो नहर में है सूद ख़ोर है"।

हदीस (2) सहीह मुस्लिम शरीफ़ में जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने सूद लेने वाले और सूद देने वाले और सूद का कागज़ लिखने वाले और उसके गवाहों पर लानत फरमाई और यह फ़रमाया कि वह सब बराबर हैं।

हदीस (3) इमाम अहमद व अबू दाऊद व नसई व इब्ने माजा अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुज़ूर ने फ़रमाया "लोगों पर एक ज़माना ऐसा आयेगा कि सूद खाने से कोई नहीं बचेगा और अगर सूद न खायेगा तो उसके बुख़ारात पहुँचेंगे" (यानी सूद देगा या उसकी गवाही करेगा या दस्तावेज़ लिखेगा या सूदी रूपये किसी को दिलाने की कोशिश करेगा या सूद ख़ोर के यहाँ दावत खायेगा या उसका हदिया क़बूल करेगा)।

हदीस (4) इमाम अहमद व दारे कुतनी अब्दुल्लाह बिन हन्ज़ला ग़सीलुल'मलाइका रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया "सूद का एक दिरहम जिसको जानकर कोई खाये वह छत्तीस मरतबा ज़िना से सख़्त है"। उसी की मिस्ल बैहक़ी ने इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की।

हदीस (5) इब्ने माजा व बैहक़ी अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया "सूद (का गुनाह) सत्तर हिस्सा है उन में सबसे कम दर्जा यह है कि कोई शख़्स अपनी माँ से ज़िना करे"।

हदीस (6) इमाम अहमद व इब्ने माजा व बैहक़ी अब्दुल्लाह बिन मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया "(सूद से बज़ाहिर) अगरचे माल ज़्यादा हो मगर नतीजा यह है कि माल कम होगा"।

हदीस (7) इमाम अहमद व इब्ने माजा अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया शबे मेराज मेरा गुज़र एक कौम पर हुआ जिसके पेट घड़े की तरह (बड़े–बड़े) हैं उन पेटों में सांप है जो बाहर से दिखाई देते हैं मैंने पूछा ऐ जिबरईल यह कौन लोग हैं उन्होंने कहा यह सूद खोर हैं।

हदीस (8) सहीह मुस्लिम शरीफ में उबादा बिन सामित रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया सोना बदले में सोने के और चांदी बदले में चांदी के और गेहूँ बदले में गेहूँ के और जौ बदले में जौ के और खजूर बदले में खजूर के और नमक बदले में नमक के बराबर बराबर दस्त ब'दस्त बैअ् करो और जब अस्नाफ़ (जिन्स) में इख़्तिलाफ़ हो तो जैसे चाहो बेचो (कम व बेश में इख़्तेयार है) जब कि दस्त ब'दस्त हों और उसी की मिस्ल अबू सईद ख़ुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी इस में इतना ज़्यादा है कि जिसने ज़्यादा दिया या ज़्यादा लिया उसने सूदी मुआमला किया लेने वाला और देने वाला दोनों बराबर हैं और सहीहैन में हज़रत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु से भी इसी के मिस्ल मरवी।

हदीस (9) सहीहैन में उसामा बिन ज़ैद रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया "उधार में सूद है" और एक रिवायत में है कि दस्त ब'दस्त हो तो सूद नहीं यानी जबकि जिन्स मुख़्तलिफ़ हो।

हदीस (10) इब्ने माजा व दारमी अमीरुल मोमेनीन उमर बिन ख़त्ताब रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि फ़रमाया सूद को छोड़ो और जिसमें सूद का शुबह हो उसे भी छोड़ो।

मसाइले फ़िक़हिय्या

रिबा यानी सूद हरामे क़तई है उसकी हुरमत का मुनकिर काफ़िर है और हराम समझकर जो उसका मुरतकिब है फ़ासिक़ मरदूदुश्शहादहत है। अक़्दे मुआवज़ा में जब दोनों तरफ़ माल हो और एक तरफ़ ज़्यादती हो कि उसके मक़ाबिल में दूसरी तरफ़ कुछ न हो यह सूद है।

मसअ्ला.1:– जो चीज़ नाप या तोल से बिकती हो जब उसको अपनी जिन्स से बदला जाये मसलन गेहूँ के बदले में गेहूँ, जौ के बदले में जौ लिये और एक तरफ़ ज़्यादा हो हराम है और अगर

वह चीज़ नाप या तोल की न हो या एक जिन्स को दूसरी जिन्स से बदला हो तो सूद नहीं उमदा और ख़राब का यहाँ कोई फ़र्क़ नहीं यानी तबादला जिन्स (चीज़ का बदलना) में एक तरफ़ कम है मगर वह अच्छी है दूसरी तरफ़ ज़्यादा है वह ख़राब है जब भी सूद और हराम है लाज़िम है कि दोनों माप या तोल में बराबर हों। जिस चीज़ पर सूद की हुरमत का दार व मदार है वह क़द्र व जिन्स है, क़द्र से मुराद वज़न या नाप है।

मसअला.2:– दोनों चीज़ों का एक नाम और एक काम हो तो एक जिन्स समझिये और नाम और मक़सद में इख़्तेलाफ़ हो तो दो जिन्स जानिये जैसे गेहूँ, जौ, कपड़े की क़िस्में मलमल, लट्ठा, गबरून, छींट, यह सब अजनास मुख़्तलिफ़ हैं खजूर की सब किस्में एक जिन्स हैं। लोहा, सीसा, ताम्बा, पीतल मुख़्तलिफ़ जिन्सें हैं। ऊन और रेशम और सूत मुख्तलिफ़ अजनास हैं। गाय का गोश्त भेंड और बकरी का गोश्त, दुम्बा की चक्की, पेट की चर्बी यह सब अजनासे मुख़्तलिफ़ा हैं। रोग़न गुल, रोग़न चम्बेली रोग़न जूही वग़ैरा सब मुख़्तलिफ़ अजनास हैं। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.3:– क़द्र व जिन्स दोनों मौजूद हों तो कमी बेशी भी हराम है (उसको रिबलफ़ज़्ल कहते हैं) और एक तरफ़ नक़द हो दुसरी तरफ़ उधार यह भी हराम (इसको रिबन्निसया कहते हैं) मसलन गेहूँ को गेहूँ, जौ को जौ के बदले में बैअ् करें तो कम व बेश हराम और एक अब देता है दूसरा कुछ देर के बाद देगा यह भी हराम और दोनों में से एक हो एक न हो तो कमी बेशी जाइज़ है और उधार हराम मसलन गेहूँ को जौ के बदले में या एक तरफ़ सीसा हो एक तरफ़ लोहा कि पहली मिसाल में नाप और दूसरी में वज़न मुश्तरक है मगर जिन्स का दोनों में इख़्तेलाफ़ है, कपड़े को कपड़े के बदले में, ग़ुलाम को ग़ुलाम के बदले में बैअ् किया इस में जिन्स एक है मगर क़द्र मौजूद नहीं लिहाज़ा यह तो हो सकता है कि एक थान देकर दो थान या एक गुलाम के बदले में दो ग़ुलाम ख़रीद ले मगर उधार बेचना हराम और सूद है अगरचे कमी बेशी न हो और दोनों न हों तो कमी बेशी भी जाइज़ और उधार भी जाइज़ मसलन गेहूँ और जौ को रूपये से ख़रीदें यहाँ कम व बेश होना तो ज़ाहिर है कि एक रूपये के एवज़ में जितने मन चाहो ख़रीदो कोई हरज नहीं और उधार भी जाइज़ है कि आज ख़रीदो रूपये महीने में, साल में दूसरे की मर्ज़ी से जब चाहो दो जाइज़ है कोई ख़राबी नहीं। (हिदाया,वग़ैरा)

मसअ्ला.4:– जिस चीज़ के मुतअ़ल्लिक़ हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि व सल्लम ने नाप के साथ (इज़ाफ़ा) तफ़ाज़ुल हराम फ़रमाया, वह कैली (नाप की चीज़) है और जिसके मुतअ़ल्लिक़ वज़न की तसरीह फ़रमाई वह वज़नी है हुज़ूर के इरशाद के बाद उसमें तब्दीली नहीं हो सकती अगर उ़र्फ़ इसके ख़िलाफ़ हो तो उ़र्फ़ का एअ्तिबार नहीं और जिसके मुतअ़ल्लिक़ हुज़ूर का इरशाद नहीं है उसमें आ़दत व उ़र्फ़ का एअ्तिबार है नाप या तोल जो कुछ चलन हो उसका लिहाज़ होगा। (हिदाया वग़ैरा)

मसअ्ला.5:– तलवार के बदले में अगर लोहे की बनी हुई कोई चीज़ ख़रीदी तो जाइज़ है अगरचे एक तरफ़ वज़न कम है दूसरी तरफ़ ज़्यादा कि क़द्र में इत्तेहाद नहीं मगर उसको देकर लोहे की चीज़ उधार लेना दुरुस्त नहीं। (रद्दुलमोहतार)

मसअ्ला.6:– जो बर्तन अ़दद से बिकते हैं अगरचे जिसके बर्तन बने हैं वह वज़नी हों जैसे ताम्बे के कटोरे, ग्लास एक के बदले में दूसरा ख़रीदना दुरुस्त है अगरचे दोनों के वज़न मुख्तलिफ हों कि अब वज़नी नहीं मगर सोने चांदी के बरतन अगर बाहम वज़न में मुख़्तलिफ़ हों तो बैअ् हराम है अगरचे यह अ़दद से फ़रोख़्त होते हों। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.7:– मनसूसात के मवाक़ेअ् पर उ़र्फ़ का एअ्तिबार नहीं यह उस वक़्त है जब कि तबादला जिन्स के साथ हो मसलन गेहूँ को गेहूँ से बैअ् करें और ग़ैर जिन्स से बदलने में इख़्तेयार है मसलन गेहूँ का जौ के बदले में या रूपये पैसे नोट से ख़रीदने में अगर वज़न के साथ बैअ् हो हरज नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.8:– जो चीज़ वज़नी हो उसे नापकर बराबर करके एक को दूसरे के बदले में बैअ् किया

मगर यह नहीं मालूम कि उनका वज़न क्या है यह जाइज़ नहीं और अगर वज़न में दोनों बराबर हों बैअ् जाइज़ है अगरचे नाप में कम व बेश हों और जो चीज़ कैली है उसको वज़न से बराबर करके बैअ् किया मगर यह नहीं मालूम कि नाप में बराबर है या नहीं यह ना'जाइज़ है। हिन्दुस्तान में गेहूँ जौ को उमूमन वज़न से बैअ् करते हैं हालांकि उनका कैली होना हुज़ूर के इरशाद से साबित लिहाज़ा अगर गेहूँ को गेहूँ के बदले में बैअ् करें तो नापकर ज़रूर बराबर करलें इस में वज़न की बराबरी का एअ्तिबार न करें, यूँही गेहूँ, जौ, क़र्ज़ लें तो नापकर लें और नापकर दें, और उनके आटे की बैअ् या क़र्ज़ वज़न से भी जाइज़ है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार, हिदाया, फ़तहुल'क़दीर)

मसअ्ला.9:– यतीम के माल की बैअ् हो तो उसमें जूदत (ख़ूबी) का एअ्तिबार है मस्लन वसी को यतीम के अच्छे माल की रद्दी के बदले में बेचना ना'जाइज़ है यूँही वक़्फ़ के अच्छे माल को मुतवल्ली ने ख़राब के बदले में बेच दिया यह ना'जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.10:– सोने चांदी के इलावा जो चीज़ें वज़न के साथ बिकती हैं रूपये अशर्फ़ी से उसकी बैअ् सलम दुरुस्त है अगरचे वज़न का दोनों में इश्तिराक है। (फ़तहुल'क़दीर वग़ैरा)

मसअ्ला.11:– शरीअ़त में नाप की मिक़दार कम से कम निस्फ़ साअ् है अगर कोई कैली चीज़ निस्फ़ साअ् से कम हो मस्लन एक दो लप उस में कमी बेशी यानी एक लप दो लप के बदले में बेचना जाइज़ है यूँही एक सेब दो सेब के बदले में एक खजूर, दो के बदले में एक अण्डा, दो अण्डे के एवज़ एक अखरोट, दो के एवज़ एक तलवार, दो तलवार के बदले एक दवात, दो दवात के बदले में एक सुई, दो के बदले में एक शीशी दो के एवज़ में बेचना जाइज़ है जबकि यह सब मुअ़य्यन हों और अगर दोनों जानिब या एक ग़ैर मुअ़य्यन हो तो बैअ् ना'जाइज़ इन ज़िक्र की गई सूरतों में कमी बेशी अगरचे जाइज़ है मगर उधार बेचना हराम है क्योंकि जिन्स एक है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.12:– गेहूँ, जौ, खजूर, नमक जिन का कैली होना मन्सूस है अगर उनके मुतअ़ल्लिक़ लोगों की आदत यूँ जारी हो कि उनको वज़न से ख़रीद व फ़रोख़्त करते हों जैसा कि यहाँ हिन्दुस्तान में वज़न ही से यह सब चीज़ें बिकती है और बैअ़े सलम में वज़न से इनका ताईन किया मस्लन इतने रूपये के इतने मन गेहूँ यह सलम जाइज़ है इस में हरज नहीं। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.13:– गोश्त को जानवर के बदले में बैअ् कर सकते हैं क्योंकि गोश्त वज़नी है और जानवर अददी है वह गोश्त उसी जिन्स के जानवर का हो मसलन बकरी के गोश्ता के ऐवज़ में बकरी ख़रीदी या दूसरी जिन्स का हो मसलन बकरी के गोश्त के बदले में गाय ख़रीदी, यह गोश्त उतना ही हो जितना उस जानवर में है या उससे कम या ज़्यादा बहर हाल जाइज़ है, ज़िबह की हुई बकरी को ज़िन्दा बकरी या ज़िबह की हुई के एवज़ में बैअ् करना ना'जाइज़ है और अगर दोनों की खालें उतारली हैं और ओझड़ी वग़ैरा सारी अन्दुरूनी चीज़ें अलग करदी हैं बल्कि पाये भी जुदा कर लिये हैं तो अब एक को दूसरी के एवज़ में तोल के साथ बेच सकते हैं कि यह गोश्त को गोश्त से बेचना है। (हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.14:– एक मछली दो मछलियों से बैअ् कर सकते हैं यानी वहाँ जहाँ वज़न से न बिकती हों और तोल से फ़रोख़्त हों जैसे यहाँ तो वज़न में बराबर करना ज़रूर होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.15:– सूती कपड़े सूत या रूई के बदले में बेचना मुतलक़न जाइज़ है कि उनकी जिन्स मुख़्तलिफ़ है यूँही रूई को सूत से बेचना भी जाइज़ है इसी तरह ऊन के बदले में ऊनी कपड़े ख़रीदना या रेशम के एवज़ में रेशमी कपड़े ख़रीदना भी जाइज़ है, मक़सद यह है कि जिन्स के इख़्तिलाफ़ व इत्तिहाद में अस्ल का इत्तिहाद व इख़्तिलाफ़ मोअ्तबर नहीं बल्कि मक़सूद का इख़्तिलाफ़ जिन्स को मुख़्तलिफ़ कर देता है अगरचे अस्ल एक हो और यह बात ज़ाहिर है कि रूई और सूत और कपड़े के मक़ासिद मुख़्तलिफ़ हैं। यूँही गेहूँ या उसके आटे को रोटी से बैअ् कर सकते हैं कि इन की भी जिन्स मुख़्तलिफ़ है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.16:– तर खजूर को तर या खुश्क खजूर के बदले में बैअ् करना जाइज़ है जबकि दोनों जानिब की खजूरें नाप में बराबर हों, वजन में बराबरी का इरा में एअ्तिबार नहीं यूँही अंगूर को मुनक्के या किश्मिश के बदले में बेचना जाइज है जबकि दोनों बराबर हों। इसी तरह जो फल खुश्क हो जाते हैं उनके तर को खुश्क के एवज़ में बेचना जाइज़ है और तर के बदले में भी जैसे इन्जीर, आलूबुखारा, खुबानी वगैरा। (हिदाया, फतहुल'कदीर)

मसअ्ला.17:– गेहूँ अगर पानी में भीग गये हों उनको खुश्क के बदले में बैअ् करना जाइज़ है जब कि नाप में बराबर हों यूँही खजूर या मुनक़्के जिनको पानी में भिगो लिया है खुश्क के एवज़ में बैअ् कर सकते हैं, भुने हुए गेहूँ को बे भुने से बेचना जाइज़ नहीं। (हिदाया,दुर्रेमुख़्तार वगैरा)

मसअ्ला.18:– मुख़्तलिफ क़िस्म के गोश्त कमी बेशी के साथ बैअ् किये जा सकते हैं मस्लन बकरी का गोश्त एक सेर गाय के दो सेर से बेच सकते हैं मगर यह ज़रूर है कि दस्त ब'दस्त हों उधार जाइज़ नहीं अगर इस क़िस्म के जानवर का गोश्त हो तो कमी बेशी जाइज़ नहीं, गाय और भैंस दो जिन्स नहीं बल्कि एक जिन्स हैं यूँही बकरी, भेड़, दुम्बा, यह तीनों एक जिन्स हैं गाय का दूध बकरी के दूध से खजूर या गन्ने का सिर्का अंगूरी सिर्का से, पेट की चर्बी दुम्बा की चक्की या गोश्त से बकरी के बाल को भेंड़ की ऊन से कम व बेश करके बैअ् कर सकते हैं। (हिदाया)

मसअ्ला.19:– परिन्द अगरचे एक क़िस्म के हों उनके गोश्त कम व बेश करके बैअ् किये जा सकते हैं मस्लन एक बटेर के गोश्त को दो के गोश्त के साथ यूँही मुर्गी व मुर्ग़ाबी के गोश्त भी कि वज़न के साथ नहीं बिकते। (रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.20:– तिल के तेल को रोग़न चम्बेली व रोग़न गुल से कम व बेश करके बैअ् करना जाइज़ है यूँही यह खुश्बूदार तेल आपस में एक क़िस्म के दूसरे क़िस्म के साथ बैअ् करना, रोग़ने जैतून खुश्बूदार को बिग़ैर खुश्बू वाले के एवज़ में बेचना भी हर तरह जाइज़ है। तेल फूल में बसे हुए हों उनको सादा तेलों से कम व बेश करके बेच सकते हैं। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.21:– दूध को पनीर के बदले में कमी बेशी के साथ बेच सकते हैं (दुर्रेमुख़्तार) खोये के बदले में दूध बेचने का भी यही हुक्म है क्योंकि मकासिद में मुख़्तलिफ़ होने की वजह से मुख़्तलिफ़ जिन्स हैं।

मसअ्ला.22:– गेहूँ की बैअ् आटे या सत्तू से या आटे की बैअ् सत्तू से मुतलक़न ना'जाइज़ है अगरचे नाप या तोल में दोनों बराबर हों यानी जबकि आटा या सत्तू गेहूँ का हो और अगर दूसरी चीज का हो मस्लन जौ का आटा या सत्तू हो तो गेहूँ से बैअ् करने में कोई मुज़ायक़ा नहीं यूँही गेहूँ के आटे को जौ के सत्तू से भी बेचना जाइज है, आटे को आटे के बदले में बराबर करके बेचना जाइज़ है बल्कि भूने हुए आटे को भूने हुए के बदले में बराबर करके बेचना भी जाइज़ है और सत्तू को सत्तू के बदले में बेचना या भुने हुए गेहूँ को भुने हुए गेहूँ के बदले में बेचना जाइज़ है, छने हुए आटे को बिग़ैर छने के बदले बैअ् करने में दोनों का बराबर होना ज़रूरी है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.23:– तिलों को उनके तेल के बदले में या ज़ैतून को रोग़ने ज़ैतून के बदले में बेचना उस वक़्त जाइज़ है कि उनमें जितना तेल है वह उस तेल से ज़्यादा हो जिसके बदले में उसको बैअ् कर रहे हैं यानी खली के मुकाबले में तेल का कुछ हिस्सा होना ज़रूर है वरना ना'जाइज़ यूँही सरसों को कड़वे तेल के बदले में या अलसी को उसके तेल के बदले में बैअ् करने का हुक्म है ग़र्ज़ यह कि जिस खली की कोई कीमत होती है उसके तेल को जब उससे बैअ् किया जाये तो जो तेल मक़ाबिल में है वह उससे ज़्यादा हो जो उस में है। (हिदाया, दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार) और अगर कोई ऐसी चीज़ उसमें मिली हो जिसकी कोई क़ीमत न हो जैसे सुनार के यहाँ की राख कि उसे नियारिये ख़रीदते हैं उसका हुक्म यह है कि जिस सोने या चांदी के एवज़ में उसे ख़रीदा अगर वह ज़्यादा या कम हैं बैअ् फ़ासिद है और बराबर हो तो जाइज़ और मालूम न हो कि बराबर है या नहीं जब भी ना'जाइज़। (बहर,वग़ैरा)

मसअ्ला.24:– जिन चीज़ों में बैअ् जाइज़ होने के लिये बराबरी की शर्त है यह ज़रूर है कि

मुसावात का इल्म वक़्ते अ़क्द हो अगर बवक़्ते अ़क्द इल्म न था बा़द को मा़लूम हुआ मसलन गेहूँ गेहूँ के बदले में तख़्मीना से बेच दिये फिर बा़द में नापे गये तो बराबर निकले बैअ़ जाइज़ नहीं हुई(आलमगीरी)

मसअ्ला.25:– गेहूँ, गेहूँ के बदले में बैअ़ किये और तक़ाबुज़े बदलैन नहीं हुआ यह जाइज़ है ग़ल्ला की बैअ़ अपनी जिन्स या ग़ैरे जिन्स से हो उस में तक़ाबुज़ शर्त नहीं। (आ़लमगीरी) मगर यह उसी वक़्त है कि दोनों जानिब मुअ़य्यन हों।

मसअ्ला.26:– आक़ा और ग़ुलाम के माबैन सूद नहीं होता अगरचे मुदब्बर या उम्मे वलद हो कि यहाँ हक़ीक़तन बैअ़ ही नहीं हाँ अगर ग़ुलाम पर इतना दैन हो जो उसके माल और ज़ात को मुस्तग़रक़ हो तो अब सूद हो सकता है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.27:– दो शख़्सों में शिरकते मुफ़ावज़ा है अगर वह बाहम बैअ़ करें तो कमी बेशी की सूरत में सूद नहीं हो सकता और शिरकते अ़नान वालों ने बाहम माले शिरकत को ख़रीद व फ़रोख़्त किया तो सूद नहीं और अगर दोनों अपने माल को कम व बेश करके ख़रीद व फ़रोख़्त करें या एक ने अपने माल को माले शिरकत से कम व बेश करके फ़रोख़्त किया तो ज़रूर सूद है। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला.28:– मुस्लिम और काफ़िरे ह़रबी के माबैन दारुल ह़रब में जो अ़क्द हुआ उसमें सूद नहीं मुसलमान अगर दारुल ह़रब में अमान लेकर गया तो काफ़िरों की ख़ुशी से जिस क़द्र उनके अमवाल ह़ासिल करे जाइज़ है अगरचे ऐसे त़रीक़े से ह़ासिल किये कि मुसलमान का माल इस त़रह़ लेना जाइज़ न हो मगर यह ज़रूर है कि वह किसी बद अ़हदी के ज़रीआ़ ह़ासिल न किया गया हो कि बद अ़हदी कुफ़्फ़ार के साथ भी ह़राम है मस्लन किसी काफ़िर ने उसके पास कोई चीज़ अमानत रखी और यह देना नहीं चाहता यह बद अ़हदी है और दुरुस्त नहीं। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.29:– अ़क्दे फ़ासिद के ज़रिये़ से काफ़िरे ह़रबी का माल ह़ासिल करना ममनूअ़ नहीं या़नी जो अ़क्द माबैन दो मुसलमान ममनूअ़ है अगर ह़रबी के साथ किया जाये तो मना़ नहीं मगर शर्त़ यह है कि वह अ़क्द मुस्लिम के लिये मुफ़ीद हो मसलन एक रूपया के बदले में दो रूपया ख़रीदे या उसके हाथ मुर्दार को बेच डाला कि इस त़रीक़े से मुसलमान का रूपया ह़ासिल करना शरा़ के ख़िलाफ़ और ह़राम है और काफ़िर से ह़ासिल करना जाइज़ है। (रद्दुल'मुह़तार)

मसअ्ला.30:– हिन्दुस्तान अगरचे दारुल इस्लाम है उसको दारुल ह़रब कहना स़ह़ीह़ नहीं मगर यहाँ के कुफ़्फ़ार यक़ीनन न ज़िम्मी हैं न मुस्तामिन क्योंकि ज़िम्मी या मुस्तामिन के लिये बादशाहे इस्लाम का ज़िम्मा करना और अमन देना ज़रूरी है लिहाज़ा उन कुफ़्फ़ार के अमवाल उ़क़ूदे फ़ासिदा के ज़रिये़ ह़ासिल किये जा सकते हैं जब कि बद अ़हदी न हो।

सूद से बचने की सूरतें

शरीअ़ते मुतह्हरा ने जिस त़रह़ सूद लेना ह़राम फ़रमाया सूद देना भी ह़राम किया है। ह़दीसों में दोनों पर ला़नत फ़रमाई है और फ़रमाया कि दोनों बराबर हैं, आज कल सूद की इतनी कसरत है कि क़र्ज़े ह़सन जो बिग़ैर सूदी होता है बहुत कम पाया जाता है दौलत वाले किसी को बिग़ैर नफ़ा़ रूपया देना चाहता नहीं और अहले ह़ाजत अपनी ह़ाजत के सामने उसका लिहाज़ भी नहीं करते कि सूदी रूपये लेने में आख़िरत का कितना अ़ज़ीम वबाल है उससे बचने की कोशिश की जाये। लड़की लड़के की शादी, ख़तना और दीगर तक़रीबात शादी व ग़मी में अपनी वुस्अ़त से ज़्यादा ख़र्च करना चाहते हैं। बिरादरी और ख़ानदान के रुसूम में इतने जकड़े हुए हैं कि हर चन्द कहिये एक नहीं सुनते रुसूम में कमी करने को अपनी ज़िल्लत समझते हैं। हम अपने मुसलमान भाईयों को अव्वलन तो यही नसी़हत करते हैं कि इन रुसूम की जन्जाल से निकलें चादर से ज़्यादा पाँव न फैलायें और दुनिया व आख़िरत की तबाहकुन नताइज से डरें। थोड़ी देर की मसर्रत या अबनाये जिन्स में नाम आवरी का ख़्याल करके आइन्दा जिन्दगी को तल्ख़ न करें। अगर यह लोग अपनी हट से बाज़ न आयें क़र्ज़ का बारे गिरां अपने सर ही रखना चाहते हैं बचने की सई नहीं करते जैसा कि मुशाहिदा

इसी पर शाहिद है तो अब हमारी दूसरी फहमाइश उन मुसलमानों को यह है कि सूदी क़र्ज़ के क़रीब न जायें, कि ब'नस्से क़तई क़ुर्आनी इस में बरकत नहीं और मुशाहिदात व तजरबात भी यही हैं कि बड़ी–बड़ी जायदादें सूद में तबाह हो चुकी हैं यह सवाल उस वक़्त पेशे नज़र हैं कि जब सूदी क़र्ज़ न लिया जाये तो बिगैर सूदी क़र्ज़ कौन देगा फिर उन दुश्वारियों को किस तरह हल किया जाये, इसके लिये हमारे उलमा ने चन्द सूरतें ऐसी तहरीर फ़रमाई हैं कि उन तरीक़ों पर अ़मल किया जाये तो सूद की नजासत व नूहूसत से पनाह मिलती है और क़र्ज़ देने वाला जिस ना'जाइज़ नफ़ा का ख़्वाहिश मन्द था उसके लिये जाइज़ तरीक़ा पर नफ़ा हासिल हो सकता है। सिर्फ़ लेन देन की सूरत में कुछ तरमीम करनी पड़ेगी। मगर ना'जाइज़ व हराम से बचाव हो जायेगा। शायद किसी को यह ख़्याल हो कि दिल में जब यह है कि सौ देकर एक सौ दस लिये जायें, फिर सूद से क्योंकर बचे हम उसके लिये यह वाजेह करना चाहते हैं कि शरअ़ मुतह्हरह ने जिस अ़क़्द को जाइज़ बताया वह महज़ इस तख़ईल (ख़्याल) से ना'जाइज व हराम नहीं हो सकता। देखो अगर रूपये से चांदी ख़रीदी और एक रूपये की एक रूपया भर से ज़ायद ली यह यक़ीनन सूद व हराम है साफ़ हदीस में तसरीह है।

﴿الفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد و الفضل ربا﴾

"और अगर मसलन एक गिन्नी जो पन्द्रह रूपये की हो उससे पचीस रूपये भर या और ज़्यादा चांदी ख़रीदी या सोलह आने पैसों की दो रूपये भर ख़रीदी अगरचे उसका मक़सद भी वही है कि चांदी ज़्यादा ली जाये मगर सूद नहीं और यह सूरत यक़ीनन हलाल है"

हदीसे सहीह में फ़रमाया, ﴿اذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم﴾ मालूम हुआ कि जवाज़ व अ़दमे जवाज़ नोईयते अ़क़्द पर है, अ़क़्द बदल जायेगा हुक्म बदल जायेगा। इस मसला को ज़्यादा वाज़ेह करने के लिये हम दो हदीसें ज़िक्र करते हैं, सहीहैन में अबू सईद ख़ुदरी व अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अ़न्हुमा से मरवी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि व सल्लम ने एक शख़्स को ख़ैबर का हाकिम बनाकर भेजा था वह वहाँ से हुज़ूर की ख़िदमत में उ़मदा खजूरें लाये इरशाद फ़रमाया क्या ख़ैबर की सब खजूरें ऐसी ही होती हैं अ़र्ज़ की नहीं या रसूलल्लाह, हम दो साअ़ के बदले में इन खजूरों का एक साअ़ लेते हैं और तीन साअ़ के बदले में दो साअ़ लेते हैं फ़रमाया ऐसा न करो मामूली खजूरों को रूपये से बेचो फिर रूपया से इस क़िस्म की खजूरें ख़रीदा करो। और तोल की चीज़ों में भी ऐसा ही फ़रमाया सहीहैन में अबू सईद ख़ुदरी रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी बिलाल रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु नबी करीम सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में बरनी खजूरें लाये इरशाद फ़रमाया कहाँ से लाये अ़र्ज़ की हमारे यहाँ ख़राब खजूरें थीं उनके दो साअ़ को एक साअ़ के एवज़ में बेच डाला इरशाद फ़रमाया "अफ़सोस यह तो बिलकुल सूद है यह तो बिलकुल सूद है ऐसा न करना हाँ अगर उनको ख़रीदने का इरादा हो तो अपनी खजूरें बेचकर फिर उनको ख़रीदो"। इन दोनों हदीसों से वाज़ेह हुआ कि बात वही है कि उ़मदा खजूरें ख़रीदना चाहते हैं मगर अपनी खजूरें ज़्यादा देकर लेते हैं सूद होता है, और अपनी खजूरें रूपये से बेचकर अच्छी खजूरें ख़रीदें यह जाइज़ है। इसी वजह से इमाम क़ाज़ी ख़ान अपने फ़तावे में सूद से बचने की सूरतें लिखते हैं यह तहरीर फ़रमाते हैं, ومثل هذا روى عن رسول الله ﷺ انه امر بذلك इस मुख़्तसर तम्हीद के बाद अब वह सूरतें बयान करते हैं जो उ़लमा ने सूद से बचने की बयान की हैं।

मसअ्ला.1:– एक शख़्स के दूसरे पर दस रूपये थे उसने मदयून से कोई चीज़ उन दस रूपयों में ख़रीदली और मबीअ़ पर क़ब्ज़ा भी कर लिया फिर उसी चीज़ को मदयून के हाथ बारह में समन वुसूल करने की एक मीआ़द मुक़र्रर करके बेच डाला अब उसके उस पर दस की जगह बारह हो गये और उसे दो रूपयों का नफ़ा हुआ और सूद न हुआ। (ख़ानिया)

मसअ्ला.2:– एक ने दूसरे से क़र्ज़ तलब किया वह नहीं देता अपनी कोई चीज़ मुक़रिज़ के हाथ

सौ रूपये में बेच डाली उसने सौ रूपये देदिये और चीज़ पर क़ब्ज़ा कर लिया फिर मुस्तक़रिज़ ने वही चीज़ मुक़रिज़ से साल भर के वादे पर एक सौ दस रूपये में ख़रीदली यह बैअ् जाइज़ है मुक़रिज़ ने सौ रूपये दिये और एक सौ दस रूपये मुस्तक़रिज़ के ज़िम्मे लाज़िम होगये और अगर मुस्तक़रिज़ के पास कोई चीज़ न हो जिसको इस तरह बैअ् करे तो मुक़रिज़ मुस्तक़रिज़ के हाथ अपनी कोई चीज़ एक सौ दस रूपये में बैअ् करे और क़ब्ज़ा देदे फिर मुस्तक़रिज़ उसके ग़ैर के हाथ सौ रूपये में बेचे और क़ब्ज़ा देदे फिर उस शख़्स अजनबी से मुक़रिज़ सौ रूपये में ख़रीदले और समन अदा करदे;और वह मुस्तक़रिज़ को सौ रूपये समन अदा करदे नतीजा यह हुआ कि मुक़रिज़ की चीज़ उसके पास आगई और मुस्तक़रिज़ को सौ रूपये मिलगये मगर मुक़रिज़ के उसके ज़िम्मे एक सौ दस रूपये लाज़िम रहे। (ख़ानिया)

मसअ्ला.3:– मुक़रिज़ ने अपनी कोई चीज़ मुस्तक़रिज़ के हाथ तेरह रूपये में छः महीने के वादा पर बैअ् की और क़ब्ज़ा देदिया फिर मुस्तक़रिज़ ने उसी चीज़ को अजनबी के हाथ बेचा और उस बैअ् का इक़ाला करके फिर उसी मुक़रिज़ के हाथ दस रूपये में बेचा और रूपये ले लिये उसका भी यही नतीजा हुआ कि मुक़रिज़ की चीज़ वापस आगई और मुस्तक़रिज़ को दस रूपये मिलगये मगर मुक़रिज़ के उसके ज़िम्मे तेरह रूपये वाजिब हुये। (ख़ानिया)

बैअ् ऐना

मसअ्ला.4:– सूद से बचने की एक सूरत बैअ़े ऐना है इमाम मुहम्मद रहिमहुल्लाहु तआला ने फ़रमाया बैअ़े ऐना मकरूह है क्योंकि क़र्ज़ की ख़ूबी और हुसने सुलूक से महज़ नफ़ा की ख़ातिर बचना चाहता है और इमाम अबू यूसुफ़ रहिमहुल्लाहु तआला ने फ़रमाया कि अच्छी नियत हो तो इस में हरज नहीं बल्कि बैअ् करने वाला मुस्तहिक्के सवाब है क्योंकि वह सूद से बचना चाहता है मशाइख़े बल्ख़ ने फ़रमाया बैअ़े ऐना हमारे ज़माना की अकस्र बैओं से बेहतर है बैअ़े ऐना की सूरत यह है कि एक शख़्स ने दूसरे से मसलन दस रूपये क़र्ज़ मांगे उसने कहा मैं क़र्ज़ नहीं दूँगा यह अल'बत्ता कर सकता हूँ कि यह चीज़ तुम्हारे हाथ बारह रूपये में बेचता हूँ अगर तुम चाहो ख़रीद लो उसे बाज़ार में दस रूपये को बैअ् कर देना तुम्हें दस रूपये मिल जायेंगे और काम चल जायेगा और इसी सूरत में बैअ् हुई, बाइअ् ने ज़्यादा नफ़ा हासिल करने और सूद से बचने का यह हीला निकाला कि दस की चीज़ बारह में बैअ् करदी उसका काम चल गया और ख़ातिर ख़्वाह उसको नफ़ा मिलगया, बाज़ लोगों ने उसका यह तरीक़ा बताया है कि तीसरे शख़्स को अपनी बैअ् में शामिल करें यानी मुक़रिज़ ने क़र्ज़दार के हाथ उसको बारह में बेचा और क़ब्ज़ा देदिया फिर क़र्ज़दार ने सालिस के हाथ दस रूपये में बेचकर क़ब्ज़ा देदिया उसने मुक़रिज़ के हाथ दस रूपये में बेचा और क़ब्ज़ा देदिया और दस रूपये समन के मुक़रिज़ से वुसूल करके क़र्ज़दार को देदिये नतीजा यह हुआ कि क़र्ज़ मांगने वाले को दस रूपये वुसूल होगये मगर बारह देने पड़ेंगे क्योंकि वह चीज़ बारह में ख़रीदी है। (ख़ानिया, फ़तह, रद्दुलमुहतार)

हुक़ूक़ का बयान

मसअ्ला.1:– दो मन्ज़िला मकान है उसमें नीचे की मन्ज़िल ख़रीदी बाला ख़ाना अक़्द में दाख़िल न होगा मगर जबकि तमाम हुक़ूक़ या जमीअ़े मुराफ़िक़ (वह हुक़ूक़ जो बैअ् में जिमनन दाख़िल हेते हैं) या हर क़लील व कसीर के साथ ख़रीदा हो। (हिदाया वग़ैरा)

मसअ्ला.2:– मकान की ख़रीदारी में पाख़ाना अगरचे मकान से बाहर बना हो और कुआं और उसके सेहन में जो दरख़्त हों वह और पाईन बाग़ सब बैअ् में दाख़िल हैं इन चीज़ों की बैअ्नामा में सराहत करने की ज़रूरत नहीं, मकान से बाहर उससे मिला हुआ बाग़ हो और छोटा हो तो बैअ् में दाख़िल है और मकान से बड़ा या बराबर का हो तो दाख़िल नहीं जब तक ख़ास उसका भी नाम बैअ् में न लिया जाये। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.3:– मकान से मुत्तसिल बाहर की जानिब कभी टीन वग़ैरा का छप्पर डाल लेते हैं जो नशिश्त के लिये होता है अगर हुकूक़ व मुराफ़िक़ के साथ बैअ् हुई है तो दाख़िल है वरना नहीं (हिदाया)

मसअ्ला.4:– ख़ास रास्ता और पानी बहने की नाली और खेत में पानी आने की नाली और वह घाट जिससे पानी आयेगा यह सब चीज़ें बैअ् में उस वक़्त दाख़िल होंगीं जबकि हुकूक़ या मुराफ़िक़ या हर क़लील व कसीर का ज़िक्र हो। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.5:– मकान का पहले एक रास्ता था उसको बन्द करके दूसरा रास्ता जारी किया गया उसकी ख़रीदारी में पहला रास्ता दाख़िल नहीं होगा अगरचे हुकूक़ या मराफ़िक़ का लफ़्ज़ कहा हो क्योंकि अब वह उसके हुकूक़ में दाख़िल ही नहीं दुसरा रास्ता अल'बत्ता दाख़िल है। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.6:– एक मकान खरीदा जिसका रास्ता दुसरे मकान में होकर जाता है दूसरे मकान वाले मुश्तरी को आने से रोकते हैं इस सूरत में अगर बाइअ् ने कह दिया कि इस मबीअ् का रास्ता दूसरे मकान में से नहीं है तो मुश्तरी को रास्ता हासिल करने का कोई हक़ नहीं अलबत्ता यह एक ऐब होगा जिसकी वजह से वापस कर सकता है, अगर उसकी दिवारों पर दूसरे मकान की कड़ियाँ रखी हैं और वह दूसरा मकान बाइअ् का है तो हुक्म दिया जायेगा अपनी कड़ियाँ उठाले और किसी दूसरे का है तो यह मकान का एक ऐब है मुश्तरी को वापस करने का हक़ हासिल होगा। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.7:– एक शख़्स के दो मकान हैं एक की छत का पानी दूसरे की छत पर से गुज़रता है दूसरे मकान को जमीअ् हुकूक़ के साथ बैअ् किया उसके बाद पहले मकान को किसी दूसरे के हाथ बैअ् किया तो पहला मुश्तरी अपनी छत पर पानी बहाने से दूसरे को रोक सकता है और अगर एक शख़्स के दो बाग़ थे एक का रास्ता दूसरे में होकर था दूसरा बाग़ उसने अपनी लड़की के हाथ बैअ् किया और यह शर्त रही कि हक़्क़े मरूर (रास्ते पर चलने का हक़) उसको हासिल रहेगा फिर लड़की ने अपना बाग़ किसी अजनबी के हाथ बैअ् किया तो यह अजनबी उसके बाप को बाग़ में गुजरने से रोक नहीं सकता। (रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.8:– मकान या खेत किराये पर लिया तो रास्ता और नाली और घाट इजारा में दाख़िल है यानी अगरचे हुकूक़ व मुराफ़िक़ न कहा हो जब भी इन चीज़ों पर तसर्रुफ़ कर सकता है वक़्फ़ व रेहन इजारा के हुक्म में हैं। (हिदाया, फ़तह)

मसअ्ला.9:– किसी के लिये इक़रार किया कि यह मकान उसका है या मकान की वसिय्यत की या उस पर मुसालहत हुई यह सब बैअ् के हुक्म में है कि बिग़ैर ज़िक्र हुकूक़ व मुराफ़िक़ रास्ता वग़ैरह दाख़िल न होंगे। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.10:– दो शख़्स एक मकान में शरीक थे बाहम तक़सीम हुई एक के हिस्से का रास्ता या नाली दूसरे के हिस्से में है अगर ब'वक़्ते तक़सीम हुकूक़ का ज़िक्र था जब तो कोई हर्ज नहीं और ज़िक्र न था तो दूसरे को रास्ता वग़ैरा नहीं मिलेगा फिर अगर वह अपने हिस्से में नया रास्ता और नाली वग़ैरह निकाल सकता है तो निकाल ले और तक़सीम सहीह है वरना तक़सीम ग़लत हुई तोड़ दी जाये जबकि तक़सीम के वक़्त रास्ता वग़ैरा का ख़्याल किया ही न गया हो। (रद्दुलमुहतार)

इस्तेहक़ाक़ का बयान

कभी ऐसा होता है कि ब'ज़ाहिर कोई चीज़ एक शख़्स की मालूम होती है और वाक़ेई में दूसरे की होती है यानी दूसरा शख़्स उसका मुद्दई होता है और अपनी मिल्क साबित कर देता है उसको इस्तेहक़ाक़ कहते हैं।

मसअ्ला.1:– इस्तेहक़ाक़ दो क़िस्म है एक यह कि दूसरे की मिल्क को बिल्कुल बातिल करदे उसको मुब्तिल कहते हैं दूसरा यह कि मिल्क को एक से दूसरे की तरफ़ मुन्तक़िल करदे उसको नाक़िल कहते हैं मुब्तिल की मिसाल हुर्रिय्यते असलिय्या का दावा यानी यह गुलाम था ही नहीं या इत्क़ का दावा मुदब्बर या मुकातब होने का दावा। नाक़िल की मिसाल यह है कि ज़ैद ने बकर पर

दावा किया कि यह चीज़ तुम्हारे पास है तुम्हारी नहीं मेरी है। (दुर्रेमुख़्तार)
मसअ्ला.2:– इस्तेह़क़ाक़ की दूसरी क़िस्म का हुक्म यह है कि अगर वह चीज़ किसी अ़क्द के ज़रीये से मुद्दाअ़लैह (क़ाबिज़) को ह़ासिल हुई है तो महज़ मिल्क स़ाबित कर देने से अ़क्द फ़स्ख़ नहीं होगा क्योंकि वह चीज़ ज़रूर क़ाबिले अ़क्द है यानी मुद्दई की चीज़ है जिसको दूसरे ने मुद्दाअ़लैह के हाथ मसलन फ़रोख़्त कर दिया यह बैअ़ फ़ुज़ूली ठहरी जो मुद्दई की इजाज़त पर मौक़ूफ़ है(दुर्रेमुख़्तार)
मसअ्ला.3:– मुस्तह़िक़ के मुवाफ़िक़ क़ाज़ी ने फ़ैस़ला स़ादिर कर दिया उससे बैअ़ फ़स्ख़ नहीं हुई हो सकता है कि मुस्तह़िक़ मुश्तरी से वह चीज़ न ले समन वुसूल करले या बैअ़ को फ़स्ख़ करदे और यह भी हो सकता है कि ख़ुद मुश्तरी वह चीज़ बाइअ़ को वापस करदे और समन फेरले अब बैअ़ फ़स्ख़ होगई या मुश्तरी ने क़ाज़ी को दरख़्वास्त दी कि बाइअ़ पर वापसी समन का हुक्म स़ादिर करे उसने हुक्म देदिया या यह दोनों ख़ुद अपनी रज़ा'मन्दी से अ़क्द को फ़स्ख़ करें। (फ़तहुल'क़दीर)
मसअ्ला.4:– क़ाज़ी ने यह फ़ैस़ला किया कि यह चीज़ मुस्तह़िक़(मुद्दई)की है यह फ़ैस़ला ज़ूलयद (मुद्दाअ़लैह)के मक़ाबिल में भी है और उनके मक़ाबिल में भी जिन से ज़ुलयद को यह चीज़ ह़ासिल हुई जबकि उस ज़ुलयद ने अपने बयान में यह ज़ाहिर कर दिया कि यह चीज़ मुझको फ़ुलां से इस नोईयत से ह़ासिल हुई है मस़लन उससे ख़रीदी है या बतौरे मीरास़ उससे मिली है और इस सूरत में दीगर वुरसा के मक़ाबिल में भी यह फ़ैस़ला क़रार पायेगा, इस चीज़ के मुतअ़ल्लिक़ मिल्के मुतलक़ का दावा कोई शख़्स़ करे मस्मूअ़ नहीं(दावा नहीं सुना जायेगा)होगा, मस़लन मुश्तरी ने अपना ख़रीदना बयान करदिया और उससे वह चीज़ लेली गई तो मुश्तरी बाइअ़ से समन वापस लेगा और बाइअ़ ने भी अगर ख़रीदी थी तो वह अपने बाइअ़ से समन वुसूल करे 'व अ़ला हाज़लक़ियास' हर एक के लिये इआ़दए–गवाह और फ़ैस़ले की ज़रूरत नहीं वही पहला फ़ैस़ला और पहला सुबूत काफ़ी है, और अगर ज़ुलयद ने अपने बयान में सिर्फ़ इतना ही कहा कि यह चीज़ मेरी मिल्क है यह नहीं ज़ाहिर किया कि किससे उसको ह़ासिल हुई तो वह फ़ैस़ला उसी के मक़ाबिल क़रार पायेगा दूसरे लोगों से उसको तअ़ल्लुक़ नहीं मस़लन एक शख़्स़ के क़ब्ज़े में एक मकान है जिसको वह अपना बताता है उस पर दूसरे ने दावा किया कि यह मेरा है और स़ाबित कर दिया क़ाज़ी ने उसके ह़क़ में फ़ैस़ला देदिया फिर एक तीसरा शख़्स़ जो मुद्दाअ़लैह अव्वल का भाई है वह खड़ा हुआ और कहता है यह मकान मेरे बाप का था उसने विरासतन मेरे और मेरे भाई के माबैन छोड़ा है और उसको स़ाबित कर दिया तो मकान में निस्फ़ हिस़्सा उसको मिल जायेगा क्योंकि पहला फ़ैस़ला उसके मक़ाबिल में नहीं हुआ है और अगर ज़ुलयद ने यह कहदिया होता कि मकान मुझको विरास़त में मिला है तो वह पहला फ़ैस़ला उसके मक़ाबिल में भी होता और उसका दावा मसमूअ़ न होता(दुर्रेमुख़्तार)
मसअ्ला.5:– बाज़ सूरतें ऐसी हैं कि मुश्तरी के मक़ाबिल में फ़ैस़ला उनके मक़ाबिल में फ़ैस़ला नहीं क़रार पायेगा जिनसे मुश्तरी को वह चीज़ ह़ासिल हूई है वह अगर दावा करेंगे तो मस्मूअ़ होगा (दावा सुना जायेगा) मस़लन उसने एक जानवर ख़रीदा था मुश्तरी से इस्तेह़क़ाक़ की वजह से वह जानवर लेगया उसने बाइअ़ से समन वापस करना चाहा बाइअ़ ने कहा मुस्तह़िक़ झूठा है वह मेरा ही था मेरे यहाँ पैदा हुआ या जिससे मैंने ख़रीदा था उसके यहाँ उसके जानवर से पैदा हुआ यह दावा मसमूअ़ होगा और उसको गवाहों से स़ाबित करदे तो पहला फ़ैस़ला रद होजायेगा या वह बाइअ़ यह कहता है कि मैंने यह चीज़ ख़ुद मुस्तह़िक़ से ख़रीदी है उसकी नहीं है यह दावा भी मस्मूअ़ है। (दुरर, ग़ुरर)
मसअ्ला.6:– जब चीज़ मुस्तह़िक़ की होगई मुश्तरी को बाइअ़ से स़मन वापस लेने का ह़क़ ह़ासिल होगया मगर कोई मुश्तरी अपने बाइअ़ से समन वापस नहीं ले सकता जब तक उसके मुश्तरी ने उससे वापस न लिया हो मस़लन अव्वल ख़रीदार बाइअ़ से उस वक़्त समन लेगा जब दूसरे ख़रीदार ने उससे लिया हो और अगर ख़रीदार ने बर वक़्त ख़रीदारी कोई कफ़ील (ज़ामिन) लिया था जो उसका ज़ामिन था कि अगर किसी दूसरे की यह चीज़ साबित हुई तो समन का मैं ज़ामिन हूँ

इस ज़ामिन से मुश्तरी समन उस वक़्त वुसूल कर सकता है जब मकफ़ूल अन्हु के ख़िलाफ़ में क़ाज़ी ने वापसी-ए-समन का फ़ैसला कर दिया हो। (दुरर, गुरर)

मसअ्ला.7:– मुश्तरी ने बाइअ् से समन की वापसी चाही और दोनों में कम मिक़दार पर सुलह हो गई तो यह बाइअ् अपने बाइअ् से वह समन लेगा जो उन दोनों के दरमियान तय पाया था और मुश्तरी ने बाइअ् से समन को मुआफ़ कर दिया बाद इसके कि वापसी समन के मुतअ़ल्लिक़ क़ाज़ी का फ़ैसला सादिर होचुका था तो यह बाइअ् अपने बाइअ् से समन वापस ले सकता है, और अगर इस्तेहक़ाक़ से क़ब्ल बाइअ् ने मुश्तरी को समन मुआफ़ कर दिया था तो अब मुश्तरी न बाइअ् से ले सकता है और न बाइअ् अपने बाइअ् से और मुस्तहिक़ व मुश्तरी के माबैन मुसालहत होगई कि मुस्तहिक़ समन का एक जुज़ मुश्तरी को देकर मबीअ् लेले अब मुश्तरी अपने बाइअ् से कुछ नहीं ले सकता कि उसने अपना हक़ ख़ुद ही बातिल कर दिया। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला.8:– इस्तेहक़ाक़ मुब्तिल में बाइऐन व मुश्तरैन के माबैन जितने उ़क़ूद हैं वह सब फ़स्ख़ हो गये उसकी ज़रूरत नहीं कि क़ाज़ी उन उ़क़ूद को फ़स्ख़ करे, हर एक बाइअ् अपने बाइअ् से समन वापस लेने का हक़दार है उसकी ज़रूरत नहीं कि जब मुश्तरी उससे ले तो यह बाइअ् से ले और यह भी हो सकता है कि हर एक शख़्स ज़ामिन से वुसूल करले अगरचे मक़फ़ूल अन्हु पर वापसी समन का फ़ैसला न हुआ हो। (दुरर, गुरर)

मसअ्ला.9:– किसी शख़्स की निस्बत यह हुक्म हुआ कि यह हुर्रे अस्ली (अस्ली आज़ाद) है यानी एक शख़्स किसी का गुलाम था उसको पता चला कि पैदाइशी आज़ाद है उसने क़ाज़ी के पास दावा किया क़ाज़ी ने हुर्रियते अस्लिया का हुक्म दिया या एक शख़्स ने किसी पर दावा किया कि यह मेरा गुलाम है उसने कहा मैं अस्ली हुर हूँ और उसको गवाहों से साबित किया या वह मुद्दई उसकी गुलामी को गवाहों से न साबित कर सका और यह कहता है कि मैं आज़ाद हूँ और इससे पहले सराहतन या दलालतन उसने अपनी गुलामी का कभी इक़रार न किया हो इतना भी नहीं कि यह जब बेचा गया उस वक़्त ख़ामोश रहा बल्कि मुश्तरी के साथ चला गया उस हुक्म के बाद अब दुनिया भर में कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि यह मेरा गुलाम है यह दावा ही नहीं सुना जायेगा, यूँही इत्क़ और उसके तवाबेअ् (उसकी तरह) का हुक्म भी तमाम जहान में नाफ़िज़ है कि उसके ख़िलाफ़ कोई दावा कर ही नहीं सकता यानी यह दावा किया कि फुलां का गुलाम था उसने आज़ाद करदिया या मुदब्बर कर दिया या लोन्डी है उसको उम्मे वलद किया और क़ाज़ी ने इन बातों का हुक्म सादिर कर दिया तो अब कोई भी दावा नहीं कर सकता। (दुर्रेमुख़्तार, दुरर)

मसअ्ला.10:– मिल्क मुअर्रिख़ (मिल्क में कोई तारीख़ तय होना) में जब इत्क़ (आज़ाद होना) तारीख़ से पहले साबित होगया और क़ाज़ी ने इत्क़ का हुक्म दिया तो उस तारीख़ के वक़्त से उसके मुतअ़ल्लिक़ मिल्क का दावा नहीं होसकता इससे पहले की मिल्क का दावा हो सकता है उसकी सूरत यह है कि ज़ैद ने बक़र से कहा तू मेरा गुलाम है पाँच साल से तू मेरी मिल्क में है बकर ने जवाब में कहा मैं फुलाँ शख़्स का गुलाम था छः वर्ष हुए उसने मुझे आज़ाद कर दिया और इस अम्र को गवाहों से साबित किया ज़ैद का दावा बेकार होगया फिर अम्र ने बकर पर दावा किया कि मैं सात वर्ष से तेरा मालिक हूँ औ अब भी तू मेरी मिल्क में है उसको उसने गवाहों से साबित किया तो गवाह क़बूल होंगे और पहला फ़ैसला मन्सूख़ होजायेगा। (दुरर, गुरर)

मसअ्ला.11:– किसी जायदाद की निस्बत वक़्फ़ का हुक्म हुआ यह हुक्म तमाम लोगों के मक़ाबिल नहीं यानी अगर उसके मुतअ़ल्लिक़ मिल्क या दूसरे वक़्फ़ का दूसरा शख़्स दावा करे वह दावा मस्मूअ् होगा (सुना जायेगा)। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.12:– मुश्तरी को बाइअ् से समन वापस लेने का उस वक़्त हक़ होगा जब मुस्तहिक़ ने गवाहों से अपनी मिल्क साबित की हो और अगर मुद्दा अ़लैह यानी मुश्तरी ने ख़ुद ही उसकी मिल्क

का इक़रार करलिया या उस पर हल्फ़ दिया गया उसने हलफ़ से इनकार कर दिया या मुश्तरी के वकील बिल'खुसूमत ने इक़रार करलिया या हल्फ़ से इनकार करदिया तो मुश्तरी अपने बाइअ् से समन नहीं ले सकता। (दुरर, गुरर)

मसअ्ला.13:– एक मकान ख़रीदा उस पर एक शख़्स ने मिल्क का दावा कर दिया मुश्तरी ने उसकी मिल्क का इक़रार कर लिया बाइअ् से समन वापस नहीं ले सकता उसके बाद मुश्तरी गवाह से साबित करना चाहता है कि यह मकान मुस्तहिक़ का है ताकि बाइअ् से समन वापस लेले यह गवाह नहीं सुने जायेंगे हाँ अगर गवाहों से यह साबित करना चाहता है कि बाइअ् ने इक़रार किया है कि मुस्तहिक़ की मिल्क है तो यह गवाह मक़बूल होंगे और उसको बाइअ् से समन वापस कर लेने का हक़ होजायेगा और मुश्तरी यह भी कर सकता है कि बाइअ् पर हल्फ़ दे कि वह क़सम खाजाये कि मुस्तहिक़ का नहीं है अगर बाइअ् ने इस क़सम से इनकार किया मुश्तरी को समन वापस लेने का हक़ होजायेगा। (दुरर)

मसअ्ला.14:– इस्तेहक़ाक़ में समन वापस लेने का हक़ उस वक़्त है कि दावा उसपर हो जो चीज़ बाइअ् के यहाँ थी और अगर उसमें तग़य्युर आगया इतना कि अगर ग़सब किया होता तो मालिक होजाता और इस पर इस्तेहक़ाक़ हुआ तो बाइअ् से समन नहीं ले सकता मस्लन कपड़ा ख़रीदा उसे क़ता करके सिला लिया उसके बाद मुस्तहिक़ ने गवाहों से साबित किया जब भी मुश्तरी बाइअ् से नहीं ले सकता क्योंकि यह इस्तेहक़ाक़ उसकी मिल्क पर नहीं वह कुर्ते का मुद्दई है और उसने बाइअ् से कुर्ता कहाँ ख़रीदा हाँ अगर उसने गवाह से यह साबित किया कि यह कपड़ा मेरा था जब कि कुर्ता न था तो अब मुश्तरी बाइअ् से लेगा यूँही गेहूँ ख़रीदे थे आटा पिस गया आटे का मुस्तहिक़ ने दावा किया तो मुश्तरी वापस नहीं ले सकता और अगर यह कहा कि पिसने से क़ब्ल गेहूँ मेरे थे इसी तरह गोश्त ख़रीदा था पकवा लिया। (फ़तहुलक़दीर)

मसअ्ला.15:– मुश्तरी ने बाइअ् से यूँ कहा कि अगर इस्तेहक़ाक़ होगा तो समन वापस न लूंगा फिर भी बादे इस्तेहक़ाक़ समन वापस ले सकता है और वह क़ौल लग़्व है कि इबरा यानी मुआफ़ी क़ाबिले तालीक़ (मशरूत करने के क़ाबिल) नहीं। (फ़तह)

मसअ्ला.16:– बाइअ् मरगया है और उसका वारिस भी कोई नहीं और मुश्तरी पर इस्तेहक़ाक़ हुआ तो क़ाज़ी खुद बाइअ् का एक वसी मुक़र्रर करेगा और मुश्तरी उससे समन वापस लेगा, बाइअ् कहता है यह जानवर मेरे घर का बच्चा है मगर उसको साबित न कर सका या वह बैअ् ही से इनकार करता है जब भी मुश्तरी समन वापस ले सकता है। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.17:– मुश्तरी ने जिससे ख़रीदा है वह वकील बिलबैअ् (बेचने का वकील) है और मुश्तरी ने समन उसी को दिया है तो उसी वकील के माल से समन वुसूल कर सकता है उसका भी इन्तेज़ार करना ज़रूर नहीं कि मोअक्किल उसको दे तो मुश्तरी ले और अगर मुश्तरी ने समन खुद मुअक्किल को दिया है तो इतना इन्तेज़ार करना होगा कि वह मुअक्किल से वुसूल करे तब यह उससे ले, बाइअ् ने अगर मुश्तरी से कहा तुम्हें मालूम है यह चीज़ मेरी थी और यह गवाह झूठे हैं मुश्तरी ने उसकी तस्दीक़ की जब भी बाइअ् से समन वापस ले सकता है। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.18:– मुश्तरी के पास से मुस्तहिक़ के पास मबीअ् पहुँचगई और अभी तक क़ाज़ी ने हुक्म नहीं दिया है तो मुश्तरी उससे अपनी चीज़ वापस ले सकता है या यह कि वह गवाहों से अपनी होना साबित करे और उस वक़्त बाइअ् समन लेने का हक़दार होगा और अगर मुस्तहिक़ के यहाँ सूरते मज़कूरा में हलाक होगई तो मुश्तरी उस मूस्तहिक़ पर दावा करे कि तूने बिला हुक्मे क़ाज़ी मेरी चीज़ ली है और वह मेरी मिल्क थी और अब तेरे पास हलाक होगई लिहाज़ा उसकी क़ीमत अदा कर अब अगर मुस्तहिक़ गवाहों से अपनी होना साबित कर देगा तो मुश्तरी बाइअ् से समन ले सकता है। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.19:– एक जानवर मादा ख़रीदा मुश्तरी के यहाँ उसके बच्चा पैदा हुआ मुस्तहिक़ ने उसपर

दावा किया और गवाहों से साबित कर दिया तो मुस्तहिक़ जानवर को भी लेगा और बच्चा को भी बल्कि अगर किसी ने उस बच्चा को मार डाला या नुक़सान पहुँचाया जिसका मुआवज़ा लिया जा चुका है वह भी मुस्तहिक़ लेगा मगर यह ज़रूरी है कि क़ाज़ी ने उसका भी हुक्म दिया हो सिर्फ़ उस जानवर का हुक्म देना बच्चा का हुक्म नहीं, यह हुक्म बच्चा ही के साथ ख़ास नहीं बल्कि जितने ज़वाएद (ज़्यादा, बढ़ी हुई चीज़) हैं वह सब मुस्तहिक़ को मिलेंगे जबकि क़ाज़ी ने उसका फ़ैसला किया हो और अगर मुस्तहिक़ ने गवाहों से साबित नहीं किया है बल्कि ख़ुद उस शख़्स ने इक़रार किया है तो बच्चा मुस्तहिक़ को नहीं मिलेगा सिर्फ़ वह जानवर ही मिलेगा हाँ अगर मुस्तहिक़ ने बच्चा का भी दावा किया हो और ज़ुलयद ने सिर्फ़ जानवर का इक़रार किया तो जानवर और बच्चा दोनों मुस्तहिक़ को मिलेंगे और दीगर ज़वाएद का भी यही हुक्म है। ज़वायद हलाक होगये तो उनका ज़ामिन नहीं गवाह और इक़रार में फ़र्क़ यह है कि बय्यिना (गवाह) हुज्जते कामिला और मुतअद्दिया है कि जिसके मुतअल्लिक़ क़ायम हो उसी पर मुक़तसर नहीं रहता (उसी तक महदूद नहीं रहता) और इक़रार हुज्जते क़ासिरा है कि यह तजावुज़ नहीं करता। (हिदाया, फ़तहुलक़दीर, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.20:– तनाक़ुज़ यानी पहले एक कलाम कहना फिर उसके ख़िलाफ़ बताना मानेअ् दावा (दावे को रोकने वाला) है मगर इस में शर्त यह है कि पहला कलाम किसी शख़्से मुअय्यन के मुतअ़ल्लिक़ हो वरना मानेअ् (रोकने वाला) नहीं मसलन पहले कहा था फ़ुलां शहर वालों के ज़िम्मा मेरा कोई हक़ नहीं फिर उसी शहर के किसी ख़ास आदमी पर दावा किया यह दावा मस्मूअ् है यानी सुना जायेगा यह भी ज़रूर है कि पहला कलाम भी उसने क़ाज़ी के सामने बोला हो या क़ाज़ी के हुज़ूर उसका सुबूत गुज़रा हो वरना क़ाबिले एअ्तेबार नहीं यह भी ज़रूर है कि ख़सम (मद्दे मक़ाबिल) ने उसकी तस्दीक़ न की हो अगर उसने तस्दीक़ करदी तो तनाक़ुज़ का कुछ असर नहीं यह भी ज़रूर है कि क़ाज़ी ने उसकी तकज़ीब न की हो तकज़ीब से तनाक़ुज़ उठ जाता है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.21:– किसी लोन्डी की निस्बत दावा किया कि यह मेरी मनकूहा है फिर यह कहता है मेरी मिल्क है यह तनाक़ुज़ है और दावाए मिल्क मस्मूअ् नहीं जिस तरह तनाक़ुज़ उसके लिये मानेअ् है दूसरे के लिये भी मानेअ् है मस्लन कहता है यह चीज़ फ़ुलां की है (दूसरे का नाम लेकर) उसने मुझे वकील बिलख़ुसूमत किया है यह तनाक़ुज़ है और मानेअ् दावा है हाँ अगर उसकी दोनों बातों में ततबीक़ मुमकिन हो तो मस्मूअ् होगा मस्लन इसी मिसाले मफ़रूज़ा में वह बयान देता है कि जब पहले मैं मुद्दई होकर आया था उस वक़्त वह चीज़ उसी की थी और उसने मुझे वकील किया था और अब यह चीज़ उसकी नहीं बल्कि इसकी है और उसने मुझे वकील किया है, तनाक़ुज़ की बहुत सी सूरतें हैं उसकी बाज़ मिसालें ज़िक्र की जाती है। एक शख़्स की निस्बत दावा करता है कि वह मेरा भाई है और मैं हाजत मन्द हूँ मेरा नफ़्क़ा उससे दिलवाया जाये उसने जवाब दिया कि यह मेरा भाई नहीं है उसके बाद मुद्दई मरगया और मुद्दाअ़लैह आता है और मीरास मांगता है और कहता है मेरे भाई का तर्का मुझको दिया जाये यह ना मस्मूअ् है। पहले एक चीज़ की निस्बत कहा यह वक़्फ़ है फिर कहता है मेरी मिल्क है ना मस्मूअ् है। पहले कोई चीज़ दूसरे की बताई फिर कहता है मेरी है यह ना मस्मूअ् है और अगर पहले अपनी बताई फिर दूसरे की तो मस्मूअ् है कि अपनी कहने का मतलब यह था कि उस चीज़ को ख़ुसूसियत के साथ बरतता था। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.22:– यह जो कहा गया कि तनाक़ुज़ मानेअ् दावा है इससे मुराद यह है कि ऐसी चीज़ में तनाक़ुज़ हो जिसका सबब ज़ाहिर था और जो चीज़ें ऐसी हैं जिनके सबब मख़्फ़ी होते हैं उनमें तनाक़ुज़ मानेअ् दावा नहीं मस्लन एक मकान ख़रीदा या किराये पर लिया फिर उसी मकान की निस्बत दावा करता है कि यह मेरे बाप ने मेरे लिये ख़रीदा जब मैं बच्चा था या मेरे बाप का मकान है जो बतौर विरासत मुझे मिला ब ज़ाहिर यह तनाक़ुज़ मौजूद है मगर मानेअ् दावा नहीं हो सकता कि पहले उसे इल्म न था इस बिना पर ख़रीदा अब जबकि मालूम हुआ यह कहता है अगर अपनी

पिछली बात गवाहों से साबित करदे तो मकान उसे मिल जायेगा। रूमाल में लपेटा हुआ कपड़ा ख़रीदा फिर कहता है यह तो मेरा ही था मैंने पहचाना न था यह बात मोअ्तबर है, दोनों भाईयों ने तर्का तक़सीम किया फिर एक ने कहा फ़ुलां चीज़ वालिद ने मुझे देदी थी अगर यह बात अपने बचपने की बताता है क़बूल है वरना नहीं। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.23:– नसब, त़लाक़, हुर्रियत इनके असबाब मख़फ़ी हैं इनमें तनाक़ुज़ मुज़िर नहीं मस्लन कहता है यह मेरा बेटा नहीं फिर कहा मेरा बेटा है नसब साबित होगया और अगर पहले कहा यह मेरा लड़का है फिर कहता है नहीं है तो यह दूसरी बात ना'मोअ्तबर है क्योंकि नसब साबित हो जाने के बाद मुनतफ़ी (ख़त्म होना) नहीं हो सकता यह उस वक़्त है कि लड़का भी उसकी तस्दीक़ करे और अगर उसने उसको अपना लड़का बताया मगर वह इनकार करता है तो नसब साबित नहीं हाँ लड़के ने इनकार के बाद फिर इक़रार कर लिया तो साबित होजायेगा। पहले कहा मैं फ़ुलां का वारिस नहीं फिर कहा वारिस् हूँ और मीरास् पाने की वजह भी बताता है तो बात मानली जायेगी, यह बात कि फ़ुलां शख़्स मेरा भाई है यह इक़रार मोअ्तबर नहीं यानी उस कहने की वजह से उसके बाप से उसका नसब साबित न होगा कि ग़ैर पर इक़रार करने का उसे कोई हक़ नहीं, यह कहा मेरा बाप फ़ुलां शख़्स है उसने भी मान लिया नसब साबित होगया फिर वह शख़्स दूसरे का नाम लेकर कहता है मेरा बाप फ़ुलां है यह बात ना'मस्मूअ् है कि पहले शख़्स के हक़ का इब्ताल है और अगर पहले शख़्स ने उसकी तस्दीक़ नहीं की है मगर तकज़ीब भी नहीं की है जब भी दूसरे को अपना बाप नहीं बना सकता। त़लाक़ में तनाक़ुज़ की सूरत यह है कि औरत ने अपने शौहर से ख़ुला कराया उसके बाद यह दावा किया कि शौहर ने तीन त़लाकें ख़ुला से पहले ही देदी थीं लिहाज़ा बदले ख़ुला वापस किया जाये यह दावा मस्मूअ् है अगर गवाहों से साबित कर देगी बदले ख़ुला वापस मिलेगा क्योंकि त़लाक़ में शौहर मुस्तक़िल है औरत की मौजूदगी या इल्म ज़रूर नहीं पहले औरत को मालूम न था इस लिये ख़ुला कराया अब मालूम हुआ तो बदले ख़ुला की वापसी का दावा किया, औरत ने शौहर के तर्का से अपना हिस्सा लिया दीगर वुरसा ने उसकी ज़ौजियत का इक़रार किया था फिर यही लोग कहते हैं कि उसके शौहर ने हालते सेहत में तीन त़लाकें देदी थीं अगर मोअ्तबर गवाहों से साबित करदें औरत से तर्का वापस लेलें। हुर्रियत की दो सूरतें हैं एक अस़ली दूसरी आरिज़ी अस़ली तो यह कि आज़ाद पैदा ही हुआ रुक़्क़ियत(गुलामी)उसपर तारी ही न हुई उसकी बिना उ़लूक़(नुत्फ़ा करार पाने)पर ही हो सकता है कि उसके माँ बाप हुर हैं मगर उसे इल्म नहीं यह लोगों से अपना गुलाम होना बयान करता है फिर उसे मालूम हुआ कि उसके वालिदैन आज़ाद थे अब आज़ादी का दावा करता है और हुर्रियते आरिज़ी की बिना इत्क़ पर है इत्क़ में मौला मुस्तक़िल व मुन्फ़रिद है हो सकता है कि उसने आज़ाद कर दिया और उसे ख़बर न हुई इस लिये अपने को गुलाम बताता है जब मालूम हुआ कि आज़ाद होचुका है आज़ाद कहता है। (दुरर, ग़ुरर)

मसअ्ला.24:– गुलाम ने ख़रीदार से कहा तुम मुझे ख़रीद लो मैं फ़ुलां का गुलाम हूँ ख़रीदार ने उसकी बात पर भरोसा किया उसे ख़रीद लिया अब मालूम हुआ कि वह गुलाम नहीं बल्कि आज़ाद है अगर बाइअ् यहाँ मौजूद है या ग़ायब है मगर मालूम है कि वह फ़ुलां जगह है तो उस गुलाम से मुत़ालबा नहीं होगा बाइअ् को पकड़ेंगे उससे समन वुसूल करेंगें और अगर बाइअ् लापता है या मरगया है और तर्का भी नहीं छोड़ा है तो उसी गुलाम से मुत़ालबा वुसूल किया जायेगा और तर्का छोड़ मरा है तो तर्का से वुसूल करें। ग़ुलाम से वुसूल किया है तो वह जब बाइअ् को पाये उससे वुसूल करे और अगर उसने सिर्फ़ इतना कहा कि मैं गुलाम हूँ या यह कहा मुझे ख़रीदलो तो उस से मुत़ालबा नहीं हो सकता। (दुर्रेमुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला.25:– सूरते मज़कूरा में उसने मुरतहिन (जिसके पास चीज़ रेहन रखी गई) से कहा मुझे रेहन रखलो मैं फ़ुलां ग़ुलाम हूँ उसने रख लिया बाद में मालूम हुआ ग़ुलाम नहीं हुर है तो चाहे राहिन

हाज़िर हो या गायब यह मालूम हुआ कि फुलां जगह है या मालूम न हो बहर हाल गुलाम से रक़म वुसूल न की जायेगी और अगर अजनबी ने कहा कि इसे ख़रीदलो यह गुलाम है और उसकी बात पर इत्मिनान करके ख़रीद लिया बाद में मालूम हुआ वह आज़ाद है उस अजनबी से ज़मान नहीं लिया जा सकता क्योंकि गैर ज़िम्मेदार शख़्स की बात मानना खुद धोखा खाना है और यह खुद उसका कुसूर है। (हिदाया)

मसअ्ला.26:– जायदादे गैर मन्कूला बैअ् करदी फिर दावा करता है कि यह जायदाद वक़्फ़ है और इस पर गवाह पेश करता है यह गवाह सुने जायेंगे। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.27:– एक चीज़ ख़रीदी और अभी उसपर क़ब्ज़ा भी नहीं किया कि मुस्तहिक़ ने दावा किया तो जब तक बाइअ् व मुश्तरी दोनों हाज़िर न हों वह दावा मस्मूअ् नहीं और अगर दोनों की मौजूदगी में मुस्तहिक़ के मुवाफ़िक़ फ़ैसला हुआ और उनमें से किसी ने यह साबित कर दिया कि मुस्तहिक़ ने ही उसको बाइअ् के हाथ बेचा था और बाइअ् ने मुश्तरी के हाथ तो गवाही मक़बूल है और बैअ् लाज़िम। (फ़तहुल क़दीर)

मसअ्ला.28:– मुस्तहिक़ ने गवाहों से यह साबित किया कि यह चीज़ मेरे पास से इतने दिनों से गायब है मसलन एक साल से मुश्तरी ने बाइअ् को यह वाक़िआ सुनाया बाइअ् ने गवाहों से यह साबित किया कि इस चीज़ का मैं दो वर्ष से मालिक हूँ इन दोनों बयानों का माहसल यह हुआ कि मुस्तहिक़ व बाइअ् दोनों ने मिल्के मुतलक़ का दावा किया है और बाइअ् ने मिल्क की तारीख़ बताई है मगर मुस्तहिक़ ने मिल्क की कोई तारीख़ नहीं बयान की क्योंकि मुस्तहिक़ यह कहता है कि इतने दिनों से यह चीज़ गायब होगई है यह नहीं बताता कि इतने दिनों से मैं उसका मालिक हूँ और ऐसी सूरत में यह हुक्म है कि ज़ुलयद का बय्यिना क़बूल नहीं होता ख़ारिज के गवाह मक़बूल होंगे और चीज़ मुस्तहिक़ को मिलेगी। (दुरर, गुरर)

मसअ्ला.29:– मुश्तरी को ख़रीदारी के वक़्त यह मालूम है कि चीज़ दूसरे की है बाइअ् की नहीं है बावजूद इसके ख़रीदली अब मुस्तहिक़ ने दावा करके वह चीज़ लेली तो भी मुश्तरी बाइअ् से समन वापस ले सकता है वह इल्म रुजूअ् से मानेअ् नहीं लिहाज़ा अगर लोन्डी को ख़रीदकर उम्मे वल्द बनाया था और जानता था कि बाइअ् ने उसे गसब किया है तो उसका बच्चा आज़ाद न होगा बल्कि गुलाम होगा और समन की वापसी के वक़्त अगर बाइअ् ने गवाहों से यह साबित भी किया कि खुद मुश्तरी ने मिल्के मुस्तहिक़ का इक़रार किया था तो भी समन की वापसी पर उसका कुछ असर न पड़ेगा जबकि मुस्तहिक़ ने गवाहों से अपनी मिल्क साबित की हो। (दुरर, गुरर)

मसअ्ला.30:– अगर मुश्तरी ने बाइअ् की मिल्क का इक़रार किया मगर मुस्तहिक़ ने अपना हक़ साबित करके चीज़ लेली और मुश्तरी ने समन वापस लिया जब भी बाइअ् के लिये जो पहले इक़रार कर चुका है वह बदस्तूर बाक़ी है यानी वह चीज़ किसी सूरत से मुश्तरी के पास फिर आजाये मसलन किसी ने उसको हिबा करदी या उसने फिर ख़रीदली तो उसको यही हुक्म दिया जायेगा कि बाइअ् को देदे और अगर मिल्के बाइअ् का इक़रार नहीं किया है तो उसकी ज़रूरत नही कि बाइअ् को दे। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.31:– मुश्तरी ने पूरी मबीअ् पर क़ब्ज़ा किया फिर उसके जुज़ का मुस्तहिक़ ने दावा किया तो उतने जुज़ की बैअ् फ़स्ख़ करदी जायेगी बाक़ी की बदस्तूर रहेगी हाँ अगर मबीअ् ऐसी चीज़ है कि एक जुज़ जुदा कर देने से उस में ऐब पैदा होजाता है मसलन मकान, बाग़, गुलाम है या मबीअ् दो चीज़ है मगर दोनों ब'मन्ज़िले एक चीज़ के हैं जैसे तलवार व म्यान और एक मुस्तहिक़ ने लेली तो मुश्तरी को इख़्तेयार है कि बाक़ी में बैअ् को बाक़ी रखे या वापस करदे और अगर यह दोनों बातें न हों मसलन मबीअ् दो गुलाम है या दो कपड़े और एक मुस्तहिक़ ने ले लिया या गल्ला वगैरा ऐसी चीज़ है जिस में तक़सीम मुज़िर न हो तो वापस नहीं कर सकता जो कुछ बची है उसे रखे और

जो कुछ मुस्तहिक़ ने लेली उतने का समन हिस्सा मुताबिक़ बाइअ़ से लेले। (दुरर गुरर)
मसअ्ला.32:– मबीअ़ के एक जुज़ पर अभी क़ब्ज़ा किया था कि मुस्तहिक़ ने उसी जुज़ या दूसरे जुज़ पर अपना हक़ साबित किया तो मुश्तरी को बैअ़ फ़स्ख़ कर देने का बहर हाल इख़्तेयार है हिस्सा करने में मबीअ़ में ऐब पैदा होता हो या न हो। (दुरर, गुरर)
मसअ्ला.33:– मकान के मुतअ़ल्लिक़ हक़्क़े मजहूल का दावा हुआ यानी मुद्दई ने इतना कहा कि मेरा इसमें हिस्सा है यह नहीं बताया कि कितना मुद्दाअ़लैह ने सौ रूपये देकर उससे मुसालहत करली फिर एक हाथ के अलावा सारा मकान दूसरे मुस्तहिक़ ने अपना साबित किया तो पहले जिससे सुलह हो चुकी है उससे कुछ नहीं ले सकता क्योंकि हो सकता है कि एक हाथ जो बेचा है वही उसका हो, और अगर पहले मुद्दई ने पूरे मकान का दावा किया और सौ रूपये पर सुलह हुई तो जितना मुस्तहिक़ लेगा उसके हिस्से के मुताबिक़ सौ रूपये में से वापस लिया जायेगा और मुस्तहिक़ ने कुल लिया तो पूरे सौ रूपये वापस लेगा। (हिदाया)
मसअ्ला.34:– एक शख़्स की दूसरे पर अशरफ़ियाँ हैं बजाये अशरफ़ियों के दोनों में रूपयों पर मुसालहत हुई और वह रूपये दे भी दिये उसके बाद एक तीसरे शख़्स ने इस्तेहक़ाक़ किया कि यह रूपये मेरे हैं तो अशरफ़ियों वाला उससे अशरफ़ियाँ लेगा और वह सुलह जो रूपये पर हुई थी बातिल होगई। (दुरर, गुरर)
मसअ्ला.35:– मकान ख़रीदा और उसमें तामीर की फिर किसी ने वह मकान अपना साबित कर दिया तो मुश्तरी बाइअ़ से सिर्फ़ समन ले सकता है इमारत के मसारिफ़ नहीं ले सकता यूँही मुश्तरी ने मकान की मरम्मत कराई थी या कुआँ खुदवाया या साफ़ कराया तो इन चीज़ों का मुआवज़ा नहीं मिल सकता और अगर दस्तावेज़ में यह शर्त लिखी हुई है कि जो कुछ मरम्मत में सर्फ़ होगा बाइअ़ के ज़िम्मे होगा तो बैअ़ ही फ़ासिद हो जायेगी, और अगर कुआँ खुदवाया और ईंट पत्थरों से वह जोड़ा गया तो खुदने के दाम नहीं मिलेंगे चुनाई की क़ीमत मिलेगी और अगर यह शर्त की थी कि बाइअ़ के ज़िम्मे खुदवाई होगी तो बैअ़ फ़ासिद है। (दुर्रेमुख़्तार)
मसअ्ला.36:– ग़ुलाम ख़रीदा और उसके माल के बदले में आज़ाद कर दिया फिर मुस्तहिक़ ने उसको अपना साबित किया तो मुश्तरी से वह माल नहीं ले सकता, मकान को ग़ुलाम के बदले में ख़रीदा और वह मकान शफ़ीअ़ ने शुफ़आ करके लेलिया फिर उस ग़ुलाम में इस्तेहक़ाक़ हुआ तो शुफ़आ बातिल होगया बाइअ़ उस मकान को शफ़ीअ़ से वापस लेगा। (दुर्रेमुख़्तार)

बैअ़ सलम का बयान

हदीस (1) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में इब्ने अ़ब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व सल्लम जब मदीने में तशरीफ़ लाये मुलाहिज़ा फ़रमाया कि अहले मदीना एक साल, दो साल, तीन साल तक फलों में सलम करते हैं फ़रमाया "जो बैअ़े सलम करे वह कैल मालूम और वज़न मालूम में मुद्दते मालूम तक के लिये सलम करे"।
हदीस (2) अबू दाऊद व इब्ने माजा अबू सईद ख़ुदरी रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया "जो किसी चीज़ में सलम करे वह क़ब्ज़ा करने से पहले तसर्रुफ़ न करे"।
हदीस (3) सहीह बुख़ारी शरीफ़ में मुहम्मद बिन अबी मुजालिद से मरवी कहते हैं कि अ़ब्दुल्लाह बिन शद्दाद और अबू हुरैरा ने मुझे अ़ब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुम के पास भेजा कि जाकर उनसे पूछो कि नबी सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व सल्लम के ज़माने में सहाबए किराम गेहूँ में सलम करते थे या नहीं मैंने जाकर पूछा उन्होंने जवाब दिया कि हम मुल्के शाम के काश्तकारों से गेहूँ और जौ और मुनक्क़े में सलम करते थे जिसका पैमाना मालूम होता और मुद्दत भी मालूम होती मैंने कहा उनसे करते होंगे जिनके पास अस्ल होती है यानी खेत या बाग़ होता।

उन्होंने कहा हम यह नहीं पूछते थे कि अस्ल उसके पास है या नहीं।
मसअ्ला.1:– बैअ् की चार सूरतें हैं (1)दोनों तरफ़ ऐन हो या (2)दोनों तरफ़ समन या (3)एक तरफ़ ऐन और एक तरफ़ समन अगर दोनों तरफ़ ऐन हो उसको मुक़ायिज़ा कहते हैं और दोनों तरफ़ समन हो तो उसको बैअ़े सर्फ़ कहते हैं और तीसरी सूरत में कि एक तरफ़ ऐन हो और एक तरफ़ समन उसकी दो सूरतें हैं अगर मबीअ् का मौजूद होना ज़रूरी हो तो बैअ़े मुतलक़ है (4)और समन का फ़ौरन देना ज़रूरी हो तो बैअ़े सलम है। लिहाज़ा सलम में जिसको खरीदा जाता है वह बाइअ् के ज़िम्मे दैन है और मुश्तरी समन को फिलहाल अदा करता है। जो रूपया देता है उसको रब्बुस्सलम और मुस्लिम कहते हैं और दुसरे को मुसलम इलैह और मबीअ् को मुसलम फ़ीह और समन को रासु'लमाल। बैअ़े मुतलक़ के जो अरकान हैं वह इसके भी हैं उसके लिये भी ईजाब व क़बूल ज़रूरी है एक कहे मैंने तुझसे सलम किया दूसरा कहे मैंने क़बूल किया, और बैअ् का लफ़्ज़ बोलने से भी सलम का इनइक़ाद होता है। (फ़तहुलक़दीर, दुर्रेमुख़्तार)

बैअ् सलम के शराइत

बैअ़े सलम के लिये चन्द शर्तें हैं जिनका लिहाज़ ज़रूरी है (1)अ़क़्द में शर्ते ख़्यार न हो न दोनों के लिये न एक के लिये (2)रासुल'माल की जिन्स का बयान कि रूपया है या अशर्फ़ी या नोट या पैसा (3)उसकी नोअ् (क़िस्म,वरायटी) का बयान यानी मस्लन अगर वहाँ मुख़्तलिफ़ क़िस्म के रूपये अशर्फ़ियाँ राइज हों तो बयान करना होगा कि किस क़िस्म के रूपये या अशर्फ़ियाँ हैं (4)बयाने वस्फ़ (ख़ूबियों का बयान) अगर खरे, खोटे कई तरह के सिक्के हों तो उसे भी बयान करना होगा (5)रासुल' माल की मिक़दार का बयान यानी अगर अ़क़्द का तअ़ल्लुक़ उसकी मिक़दार के साथ हो तो मिक़दार का बयान करना ज़रूरी होगा फ़क़त इशारा करके बताना काफ़ी नहीं मस्लन थैली में रूपये हैं तो यह कहना काफ़ी नहीं कि इन रूपयों के बदले में सलम करता हूँ बताना भी पड़ेगा कि यह सौ हैं और अगर अ़क़्द का तअ़ल्लुक़ उसकी मिक़दार से न हो मस्लन रासुल'माल कपड़े का थान या अ़ददी मुतफ़ावुत हो तो उसकी गिन्ती बताने की ज़रूरत नहीं इशारा करके मुअ़य्यन कर देना काफ़ी है अगर मुसलम फ़ी दो मुख़्तलिफ़ चीज़ें हों और रासुल'माल मकील या मौज़ूँ हों तो हर एक के मक़ाबिल में समन का हिस्सा मुक़र्रर करके ज़ाहिर करना होगा और मकील और मौज़ूँ न हो तो तफ़सील की हाजत नहीं अगर रासुल'माल दो मुख़्तलिफ़ चीज़ें हों मस्लन कुछ रूपये हैं और कुछ अशरफ़ियाँ तो उन दोनों की मिक़दार बयान करनी ज़रूर है एक की बयान करदी और एक की नहीं तो दोनों में सलम सहीह नहीं (6)उसी मज्लिसे अ़क़्द में रासुल'माल पर मुसलम इलैह का क़ब्ज़ा होजाये।
मसअ्ला.1:– इब्तिदा–ए–मज्लिस में क़ब्ज़ा हो या आख़िरे मज्लिस में दोनों जाइज़ हैं और अगर दोनों उसी मज्लिस से एक साथ उठ खड़े हुए और वहाँ से चल दिये मगर एक दूसरे से जुदा न हुआ और दो एक मील चलने के बाद क़ब्ज़ा हुआ यह भी जाइज़ है। (आलमगीरी)
मसअ्ला.2:– उसी मज्लिस में दोनों सोगये या एक सोया अगर बैठा हुआ सोया तो जुदाई नहीं हुई क़ब्ज़ा दुरुस्त है लेट कर सोया तो जुदाई होगई। (ख़ानिया)
मसअ्ला.3:– अ़क़्द किया और पास में रूपया न था अन्दर मकान में गया कि रूपया लाये अगर मुसलम इलैह के सामने है तो सलम बाक़ी है और आड़ होगई तो सलम बातिल, पानी में घुसा और ग़ोता लागाया अगर पानी मैला है ग़ोता लगाने के बाद नज़र नहीं आता सलम बातिल होगई और साफ़ पानी हो कि ग़ोता लगाने पर भी नज़र आता हो तो सलम बाक़ी है। (आलमगीरी)
मसअ्ला.4:– मुस्लम इलैह रासुल'माल पर क़ब्ज़ा करने से इनकार करता है यानी रब्बुस्सलम ने उसे रूपया दिया मगर वह नहीं लेता हाकिम उसको क़ब्ज़ा करने पर मजबूर करेगा। (आलमगीरी)
मसअ्ला.5:– दो सौ रूपये का सलम किया एक सौ उसी मज्लिस में देदिये और एक सौ के मुतअ़ल्लिक़ कहा कि मुसलम इलैह के ज़िम्मे मेरा बाक़ी है वह इसमें महसूब करले तो एक सौ जो

दिये हैं उनका दुरुस्त है और एक सौ का फ़ासिद (दुरर, गुरर) और वह दैन का रूपया भी उसी मज्लिस में अदा कर दिया तो पूरे में सलम सहीह है और अगर कुल एक जिन्स न हो बल्कि जो अदा किया है रूपया है और दैन जो उसके ज़िम्मे बाक़ी है अशरफ़ी है या उसका अक्स हो या वह दैन दूसरे के ज़िम्मे है मस्लन यह कहा कि इस रूपये के और उन सौ रूपयों के बदले में जो फ़ुलाँ के ज़िम्मे मेरे बाक़ी हैं सलम किया उन दोनों सूरतों में पूरा सलम फ़ासिद है और मज्लिस में उसने अदा भी कर दिये जब भी सलम सहीह नहीं (दुर्रेमुख़्तार) (7)मुसलम फ़ी की जिन्स बयान करना मस्लन गेहूँ या जौ (8)उसकी नोअ् (वराइटी) का बयान मसलन फ़ुलां क़िस्म के गेहूँ (9)बयाने वस्फ़ जय्यिद (उमदा) रद्दी, औसत दर्जा (10)नाप या तोल या अ़दद या गज़ों से उसकी मिक़दार का बयान कर देना।

मसअ्ला.6:– नाप में पैमाना या गज़ और तौल में सेर वग़ैरा बाट ऐसे हों जिसकी मिक़दार आम तौर पर लोग जानते हों वह लोगों के हाथ से मफ़क़ूद न होसके ताकि आइन्दा कोई नज़ा (झगड़ा) न होसके और अगर कोई बर्तन घड़ा या हांडी मुक़र्रर कर दिया कि इससे नाप कर दिया जायेगा और मा़लूम नहीं कि इस बर्तन में कितना आता है यह दुरुस्त नहीं यूँही किसी पत्थर को मुअ़य्यन कर दिया कि इससे तोला जायेगा और मा़लूम नहीं कि पत्थर का वज़न क्या है यह भी ना'जाइज़ या एक लकड़ी मुअ़य्यन करदी कि उससे नापा जायेगा और यह मा़लूम न हो कि गज़ से कितनी छोटी या बड़ी है या कहा फ़ुलां के हाथ से कपड़ा नापा जायेगा और यह मा़लूम नहीं कि उसका हाथ कितना गिरह और उंगल का है यह सब सूरतें ना'जाइज़ हैं और बैअ् में इन चीज़ों से नापना या वज़न करना क़रार पाता तो जाइज़ होती कि बैअ् में मबीअ् के नापने या तौलने के लिये कोई मीआ़द नहीं होती उसी वक़्त नाप तौल सकते हैं और समन में एक मुद्दत के बा़द नापने और तोलने में बहुत मुम्किन है कि इतना ज़माना गुज़रने के बा़द वह चीज़ बाक़ी न रहे और निज़ा़ वाक़ेअ् हो(हिदाया, आलमगीरी)

मसअ्ला.7:– जो पैमाना मुक़र्रर हो वह ऐसा हो कि सिमटता फैलता न हो मसलन प्याला हांडी घड़ा और अगर सिमटता फैलता हो जैसे थैली वग़ैरा तो सलम जाइज़ नहीं, पानी की मश्क अगरचे फैलती सिमटती है उसमें ब'वजहे रिवाज व अ़मल'दर'आमद सलम जाइज़ है (हिदाया) (11)मुसलम फ़ी देने की कोई मिक़दार मुक़र्रर हो और वह मीआ़द मा़लूम हो फ़ौरन देदेना क़रार पाया यह जाइज़ नहीं।

मसअ्ला.8:– कम से कम एक माह की मिक़दार मुक़र्रर की जाये, अगर रब्बुस्सलम मरजाये जब भी मीआ़द बदस्तूर बाक़ी रहेगी कि मीआ़द पर उसके वुरसा को मुसलम फ़ी अदा करेगा और मुसलम इलैह मरगया तो मीआ़द बातिल होगई कि फ़ौरन उसके तर्का से वुसूल करेगा (ख़ानिया) (12)मुसलम फ़ी वक़्ते अ़क़्द से ख़त्मे मीआ़द तक बराबर दस्तेयाब होता रहे न उस वक़्त मा़दूम (ख़त्म) हो न अदा के वक़्त मा़दूम हो न दरम्यान में किसी वक़्त भी वह नापैद हो, इन तीनों ज़मानों में से एक में भी मा़दूम हुआ तो सलम ना'जाइज़, उसके मौजूद होने के यह मा़ना हैं कि बाज़ार में मिलते हों और अगर बाज़ार में न मिले तो मौजूद न कहेंगे अगरचे घरों में पाया जाता हो।

मसअ्ला.9:– ऐसी चीज़ में सलम किया जो उस वक़्त से ख़त्मे मीआ़द तक मौजूद है मगर मीआ़द पूरी होने पर रब्बुस्सलम ने क़ब्ज़ा नहीं किया और अब वह चीज़ दस्तेयाब नहीं होती तो बैअ़े सलम सहीह है और रब्बुस्सलम को इख़्तेयार है कि अ़क़्द को फ़स्ख़ करदे या इन्तेज़ार करे जब भी वह चीज़ दस्तेयाब हो, बाज़ार में मिलने लगे उस वक़्त दी जायेगी। (आलमगीरी) अगर वह चीज़ एक शहर में मिलती है दूसरे में नहीं तो जहाँ मफ़क़ूद है वहाँ सलम ना'जाइज़ और जहाँ मौजूद है वहाँ जाइज़। (दुर्रेमुख़्तार) (13)मुसलम फ़ीह अगर ऐसी चीज़ हो जिसकी मज़दूरी बार'बर्दारी देनी पड़े तो वह जगह मुअ़य्यन करदी जाये जहाँ मुसलम फ़ीह अदा करे और अगर इस क़िस्म की चीज़ न हो जैसे मुश्क, ज़अ़फ़रान तो जगह मुक़र्रर करना ज़रूर नहीं, फिर इस सूरत में कि जगह मुक़र्रर करने की ज़रूरत नहीं अगर मुक़र्रर नहीं की है तो जहाँ अ़क़्द हुआ है वहीं ईफ़ा (ख़रीदार के हवाले) करे और दूसरी जगह किया जब भी हरज नहीं और अगर जगह मुक़र्रर होगई है तो जो मुक़र्रर हुई वहाँ ईफ़ा

करे, छोटे शहर में किसी महल्ला में देदे काफ़ी है महल्ला की तख़्सीस ज़रूर नहीं और बड़े शहर में बताने की ज़रूरत है कि किस महल्ला या शहर के किस हिस्से में अदा करना होगा।

मसअ्ला.10:– बैअ़े सलम का हुक्म यह है कि मुसलम इलैह सलम का मालिक होजायेगा और रब्बुस्सलम मुसलम फ़ीह का, जब यह अ़क़्द सहीह होगा और मुसलम इलैह ने वक़्त पर मुसलम फ़ीह को हाज़िर कर दिया तो रब्बुस्सलम को लेना ही है हाँ अगर शराइत के ख़िलाफ़ वह चीज़ है तो मुसलम इलैह को मजबूर किया जायेगा कि जिस चीज़ पर बैअ़े सलम मुनअ़क़िद हुई वह हाज़िर लाये। (आलमगीरी)

बैअ़् सलम किस चीज़ में दुरुस्त है और किस में नहीं

मसअ्ला.11:– बैअ़े सलम उस चीज़ की हो सकती है जिसकी सिफ़त का इनज़ेबात (ख़ास) होसके और उसकी मिक़्दार मा़लूम होसके वह चीज़ कैली हो जैसे गेहूँ या वज़्नी जैसे लोहा, ताम्बा, पीतल, या अ़ददी मुतक़ारिब जैसे अखरोट, अण्डा, पपीता, नाशपाती, नारंगी, इन्जीर वग़ैरा ख़ाम ईंट और पुख़्ता ईंटों में सलम सहीह है जबकि सांचा मुक़र्रर होजाये जैसे इस ज़माने में उमूमन दस इन्च तूल, 5 पाँच इन्च अ़र्ज़ की होती हैं यह बयान भी काफ़ी है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.12:– ज़रई चीज़ में सलम जाइज़ है जैसे कपड़ा उसके लिये ज़रूरी है कि तूल अ़र्ज़ मा़लूम हो और यह कि वह सूती है या टसरी या रेशमी या मुरक्कब (दो चीज़ों से मिली हुई) और कैसा बना हुआ होगा मसलन फ़ुलां शहर का, फ़ुलां कारख़ाना, फ़ुलां शख़्स का उसकी बनावट कैसी होगी बारीक होगा, मोटा होगा उसका वज़न क्या होगा जबकि बैअ़् में वज़न का एअ़्तेबार होता हो या़नी बा़ज़ कपड़े ऐसे होते हैं कि उनका वज़न में कम होना ख़ूबी है और बा़ज़ में वज़न का ज़्यादा होना (दुर्रेमुख़्तार) बिछौने, चटाईयाँ, दरियाँ, टाट, कंबल जब इनका तूल व अ़र्ज़ व सिफ़त सब चीज़ों की वज़ाहत होजाये तो उन में भी सलम हो सकता है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.13:– नये गेहूँ में सलम किया और अभी पैदा भी नहीं हुए हैं यह नाजाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.14:– गेहूँ, जौ अगरचे कैली हैं मगर सलम में उनकी मिक़्दार वज़न से मुक़र्रर हुई मस्लन इतने रूपये के इतने मन गेहूँ यह जाइज़ है क्योंकि यहाँ उस तरह मिक़्दार का ता़ईन हो जाना ज़रूरी है कि निज़ाअ़् बाक़ी न रहे और वज़न में यह बात हासिल है अलबत्ता जब उसका तबादला अपनी जिन्स से होगा तो वज़न से बराबरी काफ़ी नहीं नाप से बराबर करना ज़रूर होगा जिसको पहले हमने बयान कर दिया है।

मसअ्ला.15:– जो चीज़ें अ़ददी हैं अगर सलम में नाप या वज़न के साथ उनकी मिक़्दार का ता़ईन हुआ तो कोई हरज नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.16:– दूध, दही में भी बैअ़े सलम होसकती है नाप या वज़न जिस तरह चाहें उसकी मिक़्दार मुअ़य्यन करलें, घी तेल में भी दुरुस्त है वज़न से या नाप से। (आलमगीरी)

मसअ्ला.17:– भूसा में सलम दुरुस्त है उसकी मिक़्दार वज़न से मुक़र्रर करें जैसा कि आज कल अकसर शहरों में वज़न के साथ भुस बिका करता है या बोरियों के नाप मुक़र्रर हों जबकि उससे ता़ईन हो जाये वरना जाइज़ नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.18:– अ़ददी मुतफ़ावुत जैसे तरबूज़, कद्दु, आम, इन में गिन्ती से सलम जाइज़ नहीं। (दुर्रेमुख़्तार) और अगर वज़न से सलम किया हो कि अकसर जगह कद्दू वज़न से बिकता भी है इसमें वज़न से सलम करने में कोई हरज नहीं।

मसअ्ला.19:– मछली में सलम जाइज़ है ख़ुश्क मछली हो या ताज़ा, ताज़ा में यह ज़रूर है कि ऐसे मौसम में हो कि मछलियाँ बाज़ार में मिलती हों या़नी जहाँ हमेशा दस्तेयाब न हों कभी हों कभी नहीं वहाँ यह शर्त है मछलियाँ बहुत क़िस्म की होती हैं लिहाज़ा क़िस्म का बयान करना भी ज़रूरी है और मिक़्दार का ता़ईन वज़न से हो अ़दद से न हो क्योंकि उनके अ़दद में बहुत तफ़ावुत होता है, छोटी मछलियों में नाप से भी सलम दुरुस्त है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.20:– बैअ़े सलम किसी हैवान में दुरुस्त नही, न लोन्डी गुलाम में, न चौपाया में न परिन्द में हत्ता कि जो जानवर यकसाँ होते हैं मस्लन कबूतर, बटेर, फ़ाख़्ता, चिड़ियाँ, इन में भी सलम जाइज़ नहीं जानवरों की सिरी पाये में भी बैअ़े सलम दुरुस्त नहीं हाँ अगर ज़िन्स व नोअ़् बयान करके सिरी पावों में वज़न के साथ सलम किया तो जाइज़ है अब तफ़ावुत (डिफ़रेंट) बहुत कम रह जाता है(दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)
मसअ्ला.21:– लकड़ियों के गट्ठर में सलम अगर इस तरह करें कि इतने गट्ठर इतने रूपये में लेंगे यह ना'जाइज़ है कि इस तरह बयान करने से मिक़दार अच्छी तरह मालूम नहीं होती हाँ अगर गट्ठर का इन्ज़ेबात होजाये मस्लन इतनी बड़ी रस्सी से वह गट्ठर बांधा जायेगा और इतना लम्बा होगा और इस क़िस्म की बन्दिश होगी तो सलम जाइज़ है, तरकारियों में गड्डियों के साथ मिक़दार बयान करना मस्लन रूपया या इतने पैसों में इतनी गड्डियाँ फ़ुलाँ वक़्त ली जायेंगी यह भी नाजाइज़ है कि गड्डियाँ यकसाँ नहीं होतीं छोटी बड़ी होती हैं, और तरकारियों और ईंधन की लकड़ियों में वज़न के साथ सलम हो तो जाइज़ है। (दुर्रेमुख़्तार)
मसअ्ला.22:– जवाहिर और पोत में सलम दुरुस्त नहीं कि यह चीज़ें अ़ददी मुतफ़ावुत हैं छोटे मोती जो वज़न से फ़रोख़्त होते हैं उनमें अगर वज़न के साथ सलम किया जाये तो जाइज़ है। (दुर्रेमुख़्तार)
मसअ्ला.23:– गोश्त की नोअ़् व सिफ़त बयान करदी हो तो उसमें सलम जाइज़ है, चर्बी और दुम्बा की चक्की में भी सलम दुरुस्त है। (दुर्रेमुख़्तार)
मसअ्ला.24:– क़ुमक़ुमा और त़श्त में सलम दुरुस्त है जूते और मोज़े में भी जाइज है जबकि उनका ताईन होजाये कि निज़ा की सूरत बाक़ी न रहे। (दुरर, ग़ुरर)
मसअ्ला.25:– अगर मुअ़य्यन कर दिया कि फ़ुलां गाँव के गेहूँ या फ़ुलां दरख़्त के फल तो सलम फ़ासिद है क्योंकि बहुत मुमकिन है उस खेत या गाँव में गेहूँ पैदा न हों उस दरख़्त में फल न आयें और अगर इस निस्बत से मक़सूद बयाने सिफ़त है यह मक़सद नहीं कि ख़ास़ उसी खेत या गाँव का ग़ल्ला उसी दरख़्त के फल तो दुरुस्त है यूँही किसी ख़ास़ जगह की तरफ़ कपड़े को मन्सूब करदिया और मक़सूद उसकी सिफ़त बयान करना है तो सलम दुरुस्त है अगर मुसलम इलैह ने दूसरी जगह का थान दिया मगर वैसा ही है तो रब्बुस्सलम लेने पर मजबूर किया जायेगा। इससे मालूम हुआ कि अगर किसी मुल्क की तरफ़ इन्तेसाब हो तो सलम सहीह है मसलन पंजाब के गेहूँ कि यह बहुत बईद है कि पूरे पंजाब में गेहूँ पैदा ही न हों। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार, आ़लमगीरी)
मसअ्ला.26:– तेल में सलम दुरुस्त है जबकि उसकी क़िस्म बयान करदी गई हो मस्लन तिल का तेल, सरसों का तेल, और खुश्बूदार तेल में भी जाइज़ है मगर उसमें भी क़िस्म बयान करना ज़रूर है मसलन रोग़न गुल, चम्बेली, जूही वग़ैरा। (आ़लमगीरी)
मसअ्ला.27:– ऊन में सलम दुरुस्त है जबकि वज़न से हो और ख़ास़ भेड़ को मुअ़य्यन न किया हो, रुई, टसर, रेशम में भी दुरुस्त है। (आलमगीरी)
मसअ्ला.28:– पनीर और मक्खन में सलम दुरुस्त है जबकि इस तरह बयान करदिया गया है कि अहले सनअ़त (बनाने वाले) के नज़्दीक इश्तिबाह (शक) बाक़ी न रहे। शहतीर और कड़ियों और साखू शीशम वग़ैरा के बने हुए सामान में भी दुरुस्त है जबकि लम्बाई, चौड़ाई, मोटाई, और लकड़ी की क़िस्म वग़ैरह तमाम वह बातें बयान करदी जायें जिनके न बयान करने से निज़ा वाक़ेअ़् हो।(आलमगीरी)
मसअ्ला.29:– मुस्लम इलैह (बाइअ़्) रब्बुस्सलम (ख़रीदार) को रासुल'माल मुआफ़ नहीं कर सकता अगर उसने मुआफ़ कर दिया और रब्बुस्सलम ने क़बूल कर लिया सलम बातिल है और इनकार कर दिया तो बातिल नहीं। (आलमगीरी)

रासुल'माल और मुसलम फ़ीह पर क़ब्ज़ा और उनमें तसर्रुफ़

मसअ्ला.30:– मुस्लम इलैह रासुल'माल पर क़ब्ज़ा करने से पहले कोई तसर्रुफ़ नहीं कर सकता और रब्बुस्सलम मुसलम फ़ीह से कहे फ़ुलां से मैंने इतने मन गेहूँ में सलम किया है वह तुम्हारे हाथ

बेचे, न उसमें किसी को शरीक कर सकता कि किसी से कहे सौ रूपये से मैंने सलम किया है अगर तुम पचास देदो तो बराबर के शरीक होजाओ या उसमें तौलिया या मुराबहा करे यह सब तसर्रुफ़ात ना'जाइज़ अगर खुद मुस्लम इलैह के साथ यह उक़ूद किये मसलन उसके हाथ उन्हीं दामों में या ज़्यादा दामों में बैअ् कर डाली या उसे शरीक कर लिया यह भी ना'जाइज़ है, अगर रब्बुस्सलम ने मुसलम फ़ीह उसको हिबा करदिया और उसने क़बूल भी करलिया तो यह इक़ाल–ए–सलम क़रार पायेगा और हक़ीक़तन हिबा न होगा और रासुलमाल वापस करना होगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.31:– रासुल'माल जो चीज़ क़रार पाई है उसके एवज़ में दूसरी जिन्स की चीज़ देना जाइज़ नहीं मस्लन रूपये से सलम हुआ और उसकी जगह अशर्फ़ी या नोट दिया यह ना'जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.32:– मुसलम फ़ीह के बदले में दूसरी चीज़ लेना, देना ना'जाइज़ है हाँ अगर मुसलम इलैह ने मुसलम फ़ीह उससे बेहतर दिया जो ठहरा था तो रब्बुस्सलम उसके क़बूल से इनकार नही कर सकता और उससे घटिया पेश करता है तो इनकार कर सकता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.33:– कपड़े में सलम हुआ मुसलम इलैह उससे बेहतर कपड़ा लाया जो ठहरा था या मिक़दार में उससे ज़्यादा लाया और कहता यह है कि यह थान लेले और एक रूपया मुझे ओर दो रब्बुस्सलम ने देदिया यह जाइज़ है और यह रूपया जो ज़्यादा दिया है उस ख़ूबी के मक़ाबिल में क़रार पायेगा जो उस थान में है या ज़ायद मिक़दार के मक़ाबिल में, और अगर जो कुछ ठहरा था उससे घटिया लाया और कहता यह है कि उसी को लेलो और मैं एक रूपया वापस कर दूँगा यह ना'जाइज़ है और अगर घटिया पेश करता और यह फ़िक़रा रूपया वापस करने का न कहता और रब्बुस्सलम क़बूल कर लेता तो जाइज़ था और यही एक क़िस्म की मुआफ़ी है यानी अच्छाई जो एक सिफ़त थी उसने उसके बिग़ैर लेलिया और अगर मकील या मौज़ूँ में सलम हुआ है मसलन दस रूपये के पाँच मन गेहूँ ठहरे हैं अच्छे खरे गेहूँ लाया और कहता है एक रूपया और दो यह ना'जाइज़ है और पाँच मन से ज़्यादा लाया है और कहता है एक रूपया और दो या पाँच मन से कम लाया है और कहता है एक रूपया वापस लो यह जाइज़ है और अगर पाँच मन ख़राब लाया और एक रूपया वापस करने को कहता है यह ना'जाइज़ है। (ख़ानिया)

मसअ्ला.34:– मुसलम फ़ीह के मक़ाबिल में रब्बुस्सलम अगर कोई चीज़ अपने पास रेहन रखे दुरुस्त है। अगर रहन हलाक होजाये तो रब्बुस्सलम मुस्लम इलैह से कुछ मुतालबा नहीं कर सकता और मुस्लम इलैह मरगया और उसके ज़िम्मे बहुत से दुयून (क़र्ज़) हैं तो दूसरे क़र्ज़ख़्वाह उस रहन से दैन वुसूल करने का हक़दार नहीं है जब तक रब्बुस्सलम वुसूल न करले। (आलमगीरी)

मसअ्ला.35:– मुसलम फ़ीह की वुसूली के लिये रब्बुस्सलम उससे कफ़ील (ज़ामिन) ले सकता है और उसका हवाला भी दुरुस्त है अगर हवाला कर दिया कि यह गेहूँ फ़ुलां से वुसूल करलो तो खुद मुसलम इलैह मुतालबा से बरी होगया और किसी ने किफ़ालत की है तो मुसलम इलैह बरी नहीं बल्कि रब्बुस्सलम को इख़्तेयार है कफ़ील से मुतालबा करे या मुसलम इलैह से, यह नहीं हो सकता है कि रब्बुस्सलम कफ़ील से मुसलम फ़ीह की जगह पर कोई दूसरी चीज़ वुसूल करे, कफ़ील ने रब्बुस्सलम को मुसलम फ़ीह अदा करदिया मुस्लम इलैह से वुसूल करने में उसके बदले में दूसरी चीज़ ले सकता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.36:– मुस्लम इलैह ने किसी को कफ़ील किया कफ़ील ने मुसलम इलैह से मुसलम फ़ीह को बर वजहे किफ़ालत वुसूल किया फिर कफ़ील ने उसे बेचकर नफ़ा उठाया मगर रब्बुस्सलम को मुसलम फ़ीह देदिया तो यह नफ़ा उसके लिये हलाल है, और अगर मुसलम इलैह ने यह कहकर दिया कि उसे रब्बुस्सलम को पहुँचादे तो नफ़ा उठाना जाइज़ नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.37:– रब्बुस्सलम ने मुसलम इलैह से कहा इसे अपनी बोरियों में तोलकर रख दो या अपने मकान में तोलकर अलग करके रखदो उससे रब्बुस्सलम का क़ब्ज़ा नहीं हुआ यानी जबकि बोरियों में

रब्बुस्सलम की ग़ैर मौजूदगी में भरा हो या रब्बुस्सलम ने अपनी बोरियाँ दीं और यह कहकर चला गया कि इनमें भरदो उसने नाप या तोलकर भरदिया अब भी रब्बुस्सलम का क़ब्ज़ा नहीं हुआ कि अगर हलाक होगा तो मुसलम इलैह का हलाक होगा रब्बुस्सलम से कोई तअ़ल्लुक़ न होगा, और अगर उसकी मौदजूगी में बोरियों में ग़ल्ला भरा गया तो चाहे बोरियाँ उसकी हों या मुसलम इलैह की रब्बुस्सलम क़ाबिज़ होगया। अगर बोरी में रब्बुस्सलम का ग़ल्ला मौजूद हो और उसमें सलम का ग़ल्ला भी मुसलम इलैह ने डाल दिया तो रब्बुस्सलम का क़ब्ज़ा होगया और बैअ़े मुतलक़ में अपनी बोरियाँ देता और कहता है इसमें नापकर भरदो और वह भर देता तो उसका क़ब्ज़ा होजाता उसकी मौदजूगी में भरता या अ़दमे मौजूदगी में, यूँही अगर रब्बुस्सलम ने मुसलम इलैह से कहा उसका आटा पिसवादे उसने पिसवादिया तो आटा मुसलम इलैह का है रब्बुस्सलम का नहीं और बैअ़े मुतलक़ में मुश्तरी का होता और उसने कहा उसे पानी में फेंकदे उसने फेंकदिया तो मुसलम इलैह का नुक़सान हुआ रब्बुस्सलम से तअ़ल्लुक़ नहीं और बैअ़े मुतलक़ में मुश्तरी का नुक़सान होता।(हिदाया, फ़तहुल'क़दीर)

मसअ्ला.38:– ज़ैद ने अ़म्र से एक मन गेहूँ में सलम किया था जब मीआ़द पूरी हुई अ़म्र ने किसी से एक मन गेहूँ ख़रीदे ताकि ज़ैद को देदे और ज़ैद से कहदिया कि तुम उस से जाकर लेलो ज़ैद ने उससे लेलिये तो ज़ैद का मालिकाना क़ब्ज़ा नहीं हुआ और अगर अ़म्र यह कहे कि तुम मेरे नाइब होकर वुसूल करो फिर अपने लिये क़ब्ज़ा करो और ज़ैद एक मरतबा अ़म्र के लिये उनको तोले फिर दोबारा अपने लिये तोले अब सलम की वुसूली होगई और अगर अ़म्र ने ख़रीदा नहीं बल्कि क़र्ज़ लिया है और ज़ैद से कहदिया जाकर उससे सलम के गेहूँ लेलो तो उसका लेना स़हीह़ है यानी क़ब्ज़ा हो जायेगा। (हिदाया)

मसअ्ला.39:– बैअ़े सलम में यह शर्त ठहरी कि फ़ुलां जगह वह चीज़ देगा मुसलम इलैह ने दुसरी जगह वह चीज़ दी और कहा यहाँ से वहाँ तक की मज़दूरी मैं दूँगा रब्बुस्सलम ने चीज़ लेली यह क़ब्ज़ा दुरुस्त है मगर मज़दूरी लेना जाइज़ नहीं मज़दूरी जो लेचुका है वापस करे हाँ अगर उसको पसन्द नहीं करता कि मज़दूरी अपने पास से ख़र्च करे तो चीज़ वापस करदे और उससे कहदे कि जहाँ पहुँचाना ठहरा है वह ख़ुद मज़दूर करके या जैसे चाहे पहुँचाये। (आलमगीरी) यह त़य हुआ कि रब्बुस्सलम के मकान पर पहुँचायेगा और मुस्लम इलैह को अपने मकान का पूरा पता बता दिया है तो दुरूस्त है। (आलमगीरी)

बैअ़् सलम का इक़ाला

मसअ्ला.40:– सलम में इक़ाला दुरुस्त है यह भी होसकता है कि पूरे सलम में इक़ाला किया जाये और यूँ भी होसकता है कि उसके किसी जुज़ में इक़ाला करें अगर पूरे सलम में इक़ाला किया मीआ़द पूरी होने से क़ब्ल या बा़द रासुल'माल मुसलम इलैह के पास मौजूद हो या न हो बहर ह़ाल इक़ाला दुरुस्त है अगर रासुल'माल ऐसी चीज़ हो जो मुअ़य्यन करने से मुअ़य्यन होती है मस्लन गाय, बैल, भैंस या कपड़ा वग़ैरा और यह चीज़ बिऐनेही मुसलम इलैह के पास मौजूद है तो बिऐनेही उसी को वापस करना होगा और मौजूद न हो तो अगर मिस्ली है उसकी मिस्ल देनी होगी और क़ियमी हो तो क़ीमत देनी पड़ेगी और अगर रासुल'माल ऐसी चीज़ न हो जो मुअ़य्यन करने से मुअ़य्यन हो मस्लन रूपया अशर्फ़ी तो चाहे मौजूद हो या न हो उसकी मिस्ल देना जाइज़ है बिऐनेही उसी का देना ज़रूर नहीं। रब्बुस्सलम ने मुस्लम फ़ीह पर क़ब्ज़ा कर लिया है उसके बाद इक़ाला करना चाहते हैं अगर मुस्लम फ़ीह बिऐनेही मौजूद है इक़ाला होसकता है और बिऐनेही उसी चीज़ को वापस देना होगा और अगर मुसलम फ़ीह बाक़ी नहीं तो इक़ाला दुरुस्त नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.41:– सलम के इक़ाला में यह ज़रूरी नहीं कि जिस मज्लिस में इक़ाला हो उसी में रासुल'माल को वापस ले बा़द में लेना भी जाइज़ है। इक़ाला के बा़द यह जाइज़ नहीं कि क़ब्ज़ा से पहले रासुल'माल के बदले में कोई चीज़ मुसलम इलैह से ख़रीदले रासुल'माल पर क़ब्ज़ा करने के

बाद ख़रीद सकता है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.42:– अगर समन के किसी जुज़ में इक़ाला हुआ और मीआद पूरी होने के बाद हुआ तो यह इक़ाला भी सहीह है और मीआद पूरी होने से पहले हुआ और यह शर्त नहीं कि बाक़ी को मीआद से क़ब्ल अदा किया जाये यह भी सहीह है, और अगर यह शर्त है कि बाक़ी को क़ब्ले मीआद पूरी होने के अदा किया जाये तो शर्त बातिल है और इक़ाला सहीह। (आलमगीरी)

मसअ्ला.43:– कनीज़ वग़ैरा कोई उसी क़िस्म की चीज़ रासुल'माल थी और मुसलम इलैह ने उस पर क़ब्ज़ा भी करलिया फिर इक़ाला हुआ उसके बाद अभी कनीज़ वापस नहीं हुई मुसलम इलैह के पास मरगई तो इक़ाला सहीह है और कनीज़ पर जिस दिन क़ब्ज़ा किया था उस रोज़ जो क़ीमत थी वह अदा करे और कनीज़ के हलाक होने के बाद इक़ाला किया जब भी इक़ाला सहीह है कि सलम में मबीअ् मुसलम फ़ीह है और कनीज़ रासुल'माल व समन है न कि मबीअ्। (हिदाया)

मसअ्ला.44:– रब्बुस्सलम ने मुसलम फ़ीह को मुसलम इलैह के हाथ रासुल'माल के बदले में बेच डाला तो यह इक़ाला सहीह नहीं है बल्कि तसर्रुफ़ ना'जाइज़ है। रासुल'माल से ज़्यादा में बैअ् किया जब भी ना'जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.45:– सौ रूपये रासुल'माल हैं यह मुसालहत हुई कि मुसलम इलैह रब्बुस्सलम को दो सौ या डेढ़ सौ वापस देगा और सलम से दस्त'बर्दार होगा यह ना'जाइज़ व बातिल है यानी इक़ाला सहीह है मगर रासुल'माल से जो कुछ ज़्यादा वापस देना क़रार पाया है वह बातिल है सिर्फ़ रासुल'माल ही वापस करना होगा और अगर पचास रूपये में मुसालहत हुई तो निस्फ़ सलम का इक़ाला हुआ और निस्फ़ ब'दस्तूर बाक़ी है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.46:– रब्बुस्सलम और मुसलम इलैह में इख़्तिलाफ़ हुआ मुसलम इलैह यह कहता है कि ख़राब माल देना क़रार पाया था रब्बुस्सलम यह कहता है यह शर्त थी ही नहीं न अच्छे की न बुरे की या एक कहता है एक माह की मीअ़द थी दूसरा कहता है कोई मीआद ही न थी तो उसका क़ौल मोअ्तबर होगा जो ख़राब अदा करने की शर्त या मीआद ज़ाहिर करता है जो मुन्किर है उसका क़ौल मोअ्तबर नहीं कि यह एक दम इस ज़िम्न में सलम को ही उड़ा देना चाहता है और अगर मीआद की कमी बेशी में इख़्तिलाफ़ हुआ तो उसका क़ौल मोअ्तबर होगा जो कम बताता है यानी रब्बुस्सलम का क्योंकि यह मुद्दत कम बतायेगा ताकि जल्द मुसलम फ़ीह को वुसूल करे और अगर मीआद के गुज़र जाने में इख़्तेलाफ़ हुआ एक कहता है गुज़रगई दूसरा कहता है बाक़ी है तो उसका क़ौल मोअ्तबर है जो कहता है अभी बाक़ी है यानी मुसलम इलैह का और अगर दोनों गवाह पेश करें तो गवाह भी उसी के मोअ्तबर हैं। (हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.47:– अक़्द सलम जिस तरह खुद कर सकता है वकील से भी करा सकता है यानी समन के लिये किसी को वकील बनाया यह तौकील दुरुस्त है और वकील को तमाम उन शराइत का लिहाज़ करना होगा जिनपर सलम का जवाज़ मौक़ूफ़ है। इस सूरत में वकील से मुतालबा होगा और वकील ही मुतालबा भी करेगा यही रासुल'माल मज्लिसे अक़्द में देगा और यही मुसलम फ़ीह वुसूल करेगा। अगर वकील ने मुअक्किल के रूपये दिये हैं मुसलम फ़ीह वुसूल करके मोअक्किल को देदे और अपने रूपये दिये हैं तो मुअक्किल से वुसूल करे और अगर अब तक वुसूल नहीं हुए तो मुसलम फ़ीह पर क़ब्ज़ा करके उसे मोअक्किल से रोक सकता है जब तक मोअक्किल रूपया न दे यह चीज़ न दे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.48:– वकील ने अपने बाप, माँ या बेटे या बीवी से अक़्दे सलम किया यह ना'जाइज़ है।(खा)

इस्तिस्नाअ् का बयान

कभी ऐसा होता है कारीगर को फ़रमाइश देकर चीज़ बनवाई जाती है उसको इस्तिस्नाअ् कहते हैं अगर इसमें कोई मीआद मज़कूर हो और वह एक माह से कम की न हो तो वह सलम है तमाम वह शाराइत जो बैअ़ सलम में मज़कूर हुए उनकी मुराआत की जाये यहाँ यह नहीं देखा जायेगा कि उसके बनवाने का चलन और रिवाज मुसलमानों में है या नहीं बल्कि सिर्फ़ यह देखेंगे कि इसमें सलम जाइज़ है या नहीं अगर मुद्दत ही न हो या एक माह से कम की मुद्दत हो तो इस्तिस्नाअ् है और उसके जवाज़ के लिये तआमुल ज़रूरी है यानी जिसके बनवाने का रिवाज है जैसे मोज़े, जूता, टोपी, वग़ैरा इस में इस्तिस्नाअ् दुरुस्त है और जिस में रिवाज न हो जैसे कपड़ा बुनवाना, किताब छपवाना इस में सहीह नहीं। (दुर्रेमुख़्तार वग़ैरह)

मसअ्ला.1:– उलमा का इख़्तिलाफ़ है कि इस्तिस्नाअ् को बैअ् क़रार दिया जाये या वादा जिसको बनवाया जाता है वह मादूम शय है और मादूम की बैअ् नहीं होसकती लिहाज़ा वादा है जब कारीगर बनाकर लाता है उस वक़्त बतौरे तआती बैअ् होजाती है मगर सहीह यह है कि यह बैअ् ही तआमुल ने ख़िलाफ़े क़यास इस बैअ् को जाइज़ किया अगर वादा होता तो तआमुल की ज़रूरत न होती। हर जगह इस्तिस्नाअ् जाइज़ होता, इस्तिस्नाअ् में जिस चीज़ पर अ़क़्द है वह चीज़ है, कारीगर का अ़मल माक़ूद अ़लैह नहीं, लिहाज़ा अगर दूसरे की बनाई हुई चीज़ लाया अ़क़्द से पहले बना चुका था वह लाया और उसने लेली दुरुस्त है और अ़मल माक़ूद अ़लैह होता तो दुरुस्त न होता। (हिदाया)

मसअ्ला.2:– जो चीज़ फ़रमाइश की बनाई गई वह बनवाने वाले के लिये मुतअ़य्यन नहीं जब वह पसन्द करले उसकी होगी और अगर कारीगर ने उसके दिखाने से पहले ही बेच डाली तो बैअ् सहीह है और बनवाने वाले के पास पेश करने पर कारीगर को यह इख़्तेयार नहीं कि उसे न दे दूसरे को देदे बनवाने वाले को इख़्तेयार है कि ले या छोड़दे, अ़क़्द के बाद कारीगर को यह इख़्तेयार नहीं कि न बनाये, अ़क़्द होजाने के बाद बनाना लाज़िम है। (हिदाया)

बैअ् के मुतफ़र्रिक़ मसाइल

मसअ्ला1:– मिट्टी की गाय, बैल, हाथी, घोड़ा और उनके इलावा दूसरे खिलौने बच्चों को खेलने के लिये ख़रीदना ना'जाइज़ है और उन चीज़ों की कोई क़ीमत भी नहीं अगर कोई शख़्स इन्हें तोड़ फोड़दे तो उस पर तावान भी वाजिब नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.2:– कुत्ता, बिल्ली, हाथी, चीता, बाज़, शिकरा, बहरी इन सब की बैअ् जाइज़ है, शिकारी जानवर मुअ़ल्लिम (सिखाये हुये) या ग़ैर मुअ़ल्लिम दोनों की बैअ् सहीह है मगर यह ज़रूर है कि क़ाबिले तालीम हों, कटख़ना कुत्ता जो क़ाबिले तालीम नहीं है उसकी बैअ् दुरुस्त नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.3:– बन्दर को खेल और मज़ाक़ के लिये ख़रीदना मना है और उसके साथ खेलना और तमस्ख़ुर (हँसी, मज़ाक़) करना हराम। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.4:– जानवर या ज़राअ़त या खेती या मकान की हिफ़ाज़त के लिये या शिकार के लिये कुत्ता पालना जाइज़ है और यह मक़ासिद न हों तो पालना ना'जाइज़ और जिस सूरत में पालना जाइज़ है उसमें भी मकान के अन्दर न रखे अलबत्ता अगर चोर या दुशमन का ख़ौफ़ है तो मकान के अन्दर भी रख सकता है। (फ़तहुलक़दीर)

मसअ्ला.5:– मछली के सिवा पानी के तमाम जानवर मेंढक, केकड़ा वग़ैरह और हशरातुल'अर्द, चूहा, छछूंदर, घूंस, छिपकली, गिरगिट, गोह, बिच्छू, चींटी की बैअ् ना'जाइज़ है। (फ़तहुल'क़दीर)

मसअ्ला.6:– काफ़िरे ज़िम्मी बैअ् की सेहत व फ़साद के मामले में मुस्लिम के हुक्म में है यह बात अल'बत्ता है कि अगर वह शराब व ख़िन्ज़ीर की बैअ् व शिरा करें तो हम उनसे तआरुज़ न करेंगे(हिदाया)

मसअ्ला.7:– काफ़िर ने अगर मुसहफ़ शरीफ को ख़रीदा है तो उसे मुसलमान के हाथ फ़रोख़्त करने पर मजबूर करेंगें। (तनवीर)

मसअ्ला.8:– एक शख़्स ने दूसरे से कहा तुम अपनी फ़ुलां चीज़ फ़ुलां शख़्स के हाथ हज़ार रूपये में बैअ् करदो और हज़ार रूपये के इलावा पाँच सौ समन का मैं ज़ामिन हूँ उसने बैअ् करदी यह बैअ् जाइज़ है हज़ार रूपये मुश्तरी से लेगा और पाँच सौ ज़ामिन से और अगर ज़ामिन ने समन का लफ़्ज़ नहीं कहा तो हज़ार ही रूपये में बैअ् हुई ज़ामिन से कुछ नहीं मिलेगा। (हिदाया)

मसअ्ला.9:– एक शख़्स ने कोई चीज़ ख़रीदी और मबीअ् पर न क़ब्ज़ा किया न समन अदा किया और ग़ायब होगया मगर मा'लूम है कि फ़ुलां जगह है तो क़ाज़ी यह हुक्म नहीं देगा कि उसे बेचकर समन वुसूल करे और अगर मा'लूम नहीं कि वह कहाँ है और गवाहों से क़ाज़ी के सामने उसने बैअ् साबित करदी तो क़ाज़ी या उसका नाइब बैअ् करके समन अदा करदे अगर कुछ बच रहे तो उसके लिये महफ़ूज़ रखे और कमी पड़े तो मुश्तरी जब मिल जाये उससे वुसूल करे। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.10:– दो शख़्सों ने मिलकर कोई चीज़ एक अ़क़्द में ख़रीदी और उनमें से एक ग़ायब होगया मा'लूम नहीं कहाँ है जो मौजूद है वह पूरा समान देकर बाइअ् से चीज़ ले सकता है बाइअ् देने से इनकार नहीं कर सकता यह नहीं कह सकता कि जब तक तुम्हारा साथी नहीं आयेगा मैं तुमको तनहा नहीं दूँगा और जब मुश्तरी ने पूरा समन देकर मबीअ् पर क़ब्ज़ा करलिया अब उसका साथी आजाये तो उसके हिस्से का समन वुसूल करने के लिये मबीअ् पर क़ब्ज़ा देने से इन्कार कर सकता है, कह सकता है कि जब तक समन नहीं अदा करोगे क़ब्ज़ा नहीं दूँगा और यह या'नी बाइअ् का मुश्तरी हाज़िर को पूरी मबीअ् देना उस वक़्त है जबकि मबीअ् ग़ैर मिस्ली (या'नी उसकी मिस्ल न हो) क़ाबिले क़िस्मत (तक़सीम होने के क़ाबिल) न हो जैसे जानवर लोन्डी गुलाम और अगर क़ाबिले क़िस्मत हो जैसे गेहूँ वग़ैरह तो सिर्फ़ अपने हिस्से पर क़ब्ज़ा कर सकता है कुल मबीअ् पर क़ब्ज़ा देने के लिये बाइअ् मजबूर नहीं। (हिदाया, फ़तह, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.11:– यह कहा कि यह चीज़ हज़ार रूपये और अशर्फ़ियों में ख़रीदी तो पाँच सौ रूपये और पाँच सौ अशर्फ़ियाँ देनी होंगी तमाम मुआ़मलात में यह क़ायदा कुल्लिया है कि जब चन्द चीज़ें ज़िक्र की जायें तो वज़न या नाप या अ़दद उन सब के मजमूआ़ से पूरा करेंगे और सबको बराबर बराबर लेंगे। महर, बदले खुला, वसियत, वदीअ़त, इजारा, इक़रार, ग़सब सब का वही हुक्म है जो बैअ् का है मसलन किसी ने कहा फ़ुलां शख़्स के मुझ पर एक मन गेहूँ और जौ हैं तो निस्फ़ मन गेहूँ और निस्फ़ मन जौ देने होंगे या कहा एक सौ अण्डे, अख़रोट, सेब, हैं तो हर एक में से सौ की एक एक तिहाई, सौ गज़ फ़ुलां फ़ुलां कपड़ा तो दोनों के पचास पचास गज़। (हिदाया, फ़तह, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.12:– मकान ख़रीदा बाइअ् से कहता है दस्तावेज़ लिखदो बाइअ् दस्तावेज़ लिखने पर मजबूर नहीं और इस पर भी मजबूर नहीं किया जासकता कि घर से जाकर दूसरों को इस बैअ् का गवाह बनाये हाँ अगर दस्तावेज़ का कागज़ और गवाहाने आ़दिल उसके पास मुश्तरी लाया तो सिकाक (दस्तावेज़ लिखने वाला) और गवाहों के सामने इनकार नहीं कर सकता मजबूर है कि इक़रार करे वरना हाकिम के सामने मुआ़मला पेश किया जायेगा और वहाँ अगर इक़रार करे तो गोया बैअ् की रजिस्ट्री होगई। (दुर्रेमुख़्तार,रद्दुलमुहतार) यह उस ज़माने की बातें हैं जब शरीअ़त पर लोग अ़मल करते थे और किज़्ब ो फ़साद से गुरेज़ करते थे इस्लाम के मुताबिक़ बैअ् व शिरा करते थे इस ज़मान–ए–फ़साद में अगर दस्तावेज़ न लिखी जाये तो बैअ् करके मुकरते हुए कुछ देर भी न लगे और बिग़ैर दस्तावेज़ बल्कि बिला रजिस्ट्री अंग्रेज़ी कचहरियों में मुश्तरी की कोई बात न पूछे इस ज़माने में एहयाये हक़ (हक़ को ज़िन्दा रखने) की यही सूरत है कि दस्तावेज़ लिखी जाये और उसकी रजिस्ट्री हो लिहाज़ा बाइअ् को इस ज़माने में उससे इनकार की कोई वजह नहीं।

मसअ्ला.13:– पुरानी दस्तावेज़ जिनके ज़रिये से यह शख़्स मकान का मालिक है मुश्तरी तलब करता है बाइअ् को उसपर मजबूर नहीं किया जासकता कि मुश्तरी को देदे हाँ अगर ज़रूरत पड़े कि बिग़ैर उन दस्तावेज़ों के काम नहीं चलता मसलन किसी ने यह मकान ग़सब कर लिया और

गवाहों से कहा जाता है शहादत दो कि यह मकान फुलां का था वह कहते हैं जब तक हम दस्तावेज़ में अपने दस्तख़त न देखलें गवाही नहीं देंगे ऐसी सूरत में दस्तावेज़ का पेश करना ज़रूरी है कि बिग़ैर उसके इहयाये हक़ नहीं होता। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.14:– शौहर ने रुई ख़रीदी औरत ने उसका सूत काता कुल सूत शौहर का है औरत को कातने की उजरत भी नहीं मिल सकती। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.15:– औरत ने अपने माल से शौहर को कफ़न दिया या वुरसा में से किसी ने मय्यित को कफ़न दिया अगर वैसा ही कफ़न है जैसा देना चाहिये तो तर्का में से उसका सरफ़ा ले सकता है और उससे बेश है तो जो कुछ ज़्यादती है वह नहीं मिलेगी और अजनबी ने कफ़न दिया है तो तबर्रोअ् है उसे कुछ नहीं मिल सकता। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.16:– हराम तौर पर कसब किया या पराया माल ग़सब कर लिया और उसस कोई चीज़ ख़रीदी उसकी चन्द सूरतें हैं, (1)बाइअ् को यह रूपया पहले देदिया फिर उसके एवज़ में चीज़ ख़रीदी (2)या उसी हराम रूपये को मोअय्यन करके उससे चीज़ ख़रीदी और यही रूपया दिया। (3)उसी हराम से ख़रीदी मगर दूसरा रूपया दिया (4)ख़रीदने में उसको मुअय्यन नहीं किया यानी मुतलक़न कहा एक रूपये की चीज़ दो और यह हराम रूपया दिया। (5)दूसरे रूपये से चीज़ ख़रीदी और हराम रूपया दिया पहली दो सूरतों में मुश्तरी के लिये वह बैअ् हलाल नहीं और उससे जो कुछ नफ़ा हासिल किया वह भी हलाल नहीं बाक़ी तीन सूरतों में हलाल। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.17:– किसी जाहिल शख़्स को बतौरे मुज़ारबत रूपये दिये मालूम नहीं कि जाइज़ तौर पर तिजारत करता है या ना'जाइज़ तौर पर तो नफ़ा में उसको हिस्सा लेना जाइज़ है जब तक यह मालूम न हो कि उसने हराम तौर पर कसब किया है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.18:– किसी ने अपना कपड़ा फेंकदिया और फेंकते वक़्त यह कहदिया जिसका जी चाहे लेले तो जिसने सुना लेसकता है और जो लेगा मालिक होजायेगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.19:– बाप ने ना'बालिग़ औलाद की ज़मीन बैअ् करडाली अगर उसके चाल चलन अच्छे हों या मस्तूरुलहाल है तो बैअ् दुरुस्त है और अगर बद चलन है माल को ज़ाइअ् करने वाला है तो बैअ् ना'जाइज़ है यानी नाबालिग़ बालिग़ होकर उस बैअ् को तोड़ सकता है हाँ अगर अच्छे दामों में बेची है तो बैअ् सहीह है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.20:– माँ ने बच्चे के लिये कोई चीज़ ख़रीदी इस तौर पर कि समन उससे नहीं लेगी तो यह ख़रीदना दुरुस्त है और यह बच्चे के लिये हिबा क़रार पायेगा उसको यह इख़्तेयार नहीं कि बच्चे को दे। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.21:– मकान ख़रीदा और उसमें चमड़ा पकाता है या उसको चमड़े का गोदाम बनाया है जिससे पड़ोसियों को अज़िय्यत होती है अगर वक़्ती तौर पर है यह मुसीबत बरदाश्त की जा सकती है और उसका सिलसिला बराबर जारी है तो उस काम से वहाँ रोका जायेगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.22:– बकरी का गोश्त कहकर ख़रीदा और निकला भेंड़ का या गाय का कहकर लिया और निकला भैंस का या ख़स्सी का गोश्त लिया और मालूम हुआ कि ख़स्सी का नहीं इन सब सूरतों में वापस कर सकता है। (दुर्रेमुख़्तार वग़ैरह)

मसअ्ला.23:– शीशे के बर्तन बेचने वाले से बर्तन का नर्ख़ कर रहा था उसने एक बर्तन देखने के लिये उसे दिया देख रहा था कि उसके हाथ से छूटकर दूसरे बर्तनों पर गिरा और सब टूट गये तो जो उसके हाथ से गिरकर टूटा उसका तावान नहीं और उसके गिरने से जो दूसरे टूटे उनका तावान देना पड़ेगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.24:– गेहूँ में जौ मिला दिये हैं अगर जौ ऊपर ही दिखाई देते हैं तो बैअ् में हरज नहीं और उनका आटा पिसवा लिया है तो उसका बेचना जाइज़ नहीं जब तक यह ज़ाहिर न करदे कि इस में इतने गेहूँ हैं और इतने जौ। (दुर्रेमुख़्तार)

क्या चीज़ शर्ते फ़ासिद से फ़ासिद होती है और किस को शर्त पर मोअल्लक़ कर सकते हैं

तम्बीहः– क्या चीज़ शर्त से फ़ासिद होती है और क्या नहीं होती और किस को शर्त पर मुअल्लक़ कर सकते हैं और किसको नहीं कर सकते उसका क़ायदा कुल्लिया (आम नियम) यह है कि जब माल को माल से तबादला किया जाये वह शर्ते फ़ासिद से फ़ासिद होगा जैसे बैअ् कि शुरूते फ़ासिदा से बैअ् ना जाइज़ हो जाती है जिसका बयान पहले मज़कूर हुआ और जहाँ माल को माल से बदलना न हो वह शर्ते फ़ासिद से फ़ासिद नहीं ख़्वाह माल को गैर माल से बदलना हो जैसे निकाह, तलाक़, खुला अ़ललमाल या अज़ क़बीले तबर्रोआत (एहसान) हो जैसे हिबा। वसियत इनमें खुद वह शुरूते फ़ासिदा ही बातिल हो जाती हैं और क़र्ज़ अगरचे इन्तेहाअन मुबादला है मगर इब्तेदाअन चूँकि तबर्रोअ् है शर्ते फ़ासिद से फ़ासिद नहीं। **दूसरा क़ायदा यह है** कि जो चीज़ अज़ क़बीले तम्लीक या तक़लीद हो उसकी शर्त पर मुअ़ल्लक़ (डिपेन्ड) नहीं कर सकते तम्लीक की मिसाल बैअ्, इजारह, हिबा, सदक़ा, निकाह, इक़रार वग़ैरह। तक़यीद की मिसाल रजअ़त, वकील को माज़ूल करना, गुलाम के तसर्रुफ़ात रोक देना, और अगर तम्लीक व तक़ईद न हो बल्कि अज़क़बीले इसक़ात हो जैसे तलाक़ या अज़ क़बीले इलतेज़ामात (जैसे नमाज़, रोज़ा) या इतलाक़ात (जैसे गुलाम को तिजारत की इजाज़त देना) या वलायात (किसी का क़ाज़ी या ख़लीफ़ा बनाना) या तहरीज़ात (किसी काम करने को उभारना) हो तो शर्त पर मुअ़ल्लक़ कर सकते हैं। वह चीज़ें जो शर्ते फ़ासिद से फ़ासिद होती हैं और उनको शर्त पर मुअ़ल्लक़ नहीं कर सकते इसबे ज़ेल हैं उनमें बाज़ वह हैं कि उनकी तालीक़ दरुस्त नहीं है मगर उन में शर्त लगा सकते हैं, (1)बैअ्, (2)तक़सीम, (3)इजारा, (4)इजाज़ा (5)रजअ़त, (6)माल से सुलह, (7)दैन से इबरा यानी दैन की मुआफी, (8)मुज़ारअ़ह, (9)मुआमला, (10)इक़रार, (11)वक़्फ़, (12)तहकीम, (13)अ़ज़ले वकील, (14)एअ़्तेकाफ़। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार, बहर)

मसअ्ला.25:– यह पहले बयान कर आये हैं कि शर्ते फ़ासिद से बैअ् फ़ासिद होजाती है। अगर अ़क़्द में शर्त दाख़िल नहीं है मगर बादे अ़क़्द मुत्तसेलन शर्त ज़िक्र करदी तो अ़क़्द सहीह है मसलन लकड़ियों का गट्ठा ख़रीदा और ख़रीदने में कोई शर्त न थी फ़ौरन ही यह कहा तुम्हें मेरे मकान पर पहुँचाना होगा।(रद्दुलमो)

मसअ्ला.26:– बैअ् को किसी शर्त पर मुअ़ल्लक़ किया मसलन फुलां काम होगा या फुलां शख़्स आयेगा तो मेरे तुम्हारे दरम्यान बैअ् है यह बैअ् सहीह नहीं सिर्फ़ एक सूरत उसकी जवाज़ की है वह यह कि यूँ कहा अगर फुलां शख़्स राज़ी हुआ तो बैअ् है और उसमें तीन दिन तक की मुद्दत मज़कूर हो कि यह शर्ते ख़्यार है और अजनबी को भी ख़्यार दिया जा सकता है जिसका बयान गुज़र चुका है। (बहर)

मसअ्ला.27:– तक़सीम की सूरत यह है कि लोगों के ज़िम्मे मय्यित के दैन हैं वुरसा ने तर्का को इस तरह तक़सीम किया कि फुलां शख़्स दैन ले और बाक़ी वुरसा ऐन (जो चीज़ें मौजूद हैं) लेंगे यह तक़सीम फ़ासिद है या यूँ कि फुलां शख़्स नक़द (रूपया, अशर्फी) ले और फुलां शख़्स सामान या उस शर्त से तक़सीम की कि फुलां उसका मकान हज़ार रूपये में ख़रीदले या फुलां चीज़ हिबा करदे या सदक़ा करदे यह सब सूरतें फ़ासिद हैं और अगर यूँ तक़सीम हुई कि फुलां को हिस्सा से फुलां चीज़ ज़ायद दी जाये या मकान तक़सीम हुआ और एक के ज़िम्मा कुछ रूपये कर दिये गये कि इतने रूपये शरीक को दे यह तक़सीम जाइज़ है। (बहर)

मसअ्ला.28:– इजारा की सूरत यह है कि यह मकान तुमको किराये पर दिया अगर फुलां शख़्स कल आजाये या इस शर्त से कि किरायादार इतना रूपया क़र्ज़ दे या यह चीज़ हदिया करे यह इजारह फ़ासिद है, दुकान किराये पर दी और शर्त यह की कि किरायेदार उसकी तामीर या मरम्मत कराये या दरवाज़ा लगवाये या कहगिल कराये और जो कुछ ख़र्च हो किराये में मुजरा करे इस तरह इजारह फ़ासिद है किरायादार पर दुकानदार का वाजिबी किराया जो होना चाहिये वह वाजिब

है वह नहीं जो बाहम तय हुआ और जो कुछ मरम्मत कराने में ख़र्च हुआ वह लेगा बल्कि निगरानी और बनवाने की उजरत मिस्ल भी पायेगा। (बहर)

मसअ्ला.29:– एक शख़्स ने दूसरे का मकान ग़सब कर लिया मालिक ने ग़ासिब से कहा मेरा मकान ख़ाली करदे वरना इतने रूपये माहवार किराया लूंगा यह इजारह सहीह है और यह सूरत उस क़ायदा से मुस्तसना है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.30:– इजाज़त की मिसाल यह है कि बालिग़ा औरत का उसके वली या फुज़ूली ने निकाह कर दिया जो उसकी इजाज़त पर मौक़ूफ़ है उसको निकाह की ख़बर दीगई तो यह कहा मैंने उस निकाह को जाइज़ किया अगर मेरी माँ भी उसको पसन्द करे यह इजाज़त नहीं हुई यूंही फुज़ूली ने किसी की चीज़ बेच डाली मालिक को ख़बर हुई तो उसने इजाज़त मशरूत दी या इजाज़त को किसी शर्त पर मुअल्लक़ किया तो इजाज़त न हुई। यूंही जो चीज़ ऐसी हो कि उसकी तालीक़ शर्त पर न हो सकती हो अगर उसको इस तरह मुनअक़िद किया कि किसी की इजाज़त पर मौक़ूफ़ हो और इजाज़त देने वाले ने इजाज़त को शर्त पर मुअल्लक़ कर दिया तो इजाज़त नहीं हुई। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.31:– सुलह की मिसाल यह है कि एक शख़्स का दूसरे पर कुछ माल आता है कुछ देकर दोनों में मुसालहत होगई ज़ाहिर में यह सुलह है मगर माना के लिहाज़ से बैअ् है लिहाज़ा शर्त के साथ इस क़िस्म की सुलह सहीह नहीं मसलन यह कहा कि मैंने सुलह की इस शर्त से कि तू अपने मकान में मुझे एक साल तक रहने दे या सुलह की अगर फुलां शख़्स आजाये यह सुलह फ़ासिद है, यह बैअ् उस वक़्त है जब ग़ैर जिन्स पर सुलह हो अगर उसी जिन्स पर सुलह हुई तो तीन सूरतें हैं अगर कम पर हुई मसलन सौ आते थे पचास पर हुई तो इबरा है यानी पचास मुआफ़ कर दिये और इतने ही पर हुई तो आता हुआ पा लिया और ज़ाइद पर हुई सूद व हराम है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.32:– इबरा (मुआफ़ करना) अगर शर्ते मुतआरफ़ (जो शर्त लोगों में मशहूर हो) से मशरूत हो या ऐसे अम्र पर मुअल्लक़ किया जो फ़िलहाल मौजूद है तो इबरा सहीह है मसलन यह कहा कि अगर मेरे शरीक को उसका हिस्सा तूने दे दिया तो बाक़ी दैन मुआफ़ है उसने शरीक को देदिया बाक़ी दैन मुआफ़ होगया या यह कहा अगर तुझ पर मेरा दैन है तो मुआफ़ है और वाक़ेअ् में दैन है तो मुआफ़ होगया और अगर शर्ते मुतआरफ़ न हो तो मुआफ़ नहीं मसलन मैंने दैन मुआफ़ कर दिया अगर फुलां शख़्स आजाये या मैंने मुआफ़ किया इस शर्त पर कि एक माह तू मेरी ख़िदमत करे या अगर तू घर में गया तो दैन मुआफ़ है अगर तूने पाँच सौ दे दिये तो बाक़ी मुआफ़ है अगर तू क़सम खा जाये तो दैन मुआफ़ है इन सब सूरतों में मुआफ़ न होगा। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.33:– इबरा की तालीक़ अपनी मौत पर सहीह है और यह वसियत के माना में है मसलन मदयून से कहा अगर मैं मर जाऊँ तो तुझपर जो दैन है वह मुआफ़ है या मुआफ़ हो जायेगा और अगर यह कहा कि तू मर जाये तो दैन मुआफ़ है यह इबरा सहीह नहीं। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.34:– जिसको एअ्तेकाफ़ में बैठना है वह यूँ नियत करता है कि एअ्तेकाफ़ की नियत करता हूँ इस शर्त के साथ कि रोज़ा नहीं रखूंगा या जब चाहूँगा हाजत व बेहाजत मस्जिद से निकल जाऊँगा यह एअ्तेकाफ़ सहीह नहीं। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.35:– खेत या बाग़ इजारह पर दिया और नामुनासिब शर्तें लगाई तो यह इजारह फ़ासिद है मसलन यह शर्त कि काम करने वालों के मसारिफ़ ज़मीन का मालिक देगा मुज़ारअत को फ़ासिद कर देता है। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.36:– इक़रार की सूरत यह है कि उसने कहा फुलां का मुझ पर इतना रूपया है अगर वह मुझे इतना रूपया कर्ज़ दे या फुलां शख़्स आजाये यह इक़रार सहीह नहीं, एक शख़्स ने दूसरे पर माल का दावा किया उसने कहा अगर कल मैं न आया तो वह माल मेरे ज़िम्मे है और नहीं आया यह इक़रार सहीह नहीं, या एक ने दावा किया दूसरे ने कहा अगर क़सम खा जाये तो मैं देनदार हूँ

उसने क़सम खाली मगर अब भी इनकार करता है तो उस इक़रारे मशरूत की वजह से उससे मुतालबा नहीं हो सकता। (रद्दुलमुहतार)

मसअला.37:– इक़रार को कल आने पर मुअ़ल्लक़ किया या अपने मरने पर मुअ़ल्लक़ किया यह तालीक़ दुरुस्त है मस्लन उसके मुझपर हज़ार रूपये हैं जब कल आजाये या महीना ख़त्म होजाये या ईदुलफ़ित्र आजाये कि यह हक़ीक़तन तालीक़ नहीं बल्कि अदाये दैन का वक़्त है या कहा फ़ुलां के मुझपर हज़ार रूपये हैं अगर मैं मर जाऊँ यह भी हक़ीक़तन तालीक़ नहीं बल्कि लोगों के सामने यह ज़ाहिर करना है कि मेरे मरने के बाद वुरसा देने से इनकार करें तो लोग गवाह रहें कि यह दैन मेरे ज़िम्मे है यह इक़रार सहीह है और रूपये फ़िलहाल वाजिबुल'अदा है मरे या ज़िन्दा रहे रूपया बहर हाल उसके ज़िम्मे है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअला.38:– तहकीम यानी किसी को पंच बनाना उसको शर्त पर मुअ़ल्लक़ किया मस्लन यह कहा जब चांद होजाये तो तुम हमारे दरम्यान में पंच हो यह तहकीम सहीह नहीं। (दुर्रेमुख़्तार) बाज़ वह चीज़ें हैं कि शर्ते फ़ासिद से फ़ासिद नहीं होतीं बल्कि बा'वजूद ऐसी शर्त के वह चीज़ सहीह होती है वह यह हैं। (1)क़र्ज़, (2)हिबा, (3)निकाह, (4)तलाक़, (5)ख़ुला, (6)सदक़ा, (7)इत्क़, (8)रहन, (9)ईसा (वसियत करना) (10)वसियत, (11)शिरकत, (12)मुज़ारबत, (13)क़ज़ा, (14)अमारात, (15)किफ़ाला, (16)हवाला, (17)वकालत, (18)इक़ाला, (19)किताबत, (20)गुलाम को तिजारत की इजाज़त, (21) लोन्डी से जो बच्चा पैदा हो उसकी निस्बत यह दावा कि मेरा है, (22)क़स्दन क़त्ल किया है उससे मुसालहत, (23)किसी को मजरूह किया है उससे सुलह, (24)बादशाह का कुफ़्फ़ार को ज़िम्मा देना, (25)मबीअ़ में ऐब पाने की सूरत में उसके वापस करने को शर्त पर मुअ़ल्लक़ करना, (26)ख़्यारे शर्त में वापसी को मुअ़ल्लक़ पर शर्त करना, (27)क़ाज़ी की माज़ूली।

जिन चीजों को शर्त पर मुअ़ल्लक जाइज़ है वह इस्क़ाते महज़ हैं जिनके साथ हल्फ़ (क़सम) कर सकते हैं जैसे तलाक़, इताक़, और वह इल्तिज़ामात हैं जिनके साथ हलफ़ कर सकते हैं जैसे नमाज़, रोज़ा, हज, और तौलियात यानी दूसरे को वली बनाना मस्लन क़ाज़ी या बादशाह व ख़लीफ़ा मुक़र्रर करना।

वह चीज़ें जिनकी इज़ाफ़त ज़मान–ए–मुस्तकबिल की तरफ़ हो सकती है (1)इजारह, (2)फ़स्ख़े इजारह (3)मुज़ारबत (4)मुआमला (5)मुज़ारआ (खेती किराये पर लेना) (6)वकालत (7)किफ़ालत (8)ईसा (9)वसिय्यत (10)क़ज़ा (11)अमारत (12)तलाक़ (13)इताक़ (14)वक़्फ़, (15)आरियत, (16)इज़्ने तिजारत

वह चीज़ें जिनकी इज़ाफ़त मुस्तक़बिल की तरफ़ सहीह नहीं (1)बैअ़, (2)बैअ़ की इजाज़त (3)उसका फ़स्ख़ (4)क़िस्मत (5)शिरकत (6)हिबा (7)निकाह (8)रजअ़त (9)माल से सुलह (10)दैन से इबरा।

बैअ़ सर्फ़ का बयान

हदीस (1) सहीहैन में अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया "सोने को सोने के बदले में न बेचो मगर बराबर बरादर और बाज़ को बाज़ पर ज़्यादा न करो और चांदी को चांदी के बदले में न बेचो मगर बराबर बराबर और बाज़ को बाज़ पर ज़्यादा न करो और उनमें उधार को नक़द से साथ न बेचो और एक रिवायत में है कि सोने को सोने के बदले में और चांदी को चांदी के बदले में न बेचो मगर वज़न के साथ बराबर करके"।

हदीस (2) सहीह मुस्लिम शरीफ़ में है फ़ुज़ालह बिन उ़बैद रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु कहते हैं मैंने ख़ैबर के दिन बारह दीनार का एक हार ख़रीदा था जिसमें सोना था और पूत मैंने दोनों चीज़ें जुदा कीं तो बारह दीनार से ज़्यादा सोना निकला उसको मैंने नबी करीम सलल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व सल्लम से ज़िक्र किया इरशाद फ़रमाया "जब तक जुदा न कर लिया जाये बेचा न जाये"।

हदीस (3) इमाम मालिक व अबूदाऊद व तिर्मिज़ी वग़ैरहुम अबिल हदसान से रावी कहते हैं कि मैं सौ अशर्फ़ियाँ तुड़ाना चाहता था तलहा बिन उ़बैदुल्लाह रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने मुझे बुलाया और

हम दोनों की रज़ा'मन्दी होगई और बैअ़ सर्फ़ होगई उन्होंने सोना मुझसे ले लिया और उलट पलट कर देखा और कहा उसके रूपये उस वक़्त मिलेंगें जब मेरा ख़ाज़िन ग़ाबा से आजाये हज़रत उमर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु सुन रहे थे उन्होंने फ़रमाया उससे जुदा न होना जब तक रूपया वुसूल न कर लेना फिर कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया है "सोना चांदी के बदले में बेचना सूद है मगर जबकि दस्त'बदस्त हो"।

मसअ्ला.1:– सर्फ़ के मा'ना हम पहले बता चुके हैं या'नी समन को समन से बेचना, सर्फ़ में कभी जिन्स का तबादला जिन्स से होता है जैसे रूपये से चांदी ख़रीदना या चांदी की रेज़गारियाँ ख़रीदना, सोने को अशरफ़ी से ख़रीदना, और कभी ग़ैर जिन्स से तबादला होता है जैसे रूपये से सोना या अशर्फ़ी ख़रीदना।

मसअ्ला.2:– समन से मुराद आ़म है कि वह समन ख़लक़ी हो या'नी इसी लिये पैदा किया गया हो चाहे उसमें इन्सानी सन्अ़त (इन्सानी कारीगरी) भी दाख़िल हो या न हो चांदी, सोना और उनके सिक्के और ज़ेवरात यह सब समने ख़लक़ी में दाख़िल हैं दूसरी क़िस्म ग़ैर ख़लक़ी जिसको समने इस्तेलाही भी कहते हैं यह वह चीज़ें हैं कि समनियत के लिये मख़्लूक़ नहीं है मगर लोग उनसे समन का काम लेते हैं समन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे पैसा, नोट, निकल की रेज़गारियाँ कि यह सब इस्तेलाही समन हैं रूपये के पैसे भुनाये जायें या रेज़गारियाँ ख़रीदी जायें यह सर्फ़ में दाख़िल है।

मसअ्ला.3:– चांदी की चांदी से या सोने कीं सोने से बैअ़ हुई या'नी दोनों त़रफ़ एक ही जिन्स है तो शर्त यह है कि दोनों वज़न में बराबर हों और उसी मज्लिस में दस्त'बदस्त क़ब्ज़ा हो या'नी हर एक दूसरे की चीज़ अपने फ़ेअ़्ल से क़ब्ज़ा में लाये अगर आ़क़ेदैन ने हाथ क़ब्ज़ा नहीं किया बल्कि फ़र्ज़ करो अ़क़्द के बा'द वहाँ अपनी चीज़ रखदी और उसकी चीज़ लेकर चला आया यह काफ़ी नहीं है और इस तरह करने से बैअ़ ना'जाइज़ होगी बल्कि सूद हुआ और दूसरे मवाक़ेअ़ में तख़लिया क़रार पाता है और काफ़ी होता है वज़न बराबर होने के यह मा'ना कि कांटे या तराज़ू के दोनों पल्ले में दोनों बराबर हों अगरचे यह मा'लूम न हो कि दोनों का वज़न क्या है। (आलमगीरी) बराबरी से मुराद यह कि आ़क़ेदैन के इ़ल्म में दोनों चीज़ें बराबर हों यह मत़लब नहीं कि ह़क़ीक़त में बराबर होना चाहिये उनको बराबर होना मा'लूम हो या न हो लिहाज़ा अगर दोनों जानिब की चीज़ें बराबर थीं मगर उनके इ़ल्म में यह न थी बैअ़ ना'जाइज़ है हाँ अगर उसी मज्लिस में दोनों पर यह बात ज़ाहिर हो जाये कि बराबर हैं तो जाइज़ हो जायेगी। (फ़तहुलक़दीर)

मसअ्ला.4:– इत्तेहादे जिन्स की सूरत में खरे खोटे होने का कुछ लिहाज़ न होगा या'नी यह नहीं हो सकता कि जिधर खरा माल है उधर कम हो और जिधर खोटा हो ज़्यादा हो कि इस सूरत में भी कमी बेशी सूद है।

मसअ्ला.5:– इसका भी लिहाज़ नहीं होगा कि एक में सनअ़त है और दूसरा चांदी का ढेला है या एक सिक्का है और दूसरा वैसा ही है अगर इन इख़्तेलाफ़ात की वजह से कम व बेश किया तो ह़राम व सूद है मस्लन एक रूपया की डेढ़ दो रूपये भर इस ज़माने में चांदी बिकती है और आ़म तौर पर लोग रूपया से ही ख़रीदते हैं और इस में अपनी ना'वाक़िफ़ी की वजह से कुछ ह़रज नहीं जानते हालांकि यह सूद है और बिलइजमाअ़ ह़राम है इस लिये फ़ुक़हा यह फ़रमाते हैं कि अगर सोने चांदी का ज़ेवर किसी ने ग़सब किया और ग़ासिब ने उसे हलाक कर डाला तो उसका तावान ग़ैरे जिन्स से दिलाया जाये या'नी सोने की चीज़ है तो चांदी से दिलाया जाये और चांदी की है तो सोने से क्योंकि उसी जिन्स से दिलाने में मालिक का नुक़सान है और बनवाई वग़ैरा का लिहाज़ करके कुछ ज़्यादा दिलाया जाये तो सूद है यह देनी नुक़सान है। (हिदाया, फ़तह, रद्दुलमुह़तार)

मसअ्ला.6:– अगर दोनों जानिब एक जिन्स न हो बल्कि मुख़्तलिफ़ जिन्सें हों तो कमी बेशी में कोई

हरज नहीं मगर तक़ाबुज़े बदलैन (क़ीमत और माल पर क़ब्ज़ा) ज़रूरी है अगर तक़ाबुज़े बदलैन से क़ब्ल मज्लिस बदल गई तो बैअ् बातिल होगई, लिहाज़ा सोने को चाँदी से या चाँदी को सोने से ख़रीदने में दोनों जानिब को वज़न करने की भी ज़रूरत नहीं क्योंकि वज़न तो इसलिये करना ज़रूरी था कि दोनों का बराबर होना मालूम होजाये और जब बराबरी शर्त नहीं तो वज़न भी ज़रूरी न रहा सिर्फ़ मज्लिस में क़ब्ज़ा करना ज़रूरी है। अगर चाँदी ख़रीदनी हो और सूद से बचना हो तो रूपये से मत ख़रीदो गिन्नी (सोने का एक अंग्रेज़ी सिक्का) या नोट या पैसों से ख़रीदो। दैन व दीनार दोनों के नुक़सान से बचोगे। यह हुक्म समने ख़ल्क़ी यानी सोने चाँदी का है अगर पैसों से चांदी ख़रीदी तो मज्लिस में एक का क़ब्ज़ा ज़रूरी है दोनों जानिब से क़ब्ज़ा ज़रूरी नहीं क्योंकि उनकी समनियत मन्सूस नहीं जिसका लिहाज़ ज़रूरी हो आक़ेदैन अगर चाहें तो उनकी समनियत को बातिल करके जैसे दूसरी चीज़ें ग़ैर समन है उनको भी ग़ैर समन क़रार दे सकते हैं। (दुर्रेमुख़्तार)

मज्लिस बदलने के यहाँ यह माना हैं कि दोनों जुदा होजायें एक, एक तरफ़ चला जाये और दूसरा, दूसरी तरफ़ या एक वहाँ से चला जाये और दूसरा वहीं रहे और अगर यह दोनों सूरतें न हों तो मज्लिस नहीं बदली अगरचे कितनी ही तवील मज्लिस हो अगरचे दोनों वहीं सो जायें या बेहोश होजायें बल्कि अगरचे दोनों वहाँ से चलदें मगर साथ–साथ जायें ग़रज़ यह कि जब तक दोनों में जुदाई न हो क़ब्ज़ा हो सकता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.7:– एक ने दूसरे के पास कहला भेजा कि मैंने तुमसे इतने रूपये की चाँदी या सोना ख़रीदा दूसरे ने क़बूल किया यह अ़क्द दुरुस्त नहीं कि तक़ाबुज़े बदलैन मज्लिसे वाहिद में यहाँ नहीं हो सकता। (आलमगीरी) ख़त व किताबत के ज़रिये से भी बैअ़े सर्फ़ नहीं हो सकती।

मसअ्ला.8:– बैअ् सर्फ़ अगर सहीह हो तो उसके दोनों एवज़ मुअ़य्यन करने से भी मुअ़य्यन नहीं होते फ़र्ज़ करो एक शख़्स ने दूसरे के हाथ एक रूपया एक रूपये के बदले में बैअ् किया और उन दोनों के पास रूपया न था मगर उसी मज्लिस में दोनों ने किसी और से क़र्ज़ लेकर तक़ाबुज़े बदलैन किया तो अ़क्द सहीह रहा या मसलन इशारा करके कहा कि मैंने इस रूपये को इस रूपये के बदले में बेचा और जिसकी तरफ़ इशारा किया उसे अपने पास रख लिया दूसरा उसकी जगह दिया जब भी सहीह है। (दुर्रेमुख़्तार) यह उस वक़्त है कि सोना या चाँदी या सिक्के हों और बनी हुई चीज़ मसलन बर्तन, ज़ेवर उनमें तअ़य्युन होता है।

मसअ्ला.9:– बैअ् सर्फ़ ख़्यारे शर्त से फ़ासिद होजाती है। यूंही अगर किसी जानिब से अदा करने की कोई मुद्दत मुक़र्रर हुई मसलन चाँदी आज ली और रूपये कल देने को कहा यह अ़क्दे फ़ासिद है हाँ अगर उसी मज्लिस में ख़्यारे शर्त और मुद्दत को साक़ित (ख़त्म) कर दिया तो अ़क्द सहीह होजायेगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.10:– सोने, चाँदी की बैअ् में अगर किसी तरफ़ उधार हो तो बैअ् फ़ासिद है अगरचे उधार वाले ने जुदा होने से पहले उसी मज्लिस में कुछ अदा करदिया जब भी कुल की बैअ् फ़ासिद है मसलन पन्द्रह रूपये की गिन्नी ख़रीदी और रूपया दस दिन के बाद देने को कहा मगर उसी मज्लिस में दस रूपये देदिये जब भी पूरी ही बैअ् फ़ासिद है यह नहीं कि जितना दिया उसकी मिक़दार में जाइज़ होजाये हाँ अगर वहीं कुल रूपये देदिये तो पूरी बैअ् सहीह है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.11:– सोने चाँदी की कोई चीज़ बर्तन, ज़ेवर, वग़ैरा ख़रीदी तो ख़्यारे ऐब व ख़्यारे रूयत हासिल होगा। रूपये अशर्फ़ी में ख़्यारे रूयत तो नहीं मगर ख़्यारे ऐब है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमोहतार)

मसअ्ला.12:– अ़क्द होजाने के बाद अगर कोई शर्त फ़ासिद पाई गई तो उसको अस्ल अ़क्द से मुलहक़ करेंगे यानी उसकी वजह से वह अ़क्द जो सहीह हुआ था फ़ासिद होगया मसलन रूपये से चाँदी ख़रीदी और दोनों तरफ़ वज़न भी बराबर है और उसी मज्लिस में तक़ाबुज़े बदलैन भी होगया फिर एक ने कुछ ज़्यादा कर दिया या कम कर दिया मसलन रूपये का सवा रूपया या बारह आने कर दिया और दूसरे ने क़बूल कराया वह पहला अ़क्द फ़ासिद होगया। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.13:– पन्द्रह रूपये की अशर्फ़ी ख़रीदी और रूपये देदिये अशर्फ़ी पर क़ब्ज़ा कर लिया उन में एक रूपया ख़राब था अगर मज्लिस नहीं बदली है वह रूपया फेरदे दूसरा लेले और जुदा होने के बा़द उसे मा़लूम हुआ कि एक रूपया ख़राब है उसने वह रूपया फेर दिया तो उस एक रूपये के मक़ाबिल में बैअ् सर्फ़ जाती रही अब यह नहीं हो सकता है कि उसके बदले में दूसरा रूपया ले बल्कि उस अशर्फ़ी में एक रूपये की मिक़दार का यह शरीक है। (रद्दुलमोहतार)

मसअ्ला.14:– बदले सर्फ़ पर जब तक क़ब्ज़ा न किया हो उसमें तसर्रुफ़ नहीं कर सकता अगर उसने उस चीज़ को हिबा कर दिया या स़दक़ा कर दिया या मुआफ़ कर दिया और दूसरे ने क़बूल कर लिया बैअ् सर्फ़ बातिल होगई और अगर रूपये से अशर्फ़ी ख़रीदी और अभी अशर्फ़ी पर क़ब्ज़ा भी नहीं किया और उसी अशर्फ़ी की कोई चीज़ ख़रीदी यह बैअ् फ़ासिद है और बैअ् सर्फ़ बदस्तूर स़ह़ीह़ है या़नी अब भी अगर अशर्फ़ी पर क़ब्ज़ा कर लिया तो स़ह़ीह़ है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला.15:– एक कनीज़ जिसकी क़ीमत एक हज़ार है और उस के गले में एका हज़ार का त़ौक़ (हार) पड़ा है दोनों को दो हज़ार में ख़रीदा और एक हज़ार उसी वक़्त देदिया और एक हज़ार बाक़ी रखा तो यह जो अदा कर दिया त़ौक़ का स्मन क़रार दिया जायेगा अगरचे उसकी तस़रीह़ न की हो या यह कह दिया कि दोनों के समन में एक हज़ार लो यूंही अगर बैअ् में एक हज़ार नक़द देना क़रार पाया है और एक हज़ार उधार तो जो नक़द देना ठहरा है त़ौक़ का समन है यूंही अगर सौ रूपये में तलवार ख़रीदी जिसमें पचास रूपये का चाँदी का सामान लगा है और उसी मज्लिस में पचास देदिये तो यह उस सामान का समन क़रार पायेगा या अ़क़्द ही में पचास रूपये नक़द और पचास उधार देना क़रार पाया तो यह पचास चांदी के हैं अगरचे तस़रीह़ न की हो या कह दिया हो कि दोनों के समन में पचास लेलो बल्कि कह दिया हो कि तलवार के समन में से पचास रूपये वुसूल करो क्योंकि वह आराइश की चीज़ें तलवार के ताबेअ् हैं तलवार बोलकर वह सब ही कुछ मुराद लेते हैं न कि महज़ लोहे का फल अलबत्ता अगर यह कह दिया कि यह ख़ास़ तलवार का स्मन है तो बैअ् फ़ासिद हो जायेगी। और अगर उस मज्लिस में त़ौक़ और तलवार की आराइश का स्मन भी अदा नहीं किया गया और दोनों मुतफ़र्रिक़ होगये तो त़ौक़ व आराइश की बैअ् फ़ासिद हो गई लोन्डी की स़ह़ीह़ है और तलवार की आराइश बिला ज़रर उससे अलग हो सकती है तो तलवार की स़ह़ीह़ है वरना उसकी भी बात़िल। (हिदाया)

मसअ्ला.16:– तलवार में जो चाँदी है उसको स्मन की चाँदी से कम होना ज़रूरी है अगर दोनों बराबर हैं या तलवार वाली स्मन से ज़्यादा हो या मा़लूम न हो कि कौन ज़्यादा है कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है तो इन सूरतों में बैअ् दुरुस्त ही नहीं पहली दोनों सूरतों में यक़ीनन सूद है और तीसरी सूरत में सूद का इह़तिमाल (शक) है और यह भी ह़राम है उसका क़ायदा कुल्लिया यह है कि जब ऐसी चीज़ जिसमें सोने चाँदी के तार या पत्तर लगे हों उसको उसी जिन्स से बैअ् किया जाये तो समन की जानिब उससे ज़्यादा सोना या चाँदी होना चाहिये जितना उस चीज़ में है ताकि दोनों त़रफ़ की चांदी या सोना बराबर करने के बा़द समन की जानिब में कुछ बचे जो उस चीज़ के मक़ाबिल में हो अगर ऐसा न हो तो सूद और ह़राम है और अगर ग़ैर जिन्स से बैअ् हो मस़लन उस में सोना है और समन रूपये हैं तो फ़क़त तक़ाबुज़े बदलैन (दोनों त़रफ़ क़ब्ज़ा) शर्त़ है। (दुर्रेमुख़्तार, फ़तहुलक़दीर)

मसअ्ला.17:– लचका, गोटा अगरचे रेशम से बुना जाता है मगर मक़सूद उसमें रेशम नहीं होता और वज़न से ही बिकता भी है लिहाज़ा दोनों जानिब वज़न बराबर होना ज़रूरी है लैस, पैमक वग़ैरह का भी यही हुक्म है।

मसअ्ला.18:– बा़ज़ कपड़ों में चाँदी के बादले (चाँदी के चपटे तार) बुने जाते हैं। आंचल और किनारे होते हैं जैसे बनारसी इमामा और बा़ज़ में दरम्यान में फूल होते हैं जैसे गुलबदन (मुख़्तलिफ़ बनावट का धारीदार और फूलदार रेशमी और सूती कपड़ा) इस में ज़री के काम को ताबेअ् क़रार देंगे क्योंकि शरीअ़त

ने इसके इस्तेमाल को जाइज़ किया है इसकी बैअ् में समन की चाँदी ज़्यादा होना शर्त नहीं।
मसअ्ला.19:– जिस चीज़ में सोने चांदी का मुलम्मा (जिसपर सोने चाँदी का पानी चढ़ाया गया हो) हो उसके समन का मुलम्मा की चाँदी से ज़्यादा होना शर्त नहीं और उसी मज्लिस में इतनी चाँदी पर क़ब्ज़ा करना भी शर्त नही मसलन बर्तन पर चाँदी का मुलम्मा है उसको मुलम्मा की चांदी से कम क़ीमत पर बैअ् किया या उसी मज्लिस में समन पर क़ब्ज़ा न किया जाइज़ है। (रद्दुलमुहतार)
मसअ्ला.20:– मुलम्मा में बहुत ज़्यादा चाँदी है कि आग पर पिघलाकर इतनी निकाल सकते हैं जो तोलने में आये यह क़ाबिले एअ्तिबार है। (रद्दुलमुहतार)
मसअ्ला.21:– चाँदी के बरतन को रूपये या अशर्फ़ी के एवज़ में बैअ् किया थोड़े से दाम मज्लिस में देदिये बाक़ी, बाक़ी हैं और आक़िदैन में इफ़तिराक़ (जुदाई होना) हो गया तो जितने दाम दिये हैं उसके मक़ाबिल में बैअ् सहीह है और बाक़ी बातिल और बरतन में बाइअ् व मुश्तरी दोनों शरीक हैं और मुश्तरी को ऐब शिरकत की वजह से यह इख़्तेयार नहीं कि वह हिस्सा भी फेर दे क्योंकि यह ऐब मुश्तरी के फ़ेअ्ल व इख़्तेयार से है उसने पूरा दाम उसी मज्लिस में क्यों नहीं दिया और अगर उस बर्तन में कोई हक़दार पैदा होगया उसने एक जुज़ अपना साबित करदिया तो मुश्तरी को इख़्तेयार है कि बाक़ी को ले या न ले क्योंकि इस सूरत में ऐब शिरकत में उसके फ़ेअ्ल से नहीं। (हिदाया, फ़तहुलक़दीर) फिर अगर मुस्तहिक़ ने अक़्द को जाइज़ करदिया तो जाइज़ होजायेगा और उतने समन का वह मुस्तहिक़ है बाइअ् मुश्तरी से लेकर उसको दे बशर्ते कि बाइअ् व मुश्तरी इजाज़ते मुस्तहिक़ से पहले जुदा न हुए हों खुद मुस्तहिक़ के जुदा होने से अक़्द बातिल नहीं होगा कि वह आक़िद नहीं है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)
मसअ्ला.22:– चाँदी या सोने का टुकड़ा ख़रीदा उसके किसी जुज़ में दूसरा हक़दार पैदा होगया तो जो बाक़ी है वह मुश्तरी है और समन भी उतने ही का मुश्तरी के ज़िम्मे है और मुश्तरी को यह हक़ हासिल नहीं है कि बाक़ी को भी न ले क्योंकि उसके टुकड़े करने में किसी का कोई नुक़सान नहीं यह उस सूरत में है कि क़ब्ज़ा के बाद हक़दार का हक़ साबित हो और अगर क़ब्ज़ा से पहले उसने अपना हक़ साबित कर दिया तो मुश्तरी को यहाँ भी इख़्तेयार हासिल होगा कि ले या न ले रूपये और अशर्फ़ी का भी यही हुक्म है कि मुश्तरी को इख़्तेयार नहीं मिलता। (हिदाया, दुर्रेमुख़्तार) मगर ज़मान–ए–साबिक़ में यह रिवाज था कि रूपये और अशर्फ़ी के टुकड़े करने में कोई नुक़सान न था इस ज़माने में हिन्दुस्तान के अन्दर अगर रूपये के टुकड़े कर दिये जायें तो वैसा ही बेकार तसव्वुर किया जायेगा जैसा बर्तन के टुकड़े कर देने से लिहाज़ा यहाँ रूपये का वही हुक्म होना चाहिये जो बर्तन का है।
मसअ्ला.23:– दो रूपये और एक अशर्फ़ी को एक रूपया दो अशर्फ़ियों से बेचना दुरुस्त है रूपये के मक़ाबिल में अशर्फ़ियाँ तसव्वुर करें और अशर्फ़ी के मक़ाबिल में रूपया यूंही दो मन गेहूँ और एक मन जौ को एक मन गेहूँ और दो मन जौ के बदले में बेचना भी जाइज़ है और अगर ग्यारह रूपये को दस रूपये और एक अशर्फ़ी के बदले में बैअ् किया है दस रूपये के मक़ाबिल में दस रूपये हैं और एक रूपये के मक़ाबिल में अशर्फ़ी यह दोनों दो जिन्स हैं इन में कमी बेशी दुरुस्त है और अगर एक रूपया और एक थान को एक रूपया और एक थान के बदले में बेचा और रूपया पर तरफ़ैन ने क़ब्ज़ा न किया तो बैअ् सहीह न रही। (हिदाया)
मसअ्ला.24:– सोने को सोने से या चाँदी को चाँदी से बैअ् किया इनमें एक कम है एक ज़्यादा मगर जो कम है उसके साथ कोई ऐसी चीज़ शामिल करली जिसकी कुछ क़ीमत हो तो बैअ् जाइज़ है फिर अगर उसकी क़ीमत इतनी है जो ज़ायद के बराबर है तो कराहत भी नहीं वरना कराहत है और अगर उसकी क़ीमत ही न हो जैसे मिट्टी का ढेला तो बैअ् जाइज़ ही नहीं। (हिदाया) रूपये से चाँदी ख़रीदना चाहते हों और चाँदी सस्ती हो अगर बराबर लेते हैं नुक़सान होता है ज़्यादा लेते हैं

सूद होता है तो रूपये के साथ पैसे शामिल करलें बैअ् जाइज़ हो जायेगी।
मसअ्ला.25:– सुनार के यहाँ की राख ख़रीदी अगर चाँदी की राख है और चाँदी से ख़रीदी या सोने की है और सोने से ख़रीदी तो ना'जाइज़ है क्योंकि मा्लूम नहीं कि राख में कितना सोना या चाँदी है और अगर अ्क्स किया या्नी चाँदी की राख को सोने से और सोने की चाँदी से ख़रीदा तो दो सूरतें हैं अगर उसमें सोना ज़ाहिर है तो जाइज़ वरना ना'जाइज़ और जिस सूरत में बैअ् जाइज़ है मुश्तरी को देखने के बा्द इख़्तेयार हा्सिल होगा। (फ़तहुलक़दीर)
मसअ्ला.26:– एक शख़्स के दूसरे पर पन्द्रह रूपये हैं मदयून (क़र्ज़ मन्द) ने दाइन (क़र्ज़ देने वाला) के हाथ एक अशर्फ़ी पन्द्रह रूपये में बेची और अशर्फ़ी देदी और उसके स्मन और दैन में मुका़स्सा कर लिया या्नी अदला बदला कर लिया कि यह पन्द्रह के अ्दद पन्द्रह के मक़ाबिल में होगये जो मेरे ज़िम्मा बाक़ी थे ऐसा करना स्हीह है और अगर अ्क़्द ही में यह कहा कि अशर्फ़ी उन रूपयों के बदले में बेचता हूँ जो मेरे ज़िम्मे तुम्हारे हैं तो मुका़स्सा की भी ज़रूरत नहीं यह उस सूरत में है कि दैन पहले का हो और अगर अशर्फ़ी बेचने के बा्द का दैन हो मस्लन पन्द्रह में अशर्फ़ी बेची फिर उसी मज्लिस में उससे पन्द्रह रूपये के कपड़े ख़रीदे और अशर्फ़ी देदी अशरफ़ी और कपड़े के समन में मुका़स्सा कर लिया यह भी दुरुस्त है। (हिदाया)
मसअ्ला.27:– चाँदी सोने में मैल हो मगर सोना चाँदी ग़ालिब हो तो सोना चाँदी ही क़रार पायेंगे जैसे रूपया और अशर्फ़ी कि ख़ालिस् चाँदी सोना नहीं है मैल ज़रूर है मगर कम है इस वजह से अब भी इन्हें चाँदी, सोना ही समझेंगे और उनकी जिन्स से बैअ् हो तो वज़न के साथ बराबर करना ज़रूरी है और क़र्ज़ लेने में भी उनके वज़न का एअ्तिबार होगा। इनमें खोट ख़ुद मिलाया हो जैसे रूपये अशर्फ़ी में ढलने के वक़्त खोट मिलाते हैं या मिलाया नहीं है बल्कि पैदाइशी है कान से जब निकाले गये उसी वक़्त उस में आमेज़िश (मिलावट) थी दोनों का एक हुक्म है। (हिदाया, आलमगीरी)
मसअ्ला.28:– सोने चाँदी में इतनी आमेज़िश है कि खोट ग़ालिब है तो ख़ालिस् के हुक्म में नहीं और उनका हुक्म यह है कि अगर ख़ालिस् सोने, चाँदी से उनकी बैअ् करें तो यह चाँदी उससे ज़्यादा होनी चाहिये जितनी चाँदी उस खोटी चाँदी में है ताकि चाँदी के मुक़ाबिले में चाँदी हो जाये और ज़्यादती खोट के मक़ाबिल में हो और तक़ाबुज़ शर्त़ है क्योंकि दोनों त़रफ़ चाँदी है और अगर ख़ालिस् चाँदी उसके मक़ाबिल में उतनी ही है जितनी उसमें है या उससे भी कम है या मा्लूम नहीं कम है या ज़्यादा तो बैअ् जाइज़ नहीं कि पहली दो सूरतों में खुला हुआ सूद है और तीसरी में सूद का एहतिमाल है। (हिदाया)
मसअ्ला.29:– जिस में खोट ग़ालिब है उसकी बैअ् उसके जिन्स के साथ हो या्नी दोनों त़रफ़ उसी त़रह़ की खोटी चाँदी हो तो कमी बेशी भी दुरुस्त है क्योंकि दोनों जानिब दो क़िस्म की चीज़ें हैं चाँदी भी है और कांसा भी, हो सकता है कि हर एक को ख़िलाफ़े जिन्स के मक़ाबिल में करें मगर जुदा होने से पहले दोनों का क़ब्ज़ा होना ज़रूरी है और इसमें कमी बेशी अगरचे सूद नहीं मगर इस क़िस्म के सिक्के जहाँ चलते हों उन में मशायख़े किराम कमी बेशी का फ़तवा नहीं देते क्योंकि इससे सूदख़ोरी का दरवाज़ा खुलता है कि उनमें कमी बेशी की जब आ्दत पड़ जायेगी तो वहाँ भी कमी बेशी करेंगें जहाँ सूद है। (हिदाया)
मसअ्ला.30:– ऐसे रूपये जिनमें खोट ग़ालिब है उनमें बैअ् व क़र्ज़ वज़न के एअ्तिबार से भी दुरुस्त है और गिन्ती के लिहाज़ से भी अगर रिवाज वज़न का है तो वज़न से और अ्दद का है तो अ्दद से और दोनों का है तो दोनों त़रह़ क्योंकि यह उनमें नही हैं जिनका वज़न मन्सूस् है। (हिदाया)
मसअ्ला.31:– ऐसे रूपये जिन में खोट ग़ालिब है जब तक उनका चलन है समन हैं मुतअ्य्यन करने से भी मुतअ्य्यन नहीं होते मस्लन इशारा करके कहा इस रूपये की यह चीज़ देदो तो यह ज़रूर नहीं कि वही रूपया दे उसकी जगह दूसरा भी दे सकता है और अगर उनका चलन जाता रहा तो स्मन नहीं बल्कि जिस त़रह़ और चीज़ें हैं यह भी एक मताअ् (सामान) है और उस वक़्त

मुअय्यन है अगर उसके एवज़ में कोई चीज़ ख़रीदी है तो जिसकी तरफ़ इशारा किया है उसी को देना ज़रूरी है उसके बदले में दूसरा नहीं दे सकता यह उस वक़्त है जब बाइअ़ व मुश्तरी दोनों को मालूम है कि उसका चलन नहीं है और हर एक यह भी जानता हो कि दूसरे को भी उसका हाल मालूम है और अगर दोनों को यह बात मालूम नहीं या एक को मालूम नहीं या दोनों को मालूम है मगर यह नहीं मालूम कि दूसरा भी जानता है तो बैअ़ का तअ़ल्लुक़ उस खोटे रूपये से नहीं जिसकी तरफ़ इशारा है बल्कि अच्छे रूपये से है अच्छा रूपया देना होगा और अगर उसका चलन बिलकुल बन्द नहीं हुआ है बाज़ तबक़ा में चलता है और बाज़ में नहीं और उनमें कोई चीज़ ख़रीदी तो दो सूरतें हैं बाइअ़ को यह बात मालूम है या नहीं कि कहीं चलता है और कहीं नहीं अगर मालूम है तो यही रूपया देना ज़रूर नहीं इसी तरह का दूसरा भी दे सकता है और अगर मालूम नही तो खरा रूपया देना पड़ेगा। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.32:– रूपये में चांदी और खोट दोनों बराबर हैं बाज़ बातों में ऐसे रूपये का हुक्म उसका है जिसमें चाँदी ग़ालिब है और बाज़ बातों में उसकी तरह है जिसमें खोट गालिब है बैअ़ व क़र्ज़ में उसका हुक्म उसकी तरह है जिसमें चांदी ग़ालिब है कि वह वज़नी हैं और बैअ़ सर्फ़ में उसकी तरह है जिसमें खोट ग़ालिब है कि उसकी बैअ़ अगर उसी क़िस्म के रूपये से हो या ख़ालिस चाँदी से हो तो वह तमाम बातें लिहाज़ की जायेंगी जो मज़कूर हुईं मगर उसकी बैअ़ उसी क़िस्म के रूपये से हो तो अक्सर फ़ुक़हा कमी बेशी को ना'जाइज़ कहते हैं और मुक़तज़ाये एहतेयात (एहतेयात का तक़ाज़ा) भी यही है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.33:– ऐसे रूपये जिनमें चाँदी से ज़्यादा मैल है उनमें या पैसों से कोई चीज़ ख़रीदी और अभी बाइअ़ को दिये नहीं कि उनका चलन बन्द होगया लोगों ने उससे लेन देन छोड़ दिया इमामे आज़म फ़रमाते हैं कि बैअ़ बातिल होगई मगर फ़तवा साहिबैन के क़ौल पर है कि इन रूपयों या पैसों की जो क़ीमत थी दी जाये। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.34:– पैसों और रूपयों का चलन बन्द नहीं हुआ मगर क़ीमत कम होगई तो बैअ़ ब'दस्तूर बाक़ी है और बाइअ़ को यह इख़्तेयार नहीं कि बैअ़ को फ़स्ख़ करदे यूंही अगर क़ीमत ज़्यादा होगई जब भी बैअ़ बदस्तूर है और मुश्तरी को फ़स्ख़ करने का इख़्तेयार नहीं और यही रूपये दोनों सूरतों में अदा किये जायेंगे। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.35:– पैसे चलते हों तो उनसे ख़रीदना दुरुस्त है और मुअ़य्यन करने से मुअ़य्यन नहीं होते मस्लन इशारा करके कहा इस पैसे की यह चीज़ दो तो वही पैसा देना वाजिब नहीं दूसरा भी दे सकता है हाँ अगर दोनों यह कहते हों कि हमारा मक़सूद मुअ़य्यन ही था तो मुअ़य्यन है, और एक पैसा से दो मुअ़य्यन पैसे ख़रीदे तो अ़क़्द का तअ़ल्लुक़ मुअ़य्यन से है अगरचे वह दोनों उसकी तसरीह न करें कि हमारा मक़सूद यही था। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार) इस सूरत में अगर कोई भी हलाक हो जाये बैअ़ बातिल हो जायेगी और अगर दोनों में कोई यह चाहे कि उसके बदले का दूसरा पैसा देदे यह नहीं कर सकता वही देना होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.36:– पैसों का चलन उठ गया तो उन में बैअ़ दुरुस्त नहीं जब तक मुअ़य्यन न हों कि अब यह समन नहीं है मबीअ़ है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.37:– एक रूपये के पैसे ख़रीदे और अभी क़र्ज़ नहीं किया था कि उनका चलन जाता रहा बैअ़ बातिल होगई और अगर आधे रूपयों के पैसों पर क़ब्ज़ा किया था और आधे पर नहीं कि चलन बन्द होगया तो उस निस्फ़ की बैअ़ बातिल होगई। (फ़तहुलक़दीर)

मसअ्ला.38:– पैसे क़र्ज़ लिये थे और अभी अदा नहीं किये थे कि उनका चलन जाता रहा अब क़र्ज़ में उन पैसों के देने का हुक्म दिया जाये तो दाइन का सख़्त नुक़सान होगा जितना दिया था उसका चहारुम भी नहीं वुसूल हो सकता लिहाज़ा चलन उठने के दिन इन पैसों की जो क़ीमत थी

वह अदा की जाये। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.39:– रूपये,दो रूपये,अठन्नी,चौअन्नी के पैसों की चीज़ ख़रीदी और यह नहीं जाहिर किया कि यह पैसे कितने होंगे बैअ् सहीह है क्योंकि यह बात मालूम है कि रूपये के इतने पैसे हैं। (हिदाया)

मसअ्ला.40:– सर्फ़ को रूपया देकर कहा कि आधे रूपये के पैसे दो और आधे का अठन्नी से कम चाँदी का सिक्का दो यह बैअ् ना'जाइज़ है आधे के पैसे ख़रीदे उसमें कुछ हरज न था मगर आधे का जो सिक्का ख़रीदा उसमें कमी बेशी है उसकी वजह से पूरी ही बैअ् फ़ासिद होगी और अगर यूँ कहता है कि इस रूपये के इतने पैसे और अठन्नी से कम वाला सिक्का दो तो कोई हरज न था क्योंकि यही तफ़सील नहीं है पैसों और सिक्का सब के मक़ाबिल में रूपया है। (दुर्रेमुख़्तार, हिदाया)

मसअ्ला.41:– हमने कई जगह ज़िमनन यह बात ज़िक्र करदी है कि नोट भी समने इस्तिलाही है उसकी वजह यह है कि आज तमाम लोग उससे चीज़ें ख़रीदते, बेचते हैं दूयून और दीगर मुतालेबात में बे तकल्लुफ देते, लेते हैं यहाँ तक कि दस रूपये की चीज़ ख़रीदते हैं और लौटा देते हैं दस रूपये क़र्ज़ लेते हैं और दस रूपये का नोट देते हैं न लेने वाला समझता है कि हक़ से कम या ज़्यादा मिला है न देने वाला जिस तरह अठन्नी, चौअन्नी, दुअन्नी की कोई चीज़ ख़रीदी और पैसे दे दिये या यह चीज़ें क़र्ज़ ली थीं और पैसों से क़र्ज़ अदा किया इसमें कोई तफ़ावुत नहीं समझता बिऐनेही इसी तरह नोट में भी फ़र्क़ नहीं समझा जाता हालांकि यह एक काग़ज़ का टुकड़ा है जिसकी क़ीमत हज़ार, पाँच सौ तो क्या पैसा दो पैसा भी नहीं हो सकती सिर्फ़ इस्तिलाह ने उसे इस रूत्बे तक पहुँचाया कि हज़ारों में बिकता है और आज इस्तिलाह ख़तम हो जाये तो कौड़ी को भी कौन पूछे। इस बयान के बाद यह समझना चाहिये कि खोटे रूपये और पैसों का जो हुक्म है वही उनका है कि उनसे चीज़ ख़रीद सकते हैं, और मुअ़य्यन करने से भी मुअ़य्यन नहीं होंगे खुद नोट को नोट के बदले में बेचना भी जाइज़ है और अगर दोनों मुअ़य्यन करलें तो एक नोट के बदले में दो नोट भी ख़रीद सकते हैं जिस तरह एक पैसे से मुअ़य्यन दो पैसों को ख़रीद सकते हैं रूपयों से उसको ख़रीदा या बेचा जाये तो जुदा होने से पहले एक पर क़ब्ज़ा होना ज़रूरी है जो रक़म उस पर लिखी होती है उससे कम व बेश पर भी नोट का बेचना जाइज़ है दस का नोट पाँच में बारह में बैअ् करना दुरुस्त है जिस तरह एक रूपये के 64 की जगह सौ पैसे या 50 पैसे बेचे जायें तो उसमें कोई हरज नहीं बाज़ लोग जो कमी बेशी नाजाइज़ जानते हैं उसे चाँदी तसव्वुर करते हैं। यह तो ज़ाहिर है कि यह चांदी नहीं है बल्कि काग़ज़ है और अगर चाँदी होती तो उसकी बैअ् में वज़न का एअ्तिबार ज़रूर करना होता दस रूपये से दस का नोट लेना उस वक़्त दुरुस्त होता कि एक पल्ला में दस रूपये रखें दूसरे में नोट और दोनों का वज़न बराबर करें यह अलबत्ता कहा जा सकता है कि बाज़ बातों में चाँदी के हुक्म में है मसलन दस रूपये क़र्ज़ लिये थे या किसी चीज़ का समन था और रूपये की जगह नोट दिये यह दुरुस्त है जिस तरह पन्द्रह रूपये की जगह एक गिन्नी देना दुरुस्त है मगर उससे यह नहीं हो सकता कि गिन्नी को चाँदी कहा जाये कि पन्द्रह की गिन्नी को पन्द्रह से कम व बेश में बेचना ही ना'जाइज़ हो।

मसअ्ला.42:– हिन्दुस्तान के अकस्र शहरों में कौड़ियों का रिवाज था और अब भी बाज़ जगह चल रही हैं यह भी समने इस्तिलाही हैं और इनका वही हुक्म है जो पैसों का है।

बैअ़े तलजिआ

मसअ्ला.43:– बैअ़े तलजिआ यह है कि दो शख़्स और लोगों के सामने ब'ज़ाहिर किसी चीज़ को बेचना, ख़रीदना चाहते हैं मगर उनका इरादा उस चीज़ के बेचने ख़रीदने का नहीं है उसकी ज़रूरत यूं पेश आती है कि जानता है फ़ुलां शख़्स को मालूम होजायेगा कि यह चीज़ मेरी है तो ज़बरदस्ती छीन लेगा मैं उसका मुक़ाबला नहीं कर सकता, इसमें यह ज़रूरी है कि मुश्तरी से कहदे कि मैं ब'ज़ाहिर तुम से बैअ् करूँगा और हक़ीक़तन बैअ् नहीं होगी और इस अम्र पर लोगों को

गवाह भी करे महज़ दिल में यह ख़्याल करके बैअ् की और ज़बान से उसको ज़ाहिर नहीं किया यह तलजिआ नहीं, तलजिआ का हुक्म हज़्ल (हंसी, मजाक) का है कि सूरत बैअ् की है और हक़ीक़त में बैअ् नहीं। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार) आजकल जिसको फ़र्ज़ी बैअ् कहा करते हैं वह इसी तलजिया में दाख़िल हो सकती है जबकि उसके शराइत पाये जायें।

मसअ्ला.44:– तलजिआ की तीन सूरतें हैं नफ़से अ़क़्द में तलजिआ हो या मिक़दारे समन में या जिन्से समन में नफ़से अ़क़्द में तलजिआ की वही सूरत है जो मज़कूर हूई कि बाइअ् ने मुश्तरी से कुछ ख़ास लोगों के सामने यह कह दिया कि मैं लोगों के सामने ज़ाहिर करूँगा कि अपना मकान तुम्हारे हाथ बेचा और तुम क़बूल करना और यह बैअ् व शिरा (ख़रीद ो फ़राख़्त) दिखावे में होगा हक़ीक़त में नहीं होगा चुनांचे इसी तौर पर बैअ् हुई। समन की मिक़दार में तलजिआ की सूरत यह है कि आपस में समन एक हज़ार तय हुआ है मगर यह तय हुआ कि ज़ाहिर दो हज़ार किया जायेगा इस सूरत में स्मन वह होगा जो ख़ुफ़िया तय हुआ है जैसा कि आजकल अकस्र शुफ़आ से बचाने के लिये दस्तावेज़ में बढ़ाकर स्मन लिखते हैं ताकि अव्वलन तो स्मन की कस्रत देखकर शुफ़आ ही न करेगा और करे भी तो वह रक़म देगा जो हमने दस्तावेज़ में लिखाई है (यह हराम और फ़रेब और हक तलफ़ी है) तीसरी सूरत कि ख़ुफ़िया रूपये समन क़रार पाये और ज़ाहिर में अशर्फ़ियों को स्मन क़रार दिया। (आलमगीरी)

मसअ्ला.45:– बैअ़े तलजिआ का यह हुक्म है कि यह बैअ् मौक़ूफ़ है जाइज़ करदे तो जाइज़ होगी रद करदे तो बातिल होगी। (आलमगीरी) यानी जबकि नफ़्से अ़क़्द में तलजिआ हो।

मसअ्ला.46:– दो शख़्सों ने आपस में इस पर इत्तिफ़ाक़ किया कि लोगों के सामने हम फ़ुलां चीज की बैअ् का इक़रार करदें एक कहे फ़ुलां तारीख़ को मैंने यह चीज़ उसके हाथ इतने में बेची है दूसरा इक़रार करे मैंने ख़रीदी है हालांकि हक़ीक़त में इन दोनों के माबैन बैअ् नहीं हुई है तो ऐसे ग़लत इक़रार से बैअ् मौक़ूफ़ भी साबित नहीं होगी और दोनों उसको जाइज़ करना भी चाहें तो जाइज़ नहीं होगी। (आलमगीरी)

मसअ्ला.47:– दोनों में से एक कहता है तलजिआ था दूसरा कहता है नहीं था तो जो तलजिआ का मुद्दई है उसके ज़िम्मे गवाह है गवाह न लाये तो मुन्किर का क़ौल क़सम के साथ मोअ्तबर है (आलमगीरी)

मसअ्ला.48:– दोनों ने यह तय कर लिया था कि महज़ दिखाने के लिये अ़क़्द किया जायेगा अगर वक़्ते अ़क़्द उसी तयशुदा बात पर अ़क़्द की बिना करें तो अ़क़्द दुरुस्त नहीं कि बैअ् में तबादला की रज़ामन्दी दरकार है और यहाँ वह मफ़क़ूद है यानी अगर अ़क़्द को जाइज़ न करें बल्कि रद करदें तो बातिल होजायेगा और अगर वक़्ते अ़क़्द उस तयशुदा पर बिना न हो यानी दोनों अ़क़्द के बाद बिलइत्तिफ़ाक़ कहते हों कि हमने उस तयशुदा के मुवाफ़िक़ अ़क़्द नहीं किया था तो यह बैअ् सहीह है और अगर इस बात पर दोनों मुत्तफ़िक़ हैं कि वक़्ते अ़क़्द हमारे दिलों में कुछ न था न यह कि तय शुदा बात पर अ़क़्द है न यह कि उस पर नहीं है या दोनों आपस में इख़्तिलाफ़ करते हैं एक कहता है कि तयशुदा बात पर अ़क़्द किया था दूसरा कहता है उसके मुवाफ़िक़ मैंने अ़क़्द नहीं किया था तो इन दोनों सूरतों में बैअ् सहीह है यूंही अगर समन की मिक़दार बाहम एक हज़ार तय पाई थी और ऐलानिया दो हज़ार समन क़रार पाया इसमें भी वही सूरतें हैं अगर दोनों का इस पर इत्तिफ़ाक़ है कि समन वही तयशुदा है तो समन दो हज़ार है और अगर दोनों मुत्तफ़िक़ हैं कि तयशुदा स्मन पर अ़क़्द नहीं हुआ है बल्कि दो हज़ार पर ही हुआ है या कहते हैं हमारे ख़्याल में उस वक़्त कुछ न था कि तयशुदा समन रहेगा या नहीं या दोनों में बाहम इख़्तिलाफ़ है इन सब सूरतों में भी समन दो हज़ार है और अगर जिन्स एक चीज़ तय पाई और अ़क़्द दूसरी जिन्स पर हुआ तो स्मन वह है जो वक़्ते अ़क़्द ज़िक्र हुई। (रद्दुलमुहतार)

बैउ़ल वफ़ा

मसअ्ला.49:– बैउ़ल वफ़ा इस बैअ् को बैउ़ल अमानत और बैउ़ल इताअ़त और बैउ़ल मुआ़मला भी कहते हैं उसकी सूरत यह है कि इस तौ़र पर बैअ् किया जाये कि बाइअ् जब समन मुश्तरी को वापस देगा तो मुश्तरी मबीअ् को वापस कर देगा या यूं कि मदयून ने दाइन के हाथ दैन के एवज़ में कोई चीज़ बैअ् करदी और यह त़य होगया कि जब मैं दैन अदा करूँगा तो अपनी चीज़ ले लूँगा या यूं कि मैंने यह चीज़ तुम्हारे हाथ इतने में बैअ् करदी इस तौ़र पर कि जब स्मन लाऊंगा तो तुम मेरे हाथ बैअ् कर देना। आज कल जो बैउ़ल वफ़ा लोगों में जारी है उस में मुद्दत भी होती है कि अगर इस मुद्दत के अन्दर यह रक़म मैंने अदा करदी तो चीज़ मेरी वरना तुम्हारी।

मसअ्ला.50:– बैउ़ल वफ़ा ह़क़ीक़त में रहन है लोगों ने रहन के मुनाफ़ेअ् खाने की यह तर्कीब निकाली है कि बैअ् की सूरत में रेहन रखते हैं ताकि मुरतहिन उसके मुनाफ़ेअ् से मुस्तफ़ीद हो। लिहाज़ा रहन के तमाम अह़काम इस में जारी होंगे और जो कुछ मुनाफ़ेअ् ह़ासिल होंगे सब वापस करने होंगे और जो कुछ मुनाफ़ेअ् अपने स़र्फ़ में ला चुका है या हलाक कर चुका है सबका तावान देना होगा और अगर मबीअ् हलाक होगई तो दैन का रूपया भी साक़ित़ होजायेगा बशर्ते कि वह दैन की रक़म के बराबर हो और अगर उसके पड़ोस में कोई मकान या ज़मीन फ़रोख़्त हो तो शुफ़आ़ बाइअ् का होगा कि वही मालिक है मुश्तरी का नहीं कि वह मुरतहिन है। (रद्दुलमुहतार) बैउ़ल वफ़ा का मुआ़मला निहायत पेचीदा है फुक़हाये किराम के अक़वाल उसके मुतअ़ल्लिक़ बहुत मुख़्तलिफ़ वाक़ेअ् हुए अ़ल्लामा स़ाहिबे बहर ने इसके बारे में आठ क़ौल ज़िक्र किये फ़तावा बज़ाज़िया में नौ क़ौल मज़कूर हैं बाज़ ने दस क़ौल ज़िक्र किये फ़क़ीर ने सिर्फ़ उस क़ौल का ज़िक्र किया कि यह ह़क़ीक़त में रहन है कि आ़क़िदैन का मक़सूद उसी की ताईद करता है और अगर उसको बैअ् भी क़रार दिया जाये जैसा कि उसका नाम ज़ाहिर करता है और ख़ुद आ़क़िदैन भी उ़मूमन लफ़्ज़े बैअ् ही से अ़क़्द करते हैं तो यह शर्त़ कि स्मन वापस करने में मबीअ् को वापस करना होगा यह शर्त़ बाइअ् के लिये मुफ़ीद है और मुक़्तज़ाये अ़क़्द के ख़िलाफ़ है और ऐसी शर्त़ बैअ् को फ़ासिद करती है जैसा कि मालूम हो चुका है इस सूरत में भी बाइअ् व मुश्तरी दोनों गुनहगार भी होंगे और मबीअ् के मुनाफ़ेअ् मुश्तरी के लिये ह़लाल न होंगे बल्कि जो मुनाफ़ेअ् मौजूद हैं उन्हें वापस करे और जो ख़र्च कर डाले हैं उनका तावान दे अलबत्ता जो बिग़ैर उसके फ़ेअ्ल के हलाक हो गये हों वह साक़ित़ लिहाज़ा ऐसी बैअ् से इज्तिनाब ही का हुक्म दिया जायेगा।

वल्लाहु तआ़ला आ़लम।

هذا آخر ما تیسر لی من کتاب البیوع تشتت البال و ضعف الحال

मुतर्जिम
मुह़म्मद अमीनुलक़ादरी बरेलवी
निकट दो मीनार मस्जिद, एजाज़ नगर
पुराना शहर बरेली
मो0 : 09219132423